C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXV, Tenth Session, 2012/1934 (Saka)
No. 23, Monday, May 7, 2012/Vaisakha 17, 1934 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos 421 to 424	3-46
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 425 to 440	47-95
Unstarred Question Nos. 4831 to 5060	96-546

* The sign+ marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **547-565**

MESSAGES FROM RAJYA SABHA **566**
AND
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS **567**
162nd Report

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE **567**
175th to 178th Reports

MATTERS UNDER RULE 377 **568-581**

(i) Need to start a massive campaign to create awareness about diabetes in the country.

Shrimati Priya Dutt **569**

(ii) Need to find a solution to the movement of farmers having their agricultural land on Bangladesh side.

Kumari Mausam Noor **570**

(iii) Need to provide stoppage of Train Nos. 16735/16736 at Cuddalore Junction in Tamil Nadu.

Shri S. Alagiri **571**

(iv) Need to take steps to create Legislative Council in every State where there is no council and especially in Delhi.

Shri Jai Prakash Agarwal **572**

(v) Need to set up milch-animal breed improvement centres in Barmer district of Rajasthan.

Shri Harish Choudhary **573**

(vi) Need to provide adequate number of LPG connections to economically weaker sections of the society particularly in West Delhi Parliamentary Constituency.

Shri Mahabal Mishra **574**

(vii) Need to make arrangement for payment of toll tax at a single point on National Highways.

Shri Arjun Ram Meghwal **575**

(viii) Need to undertake renovation and beautification of historical monuments in Ahmednagar district, Maharasthra.

Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi **576**

(ix) Need to ensure proper utilization of funds under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Allahabad, Uttar Pradesh.

Shri Rewati Raman Singh **577**

(x) Need to provide TV tower and mobile tower in Don area of West Champaran district in Bihar.

Shri Baidyanath Prasad Mahto **578**

(xi) Need to construct a four-lane overbridge at Burdwan – Katwa road in Burdwan district, West Bengal.

Sk. Saidul Haque **579**

(xii) Need to ensure clear demarcation of boundaries between Buxar (Bihar) and Balia (Uttar Pradesh) and to take measures to prevent land erosion caused by river Ganga.

Shri Jagadanand Singh **580**

(xiii) Need to hand over the control of Shahpur Kandi Dam Project in Punjab to Bhakra Beas Management Board.

Dr. Kirodi Lal Meena **581**

SUBMISSION BY MEMBER
Re : Need for adequate storage facilities for food grains in the country 582-590

INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BIL,2012

Dr. P. Venugopal 591-593
Shrimati Maneka Gandhi 594-600
Shri Adhir Chowdhury 602-605
Dr. Kirit Premjibhai Solanki 606-607
Shri Nama Nageswara Rao 608-609
Dr. Raghuvansh Prasad Singh 610-613
Shri Prasanta Kumar Majumdar 614-615
Dr. Tarun Mandal 616-617
Dr. Ratna De 618
Shri Surendra Singh Nagar 619-620
Prof. Ranjan Prasad Yadav 621
Shri Ghulam Nabi Azad 622-631
Clauses 2 and 1 632-633
Motion to Pass 640

FINANCE BILL, 2012 641-747
Motion to Consider 641
Shri Pranab Mukherjee 641-674
Shri Yashwant Sinha 675-695
Dr. K. S. Rao 696-715
Shri Shailendra Kumar 716-721
Shri Arjun Roy 722-726
Shri Bhartruhari Mahtab 727-733
Shri S. Semmalai 734-736
Shri Hukmadeo Narayan Yadav 737-741

Shrimati Annu Tandon	**742-747**
Shri P. Lingam	**748-751**
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	**752-757**
Shri Prasanta Kumar Majumdar	**758-760**
Shrimati Putul Kumari	**761-763**
Shri P.L. Punia	**764-768**

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	792
Member-wise Index to Unstarred Questions	793-798

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	799
Ministry-wise Index to Unstarred Question	800

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, May 7, 2012/Vaisakha 17, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

अध्यक्ष महोदया : शरद यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी आपके नोटिसेज मुझे मिले हैं, मेरा अनुरोध है कि कृपया इस विषय पर आप शून्य प्रहर में बोलिये।

अध्यक्ष महोदया ; प्रश्न 421

श्री प्रदीप कुमार सिंह, आप बोलिये।

(Q. 421)

श्री प्रदीप कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदया, साठ के दशक में केन्द्र सरकार बिहार, बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य होते हुए मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया होते हुए मनीला तक रोड बनाना चाहती थी, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति में मजबूती आयेगी। मैं जानना चाहता हूं कि आज इस रोड की क्या स्थिति है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी.जोशी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री प्रदीप कुमार सिंह: यह भाग सी से संबंधित है। ...(व्यवधान)

डॉ. सी.पी.जोशी : माननीय सदस्य आप पार्ट सी को पढ़ लें...(व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार सिंह: यह पार्ट सी में दिया हुआ है।...(व्यवधान)

डॉ. सी.पी.जोशी : आप पार्ट को पढ़ लीजिए, पार्ट सी के तहत "The details of funds including grants made available to the States and utilized under the Central Road Fund…" So, the question which the hon. Member is asking is not relevant to the main Question.

श्री प्रदीप कुमार सिंह: "एंड अदर स्कीम्स**"** भी लिखा हुआ है।

अध्यक्ष महोदया : आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री प्रदीप कुमार सिंह: महोदया, मैंने प्रश्न कुछ किया है और जवाब कुछ मिला है। मेरे प्रश्न का जवाब सही नहीं मिला है। आपने तटीय इलाके की बात कही है, जबकि मैंने पूरे देश का ब्यौरा मांगा है कि सड़कों की क्या स्थिति है। इसमें आपने बिहार, उड़ीसा तथा अन्य राज्यों का कहीं जिक्र नहीं किया है। आपने तटीय इलाकों का दिया है। हम प्रश्न कुछ पूछते हैं और आप जवाब कुछ देते हैं। आपका जवाब ही सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदया : आप दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री प्रदीप कुमार सिंह: महोदया, पहले प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है, फिर मैं दूसरे का जवाब कहां से मांगू। पहले प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया जा रहा है...(व्यवधान)

डॉ. सी.पी.जोशी : आप प्रश्न पढ़िये, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम हूं। आप प्रश्न पूछिये। आपका प्रश्न कोस्टल लाइन के संबंध में हैं और आप बिहार के संबंध में पूछ रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ...(व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार सिंह : महोदय, मैंने पूरे देश का ब्यौरा मांगा है। माननीय मंत्री जी, मैंने पूरे देश का ब्यौरा मांगा है, जबकि सिर्फ तटीय इलाके का दिया है।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अररिया में एन.एच.57 पर पड़ने वाले नरपत गंज बाजार को तोड़ने की बजाय बाइपास बनाने की योजना क्या है और जिसकी जमीन अधिग्रहण हो चुकी है।

डॉ. सी.पी.जोशीः महोदया, माननीय सदस्य जिस बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उसकी जानकारी उपलध करा दूंगा। ...(व्यवधान) उनका प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार सिंह: महोदया, बाय-पास बनाने की योजना है और जिनकी जमीन अधिगृहीत की गई है उन्हें उचित मुआवजा देने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, वे आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

डॉ. सी.पी.जोशीः महोदया, माननीय सदस्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं अधिकारियों से इसकी जानकारी ले कर इस समस्या का समाधान करने का प्रश्न करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका प्रश्न हो गया है।

...(व्यवधान)

SHRI S. ALAGIRI : Respected Madam, in Tamil Nadu, from Chennai to Kanyakumari , a very large coastal road is there. The length of the road is more than 500 kms. It is called as ECR Road. It has not yet been upgraded to the NH status. But in West Coast, there is a very fine road.

I want to know, through you, from the Minister of Road Transport and Highways whether the Ministry has any idea to develop the East Coast Road as National Highway.

DR. C.P. JOSHI: Madam Speaker, we have not received the relevant proposal from the State Government. If the proposal is recommended by the State Government, we will give due consideration to this.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR : Thank you Hon'ble Madam, taking into consideration the importance of Petrapole-Benapole border, an Integrated Check

Post has been started for which we are grateful to the Government of India. But for the road which leads to this Integrated Check Post – through which 7,000 lorries pass through every day, which is going to increase to 12,000 daily – no sanction has yet been made. For the road that leads to this Check Post before the NH 35, according to a reply by the hon. Minister, only Rs. 50 crore has been sanctioned. Sanctioning only Rs. 50 crore for the distance of 452 kms. is ridiculous.

So, I would like to know from the Minister as to what is their plan regarding this particular section of NH 34 and 35.

DR. C.P. JOSHI: I want to inform the hon. Member that this question is not in the domain of the main Question that the hon. Member has asked. However, as you have brought it to my notice, I will give due consideration to the problem which you have raised.

डॉ. संजीव गणेश नाईक : महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा कि मुंबई से अहमदाबाद तक एक अच्छा हाईवे बन रहा है, काम चालू है। मुंबई से पुणे तक हाइवे अच्छा हुआ है। उसमें राज्य सरकार की बहुत मदद की जा रही है, लेकिन मुंबई से गोवा तक का रास्ता काफी भीड़-भाड़ वाला है। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने पिछले कई सालों से इस बारे में काम करने की योजना बनायी है, लेकिन वह अभी तक हो नहीं पा रहा है। वहां बहुत से एक्सीडेंट हो रहे हैं। बार-बार इस चीज़ को उठाया जा रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह कब तक शुरू होगा?

DR. C.P. JOSHI: I am extremely sorry that this question is not in the domain of the main Question. I will address the issue which the hon. Member has raised.

(Q.422)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, आपके लोक सभा निर्देश 13 के हिसाब से ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हुक्मदेव जी, अभी आपका नाम नहीं आया है, अभी श्री महेश्वर हजारी का नाम है।

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदया, मेरा भी नाम है। निर्देश 13 के हिसाब से ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, लेकिन आपका नाम दूसरे नंबर है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जब आपका नंबर होगा तब आपको बुलाया जाएग। अभी आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions)** ...

अध्यक्ष महोदया : श्री महेश्वर हज़ारी, पहला पूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: मैं इस पर आपत्ति की बात उठा रहा हूँ। इस प्रश्न का लिखित उत्तर ही नहीं दिया गया है तो हम पूरक प्रश्न क्या पूछेंगे? ...(व्यवधान) आपका निर्देश कहता है ...(व्यवधान) संख्या में दिए हुए प्रश्नों के प्रत्येक भाग का उत्तर दिया जाएगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उनको प्रश्न पूछने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठिए, उन्हें अपना प्रश्न पूछने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री महेश्वर हज़ारी: महोदया, देश की सुरक्षा के लिए जितने हथियार होने चाहिए, उतने नहीं हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हथियारों की कमी नहीं है। दूसरी तरफ उनके पदाधिकारी कहते हैं कि हथियारों की बहुत कमी है, गोला-बारूद की बहुत कमी है। लेकिन जो हमारे देश में आयुध फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को चालू नहीं कराया जा रहा है। हमारे बिहार में जो नालंदा में फैक्ट्री है, इस परियोजना को बनाए हुए 11 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे चालू नहीं कराया गया है।

---

* Not recorded

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार के नालंदा में आयुध फैक्ट्री स्थापना पर अभी तक कितना व्यय हुआ है और किन कारणों से इस फैक्ट्री से आज 11 वर्षों के बाद भी हथियारों का उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है? इस आयुध फैक्ट्री के निर्माण के लिए कौन सा कदम उठाया जा रहा है, जिससे हथियारों का उत्पादन हो सके?

अध्यक्ष महोदया : आपने इतने प्रश्न पूछ लिये, मंत्री जी, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिये।

SHRI M.M. PALLAM RAJU: Madam, the Ordnance Factory at Nalanda in Bihar was originally sanctioned in 2001, but due to a number of reasons it is being delayed. Finally, it was again finalized in 2009. But because the concerned company which was supposed to share the technology for productionisation got blacklisted, so it has got delayed. But right now we are working on a solution; the Ordnance Factory Board and the Defence Research together are working on a solution for completing the factory as soon as possible.

श्री महेश्वर हज़ारी: महोदया, जो हमें जवाब मिला है, वह संतोषजनक नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसमें जो कुप्रबंधन हुआ, जिससे राजस्व की हानि हुयी और लागत में लगभग 70 फीसदी तक की वृद्धि हुई, क्या इसके लिए किसी को दोषी पाया गया है? मंत्री जी यह बताने की कृपा करें। नालंदा की इस आयुध फैक्ट्री के करार में इजराइली मिलिट्री इंडस्ट्रीज के साथ जो विवाद पैदा हुआ और जिसके कारण भारी हानि हुई, उसकी जिम्मेदारी कैसे तय की जा रही है और इसमें क्या कानूनी कार्यवाही की गयी है?

SHRI M.M. PALLAM RAJU: Madam, I agree that delays have happened but there are various reasons for it. Although the plant was conceived in 2001 and there was an attempt to do it indigenously and when they realized that it was not possible with the existing technologies that were there, then they decided to go for a tender in which M/s IMI qualified, for giving the technology for productionisation of these Bi-Modular Charge Systems. Subsequently, it got blacklisted because of the events that happened with the Ordnance Factory Board Chairman at that time. So, that is the main reason. Apart from that, there were acquisition delays and construction delays because of the land that was provided for. But there were four plants that were envisaged; three of those plants are in

various stages of construction. The main plant which laids the Bi-Modular Charge System is being attempted now by Defence Research and the Ordnance Factory Board. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go in record.

*(Interruptions)** …

अध्यक्ष महोदया : हुक्मदेव नारायण यादव जी, आप अपना प्रश्न पूछिये।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। आपका प्रश्न हो गया है।

…(व्यवधान)

श्री महेश्वर हज़ारी: महोदया, ये संसद को गुमराह कर रहे हैं।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब इन्हें पूछने का मौका दीजिये। आप बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदया, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि नालंदा में देशी कंपनियां भी है और विदेशी कंपनी भी है। एक विदेशी कंपनी है और बाकी देशी कंपनियां हैं और वे भी इकाइयां बना रही हैं। जितनी देशी कंपनियां इकाइयां बना रही हैं, वे अपने लक्ष्य तक पहुंच चुकी हैं, केवल एक विदेशी कंपनी इजराइल की है, जिसकी इकाई न बनने के कारण, जब तक वह पूरी इकाई फंक्शन में नहीं आयेगी, तब तक रक्षा उत्पादन की सामग्री बन नहीं पायेगी। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि रक्षा उत्पादन में विदेशी कंपनियों को जो काम दिया जाता है, वे विदेशी कंपनियां जानबूझकर कोई न कोई कारण लगाकर, विलंब करके भारत के रक्षा उत्पादन के साथ खिलवाड़ करती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसे केवल ब्लैक लिस्टेड नहीं, उनके विरूद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गयी? उस रक्षा उत्पादन में विलंब के कारण भारत की रक्षा पर जो दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या इससे सरकार चिन्तित है?

SHRI M.M. PALLAM RAJU: Madam, the Government is definitely concerned about the delay in the production. Out of the four plants which were envisaged, the Nitro-Glycerine (NG) Plant was again with the foreign technology and 95 per cent of the erection work has been completed. The commissioning of the NG plant was not feasible because it was dependent on the Bi-Modular Charge System Plant

---

* Not recorded

which was to be completed. The Nitro-Cellulose (NC) Plant was again with the foreign technology. It is likely to be completed by May-June. The Sulphuric Acid Concentration and the Nitric Acid Concentration Plant is also at a very advanced stage. It is to be completed by May, 2012 and the commissioning is likely to be by June, 2012. It is only the Bi-Modular Charge System that has been delayed because of blacklisting of the IMI factory. But, fortunately, we have worked on our indigenous solution with the Defence Research Organisation and the Ordinance Factory Board. The trials of what they have produced are going to take place shortly. So, we are happy that we have met with an indigenous solution. We will be able to arm our Armed Forces well.

SHRI S.S. RAMASUBBU : I would thank you, Madam Speaker, for having given me the chance to put a question. It is a very important Question regarding the Ordnance Factories. Our Defence Forces have to be strengthened. Our hon. Ministers are powerful and experienced Ministers are there. They are functioning properly and developing our Department.

Now, I would request the hon. Minister to clarify one thing. The commissioning of certain systems of the Ordnance Factories is not only delayed because of so many reasons, there are some local reasons but also the technical reasons. For example, the HAL is producing the indigenous helicopter. It is very powerful. Also, there are so many types of arms and ammunition which we are producing in our country. For the development of indigenous production of arms and ammunition, I would like to know whether our science and technology is functioning properly. I further want to know whether our improved science and technology and research work is being done properly or not. Are we having enough research work for the indigenous production of these things?

SHRI M.M. PALLAM RAJU: I choose to confine my reply to the Ordnance Factory Board although he has also touched on some of the public sector undertakings.

The Ordnance Factory Board is largely meeting the requirements of our Armed Forces. The productionisation in the last financial year was a little over Rs.12,000 crore. We do admit that there are shortages in capacities and capabilities. The Raksha Mantri is very particular about the acceleration of the modernization programme which is to take place in the Twelfth Five Year Plan where a budget of about Rs.15,700 crore has been envisaged for the modernization of the Ordnance Factory Board. There is good synergy happening between the Defence Research and the Ordnance Factory Board. There have been two or three products that have been largely successful. We are seeking to strengthen the synergy that happens between our own indigenous research and the Ordinance Factory Board which is the same that is going to happen even in the Defence Public Sector Undertakings.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI A.K. ANTONY): Madam, the Indian Army is in need of 142 types of ammunition. Out of these 142, I am proud to say that 113 types of ammunition are produced by our own Indian Ordnance Factories and only 29 types of ammunition are imported from foreign countries. We hope that in the coming years, we will be able to produce more ammunition in our own Ordnance Factories because in the area of technology, India is also now moving very fast. The Indian scientists have been able to launch the Agni-V now which is another rarest achievement that has been made. I am confident about our Indian scientists that in the years to come, they will be able to make up that gap also.

श्री रेवती रमण सिंह : मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह केवल नालंदा का सवाल नहीं है, पूरे देश में डी.आर.डी.ओ. के बहुत से कल-कारखाने हैं। मैं एक बात देखता हूँ कि हमारा देश आज भी विदेशों से अरबों-खरबों डॉलर का सामान मंगाता है, चाहे वह वायुसेना का हो, चाहे वह नेवी का हो या आर्टिलरी का हो। एक अर्जुन टैंक के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। महोदया, इस्राइल एक छोटा सा देश है। इस्राइल में डिफैन्स से संबंधित तमाम तरह के उपकरण बनते हैं। हमारा देश भी उनसे आयात करता है। हमारे बगल में चाइना है। जब चाइना अपने सामान का ज्यादातर भाग अपने देश में उत्पादित करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में कोई टाइमफ्रेम देंगे

कि जो हम विदेशों से अरबों-खरबों रुपए के हथियार मंगाते हैं, उसको कब तक खत्म करके, अपने ही देश में हम हथियारों का उत्पादन करने लगेंगे?

english

SHRI M.M. PALLAM RAJU: Regarding our own requirements, we have largely been focusing on that as far as research and productionisation are concerned. That is probably one of the reasons why we have been aiming for more than state of the art technology. As far as self-sufficiency is concerned, what we produce within our country - as far as current requirements are concerned - we do meet them largely. As far as state of the art technologies are concerned, there is dependency on imports. I think, recent reports have shown that in this region, India is one of the largest importers but we are taking a lot of steps towards strengthening our productionisation. In terms of the proposed off-set policy, it has yielded results. We are also encouraging the private sector participation. I am sure with all these, the results will be seen in the coming years.

SHRI REWATI RAMAN SINGH : What about the time-frame?

SHRI P. KARUNAKARAN: Considering the importance of Defence, we have the highest budget allocation in the country. Without any criticism, the amount is provided. It means that we have to lay more stress on Defence. There is no doubt about it. At the same time, if we see the reply given by the hon. Minister, the main issue is the delay in the completion of the projects. We have examples of delay in completion of projects in other sectors but when it comes to the Defence, there is no excuse because delay in the completion of defence projects means there would be shortage of equipments, tractors, etc. It really weakens our Defence system. The most important issue is that we have to go by the time schedule and a time-bound programme with regard to completion of projects.

I welcome the reply given by Shri Antony *ji* that we are producing the highest number of equipments with the indigenous technology. In this connection, I would like to know that two or three years, Shri Antony *ji* himself has laid the foundation to a Defence unit in the northern part of Kerala. I am sorry to say that it

is not yet commissioned. I would like to know as to when it would be commissioned.

SHRI A.K. ANTONY: I am very happy to inform the hon. Member that that project is completed; and the production started. Only thing is that we have to have the formal inauguration. But without waiting for the inauguration, the project started functioning.

(Q. 423)

श्री राकेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

महोदया, सरकार का उत्तर मैंने देखा है और बहुत खेद का विषय है कि जो सेना हमारे देश और देशवासियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देती है, उनकी रक्षा के लिए भी सरकार गंभीर नहीं है। आज अनेक चुनौतियां देश के सामने है। चीन चारों तरफ से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान हमारे लिए रोज़ नई मुसीबतें पैदा कर रहा है। तालिबान हमारी सीमा पर डटे हुए हैं। उसके बावजूद भी रक्षा मंत्री और सरकार दोनों ही निश्चिंत हैं। हमें अपनी सेना के ऊपर गर्व है, लेकिन निहत्थी सेना बलिदान दे सकती है, विजय नहीं दिला सकती है। अभी-अभी रक्षा संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट भी आयी है। मैं बाहर की कोई बात नहीं कर रहा हूं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, जो उस रिपोर्ट में कहा गया है, उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि युद्ध की नीति के अनुसार सेना के पास चालीस दिन के लायक पर्याप्त गोला और बारूद होना चाहिए। लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है कि मात्र तीन से चार दिन का गोला-बारूद उपलब्ध है। बुलेटप्रूफ जैकेट 1,86,168 की कमी है। थल सेना के एविऐशन विंग में स्वीकृत और उपलब्ध संख्या में भारी कमी है। 18 चीता, 1 चेतक, 76 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और सात एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की कमी है, बंदूकों की कमी है।

महोदया, वायु सेना और नौ सेना की और भी बुरी हालत है। वायु सेना के पास 42 स्वीकृत फाइटर स्क्वैड्रनों में से केवल 31 फाइटर स्क्वैड्रन बचे हैं। अधिकांश लड़ाकू विमान 30 साल से अधिक पुराने हैं। मिग-23 और मिग-25 ने अपनी उड़ानें बंद कर दी हैं। टी-69, टी-75, टी-76, टी-97 40 साल से अधिक पुराने हैं। मिग-27, मिग-29 25 साल से अधिक पुराने हैं। सरकार और रक्षा मंत्री बार-बार यह जवाब देते हैं कि वे पर्याप्त राशि उपलब्ध कराते हैं। स्थिति यह है कि वर्ष 2012-13 में 66 हजार 32 करोड़ रुपए सैन्य साजो-सामान खरीद के लिए दिए गए, लेकिन इनमें से मात्र 5520 करोड़ रुपए ही नई खरीद के लिए थे, बाकी सारी की सारी पुरानी देनदारियां थीं।

अध्यक्ष महोदया : अब आप प्रश्न पूछिए।

श्री राकेश सिंह: महोदया, मैंने आपसे संरक्षण मांगा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। समिति ने कहा है कि वह इस बात को लेकर क्षुब्ध है कि थल सेना में गोला-बारूद की कमी है और उस कमी को इस ढंग से बनाए रखा गया कि आज सेना गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। मेरा प्रश्न यह है कि आज स्वीडन, और चेकोस्लोवाकिया जैसे छोटे-छोटे देश भी रक्षा उपकरण एवं गोला-बारूद के मामले में आत्मनिर्भर हैं। यहां तक कि वे हमारे जैसे बड़े देशों को भी निर्यात करते हैं।

मैं रक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश में 39 ऑर्डनेंस फैक्ट्रियां हैं। उनमें पर्याप्त क्षमता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर कब तक उनकी क्षमता का उपयोग करते हुए हम उनको पर्याप्त साधन और टेक्नॉलोजी उपलब्ध कराएंगे ताकि वह हमारे देश की सेना की जरूरतों को पूरी कर सकें और देश व सेना को ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना न करना पड़े?

SHRI M.M. PALLAM RAJU: Madam, the hon. Member has asked a very lengthy question and it is a very important matter. At the outset, I would like to re-assure the hon. Member and the House that we are adequately prepared. There are bound to be shortages that happen as we go along. But the Government and the Ministry is doing all it can to fulfil the shortages. There are a number of reasons why the fulfilling of the shortages do suffer, but we are hastening the process. We are improvising all the processes for acquisition and sometimes, what happens is, there is a tendency to deviate from GSQR and there is a tendency of the RFI not being met. These are some of the reasons for the delays in the acquisition.

Then, trials also take a long time sometimes, but we are hastening the process of acquisition and at any given time, there is a mix of legacy equipment, current equipment and the state-of-the-art equipment. Sometimes slippages do happen. It is not that the Government does not have the intention to acquire state-of-the-art equipment for our Armed Forces. Every effort is being made to acquire them. If you look at the utilisation of the budget of the last two to three years, I think, it has been largely spent, very little surrender has taken place or there is no surrender at all. It shows that the budget is being utilised.

As far as the transparency of the acquisition process is concerned, we are very particular about the transparency in the acquisition process and there is zero tolerance for deviation from the norms. If there is any irregularity that is detected, it results in cancellation. As of now, every attempt is being made to fulfil the shortages. Adequate budget allocation has been made. If you look at the utilisation and the increase in the capital acquisition of the budget over the last 10 years, on an average there has been a 34 per cent increase in the capital expenditure of the budget for the defence and we have also been working on the capital expenditure to the revenue expenditure ration. We have been trying to increase the ratio spent on the capital acquisition. I hope that is a sufficient answer.

श्री राकेश सिंह: महोदया, मैं भाषण नहीं उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : दूसरा प्रश्न पूछिए।

…(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह: अध्यक्ष महोदया, बहुत खेद का विषय है कि जितनी स्थिति गंभीर है, उतना ही हल्का उत्तर माननीय मंत्री जी का है।…(व्यवधान) उन्होंने एक भी विषय का जवाब नहीं दिया है जबकि मैंने कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कही है। मैंने जो भी कहा है उसमें संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को उद्धृत करके कहा है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इन्होंने पर्याप्त रक्षा बजट की बात की है। यह साबित होता है कि कितना बजट हमारे पास है। जो मिलता है वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में रक्षा उत्पादन की पांच इकाइयां हैं जिनमें प्रमुख रूप से वेहिकल, ऑर्डनेंस, और गन कैरेज़ फैक्ट्रियां हैं। व्हीकल फैक्टरी लम्बे समय से सैन्य जरूरतों को पूरा करती आ रही है। जोंगा और शक्तिमान वहां पहले बन रहे हैं। वर्तमान में हाई मोबिलिटी व्हीकल आस्ट्रेलियन एल.पी.टी.ए. और माइन्स प्रूफ व्हीकल बन रहे हैं, जो सैन्य जरूरतों पर खरे उतर रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब आर्मी को 6x6 के हाई मोबिलिटी व्हीकल की आवश्यकता पड़ी तो व्हीकल फैक्टरी, जबलपुर ने उसको भी तैयार किया और वह सारे परीक्षणों पर खरा भी उतरा।

माननीय रक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, 12 मई, 2008 को मैंने इनको एक पत्र लिखा था और उसमें तमाम बातों का उल्लेख करते हुए लिखा था कि जो हाई मोबिलिटी व्हीकल जबलपुर व्हीकल फैक्टरी में बन सकते हैं, वे टाट्रा कम्पनी से खरीदे जा रहे हैं। मैंने उस पत्र में ..* के नाम का भी उल्लेख किया था और यह भी लिखा था कि यूरोकॉप्टर...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नाम रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

श्री राकेश सिंह: मैं नाम नहीं लेता। मैं यह कह रहा हूं कि यह भी उल्लेख किया था कि यूरोकॉप्टर की खरीद में उस व्यक्ति की भूमिका है और इसलिए इस खरीद को तत्काल रोका जाये और उसकी जांच की जाये। 30 मई को माननीय मंत्री जी का जवाब आया, उसमें उन्होंने मुझे लिखा कि वे उस मामले को दिखवा रहे हैं।

पांच महीने के बाद 30 अक्टूबर, 2008 को यह मामला मैंने शून्य काल में उठाया। उसमें मैंने कहा था कि आठ हजार से अधिक ट्रक खरीदे जाने हैं, इसलिए यह तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, वह यह है कि जो ट्रक व्हीकल फैक्टरी में मात्र 30 लाख रुपये में मिल सकते थे, वही ट्रक टाट्रा कम्पनी से आप 65 लाख रुपये में खरीद रहे हैं। आर्मी चीफ ने जब यह कहा कि उन्हें इस मामले में घूस की पेशकश हुई थी तो रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अगर उन्हें कोई लिखित में शिकायत मिली होती तो उस पर वे कार्रवाई करते, लेकिन इस सदन में मैं कह रहा हूं कि मैंने लिखित में रक्षा मंत्री जी को 2008 में दिया था, उस समय भी रक्षा मंत्री वही थे और आज भी वही हैं। मैं पूरे प्रमाणों के साथ इस सदन में यह पूछना चाहता हूं कि सब कुछ जानते हुए भी आखिर आपने यह घोटाला क्यों होने दिया? आखिर किसके दबाव में घोटाले को आपने होने दिया है? इस खरीद में जो बिचौलियों की भूमिका है, वह समाप्त नहीं हो रही है। जहां पर उनका हित सधता है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आपने प्रश्न पूछ लिया।

श्री राकेश सिंह: नहीं, प्रश्न नहीं पूछा।

अध्यक्ष महोदया: अब एक प्रश्न पूछिये।

श्री राकेश सिंह: जो विषय हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पर बिचौलियों के हित सधते हैं, वहां पर टेंडर टाट्रा जैसी कम्पनी को दे दिये जाते हैं और जहां हित नहीं सधते, वहां टेंडर स्क्रैप कर दिये जाते हैं। मैं सरकार से विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई ऐसी पारदर्शी प्रणाली बनाएंगे, जिसमें सेना के लिए आवश्यक गोली-बारूद और उपकरण तत्काल खरीदे जा सकें, ताकि

---

* Not recorded.

सेना का मनोबल भी बना रहे और साथ में सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। विशेष रूप से माननीय मंत्री जी उन लोगों का नाम बतायें, जिनके दबाव में टाट्रा कम्पनी का घोटाला आज हुआ है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब जवाब सुनिये।

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI A.K. ANTONY): The hon. Member, while asking supplementary, stated so many subjects.

MADAM SPEAKER: You answer one.

SHRI A.K. ANTONY: At the same time, if I do not answer all the questions, it will create clouds and that I do not like. So, I have to clarify that.

MADAM SPEAKER: All right.

SHRI A.K. ANTONY: I do not know what is the relevance between the Ordnance Factories, Tetra and the PSUs. Then, the hon. Member talked about the Eurocopter company also. I do not know what is the relevance between all these, but even then I will tell him about all this… (*Interruptions*)

श्री राकेश सिंह : इसीलिए मैंने विषय को उठाया है।

SHRI A.K. ANTONY: I will answer… (*Interruptions*)

श्री राकेश सिंह: मैं साबित कर सकता हूं।

MADAM SPEAKER: आप पूछ चुके हैं, अब आप बैठ जाइये। Nothing will go on record.

(Interruptions)[*] …

MADAM SPEAKER: उनको जवाब देने दीजिए। कृपया शान्त हो जाइये।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है? आप बैठ जाइये। उनको जवाब देने दीजिए। Hon. Minister, please address the Chair.

SHRI A.K. ANTONY: I will patiently answer his questions because we have nothing to hide. I can answer all these questions very boldly, there is no problem in that.

---

[*] Not recorded

Regarding the Europcopter, that the hon. Member mentioned, there was a proposal by the Indian Army and the Indian Air Force to purchase 197 helicopters from Eurocopter Company. That was in the final stage. The contract was almost about to be signed. At that time we got a complaint from some responsible people that in the trial there were some malpractices. I immediately ordered an inquiry. Then we found that there is truth in that complaint. Then immediately we cancelled the contract. So, that Eurocopter contract is cancelled.

Again, the Army and the Air Force issued RFP for purchasing 197 helicopters. That process is in the final stage. When the final stage came, again we got series of complaints from Members of Parliament. Then I got it to the last DAC meeting. Instead of proceeding further and signing the contract, we took a decision to appoint a Special Technical Oversight Committee to go into the details and decided that after verifying everything we will proceed. If anything goes wrong, we will again cancel that. Nothing will happen, nothing should be there… (*Interruptions*)

श्री राकेश सिंह: मैं आरोप साबित कर सकता हूं।

MADAM SPEAKER: आप पूछ चुके हैं न। Do not do this.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये। Nothing will go on record.

*(Interruptions)** …

अध्यक्ष महोदया: उनको जवाब पूरा करने दीजिए।

SHRI A.K. ANTONY: Let me complete my reply… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let him complete. उन्हें पूरा करने दीजिए।

… (*Interruptions*)

SHRI A.K. ANTONY: Let me complete please… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : उन्हें पूरा तो करने दीजिए। आप बैठ जाइये।

---

* Not recorded

SHRI A.K. ANTONY: Please allow me to complete my answer and then they can put questions. Since he has raised certain issues, he should please show some patience… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : उनको जवाब देने दीजिए।

श्री राकेश सिंह: महोदया, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैंने आरोप भी लगाये हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप फिर खड़े हो रहे हैं।

SHRI A.K. ANTONY: I will answer to that question also. I am not running away. Please show some patience.

Before that I come to the requirements. The shortage of equipment and ammunition is not a one day affair, it is a historical thing. As my hon. colleague said, Armed Forces all over the world have three types of weapon systems in the infantry. One is the most important one, that is, state of the art equipment, the other is the current one and the third one is actually about to be phased out. These are the three types of weapon systems all over the world. This is the same with the Indian Army.

You know, historically what happened. You know what was the state of affairs during Kargil War. Day to day we were importing from Russia at that time. So, it is not nothing new. Even though it is a historical thing, it is going on like this and I do not defend that. We have to find out a solution. Our Government has, for the last seven years, making serious efforts to find a solution to this. That is why, at the moment, even though here and there, there are deficiencies, the Indian Armed Forces is one of the best in the world. They are in great demand. All the countries want defence cooperation with our Ministry, all of them want joint exercises with our Armed Forces. You know, at the moment, we have defence cooperation with 47 countries, including all the major powers, and all of them want cooperation with the Indian Armed Forces. All of them want joint exercises with them… (*Interruptions*)

Now, coming to the modernisation part… (*Interruptions*) Please listen to me patiently. In the Tenth Plan, we have entered into 558 contracts for the Army, the Navy and the Air Force. The total amount for this new equipment was Rs.1,35,609 crore. In the Eleventh Plan period, we have entered into 780 contracts amounting to Rs. 3,50,430 crore which is almost three times of the 10th Plan. So, every year, in every Plan, we are spending more amount for modernisation of Armed Forces. As my colleague mentioned, in 2010-11, we spent the entire money allotted to us for the Armed Forces. Last year also, we spent 99 per cent in Tatra; I am coming to Tatra.… (*Interruptions*)

श्री राकेश सिंह: महोदया, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मंत्री जी टाट्रा के बारे में बतायें। …(व्यवधान)

SHRI A.K. ANTONY: Now, I coming to Tatra. You see, hon. Member, I do not question your *bona fide* but please understand the history of Tatra. The Government of India or the Indian Army, or the Armed Forces are not procuring or purchasing truck from Tatra only in the last one year, two years or last seven years; the Indian Government started procuring from Tatra from 1973 onwards. At that time, Czechoslovakia was one country. In the nineties, after the breakup of Soviet Union, Czechoslovakia also fragmanted into two countries. So, as a result, in the year 1997, the Government of that day decided to have again contract with the company. They had a new Agreement in 1997 with Tatra with two countries, nemaley, Czech Republic and Slovakia. Czechoslovakia divided into Czech Republic and Slovakia. After that, in year 2003, again there was another agreement. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go in record.

*(Interruptions)** …

अध्यक्ष महोदया : आप उनकी बात सुन लीजिए।

*(Interruptions)** …

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए, उत्तर सुन लीजिए ।

---

* Not recorded

…(व्यवधान)

SHRI A.K. ANTONY: Hon. Member, let me complete my answer. After that, this contract continues. … (*Interruptions*) From 1986 onwards, up to 2012, we have purchased nearly 6500 vehicles from Tatra company. Out of that, quoting special circumstances, in 1999, 2001, and 2002, nearly 1950 vehicles were procured by Indian Government of that day from Tatra company. Quoting the special need of the 'Operation Parakram', at that time, you purchased 1950 trucks from Tatra company. It is a fact. So, it is going on like this. In between, the hon. Member wrote me in 2008 that Army is going to change the GSQR.

I agree with you. You wrote a letter to me. Government is always procuring these things as per the requirement of the Army only. We are not imposing anything on army. … (*Interruptions*)

श्री राकेश सिंह: उसको अमान्य किया जाए। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI A.K. ANTONY: The Army Headquarters wanted to change the GSQR. They conveyed the Government that the present GSQR was prepared in 1986.… (*Interruptions*)

श्री राकेश सिंह: मैं साबित कर सकता हूं कि कोई परिवर्तन नहीं है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: This is Question Hour. Let us proceed.

… (*Interruptions*)

SHRI A.K. ANTONY: In the year 2008, on September 26, in the DAC Meeting, attended by all three service Chiefs, they have decided to change the GSQR.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI A.K. ANTONY: Madam, I am concluding.

After the change of GSQR, even till today, we have not procured a single truck from Tatra as per the new GSQR. .… (*Interruptions*)

श्री राकेश सिंह: आपने टाट्रा से ट्रक नहीं खरीदे हैं। ...(व्यवधान)

SHRI A.K. ANTONY: As per the new GSQR, the trial is going on and 14 foreign companies and six Indian companies are involved in it. As per the trial, not a single Tatra truck is purchased. This is a fact.… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी मुझे इस प्रश्न के संबंध में आप से दो निवेदन करने हैं और एक प्रश्न मंत्री जी से पूछना है। आप से मेरा पहला निवेदन यह है कि यह प्रश्न छः भागों में बंटा हुआ था इसलिए इसका विवरण सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए था लेकिन मुझे जो उत्तर का सेट उपलब्ध हुआ है न तो उसमें यह उत्तर है और डिप्टी स्पीकर साहब को जो उपल्बध कराया जाता है उसे भी मैंने चेक किया उसमें भी यह उत्तर नही है। हो सकता है कि इन्होंने बाद में एक प्रति भेज कर आप के सेट में लगा दी हो लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मंत्री महोदय को निर्देशित करें कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो सदन के पटल पर आने चाहिए ताकि हम उसके माध्यम से पूरक प्रश्न पूछ सकें, वह आज नहीं हुआ है। इसलिए आप निर्देशित करें कि यह उत्तर हमारे यहां उपलब्ध होने चाहिए।

अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि यह भारत की सामरिक क्षमता से जुड़ा हुआ प्रश्न है जिसका उत्तर केवल प्रश्न काल में नहीं आ सकता है। हमारे यहां से जसवंत सिंह जी ने नियम 193 के अधीन आपको अल्पकालिक चर्चा, Short Duration Discussion के लिए एक नोटिस दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसको स्वीकार करें और इस प्रश्न पर इस सदन में अल्पकालिक चर्चा करवाएं ताकि विस्तार से इस विषय पर चर्चा हो सके।

इन दो निवेदनों के बाद मंत्री जी से मेरा एक प्रश्न यह है कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि डिफेन्स प्रोक्योरमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टीविटी है। इसलिए डीपीपी यानी डिफेन्स प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के तहत या डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैन्युअल के तहत खरीद की जाती है पर आपने इसी में यह माना है कि फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट का भी एक प्रोवीजन है और आपने यह भी माना है कि वर्ष 2011-12 में फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट के प्रोवीजन का इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि जब आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर यह अवगत करा दिया था कि हमारे यहां गोला-बारूद केवल तीन दिन का बचा है और हमारे यहां गोला-बारूद नहीं है तो वर्ष 2011-12 में आपने फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट के प्रोवीजन का इस्तेमाल कर के गोला-बारूद की खरीद क्यों नहीं की? आपने इस प्रोवीजन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया?

SHRI A.K. ANTONY: The question put by the hon. Leader of the Opposition is very important. The Army Chief, the Navy Chief or the Air Force Chief writing to the Prime Minister or Defence Minister is not a new thing. They used to write to the Prime Ministers of the day and the Defence Ministers occasionally whenever they felt that something was urgently in need.

This time also, the present Army Chief wrote a letter to the Prime Minister in the month of March. After that, I had two detailed meetings with the Army Chief, senior Army officials and Defence Ministry officials. We had a thorough discussion about the whole thing; we found that in certain areas there were some deficiencies, and we realized the reasons for it. Some defects are in the preparation of the DSQR by the Army. After the withdrawal of RFT by the Army. Some of the delays, as my colleague told out, are blacklisting of IMA of Israel, blacklisting of rain metal of Germany. So, these blacklisting also caused us some delay. There were some bureaucratic delays also.

After that, we took a decision to speed up the whole thing. Our two rounds of discussion have already taken place and things are moving fast. We are taking speedy decisions to find solutions to the shortages in certain critical areas. But, by and large, our Armed Forces are self-sufficient; they are ready to face any challenges to protect our territories of India.

(Q. 424)

श्री पन्ना लाल पुनिया : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विकलांग जन के बारे में मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बहुत विस्तार से जवाब दिया है। बहुत विस्तृत जानकारी देने के अलावा भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों को क्या-क्या सहायता ग्रांट इन एड के रूप में दी गई है, उसका विवरण भी दिया है। इससे स्पष्ट है कि सहायता में निरंतर वृद्धि हो रही है। अगर वर्ष 2009-10 के आंकड़े लिए जाएं तो 352 जिलों से प्रस्ताव आए और 21 करोड़ 85 लाख रुपये की धनराशि दी गई। 2010-11 में 285 जनपदों के प्रस्ताव आए और 23 करोड़ 64 लाख रुपये की सहायता दी गई। 2011-12 में 500 जनपदों को 28 करोड़ 77 लाख रुपये की सहायता दी गई। सहायता निरंतर ज्यादा दी जा रही हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी देखे हैं। उसमें वर्ष 2009-10 में केवल 40 जनपदों से प्रस्ताव आए थे जिनमें 240 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई गई। 2011-12 में 40 जनपदों से बढ़कर 62 जनपदों के प्रस्ताव आए जिनमें 4 करोड़ 3 लाख की सहायता उपलब्ध करवाई गई। इन आंकड़ों के अनुसार 2 करोड़ विकलांग जन हैं। अगर सही सर्वे करवाया जाए तो यह संख्या और अधिक हो सकती है। अब सिस्टम यह है कि जो ऐप्लाई करेगा, जो प्रस्ताव आएंगे वे स्वीकृत कर दिए जाएंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या हमारा यह दायित्व नहीं है कि हम हर विकलांग जन को सहायता पहुंचाएं और उन्हें डिसएबल्ड से एबल बनाने के प्रयास करें? एक ऐसी योजना बनाएं कि हर विकलांग जन को वह सहायता पहुंचे और ताकि वह देश के विकास में अपना योगदान देने में समर्थ हो सके।

श्री मुकुल वासनिक : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहां एक महत्वपूर्ण विषय पर सवाल रखा। यह बात सही है कि पिछले तीन सालों में विकलांग व्यक्तियों को जो सहायता यंत्र और उपकरणों के जरिए देनी है, उसमें वृद्धि हुई है। लेकिन जो वृद्धि हुई है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि विकलांग व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है। सरकार ने यह तय किया है कि हमें अपना लक्ष्य और अधिक बढ़ाना होगा। इसे सिर्फ दुगुना या तिगुना करना ही पर्याप्त नहीं रहेगा, बल्कि इसका विस्तार और अधिक व्यापक करने की आवश्यकता होगी। प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप्स, जिन्होंने विकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में अपनी सिफारिशें की हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण सिफारिश की है। अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना मंजूर नहीं हुई, इसलिए इस पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन वह सिफारिश यह है कि सर्वशिक्षा अभियान और एनआरएचएम की धरती पर नैशनल मिशन फॉर पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज इस तरह बनाया जाये, ताकि विकलांग व्यक्तियों को हम पूरी तरह से सहायता देकर देश के विकास में भागीदार बना सकें।

श्री पन्ना लाल पुनिया : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं। मैं एक प्रश्न और जानना चाहूंगा कि अभी विकलांग जन के लिए आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरियों में की गयी है, जो तीन परसेंट है। इन तीन परसेंट में से एक परसेंट ब्लाइंड के लिए, एक परसेंट डैफ के लिए और एक परसेंट ऑर्थोपिडिकली हैंडिकैप्ड के लिए है। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में इन्होंने कुछ पदों को चिन्हित किया है, जिन पर उनकी नियुक्ति की जायेगी। अगर साल भर के आंकड़े देखे जाएं, तो बड़ी मुश्किल से सौ-पचास व्यक्तियों को भी नौकरी नहीं मिली होगी। केवल 10-20 लोगों को ही नौकरी मिली होगी।। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि नौकरी के अलावा हर विकलांग जन का अलग से अध्ययन करके, उसकी आवश्यकता का आंकलन करके वह कहां-कहां, किस-किस कारोबार में लग सकता है, उनकी पूरी तरह से ग्रांट देकर, कोई न कोई व्यवसाय देने का काम करें, तो वह सबसे ज्यादा बेहतर होगा। क्या इस तरह की कोई सोच सरकार के बीच में है?

श्री मुकुल वासनिक : मैडम स्पीकर, यह उपप्रश्न प्रमुख प्रश्न से उपस्थित नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि तीन फीसदी आरक्षण विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में रखा गया है। कई बार यह देखा गया कि उनका बैकलॉग बड़ी तादाद में नजर आता है, इसलिए डिपार्टमैंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जरिये निर्देश दिये गये हैं कि स्पेशल रिक्रूटमैंट ड्राइव चलाया जाये, जिसके तहत जो भी बैकलॉग हो, वह पूरा किया जाये। इसी के साथ-साथ वर्ष 2008-09 में एक स्कीम एनाउंस की गयी थी जिसे इंसेंटिव स्कीम फॉर दी इम्प्लायमैंट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज कहा गया। ये स्कीम लागू करने के बाद नतीजा बहुत संतोषजनक नहीं है। लेबर एंड इम्प्लायमैंट मिनिस्ट्री के जरिये इस स्कीम को अमल किया जाता है। हमारी उनसे भी चर्चा चल रही है, ताकि इस योजना में अगर कुछ संशोधन करके उसे और बेहतर बनाया जा सकता है, तो उस दिशा में हम प्रयास करेंगे।

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2001 में जो जनगणना हुई थी, वे आंकड़े मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में दिये गये हैं। उसके बाद की जनगणना के कोई आंकड़े इसमें नहीं हैं। ऐसे कितने लोग हैं, जिन्हें चिन्हित नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2001 के बाद क्या यह सर्वेक्षण कराया गया है? अगर कराया गया है, तो उनकी संख्या यहां क्यों नहीं दर्शायी गयी है? इसके साथ-साथ निःशक्त व्यक्तियों को जो उपकरण दिये जाते हैं, उनके रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि रख-रखाव की व्यवस्था होनी चाहिए। पहले एमपीलैड में भी ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आपके पास समय नहीं है। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आप बैठ जाइये।

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : इस तरह का प्रावधान था कि उसमें दस लाख रुपये देकर इस तरह के उपकरणों को उपलब्ध कराया जाता था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आज भी इस तरह की व्यवस्था है या नहीं?

श्री मुकुल वासनिक : मैडम स्पीकर, हमारे पास विकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में आज जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वे सिर्फ वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़े हैं। लेकिन वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े भी जल्द उपलब्ध हो जायेंगे। वह प्रक्रिया अभी चल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि क्रेडिबल डाटा वर्ष 2011 के सेंसस के जरिये उपलब्ध हो सकेगा।

<u>12.00 hrs</u>

जहां तक एमपीएलएडीएस स्कीम के तहत 10 लाख तक विकलांग व्यक्तियों के लिए काम करने का जो जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने इसके संदर्भ में पहले ही गाइडलाइंस इश्यू की हैं।

MADAM SPEAKER: Shri T.R. Baalu. You have very little time.

SHRI T.R. BAALU : Madam, any proposal in the President's Address is a commitment by the Indian nation. The President has mentioned in her Address that a separate dedicated Department would be established shortly for the differently-abled persons. Regarding this, there is no mention and there is no provision in the Budget also. I want to know as to whether the Government is keen to establish such Department very shortly.

SHRI MUKUL WASNIK: Madam Speaker, this is an important point, which the hon. Member has raised. The President has mentioned in her Address that a separate Department for Disability Affairs will be set up. In-principle approval has already been granted and inter-Ministerial consultations are going on on the issue of amending the rules for business allocation and I think a new Department will shortly be constituted.

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I beg to lay on the Table:

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History, Coimbatore, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History, Coimbatore, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library. See No. LT 6694/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Tiger Conservation Authority, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(Placed in Library. See No. LT 6695/15/12)

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Tiger Conservation Authority, New Delhi, for the year 2009-2010.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) A copy of the Notification No. S.O. 178(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 7th January, 2012 regarding extension of tenure of the Environmental Pollution (Prevention and Control) Authority

issued under section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986.

(Placed in Library. See No. LT 6696/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI HARISH RAWAT): On behalf of Shri Jyotiraditya M. Scindia, I beg to lay on the Table:

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Export Credit Guarantee Corporation of India Limited and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2012-2013.

(Placed in Library. See No. LT 6697/15/12)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Rubber Manufacturers Research Association, Thane, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Rubber Manufacturers Research Association, Thane, for the year 2010-2011.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library. See No. LT 6698/15/12)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Leather Development Programme, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(Placed in Library. See No. LT 6699/15/12)

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Leather Development Programme, New Delhi, for the year 2010-2011.

(5) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the MMTC Limited and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2012-2013.

(Placed in Library. See No. LT 6700/15/12)

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951:-

(i) S.O. 582(E) published in Gazette of India dated 26th March, 2012, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1105(E) dated 11th October, 2004.

(ii) S.O. 524(E) published in Gazette of India dated 22nd March, 2012, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1105(E) dated 11th October, 2004.

(Placed in Library. See No. LT 6701/15/12)

<u>12.01 ½ hrs</u> (Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the Central Cottage Industries Corporation of India Limited and the Ministry of Textiles for the year 2012-2013.

(Placed in Library. See No. LT 6702/15/12)

(2) Memorandum of Understanding between the National Handloom Development Corporation Limited and the Ministry of Textiles for the year 2012-2013.

(Placed in Library. See No. LT 6703/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M.M. PALLAM RAJU): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the BEML Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2012-2013.

(Placed in Library. See No. LT 6704/15/12)

(2) Memorandum of Understanding between the Goa Shipyard Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2012-2013.

(Placed in Library. See No. LT 6705/15/12)

(3) Memorandum of Understanding between the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2012-2013.

(Placed in Library. See No. LT 6706/15/12)

(4) Memorandum of Understanding between the Mazagon Dock Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2012-2013.

(Placed in Library. See No. LT 6707/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI JITIN PRASADA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 10 of the National Highways Act, 1956:-

(i) S.O. 1709(E) published in Gazette of India dated 25th July, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 24(B) in the State of Uttar Pradesh.

(ii) S.O. 1711(E) published in Gazette of India dated 25th July, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 56 in the State of Uttar Pradesh.

(iii) S.O. 1832(E) published in Gazette of India dated 8th August, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 58 (Delhi Meerut Expressway) in the State of Uttar Pradesh.

(iv) S.O. 1987(E) published in Gazette of India dated 27th August, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 939(E) dated 9th

April, 2009.

(v) S.O. 1988(E) published in Gazette of India dated 27th August, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 233 in the State of Uttar Pradesh.

(vi) S.O. 2192(E) published in Gazette of India dated 22nd September, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Varanasi-Aurangabad Section) in the State of Uttar Pradesh.

(vii) S.O. 2381(E) published in Gazette of India dated 15th October, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 84 (Patna-Buxar Section) in the State of Uttar Pradesh.

(viii) S.O. 1127(E) published in Gazette of India dated 20th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 26 (Jhansi-Lalitpur Section) in the State of Uttar Pradesh.

(ix) S.O. 1557(E) published in Gazette of India dated 8th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 91 (Ghaziabad-Aligarh Section) in the State of Uttar Pradesh.

(x) S.O. 1366(E) published in Gazette of India dated 13th June, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 91 (Ahmedabad-Gujarat/MP Border Section) in the State of Gujarat.

(xi) S.O. 390(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 24B in the State of Uttar Pradesh.

(xii) S.O. 455(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 232(A) in the State of Uttar Pradesh.

(xiii) S.O. 800(E) published in Gazette of India dated 26th April, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 26 (Jhansi-Lalitpur Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xiv) S.O. 930(E) published in Gazette of India dated 29th April, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 in the State of Uttar Pradesh.

(xv) S.O. 985(E) published in Gazette of India dated 4th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Etawah-Chakeri Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xvi) S.O. 1128(E) published in Gazette of India dated 20th May, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2378(E) dated 30th September, 2010.

(xvii) S.O. 1136(E) published in Gazette of India dated 20th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 233 in the State of Uttar Pradesh.

(xviii) S.O. 1272(E) and S.O. 1275(E) published in Gazette of India dated 2nd June, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 2 (Delhi-Agra Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xix) S.O. 1321(E) published in Gazette of India dated 7th June, 2011, authorising the Special Land Acquisition Officer (Joint Organisation), Raibareilly as the competent authority to acquire land for building, maintenance,

management and operation of National Highway No. 231 (Raibareilly-Jaunpur Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xx) S.O. 818(E) published in Gazette of India dated 26th April, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1713(E) dated 13th July, 2009.

(xxi) S.O. 327(E) published in Gazette of India dated 24th February, 2012, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 7 (Nagpur-Hyderabad Section) in the State of Andhra Pradesh.

(xxii) S.O. 195(E) published in Gazette of India dated 31st January, 2012, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 6 (Calcutta-Kharagpur Section) in the State of West Bengal.

(xxiii) S.O. 358(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2012, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 31 (Chalsa to Siliguri to Dalkola Section) in the State of West Bengal.

(xxiv) S.O. 196(E) published in Gazette of India dated 31st January, 2012, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 31 (Purnea-Goyerkata Section) in the State of Bihar.

(xxv) S.O. 259(E) published in Gazette of India dated 10th February, 2012, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 2 (Borwa-Adda-Panargarh Section) in the States of Bihar and West Bengal on OMT basis.

(xxvi) S.O. 247(E) published in Gazette of India dated 8th February, 2012, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 24 (Ghaziabad-Hapur and Hapur-Moradabad Sections) in the State of Uttar Pradesh.

(xxvii) S.O. 249(E) published in Gazette of India dated 8th February, 2012, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 8B (Porbandar to Rajkot to Bamanbore Section) in the State of Gujarat.

(xxviii) S.O. 315(E) published in Gazette of India dated 22nd February, 2012,

regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 10 (Delhi/Haryana Border to Rohtak-Hissar Section) in the State of Haryana.

(xxix) S.O. 349(E) published in Gazette of India dated 29th February, 2012, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 57 (Purnea-Jhanjharpur-Dharbhanga-Muzaffarpur Section) in the State of Bihar.

(xxx) S.O. 376(E) published in Gazette of India dated 5th March, 2012, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 7 (Hyderabad-Bangalore Section) in the States of Andhra Pradesh and Karnataka.

(xxxi) S.O. 357(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2012, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 31 in the States of Bihar and West Bengal.

(xxxii) S.O. 359(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2012, regarding levy/collection of user fee in respectof National Highway No. 7 (Nagpur-Hyderabad Section) in the State of Maharashtra.

(xxxiii) S.O. 360(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2012, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 28 (Lucknow to Faizabad to Gorakhpur to Uttar Pradesh/Bihar Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xxxiv) S.O. 2393(E) published in Gazette of India dated 17th October, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 21 (Sunder Nagar Section) in the State of Himachal Pradesh.

(xxxv) S.O. 2594(E) published in Gazette of India dated 18th November, 2011, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 6 (Sambhalpur-Baragarh-Orissa/Chhattisgarh Border Section) in the State of Orissa.

(xxxvi) S.O. 2794(E) published in Gazette of India dated 14th December, 2011,

regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 26 (Uttar Pradesh/Madhya Pradesh Border-Lakhnadon Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xxxvii) S.O. 2795(E) published in Gazette of India dated 14th December, 2011, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 26 (Jhansi-Lakhnadon Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xxxviii) S.O. 2842(E) published in Gazette of India dated 20th December, 2011, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 45 (Dindigul-Trichy Section) in the State of Tamil Nadu.

(xxxix) S.O. 2840(E) published in Gazette of India dated 20th December, 2011, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 7 (Nagpur-Hyderabad Section) in the State of Andhra Pradesh.

(xl) S.O. 2841(E) published in Gazette of India dated 20th December, 2011, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 37 (Guwahati bypass Section) in the State of Assam.

(xli) S.O. 2839(E) published in Gazette of India dated 20th December, 2011, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 6 (Durg Bypass to Chhattisgarh and Maharashtra Border Section) in the State of Chhattisgarh.

(xlii) S.O. 2836(E) published in Gazette of India dated 19th December, 2011, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 25 (MP/UP Border-Shivpuri-Bhognipur Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xliii) S.O. 2901(E) published in Gazette of India dated 27th December, 2011, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 48 (Devihalli-Hassan Section) in the State of Karnataka.

(xliv) S.O. 2915(E) published in Gazette of India dated 28th December, 2011, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 14 (Beawar-Pali-Pindawa Section) in the State of Rajasthan.

(xlv) S.O. 70(E) published in Gazette of India dated 13th January, 2012, regarding

levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 68 (Salem-Ulundurpet Section) in the State of Tamil Nadu.

(xlvi) S.O. 80(E) published in Gazette of India dated 17th January, 2012, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 202 (Hyderabad-Yadgiri Section) in the State of Andhra Pradesh.

(xlvii) S.O. 248(E) published in Gazette of India dated 8th February, 2012, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 6 (Surat to Maharashtra/Gujarat Border Section) in the State of Gujarat.

(xlviii) S.O. 250(E) published in Gazette of India dated 8th February, 2012, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 2 (Kanpur-Varanasi Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xlix) S.O. 1599(E) published in Gazette of India dated 11th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 113 (Padhi-Dahod Section) in the State of Gujarat.

(l) S.O. 59(E) published in Gazette of India dated 13th June, 2011, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 59 (Ahmedabad-Gujarat/MP Border Section) in the State of Gujarat.

(li) S.O. 45(E) published in Gazette of India dated 11th January, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No.8A(Extn.) (Kandla-Chandroda Section) in the State of Gujarat.

(lii) S.O. 44(E) published in Gazette of India dated 11th January, 2011, authorising the Additional District Collector, Sikar, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 11 in the State of Rajasthan.

(liii) S.O. 250(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2011, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 14 (Pali Section) in the State of Rajasthan.

(liv) S.O. 2956(E) published in Gazette of India dated 15th December, 2010,

regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12 (Deoli-Jalawar Section) (Package-I) in the State of Rajasthan.

(lv) S.O. 2921(E) published in Gazette of India dated 9th December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 11 (Reengus-Sikar Section) in the State of Rajasthan.

(lvi) S.O. 2631(E) published in Gazette of India dated 25th October, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 126(E) dated 22nd January, 2008.

(lvii) S.O. 2766(E) published in Gazette of India dated 11th November, 2010, containing corrigendum to the Notification No. S.O. 1266(E) dated 1st June, 2010.

(lviii) S.O. 2463(E) published in Gazette of India dated 8th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Kishangarh-Beawar Section) in the State of Rajasthan.

(lix) S.O. 2629(E) published in Gazette of India dated 25th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Surat-Dahisar Section) in the State of Gujarat.

(lx) S.O. 2859(E) published in Gazette of India dated 29th November, 2010, containing corrigendum to the Notification No. S.O. 1266(E) (in Hindi version only) dated 1st June, 2010.

(lxi) S.O. 2579(E) published in Gazette of India dated 18th October, 2010, containing corrigendum to the Notification No. S.O. 2061(E) dated 23rd August, 2010.

(lxii) S.O. 2894(E) published in Gazette of India dated 3rd December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and

operation of National Highway No. 76 (Udaipur-Chittorgarh Section) in the State of Rajasthan.

(lxiii) S.O. 2898(E) published in Gazette of India dated 6th December, 2010, containing corrigendum to the Notification No. S.O. 2251(E) (in Hindi version only) dated13th September, 2010.

(lxiv) S.O. 2616(E) published in Gazette of India dated 25th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 59 (Ahmedabad-Gujarat/MP Border Section) in the State of Gujarat.

(lxv) S.O. 2738(E) published in Gazette of India dated 8th November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Gujarat/Maharashtra Border) in the State of Gujarat.

(lxvi) S.O. 2877(E) published in Gazette of India dated 1st December, 2010, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway Nos. 79A and 79 in the State of Rajasthan.

(lxvii) S.O. 2893(E) published in Gazette of India dated 3rd December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 76 (Udaipur-Chittorgarh Section) in the State of Rajasthan.

(lxviii) S.O. 2834(E) published in Gazette of India dated 24th November, 2010, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12 in the State of Rajasthan.

(lxix) S.O. 1366(E) published in Gazette of India dated 13th June, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 59 (Ahmedabad-Gujarat/MP Border Section) in the State of Gujarat.

(lxx) S.O. 1554(E) published in Gazette of India dated 8th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 in the State of Gujarat.

(lxxi) S.O. 437(E) published in Gazette of India dated 25th February, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Ratanpur-Ahmedabad Section) in the State of Gujarat.

(lxxii) S.O. 341(E) published in Gazette of India dated 11th February, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 113 (Padhi-Dahod Section) in the State of Rajasthan.

(lxxiii) S.O. 2949(E) published in Gazette of India dated 15th December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 11 (Jaipur-Reengus Section) in the State of Rajasthan.

(lxxiv) S.O. 2680(E) published in Gazette of India dated 28th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Surat-Dahisar Section) in the State of Gujarat.

(lxxv) S.O. 1591(E) published in Gazette of India dated 11th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Gurgaon-Kotputli-Jaipur Section) in the State of Rajasthan.

(lxxvi) S.O. 1602(E) published in Gazette of India dated 11th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 11 (Reengus-Sikar Section) in the State of Rajasthan.

(lxxvii) S.O. 327(E) published in Gazette of India dated 11th February, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and

operation of National Highway No. 8 (Surat-Dahisar Section) in the State of Gujarat.

(lxxviii) S.O. 268(E) published in Gazette of India dated 7th February, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8A (Extn.) in the State of Gujarat.

(lxxix) S.O. 918(E) published in Gazette of India dated 29th April, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 59 (Ahmedabad-Gujarat/MP Border Section) in the State of Gujarat.

(lxxx)S.O. 487(E) published in Gazette of India dated 7th March, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 22 (Zirakpur-Parwanoo Section) in the State of Himachal Pradesh.

(lxxxi) S.O. 796(E) published in Gazette of India dated 26th April, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1444(E) dated 16th June, 2010.

(lxxxii) S.O. 938(E) published in Gazette of India dated 29th April, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 65 in the State of Haryana.

(lxxxiii) S.O. 1189(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 22 (Zirakpur-Parwanoo Section) in the State of Haryana.

(lxxxiv) S.O. 969(E) published in Gazette of India dated 3rd May, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 71 in the State of Haryana.

(lxxxv) S.O. 634(E) published in Gazette of India dated 25th March, 2011,

authorising the District Revenue Officer, Jind, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 71 in the State of Haryana.

(lxxxvi) S.O. 971(E) published in Gazette of India dated 3rd May, 2011, authorising the District Revenue Officer, Jind, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 73 (Yamunanagar-Panchkula Section) in the State of Haryana.

(lxxxvii) S.O. 972(E) published in Gazette of India dated 3rd May, 2011, authorising the District Revenue Officer, Jind, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Gurgaon-Kotputli-Jaipur Section) in the State of Haryana.

(lxxxviii) S.O. 386(E) published in Gazette of India dated 17th February, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 452(E) dated 23rd February, 2010.

(lxxxix) S.O. 2894(E) published in Gazette of India dated 3rd December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 76 (Udaipur-Chittorgarh Section) in the State of Rajasthan.

(xc) S.O. 1996(E) published in Gazette of India dated 27th August, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8D (Junagadh Section) in the State of Gujarat.

(xci) S.O. 1139(E) published in Gazette of India dated 20th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8D (Junagadh Section) in the State of Gujarat.

(xcii) S.O. 39(E) published in Gazette of India dated 11th January, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 79 (Chittorgarh-Mangalwar Section) in the State of Rajasthan.

(xciii) S.O. 633(E) published in Gazette of India dated 25th March, 2011, regarding

acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Surat-Dahisar Section) in the State of Gujarat.

(xciv) S.O. 1911(E) published in Gazette of India dated 18th August, 2011 regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 2 (Kanpur-Varanasi Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xcv) S.O. 2025(E) published in Gazette of India dated 30th August, 2011, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 37in the State of Assam.

(xcvi) S.O. 2026(E) published in Gazette of India dated 30th August, 2011 regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 5 (Jagatpur-Chandikol Section) in the State of Orissa.

(xcvii) S.O. 2027(E) published in Gazette of India dated 30th August, 2011 regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 5 in the States of Andhra Pradesh and Orissa.

(xcviii) S.O. 2056(E) published in Gazette of India dated 8th September, 2011, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 3 (Madhya Pradesh/Maharashtra Border-Dhule Section) in the State of Maharashtra.

(xcix) S.O. 2096(E) published in Gazette of India dated 19th September, 2011, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 3 (Pimpalgoan-Nashik-Gonde Section) in the State of Maharashtra.

(c) S.O. 2418(E) published in Gazette of India dated 19th October, 2011, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 13 (Bijapur-Hungud-Hospet Section) in the State of Karnataka.

(ci) S.O. 2421(E) published in Gazette of India dated 20th October, 2011, regarding levy/collection of user fee in respect of National Highway No. 5 (Bhubaneswar-Balasore Section) in the State of Orissa.

(cii) S.O. 2013(E) published in Gazette of India dated 29th August, 2011,

authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 200 (Bhojpur-Chhatabar Section) in the State of Orissa.

(ciii) S.O. 2014(E) published in Gazette of India dated 29th August, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 217 in the State of Orissa.

(civ) S.O. 2015(E) published in Gazette of India dated 29th August, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 234 in the State of Karnataka.

(cv) S.O. 2016(E) published in Gazette of India dated 29th August, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 98 in the State of Bihar.

(cvi) S.O. 2017(E) published in Gazette of India dated 29th August, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 106 (Birpur to Bihpur Section) in the State of Bihar.

(cvii) S.O. 2253(E) published in Gazette of India dated 29th September, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 104 (Sheohar-Sitamarhi-Jaynagar Narhiya Section) in the State of Bihar.

(cviii) S.O. 2256(E) published in Gazette of India dated 29th September, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 30A (Fathua-Harnaut-Barh Section) in the State of Bihar.

(cix) S.O. 937(E) published in Gazette of India dated 29th April, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1851(E) dated 27th October, 2006.

(cx) S.O. 1357(E) published in Gazette of India dated 13th June, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 59 (Ahmedabad-Gujarat/MP Border Section) in the State of Gujarat.

(cxi) S.O. 2236(E) published in Gazette of India dated 28th September, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12 (Jaipur-Tonk-Deoli Section) in the State of Karnataka.

(cxii) S.O. 1195(E) to S.O. 1197(E) published in Gazette of India dated 28th September, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 14 (Pali Section) in the State of Rajasthan.

(Placed in Library. See No. LT 6708/15/12)

(2) A copy of the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of Service of Members) Amendment Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 5(E) published in Gazette of India dated 10th January, 2012 under section 34 of the National Highways Act, 1988.

(Placed in Library. See No. LT 6709/15/12)

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Indian Road Construction Corporation Limited, New Delhi, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Indian Road Construction Corporation Limited, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library. See No. LT 6710/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI D. NAPOLEON): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation and the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2012-2013.

(Placed in Library. See No. LT 6711/15/12)

(2) Memorandum of Understanding between the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation and the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2012-2013.

(Placed in Library. See No. LT 6712/15/12)

-

12.02 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA AND BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA*

SECRETARY-GENERAL: Mr. Chairman, I have to report following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:

(i) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2012 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 3rd May, 2012."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Administrators-General (Amendment) Bill, 2012 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 4th May, 2012."

Mr. Chairman, I lay on the Table the Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2012 and the Administrators-General (Amendment) Bill, 2012 as passed by Rajya Sabha on the 3rd and the 4th May, 2012 respectively.

---

* Laid on the Table.

12.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS
162nd Report

SHRI NEERAJ SHEKHAR (BALLIA): I beg to lay on the Table the One Hundred and Sixty-second Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Home Affairs on the Demands for Grants (2012-13) of the Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER).

12.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
175th to 178th Reports

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): महोदया, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

1. संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 175वां प्रतिवेदन।
2. पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 176वां प्रतिवेदन।
3. पोतपरिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 177वां प्रतिवेदन।
4. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 178वां प्रतिवेदन।

12.04 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table

(i) Need to start a massive campaign to create awareness about diabetes in the country.

SHRIMATI PRIYA DUTT (MUMBAI NORTH-CENTRAL): Diabetes is a life-long, incurable disease marked by high blood sugar levels. It is estimated that almost 41 million Indians are diabetic, and that figure is expected to reach 73.5 million by 2025. The total annual cost to treat Indian diabetic patients (including direct and indirect expenses) is estimated at Rs. 21,000 per person. If that per capita expenditure were to remain constant, the total estimated cost of treating the disease would reach approximately Rs. 1,50,000 crore by 2025.

The incidence of diabetes is much higher in affluent urban areas of India than in rural villages, and the rate is increasing. In the 1970s, only 2.1 % of Indians living in urban areas had diabetes. Today that figure is 12.1% for adults over the age of 20. Diabetes can lead to amputations, heart failure and blindness.

In addition to lifestyle changes that are causing diabetes, Indians have a strong genetic vulnerability to the disease. As a result, Indians often contract diabetes a decade earlier than their counterparts in the developed world-trend that is likely to have an anormous impact on India's working age population in the future.

I, therefore, urge upon the Government to start a massive awareness campaign in both urban and rural areas of the country.

(ii) Need to find a solution to the movement of farmers having their agricultural land on Bangladesh side

KUMARI MAUSAM NOOR (MALDAHA UTTAR): I would like to invite the attention of the Government to a pressing issue in Lok Sabha constituency Maldaha Uttar, having a long border with Bangladesh. Many of our citizens own farmlands in Bangladesh ever since partition. The BSF & BDR holds a mututal understanding and allow a free movement for Indian farmers owning farms located across the border for cultivation and other farming purposes. This movement is allowed for specified time and days every week and very often the Indian gate is found closed before time and our farmers are left with no option but to stay back in Bangladesh. On several occasions the Indian side remains closed for many days and this leads to crop damage in Bangladesh affecting our farmers who have invested their time and effort in farming despite the odds. I may hence request the Government to find a permanent solution to this issue and the Union Home Ministry must take an initiave in this matter as soon as possible.

(iii) Need to provide stoppage of Train Nos. 16735/16736 at Cuddalore Junction in Tamil Nadu.

SHRI S. ALAGIRI (CUDDALORE): The express train service no. 16735/16736 is operating between Chennai and Thiruchendhur but this train is not being stopped at Cuddalore junction. The Cuddalore junction is a port junction which is second largest port in Eastern Coastal area. The Railways have 159 acres of land around Cuddalore junction along with big parking areas and 95 Railway quarters at this junction. The Cuddalore junctions has four railways platforms. The stoppage of above train is also necessary due to various major SIPCOT industries such as Chemplast, Sanmer, Shasun chemicals, Tanfac Fertilizers Company, Pharmaceuticals Companies, Nagarjuna Oil Corporation, Chemical Companies, Loyal Super Fabrics, Good Earth Shipping Company, ILFS and BGR Thermal Power Company, etc. are located in the vicinity of Cuddalore junction. This junction provides transport to tens of thousands of SIPCOT workers, fishermen and agricultural farmers.

In this connection, it is my humble request to the Hon'ble Minister of Railways through the Hon'ble House to arrange to provide for the stoppage of the train no. 16735/16736 at Cuddalore junction.

(iv)Need to take steps to create Legislative Council in every State where there is no council and especially in Delhi

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): हमारे देश में लोक सभा के साथ-साथ राज्य सभा का गठन किया गया है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए देश के अधिकतर राज्यों में विधान सभा के साथ-साथ विधान परिषद स्थापित की गयी है। लेकिन, हमारे देश में कुछेक राज्य ऐसे हैं, जहां विधान सभा तो है मगर विधान परिषद नहीं है। चूंकि, जब केन्द्रीय स्तर पर लोक सभा के साथ-साथ राज्य सभा है और इसी के अनुरूप राज्यों में विधान परिषदें गठित की गयी हैं तो फिर देश के सभी राज्यों में विधान सभा के साथ-साथ विधान परिषद स्थापित की जानी चाहिए।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश के ऐसे राज्यों, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रदेश, जहां विधान सभा तो है, लेकिन विधान परिषद नहीं है, वहां पर विधान परिषद का गठन शीघ्र किए जाने हेतु आवश्यक पहल करें।

(v) Need to set up milch-animal breed improvement centres in Barmer district of Rajasthan

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार देश की सत्तर प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में यह प्रतिशत 80 से 85 तक है। गांवों में निवास करने वाली इस आबादी के जीवन यापन का मुख्य स्रोत कृषि व पशुपालन रहा है। लेकिन मेरे क्षेत्र में पशुपालन को सरकारी योजनाओं से प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर जिले में पशु संख्या 44 लाख से अधिक है जो कि राजस्थान की कुल पशु संख्या का आठ प्रतिशत है। हमारे क्षेत्र की थार पारकर गाय की नस्ल बहुत दुधारू नस्ल थी लेकिन संरक्षण व संवर्द्धन के अभाव में लुप्त प्रायः हो गई है। यहां के ऊंट सैन्य उपयोग में आते हैं। देश में गाय, ऊंट, भेड़ बकरी के लिए बड़े संस्थान संचालित हैं लेकिन पशु संख्या की अधिकता को देखते हुए इन संस्थाओं को राजस्थान में स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में थार पारकर गाय नस्ल संवर्द्धन, भेड़ बकरी, ऊंट हेतु संस्थान स्थापित किये जाने की कार्रवाई करायें।

(vi) Need to provide adequate number of LPG connections to economically weaker sections of the society particularly in West Delhi Parliamentary Constituency

श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम दिल्ली): भारत सरकार ने जो गरीब परिवारों को सस्ती दर पर रसोई गैस कनैक्शन मुहैया कराने की योजना थी वह अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी पीछे है। केरोसीन की खपत कम करने के लिए सरकार ने तेल कंपनियों को बिना किसी जमानत के 70 लाख गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य दिया था, लेकिन 2 सालों में कंपनियां सिर्फ 73213 कनेक्शन ही जारी कर पाई है, देश में गैस कनेक्शन की तादाद करीब 11.5 करोड़ है और 2015 तक सरकार ने 16 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य तय किया है।

पश्चिम दिल्ली की प्राइवेट कालोनियों में बहुत से गरीब परिवार रहते हैं परंतु अभी तक किसी भी परिवार को इस योजना के अंतर्गत कोई गैस कनेक्शन नहीं मिला है। आये दिन लोग हमसे गैस कनेक्शन की सिफारिश पत्र लिखवाने आते हैं उनमें से भी किसी को तो गैस कनेक्शन मिल जाता है और किसी को नहीं मिल पाता।

अतःमेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार ने बिना किसी जमानत राशि के 70 लाख गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने का जो लक्ष्य रखा था उसे अविलम्ब लागू किया जाए, तथा इसमें पश्चिमी दिल्ली के ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को शामिल किया जाए।

(vii) Need to make arrangement for payment of toll tax at a single point on National Highways

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): राष्ट्रीय राजमार्ग फोर लेन एवं सिकस लेन बनने से तथा मेगा हाईवे निर्मित होने से उपभोक्ताओं को टॉल टैक्स के भुगतान की प्रक्रिया के माध्यम से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बीओटी पद्धति आने से इन रास्तों से गुजरने वाले वाहनों एवं वाहनधारकों को काफी समय टॉल टैक्स पर खड़ा रहना पड़ता है। इससे ऊर्जा एवं समय दोनों की बर्बादी होती है। इस संबंध में मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि कम्प्यूटर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए टॉल टैक्स एक जगह वसूल किया जा सकता है एवं रास्ते में पड़ने वाले सभी कंपनियों को एक एमओयू के तहत आपस में प्राप्त राशि का बंटवारा किया जा सकता है। मैं उदाहरण के माध्यम से इस स्थिति को और स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं एवं यात्रा करते समय मैंने अनुभव किया है कि जयपुर एवंदिल्ली के मध्य की दूरी मात्र 270 कि.मी. है तथा इतनी दूरी से 5 टॉल टैक्स कलेक्शन सेंटर पड़ते हैं। जयपुर दिल्ली के मध्य चलने वाले सभी वाहनों को इन टॉल टैक्स कलेक्शन सेंटर पर रूकना पड़ता है एवं निर्धारित राशि की रसीद कटवानी पड़ती है। मेरा यह सुझाव है कि जयपुर से आने वाले प्रत्येक यात्री की रसीद प्रथम पड़ने वाले टॉल टैक्स कलेक्शन सेंटर पर पांचों टाल टैक्स राशि जितनी रसीद काट दी जाये और इसी भांति दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाले सभी यात्रियों की पहले पड़ने वाले टॉल टैक्स सेंटर पर पांचों टॉल टैक्स जितनी राशि की रसीद काट दी जाये और कम्प्यूटर के माध्यम से इसका हिसाब कर लिया जाये और पांचों कंपनियां एमओयू के अनुसार राशि का बंटवारा कर लें इससे प्रत्येक वाहन/वाहनधारक/यात्री/उपभोक्ताओं को समय की बचत होगी और अनावश्यक रूप से टॉल टैक्स पर खड़े रहने के कारण डीजल और पैट्रोल की खपत होती है उसकी भी बचत होगी और अंततः इसका राष्ट्र को फायदा होगा। अतः मैं मंत्रालय से मांग करता हूं कि इस संबंध में अतिशीघ्र निर्णय लेकर एक अधिसूचना/परिपत्र जारी करें जिससे करोड़ों वाहन धारकों को इसका लाभ मिल सके एवं देश में पेट्रोल एवं डीजल की भी बचत हो सके।

(viii) Need to undertake renovation and beautification of historical monuments in Ahmednagar district, Maharasthra

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): अहमदनगर जिले में श्री साईबाबा शिर्डी, शनि शिंगणापुर, अवतार मेहेखाबा, संत ज्ञानेश्वर जैसे धार्मिक स्थलों पर हर रोज 50-60 हजार पर्यटक आते हैं। इन धार्मिक स्थलों के अतिरिक्त जिले में पुरातत्व विभाग के अंतर्गत 39 इमारतें आती हैं। ये प्राचीन इमारतें हमारी धरोहर होते हुए भी रख-रखाव तथा सौंदर्यीकरण से वंचित हैं। सरकार ने नवरत्न कंपनियों को उनके होने वाले लाभ के 2 प्रतिशत सार्वजनिक उपक्रमों के लिए खर्च करने का प्रावधान रखा है। उसका फायदा उठाने के लिए मैंने उन्हें जनवरी 2010 में सुझाव दिया कि इन इमारतों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण के डेवलपमेंट प्लान और इस्टिमेट्स बनवाकर दीजिए। मैं आपको निधि उपलब्ध कराके दूंगा और आप ही इसका रखरखाव और सौंदर्यीकरण कीजिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुरातत्व विभाग द्वारा इस दिशामें कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अहमदनगर जिले के अंतर्गत देश की धरोहर को अक्षुण्ण रखने के लिए इसका रखरखाव और सौंदर्यीकरण करने की नितांत आवश्यकता है। इसलिए सरकार द्वारा उचित निर्देश जारी हो।

(ix) Need to ensure proper utilization of funds under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Allahabad, Uttar Pradesh

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): देश में और विशेषकर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मनरेगा के तहत कई ग्रामों की शिकायतें आ रही हैं। कई तहसीलों में अनियमितताओं का दौर अब भी जारी है। विजीलेंस कमेटी द्वारा निर्देश देने के बावजूद भी उचित कार्यवाही नहीं हो रही है। क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिससे कि मनरेगा के पैसों का दुरूपयोग रोका जा सके और गरीब जनता को इस योजना का संपूर्ण लाभ मिल सके तथा बाकी लोगों के लिए एक नजीर बने। मनरेगा के तहत तालाबों की खुदाई होती थी जिसमें से कई आदर्श तालाब भी थे। मुझे कुछ सूत्रों द्वारा पता चला है कि आदर्श तालाब बनाने की योजना सरकार ने बंद कर दी है। आदर्श तालाब बनाने की योजना बहुत अच्छी थी क्योंकि इस योजना में तालाब बनाने के साथ-साथ वृक्षारोपण भी किया जाता था लेकिन किन्हीं कारणों से इस योजना को बंद कर दिया गया है। वर्तमान में इस योजना की स्थिति क्या है।

(x) Need to provide TV tower and mobile tower in Don area of West Champaran district in Bihar

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो (बाल्मीकिनगर): बिहार के पं0 चम्पारण जिलान्तर्गत दोन क्षेत्र जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहां से नेपाल की सीमा लगभग 20 कि0मी0 है। दोन क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 40 कि0मी0 है, जहां पर न टी0वी0 टॉवर है और न किसी कम्पनी का मोबाइल टॉवर है। उस क्षेत्र के लोग आज आधुनिक युग में भी दुनिया से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उस क्षेत्र में शीघ्र टी0वी0 टॉवर तथा मोबाइल टॉवर लगाने की कार्रवाई करें।

(xi) Need to construct a four-lane overbridge at Burdwan – Katwa road in Burdwan district, West Bengal.

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): There is a Railway over bridge on Burdwan-Katwa road at Burdwan in West Bengal. The over bridge is in a dilapidated condition. It causes much traffic congestion. Hence I urge upon the Government to come forward to build a four lane over Bridge there immediately.

(xiii) Need to ensure clear demarcation of boundaries between Buxar (Bihar) and Balia (Uttar Pradesh) and to take measures to prevent land erosion caused by river Ganga

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): बक्सर (बिहार) और बलिया (उ.प.) को गंगा नदी विभाजित करती है। प्रतिवर्ष गंगा नदी के द्वारा किनारों के कटाव के चलते दोनों राज्य के गांव एवं खेती को काफी नुकसान उठाना पड़ता है तथा सीमांकन पर भी फर्क पड़ता है। वर्षो से गंगा नदी का यह दियारा इलाका उलझन में पड़ा हुआ है।

दोनों राज्यों के इस उलझन को दूर करने के लिए सीमांकन का कार्य वर्षो पूर्व शुरू हुआ था तथा त्रिवेदी अवार्ड के द्वारा जमीन की मल्कियत तय कर दी गई थी। गांव एवं खेती के सीमांकन के बाद संतुष्ट किसान शांति के साथ जीविकोपार्जन के कार्य में लगे हुए हैं मगर त्रिवेदी अवार्ड के बाद सीमांकन के आधार पर नक्शे आज तक भारत सरकार के द्वारा किसानों में वितरित न होने के कारण समय असमय में उलझन व्याप्त हो जाती है तथा शांति भंग होती है।

दोनों राज्यों का विवाद केन्द्र सरकार के द्वारा गठित आयोग के द्वारा ही निपटाया गया था। समस्या की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि अवार्ड के मुताबिक सीमांकन का फैसला स्थाई रूप से खतियान एवं नक्शा के द्वारा सुनिश्चित कर दिया जाए।

अतः मैं केन्द्र से मांग करता हूं कि इस समस्या का स्थाई हल अंतिम रूप से निकालें साथ ही गंगा नदी के द्वारा होने वाले कटाव से प्रति वर्ष होने वोले परिवर्तन पर विराम लगाएं।

(xiii)Need to hand over the control of Shahpur Kandi Dam Project in Punjab to Bhakra Beas Management Board

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, हरियाणा एवं महामहिम राज्यपाल महोदय पंजाब के मध्य दिनांक 15.5.1984 को रोपड़ थर्मल पावर स्टेशन एवं आनन्दपुर साहिब हाईडल परियोजना शुरू करने के बारे में एक अनुबंध हुआ। इस अनुबंध का पार्ट द्वितीय नांगल रिजरवायर से आनन्दपुर साहिब हाईडल परियोजना हाईडल चैनल के संबंध में है। जिसका सब क्लाज निम्नानुसार है-

"आनन्दपुर साहिब हाईडल परियोजना मुकेरियान हाईडल परियोजना, थीम बांध परियोजना, अपर बारी दोआब चैनल स्टेज-द्वितीय एवं साहपुरकांडी हाईडल परियोजना से हरियाणा एवं राजस्थान राज्य द्वारा विद्युत उत्पादन में हिस्सा मांगने के संदर्भ में यह स्वीकार किया गया कि भारत सरकार इस प्रकरण को उच्चतम न्यायालय में राय हेतु प्रस्तुत करेगी एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त राय सभी राज्य जिनके मध्य अनुबंध हुआ है, को प्रेषित की जायेगी जो कि उन्हें मान्य होगी"।

सब पैरा (अ) एवं (ब) उच्चतम न्यायालय में भेजे जाने वाले टीओआर के संबंध में हैं।

अतः यह स्पष्ट है कि भारत सरकार इस प्रकरण को उच्चतम न्यायालय में राय हेतु प्रस्तुत करेगी एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राप्त राय सभी राज्यों जिनके मध्य अनुबंध हुआ है, को मान्य होगी।

पंजाब सिंचाई व विद्युत हेतु रावी नदी पर शाहपुर कान्डी बैराज का निर्माण करना चाहता है। 1981 के अनुबंध के तहत इस प्रोजेक्ट में जो भी पानी आयेगा, वो सहभागी राज्यों के मध्य बंटवारे योग्य है। राजस्थान का यह अनुभव रहा है कि पंजाब बीबीएमबी द्वारा आवंटित जल रावी नदी पर निर्मित रणजीत सागर बांध से नहीं छोड़ता है। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने शाहपुर कान्डी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। राष्ट्रीय परियोजना होने के कारण राजस्थान का यह मत है कि इसका कंट्रोल बीबीएमबी के पास होना चाहिए।

राजस्थान राज्य ने सचिव ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार को पत्रांक दिनांक 22.12.09 द्वारा इस संदर्भ में आज की स्थिति से अवगत कराने हेतु आग्रह किया है । लेकिन इस संबंध में कोई प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान ने पत्र दिनांक 20.8.10 द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार से निवेदन किया है कि शाहपुर कान्डी परियोजना का कंट्रोल बीबीएमबी के पास होना चाहिए तथा 1984 के अधिनियम के तहत विद्युत बंटवारे के संबंध में प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करें।

12.05 hrs

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Need for adequate storage facilities for food grains in the country

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मान्यवर, देश में बड़े पैमाने पर गेहूं की फसल पैदा हुई है। आज से चार दिन पहले भी मैंने इस सवाल को यहां उठाया था और उसके पहले सुषमा जी ने भी इसे उठाया था। उस समय प्रणब बाबू यहां मौजूद थे और आज भी बैठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे को शून्य काल में उठाने का मौका दिया है, चूंकि यह इतना विस्तृत मुद्दा है कि इस पर सदन में नियम 193 के तहत बहस कराने का एश्योरेंस आसन की तरफ से आना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था कि धान का उत्पादन इस बार 10.34 करोड़ टन हुआ है, वह मामला तो चला गया। इस बार गेंहू का रिकार्ड उत्पादन करीब 9.02 करोड़ टन हुआ है, जैसा कि सरकार ने बताया है। आपकी स्टोरेज केपेसिटी केवल 19 फीसदी है।

देश के 40 करोड़ किसान अन्न का उत्पादन करते हैं। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में किसानों ने पूरी ताकत लगाकर यह अनाज पैदा किया है। हमारे देश में गरीबों की बहुत बड़ी तादाद है। महाराष्ट्र में लातूर, उस्मानाबाद और देश के कई इलाकों में सूखा पड़ा है, पानी तक की किल्लत है। ऐसी परिस्थिति हमारी सरकार के समय भी आई थी, जब मैं फूड एंड कम्ज्युमर मामलों के विभाग का मंत्री था। उस समय देश के सात सूबों में सूखा पड़ा था। अनाज की किल्लत हमारे सामने भी आई थी। पशुओं के चारे के लिए और फ्लोर मिल्स के लिए हम लोगों ने सूखाग्रस्त इलाकों में अनाज भेजा था। आडवाणी जी की अगुवाई में एक क्राइसेज़ मैनेजमेंट ग्रुप बनाया गया था। मुझे याद है कि राजस्थान में हम लोगों ने एक लाख मीट्रिक टन अनाज बिना पैसे के दिया था। सरकार की भी रिपोर्ट है, सदन के सभी सदस्य कहते हैं और मीडिया में भी आ रहा है कि अनाज के ढेर खुले आसमान के नीचे लगे हुए हैं। पंजाब में जमीन की कीमतें ज्यादा होने के कारण वहां गोदाम बनाने की लागत बहुत बढ़ गई है। आपने 2009 में कई जगह गोदाम बनाने के लिए सब्सिडी देने की बात कही थी, लेकिन आपके विभाग से अभी तक कोई सब्सिडी रिलीज नहीं हुई है। बड़े पैमाने पर किसान अपनी फसल के स्टोरेज के लिए अपनी जमीन पर और अपने साधनों को आगे-पीछे करके यह काम कर रहे हैं।

हमने बिहार में अभी फैसला किया है कि प्रदेश सरकार 50 फीसदी सब्सिडी गोदाम बनाने के लिए बैंकों के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे देगी। आज के समय में बाजार एक भी चीज में आगे नहीं सरक रहा

है, पीछे ही जा रहा है। दुनिया के कई मुल्क हमारे बाजार की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारी जीडीपी की ग्रोथ नीचे जा रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पीछे हो गई है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है और आयात-निर्यात पर असर पड़ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के किसानों ने, इन 3 वर्षों में, आप कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हिला, बाजार पर कोई असर नहीं पड़ा, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, हिंदुस्तान के बैंक और हिंदुस्तान के किसानों ने सबसे ज्यादा इसके लिए काम किया। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you have made your point.

… (*Interruptions*)

श्री शरद यादव: अर्जुन सेन गुप्ता की बात जब भी आती है, आप लोग कहते हैं कि गलत बात है, मैं कहता हूं कि वह अकेला आदमी था जो सच बोलकर गया है, आज वह नहीं है, उसका इंतकाल हो गया है। आज हालत यह है कि गरीबों की संख्या रोज बढ़ती जाती है। आपके पास अनाज है तो आप क्यों नहीं सबसे पहले क्राइसेज ग्रुप बनाते हैं? सोनिया जी, यह जो सारा मामला है, देश में क्या हालत है, इसे आप समझ नहीं रही हैं। आज सब जगह सड़कों पर गेहूं पड़ा है, रखने की जगह नहीं है, कभी भी बारिश हो जाएगी तो सारा गेहूं खराब हो जाएगा। दिल्ली में मौसम ठीक हो जाता है लेकिन 450 किलोमीटर के गेहूं के इलाके में किसानों की बर्बादी हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं लेकिन सरकार तो इस पर विश्वास भी नहीं करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में जरा सी खबर आई थी।

माननीय प्रधान मंत्री जी को चाहिए कि इस बारे में मीटिंग बुलाएं। जो समस्या आपके हाथ में नहीं है उसका क्या करोगे लेकिन जो समस्या आपके हाथ में है उस पर कोई रास्ता बनाइये। मैं जब फूड मिनिस्टर था, मैं कंज्यूमर मिनिस्टर था तो प्रणब बाबू मैं रोज गांव में जो समस्या थी उसको अपने सामने रखता था और खास करके गरीबों की जो मोटी चीजें खाने की हैं उनको सामने रखता था। सबसे पहली जरूरत गरीबों की पेट है, वह सबसे पहले आटा चाहता है, चावल चाहता है। आपके पास चावल है, आपके पास गेहूं है, पूरे देश में अनाज पड़ा सड़ रहा है, खराब हो गया है तो क्यों नहीं उनकी समस्या को आप दूर करते हैं।

किसानों ने सारी दिक्कतों के बावजूद, भोजन के मामले में, उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। आज वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसलिए उनकी समस्या के ऊपर आपको सबसे पहले इमरजेंसी मीटिंग करनी चाहिए। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो एक्सपोर्ट कीजिए। आपने जूट और कपास के एक्सपोर्ट का फैसला किया। मैं इस पर आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और वे ऐसे लोग हैं जो आपके सिर पर डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन गेहूं का गरीब किसान क्या करेगा, जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, वह कहां जाए? आप यहां चार दिन पहले बैठे हुए थे आपने इस

बात का जवाब नहीं दिया और चले गये। आपकी सरकार में इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है, आप इस पर क्या करेंगे, सारा सदन इस पर चिंतित है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री शरद यादव : यहां सब लोग चुप बैठे हैं क्योंकि इस पर बोलने के लिए इन्हें समय नहीं दिया जाता है। मैं बाहर निकलूंगा तो सब मुझे कहेंगे...(व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी को बुलाइये, क्या करेंगे आप इस पर, क्या रास्ता निकालेंगे। क्यों नहीं इस मामले को शीघ्र ही हाथ में लेते हैं। ...(व्यवधान) सरकार के हाथ से एक-एक चीज निकलती जा रही है, एक-एक मामला हाथ से जा रहा है। आप सब चीजों को देखिये।...(व्यवधान) सभापति जी, आप गोवा के हैं, आपको पता नहीं है कि इस इलाके में क्या तबाही मची हुई है। सब जगह तबाही है, आप पंजाब चले जाइये, वहां पर खुले में गेहूं के पहाड़ जैसे ढेर दिखाई देते हैं। आप बताइये, किसान कहां जाए?...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you have made your point. Please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री शरद यादव: हम चाहते हैं कि इस मामले को यहीं पर निपटा दें। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please sit down. Please do not disturb.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : धन्यवाद सभापति जी, मैं गेहूं पर ही बोल रही हूं।

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record except the submission being made by Shrimati Sushma Swaraj.

*(Interruptions)** …

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, अभी शनिवार-रविवार को मैं अपने क्षेत्र का दौरा करके वापस लौटी हूं और आंखों देखी कहानी इस सदन में सुनाना चाहती हूं। पूरे मध्य प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की खरीद का इतना उत्तम प्रबंध किया था। *(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record, except what Shrimati Sushma Swaraj is saying.

*(Interruptions)** …

---

* Not recorded

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति महोदय, हमने किसानों का पूर्व पंजीयन कराया, एसएमएस करके किसानों को बुलाया और उनका पूरा गेहूं तुलवा कर एकाउंट में पैसे दे दिए। यह व्यवस्था तब तक चलती रही, जब तक हमारे पास बोरियां उपलब्ध थीं। लेकिन अचानक एक दिन बोरियों की उपलब्धता खत्म हो गई। बोरियां न होने के कारण पूरी व्यवस्था बैठ गई। जैसा शरद जी ने कहा कि पूरा गेहूं मंडी में पड़ा हुआ है और किसान वहां रात भर खड़ा रह कर पहरेदारी कर रहा है। दो बार पानी गिर चुका है और दस-दस मिनट पानी गिरने के कारण पूरा का पूरा गेहूं खराब हो गया है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except what Shrimati Sushma Swaraj is saying.

*(Interruptions)**

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मुख्यमंत्री दिल्ली आए और फूड मिनिस्टर से मिले। उन्होंने मेरे सामने यह आश्वासन दिया कि 46 हजार गठानें 5 मई तक दे देंगे। प्रणब दादा 5 मई बीत चुकी है और आज 7 मई है, अभी 11 हजार गठानें 46 हजार गट्ठानों में से आनी बाकी हैं तथा 50 हजार और गठानें उन्होंने 20 मई तक देने की बात कही थी। 96 हजार गठानें, जिनका पैसा पड़ा हुआ है, 2 लाख 69 हजार गठानों का 478 करोड़ रुपया हमने अग्रिम राशि के रूप में जमा कराया हुआ है। हम अभी इंतजार कर रहे हैं, न रैक लगे हैं, न लोड हुए हैं और हमारे पास बोरियां नहीं हैं। बोरियों के न होने की वजह से पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है। किसान रो रहा है। पिछली बार हमने आपको 50 लाख मिट्रिक टन गेहूं दिया था, लेकिन इस बार 80 लाख मिट्रिक टन गेहूं हम आपको देने वाले हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि केवल बोरियां न होने की वजह से किसान का गेहूं तुल नहीं पा रहा है। अगर बोरी पहुंचती है, तो किसान रैक में से बोरी की लूटपाट कर रहा है। किसान वहां बैठ कर सारी रात पहरेदारी कर रहा है और अगर दस-दस मिनट का पानी गिर जाता है, तो छाती पीट-पीट कर रो रहा है, क्योंकि जब उसका गेहूं तोला जाएगा, तो कहा जाएगा कि गेहूं खराब हो गया है।

सभापति महोदय, मैं प्रणब दा से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूं कि सिर्फ बोरियां चाहिए, आप बोरियां दे दीजिए, हमारा किसान मरने से बच जाएगा, क्योंकि गेहूं तुल जाएगा और आपके पास सैंटर पूल में हम वह गेहूं आपको दे देंगे। कृपया आप हमें बोरियां दे दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Rest of the Members may please associate with what the hon. Member has said. Please sit down.

---

* Not recorded

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: There will be no more discussion. Other hon. Members may associate with the hon. Member who raised the issue.

योगी आदित्यनाथ।

*(Interruptions)** …

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: Others may kindly associate. Nothing else will go on record.

*(Interruptions)**

सभापति महोदय : श्री पी.के. बिजू, श्री अर्जून राम मेघवाल, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री पी.एल. पुनिया, श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला, श्री महेन्द्र पी. चौहाण, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्री शिवराज भैया, श्री जीतेन्द्र सिंह, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री राकेश सिंह, श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला, श्री नामा नागेश्वर राव एवं श्री धनंजय सिंह को शरद यादव जी एवं श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध किया जाता है।

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Only the statement of hon. Member Yogi Aditya Nath will go on record and nothing else.

*(Interruptions)**

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The point has already been made. Please sit down.

*(Interruptions)**

योगी आदित्यनाथ: प्रति वर्ष कैलाश मानसरोवर की पवित्र धार्मिक यात्रा देश के अंदर आयोजित की जाती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जाता है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record.

*(Interruptions)** …

---

* Not recorded

योगी आदित्यनाथ : सभापति महोदय, यह यात्रा 26 दिन की होती है, जिसे कुमाऊँ मण्डल विकास निगम आयोजित करती है। भारत और तिब्बत की सीमा तक तीर्थ यात्रियों के आने और जाने की व्यवस्था करती है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except what Yogi Aditya Nath is saying. Please continue.

(Interruptions) ...*

MR. CHAIRMAN: You cannot compel the Government during the 'Zero Hour'. Please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Do not disturb him.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 12.30 pm.

12.20 hrs

The Lok Sabha then adjourned till thirty minutes past Twelve of the Clock.

---

* Not recorded

<u>12.30 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Nothing will go on record.

*(Interruptions)** ...

<u>12.30 ½ hrs</u>

<u>SUBMISSION BY MEMBERS- Contd.</u>

Re: Need for proper storage of food grains in the country

MR. CHAIRMAN: Hon. Leader of the House is going to make a statement. Hon. Members, please take your seats.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Chairman, Sir, Shri Sharad Yadav ji, Shrimati Sushmaji, the Leader of the Opposition and many other Members want to speak on this issue. This year we made a record production of both wheat and rice. Our genuine problem is with regard to the storing facilities of that quantum of procurement, which is taking place. In earlier days, the Government used to procure about 30 to 40 per cent of the total production and the rest of the production was taken care of by the market. But in the last two, three years because of the high MSP, procurement has become the primary responsibility of the Government agencies, whether it is the State Governments or it is the Central Government. The FCI is also authorizing and requesting the State Governments to purchase it. But, the creation of the godown space is not keeping a match with the rate of procurement. There is a mismatch. But we are trying to sort out this issue.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): कब तक होगा?

---

* Not recorded

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Yes, it will take some time. Please have some patience. I am equally concerned about it because I am paying Rs.50,000 crore food subsidy. Therefore, I am equally concerned as you are concerned. As you are the concerned Member of Parliament to protect the public interest, as Finance Minister and the Treasurer of the country, I am concerned because it is going from my Treasury. Therefore, what we are trying to do is this. I am trying to get jute bags to provide the facilities and to address the problems which the Leader of the Opposition raised that jute bags are not available.

As per the practice, we do not allow plastic baggage to be used for food items because jute bags are bio-degradable packaging material which are universally acclaimed and should be used as the packaging material for food items. Therefore, in our system, rice, wheat and sugar, these three items are supplied in jute bags. As there has been shortage of jute bags, we are trying to augment the supply of jute bags. We are taking it up with the IJMA. It has already been taken up. We are also taking it up with other neighbouring countries from where we can import jute bags on urgent basis.

We are also requesting to dispose of the existing stock. For instance, the Chief Minister of Karnataka came and met me the other day. They require about five to eight lakh tonnes of food grains to meet their drought relief requirement. We have readily agreed to supply this quantum of food grains. We have allowed extra export so that the existing stock could be released. We are also requesting and we have already made arrangements with the Rural Development Ministry. They are taking some time because the State Governments are involved in it so that we can use food grains as part of the wages for the Government programmes like the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act and all the measures are simultaneously being taken to ease the pressure which is being built up. But there is a question about it. There is no doubt that there is a mismatch. The other day, while replying to the General Discussion on the Budget, I gave detailed account of how in the last four, five years, we have created more than two million

tonnes of storing capacity. We are giving series of tax concessions and investment concessions to create cold-chain facilities, to create warehousing and asking the private sector to participate in for that. Shri Sharad Yadavji has referred to some sort of subsidy scheme. I will definitely check up. If the Government made any commitment to pay subsidy, the Government will pay subsidy. So far as tax concessions are concerned for the last three years I am providing tax concessions, series of concessions, sometimes interest concessions, to create cold chains, to create warehousing, so that these problems can be tackled on a permanent basis, and neither the farmers nor those who are procuring, the Government agencies, State agencies, are in difficulty.

I appreciate the concerns the Hon. Members have expressed. I will check it up with my colleague in the Ministry of Food who is directly in charge of this, and Agriculture Ministry. I will give you the detailed information about the measures which have been taken in the course of my reply to the debate on the Finance Bill tomorrow. Thank you.… (*Interruptions*)

श्री गणेश सिंह (सतना): गेहूं की खरीदी का समय ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No more discussion on this.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति जी, ज़ीरो ऑवर का मेरा दूसरा मैटर है।

MR. CHAIRMAN: I cannot allow you now. Now we have Bills to be taken up.

योगी आदित्यनाथ: सभापति जी, मुझे बोलने का मौका कब मिलेगा?

MR. CHAIRMAN: You will get a chance when it will be taken up at the end of the day.

योगी आदित्यनाथ: सभापति जी, मेरा एक मैटर है। स्पीकर महोदया ने सुबह कहा था ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You will get chance at the end of the day.

12.37 hrs

INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL,2012 – Contd.

MR. CHAIRMAN : Item No. 12. Dr. P. Venugopal to continue.

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Mr. Chairman, Sir, the decisions of Medical Council of India are quite surprising at times. We have news about approval being given to private medical colleges very quickly but when it comes to Government medical colleges, a lot of hurdles are put and sometimes a year is wasted.

The Tamil Nadu Government has provided all the required infrastructure for opening a new medical college in Sivaganga. But it is yet to get the approval of the MCI. I would appeal to the hon. Minister that the MCI may be instructed not to treat Government medical colleges like private colleges. That is because all the seats in the Government medical colleges go to deserving and meritorious students of the society. Such students who receive medical education without paying capitation fees, exorbitant and tuition fees pass out and become outstanding doctors with the commitment to serve the society that gave them quality education.

I am not saying that there should be a compromise on the requirements of infrastructure but I am only driving home the point that the Government medical colleges should be given priority as State Governments are capable of making up small deficiencies quickly.

Hon. Chairman, Sir, I want to share my views with hon. Members regarding the MCI Act. Medical Council Rules were framed in 1956. As per the 1956 Act, a minimum of three members represented each State – one State nominee in consultation with the Central Government, one from each university, and one elected among the doctors in the State. The present MCI has seven members. Only one of them is from South India. It is noteworthy that 75 per cent of medical colleges are situated in South India. How can seven unelected members

who do not represent the States and who are from elite hospitals, guide and conduct the medical education sector for the entire country.

The members are competent but their competence is in their respective field and they are super specialists. How will the members be able to spread knowledge and ensure rural medical care? We should have instead taken the Act of 1956 and modified it to enable democratic functioning with proper representation to the States rather than entrust it to the undemocratic, centrally-sponsored MCI.

Now, let us turn our attention to the National Commission for Human Resources for Health. This Health Commission will have one Chairman who need not be a medical doctor. It also consists of four full-time members, out of which only one will be a medical doctor and other three could be non-doctors. Out of eight part-time members, only one would be a medical doctor and the rest seven could be non-doctors.

All these members would be selected by the Centre and the States have no role to play. The composition of the Council is such that only two or three out of the total 13 persons would be doctors and all others will compulsorily be non-doctors. How could they guide the medical education in the entire country? How will the other countries recognize the degrees awarded and approved by this body? For example, will the British Medical Council recognize the degrees approved by this body? This will create a situation wherein people who have never been exposed to medical education would be deciding on medical issues. This Bill is totally flawed and should be scrapped in toto.

Instead, the revised version of the original 1956 Indian Medical Council Bill giving suitable representation to each State should be brought in. It is obvious that three out of seven MCI members are cardiologists and five out of seven from the private hospitals. They are currently working as specialists in their own hospitals. How can these unelected, private hospital-oriented super specialists who have no connection with any of the State Government hospitals where majority of Indians go, decide on medical education?

Hence, this Bill is trying to thrust these Central Government nominees into the MCI Board once more and this should be rejected.

With these words, I conclude.

SHRIMATI MANEKA GANDHI (AONLA): Sir, it is really important that this House understands the importance of the MCI. The current Minister's predecessor had made it his ultimate goal to take over the MCI because he realized that it had turned into a cash cow.

We opposed him in the Standing Committee of which Shri A.K. Antony was a Member for five years. There was a unanimous resolution by every Member in the Standing Committee of every Party, that the MCI should not be taken over by the Government. As soon as this Government came and this Minister came, they took over the MCI, under the excuse that it would only be there for six months and then, they would give it back to an elected body, but it is now entering its third year.

The Minister said that he was taking it over on the grounds that there was an allegation of Rs.2 crore malfeasance. He promised that there would be total transparency. My remarks today would point out what transparency has taken place in the last two years.

Permissions for under-graduate and post-graduate courses have been given by the Board of Governors of MCI in spite of many deficiencies observed in the assessment reports in assessments carried out by the assessors appointed by the BOG itself. This shows utter disregard for regulatory function with which it was entrusted.

In the cases of colleges which were found to have employed teachers with fake and forged certificates, regulations prescribe that such colleges should not be considered for granting permission for two academic years or for permitting post-graduate courses. However, contrary to the specific punitive measures provided under the regulations, permissions have been granted for MBBS courses and in some cases, even post-graduate courses have been permitted. Rather than using this power judiciously, the BOG has granted permission to many institutes even when the assessment reports of the assessment team appointed by the BOG itself had reported several deficiencies in their assessment reports, totally negating the

basic function of the MCI to maintain the quality of medical education or produce good doctors.

Sir, the CBI had also conducted inspections of its own in several institutes for which it had received complaints. In their inspections, they had found many cases of irregularities in respect of teaching faculty and clinical material. It had found teaching faculty who had submitted fake and forged certificates or who were present only on the day of inspection. It had found fudging of data pertaining to clinical material by the management of these institutes. It had also observed inadequacy of clinical material. In some institutes deficiency of infrastructure was also found. It had meticulously gathered evidence in respect of as many as ten institutes and submitted the same to the MCI. These are the institutes:

1. Index Medical College, Indore
2. KPC Medical College, Kolkata
3. Rohilkhand Medical College, Bareilly
4. Sri Ram Murti Smarak Institute, Bareilly
5. Muzaffarnagar Medical College, Muzaffarnagar
6. Teerthankar Medical College, Muradabad
7. Guru Ram Rai Medical College , Dehradun
8. Kalinga Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar
9. Bhaskar Medical College, Hyderabad
10. Adhiparashakti Medical College, Melmaruvarthur
11. Mamta Medical College, Khammam
12. Ulhas Patil Medical College, Jalagaon
13. New Medical College at Walyar, Kerala
14. New Medical College at Kalapa
15. Sri Venkateswar Medical College, Puducherry
16. Geetanjali Medical College, Udaypur
17. Azeeza Medical College, Kollam

As these institutes were found to have employed teachers with fake and forged certificates with evidence provided by the CBI, the provision of Section 8(3)(1)(d) of Establishment of Medical College Regulations debarring them for a period of two years is clearly attracted. In one case the CVC had also recommended action. No action has been taken against these colleges. In total disregard, they have been given permission to admit a fresh batch of students. This matter of granting permission to those colleges against whom the CBI had filed FIRs and had found gross deficiencies during the inspections conducted by them, which should have been debarred, requires thorough investigation. I would request this House to unanimously ask for a CBI investigation into the Board of Governors and the Ministry. The previous Minister had been charge-sheeted for corruption, doing the same thing with these medical colleges. This is simply an extension, in fact an increase of corruption.

Sir, let me now evaluate the performance of the Board of Governors who have been vested with the powers of the Central Government in the matter of permissions of the medical colleges and various undergraduates and postgraduate courses. Let me inform this House that the Board of Governors due to its incompetence and inefficiency has only managed to destroy a system created and nurtured over a period of so many decades and which was working fairly well.

A lot of procedural irregularities have been committed in evaluating applications for undergraduate and postgraduate courses. In some cases, the decisions which are conveyed to the institutes are contrary to those taken by the BOG, still no action to rectify the errors is taken. Evaluation of assessment of the institute for MBBS courses, which is a must for applicants of postgraduate courses as is prescribed in the Regulations, has not been carried out.

To the best of my knowledge 2000 applications for various PG courses for the academic year 2012-13 were received by the MCI till May, 2011. In this regard the hon. Supreme Court has issued a direction in Mridul Dhar case that the prescribed time schedules have to be strictly adhered to by all authorities and if

any authority fails to do so, he would be personally liable. But so thick skinned is this BOG that it does not even care about this direction of the hon. Supreme Court.

Knowing fully well about the time schedule and the volume of work, the BOG should have planned to execute the task of deciding upon the applications of PG courses in such a manner so that the deadline prescribed by the Regulations - that is 31st of January for recommendation by MCI and 28th February for final decision by the BOG - should be met. However, it slept over it for five months. The assessment process only began in the month of December, 2011 knowing that the last date was the 31st of January, 2012. When BOG realised that due to their inefficiency, ineffective handling the deadline could not be met, it requested the Central Government to extend the deadline. The Central Government, of course, obliged - after all it is their own hand-picked MCI for reasons best known to the entire House – and obligingly extended the last date to 31st March without taking any permission from the Supreme Court. It also made a stipulation that MCI would give wide publicity of this extension of deadline. Instead of doing that the Board of Governors simply confined the decision to itself. It is only when the hon. High Court passed strictures on the current MCI for not following the Government direction, that publicity was given.

While all this drama was going on, the process of deciding upon the applications for postgraduate courses moved at a snail's pace and the momentum of process was not expedited at all. However, it is well known adage that time and tide wait for none. The BOG did not take any decision in practically all cases till last week of March, 2012. When they observed that time is slipping out of their hands, instead of taking any remedial measures, only put a general circular on MCI's website that those institutes whose applications have been rejected should remain present in the office of MCI on 26th and 27th March, 2012 for representation. Even at this point, most institutes had not received any communication at all and they were in total darkness about the fate of their applications. Under these circumstances, some institutes were asked to submit

their presentations as late as 28th & 29th March, 2012 just to give a sham hearing – my hon. colleagues, a sham hearing– so that they could be rejected or accepted for reasons that have nothing to do with producing good doctors. No effective opportunity was given to these institutes for compliance verification. All this sequence just demonstrated how a mockery has been made of an entire system by the present BOG.

Sir, I have also learnt that BOG had rejected more than 100 applications on the last date, that is, 31st March; not only that, when it was realized that BOG had forgotten to decide upon a number of applications, a special meeting was called on 3rd April, 2012 after the last date was over on 31st March, 2012 in total violation of Regulations and directions of the Supreme Court. And, these decisions have been communicated to the institutes with a date of decision and despatch, backdated illegally as 31st March, 2012. This is a clear case of cheating which was not expected from a Government regulatory body.

I have also been informed that even after doing all this jugglery, in about 30 to 40 cases, no assessment has been carried out at all because BOG has forgotten about these applications. This has enabled these institutes to approach hon. courts and get "deemed permissions" as per provisions of Indian Medical Council Act.

Sir, let me bring to the attention of the Members that the situation is equally dismal for the undergraduate courses as well, and the same story of inefficiency and callousness would be repeated. As per the prescribed Regulations, the first assessment has to be completed by 15th December and the institutes are required to submit request for permission by 15th February. The last date for making recommendations of MCI is 15th May and last date for taking final decision is 15th June. These are the directions of the Supreme Court.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: However, I have learnt that about 200 assessments are still pending. No decision in respect of even one college has been

taken by BOG. No decision has been communicated to the institutes where assessment has been completed four months ago even.

As a matter of fact, as my narration has shown it is a continuing saga of taking decisions contrary to Regulations, violating the orders of the highest court of the land, and breaching blatantly the trust and faith posed by the Government of India in nominating them to the august offices at the cost of super-session of a representative body. This reflects upon the incompetence and inefficiency of the present BOG that the Minister is planning to extend. Has he done a good deed? We all know and I will say this clearly that medical colleges are asked for money*. This is the reason that why acceptances and rejections are given. … (*Interruptions*)

SHRI GHULAM NABI AZAD: You cannot say this unless you have to substantiate it. You cannot make wild allegations. As a Minister, I can say that not even one person in the country will say that he has been permitted to enter into my house with a gift or just to wish me. Nobody has been permitted in the last three years. I am the first Minister in the Government of India, who has said on the website that if any person on behalf of the Minister or on behalf of the Ministry or on behalf of the BOG comes… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record.

(Interruptions) *

SHRI GHULAM NABI AZAD: This is not done. You cannot do whatever you think. You cannot criticize… (*Interruptions*). It is because those who did not get permission, they approached you and made all types of allegations.

MR. CHAIRMAN: Please wind up. It should not go on record.

(Interruptions) *

---

* Not recorded

SHRI GHULAM NABI AZAD: Earlier, they used to pay money; now no money is taken. Their applications are rejected. They just rush to them and get the *pairivi.*

MR. CHAIRMAN: The allegation will not go on record. Nothing else will go on record.

*(Interruptions)**

SHRI GHULAM NABI AZAD: You go to our website. It is written there that if anybody approaches MCI, they should immediately telephone at such and such number. You open the website and see… (*Interruptions*)

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Sir, I have been interrupted. The BoG has broken every rule going and yet, you are asking for an extension. What does that mean?

SHRI GHULAM NABI AZAD: It is because they have opened … (*Interruptions*)

SHRIMATI MANEKA GANDHI: But it is your BoG … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please wind up now. You have made your point. Please cooperate with the Chair. Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

SHRIMATI MANEKA GANDHI: How is it that the CBI- inspected colleges that were supposed to be closed down have been given extension and have been allowed to do whatever they want? Obviously, there is money involved. You have made an allegation of Rs.2 crore against the previous MCI. I am saying that this will be 2G again. So, I would demand a CBI investigation into the working of the BoG… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No allegation without proof should go on record. This will not go on record.

*(Interruptions) …**

---

* Not recorded

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, no cross talks please. I would request the hon. Minister not to react.

Nothing will go on record.

(Interruptions)[*]

[*] Not recorded

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to support the amendment Bill under the nomenclature – Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012, moved by the hon. Minister, Shri Ghulam Nabi Azad, who has been striving hard during his tenure to make a significant change. Right now, we are also experiencing that in the total health sector of our country. He must be appreciated lavishly by all the Members of this House.

Sir, it is evident from the Bill itself that it is not so significant a Bill which calls for or merits so much furore in this House. We should not make a mountain out of a mole hill only to score political brownie points here and there. Who was the former incumbent of MCI? It needs to be acknowledged. Who was promoted and who was supported by whom? The former incumbent was a corrupt-person and it has been established. Thereafter, the former MCI was dissolved lock, stock and barrel by an order of the President. Everybody knows it. I do not know why some of our colleagues are shedding tears for that corrupt person who happened to be the former incumbent of MCI and he was removed. It is established who were hand-in-glove with the former Chairman of MCI and that has been further established by their vague arguments made here in this House.

Again I would like to draw the attention of this House and ask who is that legal luminary of this country giving legal support to the most corrupt-person in the health sector.

<u>13.00 hrs</u>

Who is that person? That person is a legal luminary and is known by the name… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The name may be deleted.

SHRI ADHIR CHOWDHURY: He has been giving legal support to a person who has been indicted so severely… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have already instructed to delete the name from the proceedings.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you please take your seat. Please do not disturb the proceedings. I have already instructed to delete the name.

Nothing, except the speech of Shri Adhir Chowdhury, will go on record.

*(Interruptions)**

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, charity should begin at home and we are not ready to listen to the scriptures of, so called pseudo, religious persons.

13.02 hrs (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

Sir, in this Bill, it has been distinctly stated that the objective of the Bill is to only extend the tenure of Board of Governors from two years to three years… (*Interruptions*) This is the simple objective of this Bill… (*Interruptions*) It is because the amendment that had been brought forward earlier has been superceded by this amendment… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please maintain order in the House. Nothing, except the speech of Shri Adhir Chowdhury, will go on record.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not interrupt.

SHRI ADHIR CHOWDHURY: The reason behind it … (*Interruptions*) Dr. Ram Chandra Dome became… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not make comments about personal things. This will not go on record.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: Shri Chowdhury, please address the Chair.

SHRI ADHIR CHOWDHURY: Sir, in the amendment itself it has been stated that as the entire process for enacting the proposed legislation to set up a National Commission for Human Resources for Health will take some more time and the term of the Board of Governors constituted under the Indian Medical Council Act,

---

* Not recorded

1956 as amended by the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2011 is coming to an end on 14th May, 2012, immediate action is required to be taken.

The argument is self-explanatory and the objective of the Government is made amply clear. MCI was an elected body and it should be kept in the same status. But due to administrative expediency some sort of measures are being initiated. Everybody knows that MCI was constituted in the year 1933 and MCI itself has been undergoing various modifications in the subsequent years. In the subsequent years, a number of modifications have been done to consolidate the MCI as an institution. Therefore, it does not hear any merit that the Government is trying to hide something, or the Government is going against the democratic process of MCI. Already, the Bill has been introducedn in the Rajya Sabha with a view to trifurcating the regulatory functions amongst the separate bodies, such as National Board for Health Education, National Evaluation and Assessment Committee and the National Council with a mandate to prescribe minimum standards for health education, developing and maintaining a system of accreditation of health education institutes and *inter-alia* ensure ethical standards amongst medical professionals respectively.

Then, what is the content of the Bill? The Bill clearly indicates that the Government is going to have a comprehensive and holistic approach towards the health sector to prevent further corruption taking place. Not only that, through this Bill, the Government is trying to restore the credibility of MCI as it is proposed that the Medical Council of India, Dental Council of India, Nurse Council of India, Pharma Council of India, etc. will all be subsumed under this overarching regulatory body.

Sir, out of the debate, I am taking advantage to draw the attention of the hon. Minister that in West Bengal, there is a district called Murshidabad which is recognized as a backward district in the country. It is not only a backward district but also the highest Muslim concentration in India remains in Murshidabad. Till date, out of 640 districts, you are having medical colleges only in 197 districts in

the country. But so far as Murshidabad is concerned, the headquarter Berhampore was given an opportunity for setting up a medical college. It was approved by the Government. It got a nod from the Ministry of Health but in the later stage, after having done the spade work, everything got stuck up. The entire population of my district and the neighbouring district is waiting to be benefited through this medical college in Berhampore.

Therefore, I would urge upon you to take necessary action to set up a medical college as early as possible because in my neighbouring district, Malda, in spite of not having adequate infrastructure, a medical college has been awarded. I have no reservation for a medical college being set up in my neighbouring district. But in sofaras Murshidabad is concerned, in spite of having all kinds of infrastructural facilities, including the requisite staff and doctors, it is still lacking the required letter of permission from the Ministry.

The Minister of State for Health, Shri Sudip Bandyopadhyay happens to be a native from the city of Berhampore. So, I would urge upon you to please expedite the setting up of a medical college in my district, Murshidabad.

With these words, I support the Bill and I thank you.

MR. CHAIRMAN: There shall be no lunch hour of the House. We may continue with the debate now.

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** पिछले कई सालों से इस देश में भ्रष्टाचार छाया हुआ है और इसका व्याप्त तेजी से बढ़ रहा है ।

पिछले सालों में, खासकर यूपीए-दो के कार्यकाल में भ्रष्टाचार ने अब तक की सभी ऊंचाइयों को छू लिया । 2जी स्केम, सीडब्ल्यूजी, आदर्श, एनएचआरएम एवं नरेगा में भ्रष्टाचार के अहम मुद्दे उजागर हुए हैं ।

इस भ्रष्टाचार को कड़े-से-कड़े कदम उठाकर नाबूद करना चाहिए । मगर एमसीआई की बात में भ्रष्टाचार को लेकर, पूरी की पूरी एमसीआई को सस्पेंड करना कुछ अजीब सा कदम है । यूपीए-दो के कार्यकाल में अन्य भ्रष्टाचार के मामलों में ये ही मानदंड स्वीकार नहीं किए गए है । सरकार ने एमसीए को सस्पेंड किया । वह कार्य शंका उपजाता है । सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं ।

एमसीआई, 1956 से अस्तित्व में आया है । उनका मूलभूत स्ट्रक्चर लोकतांत्रिक एवं स्वायत्त (आटोनॉम्स) था । उनकी रचना में सभी राज्यों से, देश की सभी यूनिवर्सिटीयों से आते हैं और इसमें चुने हुए सभ्यों की बहुमती रहती थी और एमसीआई देश के सभी डाक्टर्स एवं प्रजा के लिए पवित्रता एवं श्रद्धा का केन्द्र रहा है ।

जबकि इस सरकार ने भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे-के-पूरे एमसीआई को बर्खास्त करके राष्ट्रपति जी के अध्यादेश के जरिए एमसीआई में छः व्यक्तियों का बोर्ड ऑफ गवर्नेंस और उनके चेयरमैन की नियुक्ति की है । शुरूआत में इसका कार्यकाल एक साल का था मगर मेरी आपत्ति है कि सरकार ने न सिर्फ दूसरे साल पर इस विधेयक के जरिए आज तीसरे साल भी इसका कार्यकाल बढ़ा रही है । क्या सरकार इसी तरह एमसीआई का संचालन करना चाहती है ।

मेरी मांग हे कि एमसीआई के मूल स्वरूप को बनाए रखना चाहिए और भविष्य में भ्रष्टाचार न हो पाए इसका विधेयक में संशोधन करके प्रावधान करना चाहिए ।

---

*Speech was laid on the Table

इस सरकार ने नेशनल कमिशन फॉर ह्युमन रिसोर्स इन हेल्थ नाम की उनके ओवर आर्चिंग बोडी का रथ है । सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि लबीबी संस्थाएं जैसे एमसीआई, डीसीआई, आईएनसी, पीएचसी । और अन्य काउंसिल को एनसीएचआरआईएच के माध्यम से सभी संस्थाओं को सेंट्रलाईस करने की बात सभी के लिए घातक एवं नुकसानदायक है ।

अतः मेरा निवेदन है कि एनसीएचआरएम विधेयक को वापस लिया जाए और एमसीआई के मूल स्वरूप को फिर से प्रस्तावित किया जाए ।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

When the hon. Minister made an amendment on this issue, he had clearly stated that this will be only for one year. The Ordinance dated 15th May, 2001 was suspended and the Medical Council of India was replaced with a hand-picked nominated Board of Governors initially during that one year. It is an *ad-hoc* body. When the Ordinance came before the Parliament by way of an amendment regarding the Indian Medical Council, the hon. Minister had given an assurance in this House that the nominated Board of Governors will be for only one year. That one year is already over and the second year is also over. Now the Minister is trying for an extension of one more year.

I want to know from the hon. Minister as to why he is not constituting the MCI even after two years even though he assured that it will be done after one year, the MCI represents entire India. But this nominated body, which has seven members, is not representative of the whole of India. So, knowing this fact, why is the Minister going on seeking extensions from time to time? The Minister has to answer this question very clearly. He has to tell this House very clearly as to why this is happening.

The second point is after this body came into existence, a lot of scams have come to our notice, in the last one or two years. Mr. Chairman, through you I want to hand over this book to the Minister. This is very important. Minister also might have received this book because almost all the Members have received this book. … (*Interruptions*)

The Minister has to tell why all these things are happening. When all these things are happening, what is the Government doing? A Member who spoke from that side said that the former Chairman of the MCI was corrupt. The person was corrupt. That happened when your Government was in power, in UPA I and UPA II. These things happened during those years. So, this is the failure of this Government. When a person is corrupt, why do you want to scrap the entire

system? You are scrapping the entire system. As you have scrapped this system, there is no representation for the entire country. Through the Chairman, we demand that the MCI should be constituted immediately. It is because this system has failed. A lot of allegations have been made. In the medical colleges also a lot of problems are going on. Knowing well that the MCI is not there, people are taking advantage.

This Governing Body is creating a lot of problems. This should be sorted out. I want to raise one more point. हमारे खम्माम डिस्ट्रीक्ट में ट्राइबल को पैसा दे कर मेडिकल मेडिसीन का टेस्टिंग उनके ऊपर कर रहा है। उन बेचारों को कुछ भी नहीं मालूम है उनके ऊपर मेडिकल का टेस्टिंग हो रहा है। खम्माम एवं वारंगल डिस्ट्रीक्ट्स में ट्राइबल पीपुल्स के ऊपर यह हो रहा है, it is very dangerous, उन लोगों के लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह इश्यू मिनिस्टर साहब को मालूम है उसके बारे में क्या ऐक्शन लिया है। इसके बारे में थोड़ा एड्रेस करें, when he is speaking.

With these words, I am opposing this Bill. The MCI should be constituted immediately. This is anti-democratic.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, आजादी की लड़ाई से पहले, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सन् 1933 में कानून बना। आजादी मिलने के बाद सन् 1956 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट कानून बना और उसी से वर्ष 1956 से ले कर अभी तक मेडिकल कॉलेज खोलना, सीट बढ़ाना और सीट घटाना चला। जब उसका चेयरमैन दो करोड़ रूपये घूस लेते पकड़ा गया तब इन लोगों को बुझाया, इसके पहले सब लोग महात्मा थे। जब तक कोई सन्मुख पकड़ाता नहीं है तब तक इन लोगों का खर-पत्ता हिलता नहीं है। क्या मामला है? ...(व्यवधान) अब यह हुआ कि एमसीआई को भंग किया जाए। हम लोगों ने कहा कि ठीक है जल्दी करिए। इसको भंग कर कुछ नया बनाइए। कुछ नया नहीं बना, इसको एक साल के लिए बढ़ाया गया, फिर एक साल के लिए बढ़ाया गया, फिर एक साल के लिए बढ़ाया गया, तीन साल हो गया और तीसरा साल सरकार फिर चाह रही है कि हमको समय मिले। राष्ट्रीय मानव स्वास्थ्य संसाधन आयोग बनाएंगे। जब एमसीआई था तो उसमें दो करोड़ घूस लेते हुए पकड़ा गया। अगर आयोग बनेगा तो इस तरह का काम नहीं होगा, इस बारे में आपने क्या इंतजाम किया है। मैं ऐसा सवाल क्यों उठा रहा हूं? इसलिए कि बीच में शासी बोर्ड का गठन हुआ, नामा नागेश्वर जी, उसमें सात मैम्बर थे। पहले के मैम्बर जितना खर्चा करते थे, सात मैम्बरों ने उससे दस, बीस गुना ज्यादा खर्चा कर दिया यानी भ्रष्टाचार बढ़ गया। पहले भंग हुआ, फिर एडहॉक शासी बोर्ड का गठन हुआ। वह भी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ साबित हो गया। आपसे नया कुछ नहीं बन पा रहा है। जो कानून बना रहे हैं, वह लंबित पड़ा हुआ है। आप बताइए कि क्या एक साल के बाद आप फिर से इस हाउस में यह कहने के लिए नहीं आएंगे कि हम और समय नहीं बढ़ाएंगे? मुझे लगता है कि आपको फिर से आना पड़ेगा। मेडिकल का काफी महत्वपूर्ण काम है। हिन्दुस्तान में कितने लोगों पर एक डाक्टर है और प्रदेश में कितने लोगों पर एक डाक्टर है? रीजनल डिसपैरिटी, डाक्टर ही नहीं रहेंगे तो इलाज क्या होगा। डाक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, बैड नहीं है, पढ़ाई नहीं है, दवाई नहीं है तो बीमार आदमी कैसे बचेगा। वह भगवान भरोसे है। चिकित्सा का इंतजाम कहां है। एम्स प्रैसटिजियस इंस्टीट्यूशन है। वहां 600 डाक्टर्स की पोस्ट है जिसमें से 200 डाक्टर्स की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। वहां क्या इलाज होगा? हमारे वहां से जो गरीब आदमी मरणासन्न हालत में यहां आता है, उसे कहा जाता है कि जाइए, वर्ष 2013 में आइए, 2014 में आइए, अभी भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। जाच में उसके प्राण खींच लिए जाते हैं। 700 लोगों की ओपीडी में 10 हजार लोग आते हैं। 800 बैड हैं। लोगों को कहा जाता है कि दूसरे अस्पताल में जाइए। वे कहते हैं कि पटना से यहां आए हैं, दूसरे किस अस्पताल में जाएं। वे हमारे यहां आकर कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि वर्ष 2013 में आइए, लेकिन हमें

लगता है कि आदमी इस बीमारी से दो-चार दिन में मर जाएगा। एम्स का यह हाल है। आप डाक्टर्स की कमी की पूर्ति कैसे करेंगे? अस्पतालों में बैड्स की कमी है।

हमारे मुजफ्फरपुर में एक श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज है। वहां बरामदे में जमीन पर बैड लगा दिया जाता है। मशहूर पटना मेडिकल कॉलेज में जमीन पर बैड लगा दिया जाता है। क्या डाक्टर घुटनों के बल बैठकर उसका इलाज करेगा? इस तरह क्या इलाज होगा? देश में चिकित्सा का जो हाल है, उस बारे में इनके पास क्या योजना है। इनसे एमसीआई ही नहीं संभल रहा है जो पढ़ाई-लिखाई का इंतजाम ठीक करेगा। डाक्टर्स की कमी, अस्पतालों की कमी, बैड की कमी, पढ़ाई की कमी, दवाई की कमी, इलाज की कमी, कैसे हल होगा, हम जानना चाहते हैं। हैल्थ मिशन सुनते है, लेकिन उसका क्या हाल है। एम्स में डाक्टर्स की कमी है, वह कैसे दुरुस्त होगा। बिहार में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। वहां बारुन ब्लाक में एक लाख की आबादी के लिए एक डाक्टर है। तीन लाख की आबादी है। जब एक लाख की आबादी के लिए एक डाक्टर होगा तो क्या इंतजाम होगा। कितने लोगों के लिए एक डाक्टर होना चाहिए। आप इसकी पूर्ति कैसे करेंगे। देश में और जगह 314 मेडिकल कॉलेज के लिए नाम लिखे जा रहे हैं। पुराने जमाने के अस्पताल बढ़ नहीं रहे हैं। जिस इलाके में मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, वहां मेडिकल कॉलेज का इंतजाम क्यों नहीं हुआ?...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Dr. Singh, please wind up.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है कि हम सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को विशेष सहूलियत देंगे। जिस इलाके में डाक्टर, मेडिकल कॉलेज या अस्पताल नहीं है, वहां के लिए सरकार ने कौन सी पॉलिसी इख्तियार की है, हम यह जानना चाहते हैं।...(व्यवधान) उत्तराखंड में 85 लाख की आबादी है, एक एम्स, झारखंड में 2 करोड़ की आबादी है, एक एम्स, छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ की आबादी है, एक एम्स। बिहार की आबादी 10 करोड़ है और वहां एक एम्स है। इसके मायने यह है कि 10 करोड़ की आबादी के लिए एक एम्स, 85 लाख की आबादी के लिए भी एक एम्स और 2 करोड़ की आबादी के लिए भी एक एम्स है। आप कौन सी पालिसी चला रहे हैं? बिहार में कम से कम पांच एम्स क्यों नहीं होने चाहिए? ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Next, Shri Nripendra Nath Roy.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सब सदस्य यह सवाल उठा रहे थे। ...(व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: He will reply to this issue in his answer.

…(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं पांच एम्स की बात कर रहा हूं। …(व्यवधान) मुजफ्फरपुर मेडिकल कालेज अस्पताल, दरभंगा मेडिकल कालेज अस्पताल, भागलपुर मेडिकल कालेज अस्पताल, गया मेडिकल कालेज अस्पताल, आईजीआईएमएस पटना आदि सभी अस्पतालों को केन्द्र सरकार अपग्रेड करके एम्स जैसा क्यों नहीं बनाना चाहती, हम यह सवाल करना चाहते हैं। …(व्यवधान) हमें वहां क्यों नहीं पांच एम्स चाहिए? …(व्यवधान) वहां 30 नये मेडिकल कालेज क्यों नहीं होने चाहिए? …(व्यवधान) वहां 30 मेडिकल कालेज खुलें। राज्य सरकार का हाल …(व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। …(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Next, Shri Nripendra Nath Roy – not present.

… (*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न का उत्तर पूछा था। …(व्यवधान)

> "Rs. 80 lakh was released to S.K. Medical College and Hospital, Muzaffarpur during 2009-10 towards construction component. Due to non-utilisation of funds, further grants could not be released."

मतलब 80 लाख रुपये ट्रामा सैंटर के लिए वर्ष 2009-10 में दिये गये, लेकिन खर्चा नहीं हुआ। …(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह क्या मजाक बना रखा है। …(व्यवधान) आपने उन्हें बीच में बोलने के लिए खड़ा कर दिया है। …(व्यवधान) क्या हाउस ऐसे चलता है? मैं अपनी बात कनकलूड कर रहा हूं। …(व्यवधान) मैं संक्षेप में केवल प्वाइंट कह रहा हूं. …(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Prasanta Kumar Majumdar. Dr. Raghuvansh Prasad Singh, please conclude.

… (*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं कनकलूड कर रहा हूं। महोदय, बिहार में पांच एम्स, 30 मेडिकल कालेज खुले। ट्रामा सैंटर जो मुजफ्फरपुर में पीछे रह गया है, वह खुले। …(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please wind up now.

… (*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अंत में, मैं आशा वर्कर्स के बारे में कहना चाहता हूं। जब हमने हाउस में इस बारे में सवाल उठाया था तब माननीय मंत्री जी सदन में नहीं थे। इसमें मुझे दो सवाल पूछने हैं। देश में आठ लाख आशा कर्मी हैं। यूपीए सरकार ...(व्यवधान) आंगनवाड़ी सेविका को तीन हजार रुपये पर मासिक मिलता है और सहायिका को 1500 रुपये पर मासिक मिलता है, जबकि आशा कर्मी को एक पैसा भी नहीं मिलता। एक सरकार में दो रकम का उपाय क्यों है? आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका 3000 और 1500 रुपये मिलते हैं और आशा कर्मी को कोई मासिक भत्ता नहीं मिलता। नैशनल रूरल हैल्थ मिशन के संचालन समिति ने ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: We are discussing about the Indian Medical Council. Why are you talking of Anganwadi workers? You are now bringing in the issue of Anganwadi workers, etc. There is no relevance to this. We have to pass this Bill now.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं अंतिम बात कह रहा हूं। ...(व्यवधान) आप बात साफ होने दीजिए। ...(व्यवधान) आप भी आशा के खिलाफ हैं। ...(व्यवधान) नैशनल रूरल हैल्थ मिशन के संचालन समिति ने पारित किया कि कम से कम आशा कर्मी को 500 रुपये भत्ता दिया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसे भी लागू नहीं किया. ...(व्यवधान) एक सरकार में दोहरा मापदंड क्यों है? हैल्थ विभाग सबसे कमजोर है। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को 3000 और 1500 पर मासिक भत्ता मिलता है लेकिन आशा कर्मी को कुछ नहीं मासिक भत्ता मिलता। इसीलिए इसे देखने की जरूरत है। नैशनल रूरल हैल्थ मिशन की संचालन समिति ने पारित किया, वित्त विभाग ने हेराफेरी कर दी ...(व्यवधान) देश में आशा कर्मी आठ लाख हैं। उनको आप नौकरी देकर मासिक भत्ता दीजिए।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, nothing will go on record. Shri Majumdar to speak now.

(Interruptions)[*]

[*] Not recorded

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Chairman Sir, the Indian Medical Council has a glorious past in the field of modern medical education and its proper regulation in India. Scores of doctors and research scholars who have been educated in India are successfully working in various parts of the world like England, USA, Germany etc. They all have made a mark in the medical arena.

The Medical Council which used to work as a statutory body after being elected by the Indian doctors is now proposed to be dissolved. It was to come to an end within one year and the governing body was to be set up. But actually 3 years have passed, and this has not been done as yet. Thus we must know what the motive of the Government is behind this delay. I suspect that this is being deliberately done to expedite the process of privatization. The reason is that if the private medical colleges are to follow the norms of MCI then these will not run profitably. If this is the real intention of the Government, it is be very unfortunate and condemnable. In India, in the rural areas, medical facilities are next to nil. There are no doctors, no para-medics. The poor people do not receive proper treatment and the medicines are also very expensive. Only the wealthy persons can avail medical treatments in the cities. Thus if more and more privatization takes place and the rules and regulations are continuously flouted then the medical system in the country will become weaker and might soon collapse.

Therefore the Indian Medical Council needs to regain its old glory and should function as an autonomous body. The Government should not promote privatization as the private players will not be interested in opening new medical colleges for the benefit of the medical students but will only be busy in maximizing their profits by violating rules. This will adversely effect the

* English translation of the speech originally delivered in Bengali

healthcare facilities of the country as a whole. Flexible measures have been proposed for setting up of medical colleges and these might only encourage rampant privatization which cannot be supported at all.

Thus I strongly oppose this Indian Medical Council (Amendment) Bill 2012 and conclude my speech.

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Sir, I rise to oppose this Bill with the strongest voice because our hon. Minister promised to this House that MCI would be restored to its democratic form within one year period but he miserably failed to do that – and there is no improvement of standardisation of medical education, keeping up of medical ethics, medical practice, training and research under the Board of Governors (BoG) created as an *ad hoc* measure.

It is not a simple and insignificant matter; it is a matter of encroachment of the autonomy, the administrative freedom and democracy of running an autonomous institution which was created by the Act of this Parliament. It was the plan and dreams, contemplations of our nation builders and freedom fighters. This Board of Governors was built up, as many speakers stated, most discriminately, very secretly keeping entire medical profession and the concerned people of the nation in dark.

The first term Board of Governors which was created in the same process but they did a thing and that they did not allow the brainchild or the wish of the Ministry to create a three and a half years short medical course for the rural population. They also did not allow for sub-standard medical colleges permissions. For that reason, probably, they could not last for more than one year. But the second Board of Governors with the experience of its predecessors are submitting to the wishes and whims of the Government and already they have reduced the teachers student ratio, etc. substandardising the undergraduate and post-graduate medical education. There are a lot of examples in the States of West Bengal - KPC medical college – in Kerala, in Uttar Pradesh, in Madhya Pradesh, in Sikkim. For sanctioning the medical colleges and keeping up their standards, they have violated the norms. This three and a half years course should be immediately scrapped.

Sir, one more point he mentioned in the objectives. Our Constitution and country cannot give two types of treatment for two kinds of people – one for village and one for urban people. The intention of creating the National

Commission for Human Resources for Health is not for the purpose of improvement of medical education, research, medical practice, standard, etc. It would create simply a single window for the benefit of the business community who wants to open medical colleges or nursing colleges or dental colleges or pharmacy colleges.

Sir, medical subject is a very complex and critical subject which our hon. Minister knows. For the super specialty and multi-discipline management further the MCI needs rather divisions to maintain its autonomy and in this era of decentralization, the Central Government is also decentralizing everything. However, the Minister is bringing the all these complicated things under one umbrella, under the name of the overarching body; it is not understandable why?

It is not in people's interest. It should be scrapped immediately and the autonomy and democracy of the Medical Council, which was created by this Parliament, must be restored within six months. The Minister must promise that, only then the Parliament can pass this Bill.

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, at the outset, I would like to state that the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012 is brought primarily to extend the term of Board of Governors of the Medical Council of India for one more year.

The statutory purpose of the existence of the Medical Council of India by having elected medical members from each State is to protect, promote and maintain the health and safety of the public by ensuring proper standards in the practice of medicine. Now, the Government is making efforts to dissolve the Medical Council of India. This is nothing but an arbitrary act.

The National Commission for Human Resources for Health Bill, 2011 aims at decentralization. This act of the Ministry is aimed at centralization of power as this would take away the autonomy of the Medical Council of India in an undemocratic way. With such a sorry state of affairs, we feel it unwarranted the move of the Ministry to carry out this amendment to the Indian Medical Council Act. This would snatch away the autonomous nature of the Medical Council of India.

The glory of the Medical Council of India should be restored. The hon. Minister and the Government should make extra-ordinary efforts to ensure that this happens sooner rather than later and certainly by not extending the term of Board of Governors, which is precisely the aim of this Amendment Bill.

Sir, I am of the firm opinion that the hon. Minister should take special interests in setting the MCI house in order and provide efficient service to the country, which expects a lot from the MCI. I would strongly urge the Minister not to seek extension of the term of Board of Governors of the MCI and the Minister should withdraw the Bill.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतम बुद्ध नगर): सभापति जी, मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया (संशोधन), विधेयक 2012 पर बोलने की आपने अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जब एमसीआई को भंग किया गया ता और बोर्ड का गठन किया गया था तो उसका उद्देश्य था कि जो भ्रष्टाचार की शिकायतें एमसीआई में आ रही थीं, उन्हें कम किया जा सके और मेडिकल एजुकेशन का स्तर सुधारने के लिए ही इस बोर्ड का गठन हुआ था। लेकिन उसके साथ-साथ सरकार ने वादा भी किया था कि एक वर्ष के अंदर राष्ट्रीय मानव स्वास्थ्य संसाधन आयोग बनाया जाएगा। एक वर्ष निकला, दो वर्ष निकले, कुछ नहीं हुआ और सरकार ने एक वर्ष और बढ़ाकर इस बोर्ड को बनाए रखने के लिए संशोधन बिल संसद में पेश किया है।

जहां तक मंत्री जी की नीयत और कार्य क्षमता का सवाल है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि अब की बार जो आप एक वर्ष का और कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव लाए हैं, जो वादा आपने किया था इस बोर्ड को बनाते हुए राष्ट्रीय मानव स्वास्थ्य संसाधन आयोग बनाने का, उसे इस समय में पूरा करें।

जहां तक बोर्ड की कार्य प्रणाली का सवाल है, आज सबसे बड़ी परेशानी किसी भी मेडिकल कालेज की इंस्पेक्शन के समय होती है। उसमें दस दिन का समय दिया जाता है। उन दिनों के अंदर उस मेडिकल कालेज द्वारा हालात ऐसे बना दिए जाते हैं, जैसे फर्जी मरीजों को वहां लाया जाता है, बैड्स लगा दिए जाते हैं और जब इंस्पेक्शन होती है तो वह केवल औपचारिकता मात्र ही रह जाती है। आपने इस बोर्ड में जो सदस्य रखे हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हों, इस पर जो सुझाव आए, उन पर बोर्ड ने कोई कदम नहीं उठाया है। हालत इससे भी ज्यादा खराब है, चाहे ट्रैवलिंग अलाउंस की बात हो, नौकरियों की बात हो, बिना अनुभव के एम्स और पीजीआई में नौकरी देने का काम बोर्ड ने किया है। इसके अलावा किसी मुद्दे पर बोर्ड अंतिम समय में निर्णय लेता है, उसकी इस आदत का परिणाम यह है कि आज कोर्ट में कितने ही केस पेंडिंग हैं, कई केसेज़ को तो चार-चार साल तक हो गए हैं। इसके अलावा उसकी फीस देने का काम भी बोर्ड करता है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो वादा किया है राष्ट्रीय मानव स्वास्थ्य संसाधन आयोग बनाने का, उसे जरूर पूरा किया जाए।

अंत में मैं मंत्री जी से विषय से हटकर एक बात का निवेदन करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश इस देश का बड़ा राज्य है। वहां स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। उत्तर प्रदेश जोकि सबसे बड़ा राज्य है वहां बार-बार मांग होती है कि एम्स जैसे संस्थान वहां लाये जाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में नये एम्स संस्थान खोलने का भी काम करेंगे।

प्रो. रंजन प्रसाद यादव (पाटलिपुत्र): माननीय सभापति महोदय, इंडियन मैडीकल कौंसिल का उद्देश्य देश में मैडीकल शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना था। मैडीकल कौंसिल ऑफ इंडिया को 15 मई 2010 को भंग कर दिया गया और परिषद् के कार्यकाल को देखने के लिए एक वर्ष के लिए 6 संसदीय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया। लेकिन 1 वर्ष तक बनाने की बात तो छोड़ दीजिए कोई प्रयास भी नहीं किया गया और पुनः एक साल समाप्त होने पर 14 मई 2011 को पुनः आर्डिनेस लाया गया। 16 अगस्त 2011 में बिल लाकर आपने एक वर्ष की अवधि बढ़ा दी और फिर आपने आश्वासन दिया कि एक वर्ष के अंदर सेक्शन-3 के तहत चुनाव कराकर एमसीआई की बॉडी बना दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 14 मई 2012 को यह ऑल इंडिया कौंसिल बिल समाप्त हो गया और आज फिर सदन में चर्चा के लिए लाया गया है।

अपने भाषण में इन दो वर्षों में एमसीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कार्यकाल में अभूतपूर्व पारदर्शिता लाने की बात कही लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नॉमिनेट किया गया है उनमें से ज्यादातर मैम्बरों पर घोटाले के आरोप हैं। इस संबंध में मेरे मित्र संजय जायसवाल जी ने 125 पन्नों में "स्केम्स ऑफ मैडीकल कौंसिल ऑफ इंडिया" की ओर ध्यान दिलाया गया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे इस विषय पर सीबीआई द्वारा तुरंत इसकी जांच कराएं और एक वर्ष के कार्यकाल की जगह 6 महीने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गयी एमसीआई के अस्तित्व को लाएं।

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Hon. Chairperson, Sir, at the outset, I would like to thank the hon. Members from all the sides having participated in this debate and for giving valuable suggestions to improve the functioning of the Medical Council of India.

Ultimately, as you may know, different people have different perceptions. In a democracy you cannot stop anybody to conceive different ideas and speak to their likings. Nobody can stop them in this democracy and so can not I.

What has happened actually? Everybody knows. I have no complaints against the then Chairperson of the Medical Council of India and I would like to make it clear that whatever action was taken at that point of time, it was neither initiated by my Ministry nor by me. As a matter of fact, I came to know like many of you came to know that the CBI has arrested the then Chairperson and as I have said it was not sponsored or we had not made any complaint also from our Ministry… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No comments, please. Hon. Minister, please address the Chair.

SHRI GHULAM NABI AZAD: During his period, I have had a series of meetings with him as to how to improve the functioning, particularly, how to increase the capacity and increase the number of medical colleges and the human resource across the country. But at that point of time, I would like to say, by chance I had a question in the other House, though the whole House, right, left and centre wanted some action to be taken. So, in the wisdom of the Government, at that point of time, there was no other option but to dissolve, go to the Cabinet and go for the Ordinance.

From here, two things started parallely which, unfortunately, no Member of Parliament asked, and at least if Ruling Party Members would have asked me, I would have told them what to speak about that. While this has happened, whether that Chairman would have continued or not, whether that elected Medical Council would have continued or not, the parallel thing was already going on. It is

because, in June, when we came to power, the new UPA-II, in the President's Address which, everybody knows, is cleared by the Cabinet, the National Council of Human Resources in Health (NCHRH) and a similar Council was going to be constituted for education as an overall umbrella. In this overall umbrella, all these, be that Medical Council of India, be that Dental Council, they will be subsumed in that. So, this was the decision of the Government which was reflected in Rashtrapati's *bhashan* much before when this unfortunate thing happened. So, I would like to say that even if that would not have happened, the overarching body, the ball had started rolling. How the ball had started rolling?

On 4th of June, 2009, in her Address to the Joint Session of the Parliament, Rashtrapati *ji* announced that the Government will set up two separate overarching regulatory bodies in higher education and health sector respectively. These are NCHER and NCHRH. Just one month after *Rashtrapati's Bhashan*, on 22nd of June, 2009, a task force of the Members was constituted by the Health Ministry to facilitate the formation of the proposed Commission comprising of Shri Naresh Dayal, the then Secretary, Dr. M.K. Bhan, Secretary, Department of Bio-Technology, B.K. Srivastava, Director General of Health Services, Dr. Ranjit Roy, the then former Director, Dr. Shetty, Dr. Reddy, Shri Vaidyanatha Aiyer, former Secretary, Department of Women and Child Development, Dr. Raghbir Singh, Former Secretary, Legislative Department, and Secretary for Higher Education. So, this was the committee which was parallely constituted. On 31st of July, the Task Force submitted its report. Just within two months, the Task Force submitted its report. This also answers why we are seeking extensions after extensions.

On 7th August, 2009, the State Governments and other stakeholders were requested for their comments and suggestions. In October, 2009 the report of the Task Force, along with the Draft Bill, was placed on the official website of the Ministry of Health. On 29th March, 2010, comments were received from 14 States and UTs. This will also give you an answer when hon. Members are saying that this overarching body should not be there. Which were the States? They were

Andhra Pradesh, Gujarat, West Bengal, UP, Rajasthan, Assam, Kerala, Tamil Nadu, Pondicherry, Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Sikkim, Dadra and Nagar Haveli, and other stakeholders. Out of all these States, only Kerala Government did not support the proposal. From 17th to 19th June, 2010, regional consultations were held at Delhi for the North India, at Mumbai for the Western India, at Bangalore for the Southern India, at Kolkata for Eastern India, and at Chennai for another part of the Southern India attended by Vice-Chancellors, Principals of Medical Colleges, medical practitioners, academicians, representatives of regional IMA besides representatives of 17 State Governments. While a wide range of opinion was expressed, the overwhelming consensus was in favour of urgent reform in medical education.

On 30th August, 2010, a Conference of Central Council of Health and Family Welfare – which consists of all the Health Ministers of the country and the Health Minister of India is the Chairman – was held. This body also consists of the Principal Secretaries and the Secretaries of Health of the entire country.

So, the Health Ministers, Health Secretaries of the entire country presided over by the Minister of Health, Government of India and the officers, are the members of this apex advisory body. In the presence of 24 State Health Ministers, the proposal was unanimously accepted with some suggestions to be incorporated and which were subsequently incorporated.

Following the Conference, the Ministry revised the draft and the suggestions were incorporated. Then, on March, 2011, the Cabinet Secretariat directed the Ministry to hold inter-Ministerial consultation and resubmit the Report. So, having gone into the consultation, we were supposed to consult the various Ministries, particularly, the HRD Ministry, and it took us fairly a long time. That is why, we had to come before the Parliament second time to get its permission.

On 17th September, 2011, the Secretary (Legislative) convened second meeting of the officials of the Ministry of Health and HRD to resolve the issues.

Then, on 14th October, 2011, a revised Bill was submitted to the Ministry of Law and Justice for concurrence. On 15th November, 2011, a revised Cabinet Note and NCHRH Bill duly concurred by the Ministry of Law and Justice was received. On 8th December, 2011, the revised Cabinet Note was submitted to the Cabinet Secretary. On 13th December, 2011, the Cabinet approved the proposal and on 22nd December, 2011, the Bill was introduced in the Rajya Sabha and subsequently in December, 2011 itself the hon. Chairman of Rajya Sabha forwarded that to the Select Committee. Since December, 2011, this Bill is before the hon. Standing Committee.

I have said the parallel things. While I said that it will be initially for one year, the purpose at that point of time was that within one year we will be able to constitute this overarching body but as I have given, blow by blow, how difficult it was; the more we went into it, the more we thought that it is most important. After 1956 Bill, we are going to make some change and this change could not have been done by the Ministry which is sitting with some officials. We wanted a wide ranging consultation; we wanted the academicians to be a part of it; we wanted all the State Governments to be on board; we wanted principals of the medical colleges to be a part of it; and we wanted Vice-Chancellors of the entire country, who are dealing with the medical education, to be on Board. Why were we taking them on Board because some suggestions were coming and those suggestions were simultaneously incorporated in it? Whenever we used to have a Meeting again, those suggestions were either passed or some more suggestions were given. So, that necessitated us to come into the Parliament once, twice and thrice.

Having realised that the hon. Chairman of Rajya Sabha has forwarded this to the hon. Standing Committee, I was expecting that by February, March or latest by April, the Standing Committee will clear this. Thereafter, I can come before this august House not only for the third extension but also for the overarching body, which is the policy decision of the Government. It is not an individual decision

but it is a policy decision of the Government. All of you were witness to the first Speech of Rashtrapatiji. Since, it could not come from the Standing Committee, I had no other option. The date of the second extension, which the Parliament has granted, is going to be over on 14th. During the Session, I cannot go in for an Ordinance. Therefore, now, the only available form for me was to bring a small Amendment in the existing MCI Bill, where we had sought from one year to two years. Here, I am just seeking permission from two years to three years. It is not necessary that we may have to wait for full three years. The moment we get the recommendations from the Standing Committee -- if I get it tomorrow - I can come before the House in the Monsoon Session itself. But I cannot say here that I would do it within three to four months. Suppose, for three to four months, the Standing Committee does not send me the recommendations, tomorrow you would haul me up that I had said that I would do it within three to four months… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Dr. Ram Chandra Dome, please take your seat. He is not yielding.

… (*Interruptions*)

SHRI GHULAM NABI AZAD: This is what I am saying.… (*Interruptions*)

Well, I would request through you because the Members of the hon. Standing Committee must be all sitting here or there.

DR. RAM CHANDRA DOME : That Standing Committee may not favour it.

MR. CHAIRMAN: That is a different issue.

SHRI GHULAM NABI AZAD: The Standing Committee may favour or may not favour it, it is beside the point… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, no interference, please.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the reply of the hon. Minister,

(Interruptions)[*]

SHRI GHULAM NAZBI AZAD: So, whatever recommendation would be there, that is beside the point. But I cannot move forward having a Bill referred to the Standing Committee. In the absence of any Report, I cannot move forward. So, I can only expect that the Report comes as soon as possible so that we can go ahead with the overarching body. That is my answer to that.

Sir, there are two more points. I would not take more than five minutes in explaining them. My friend, Dr. Sanjay Jaiswal has said that whatever has been done in three years, I had nothing to do with that as the Health Minister. All these notifications, as many as 22, have been done during this Government under the Health Minister, Ghulam Nabi Azad! Each notification, in original, is with me. I can lay them; I can distribute them among all the Members of this august House. And whether this was during the period of erstwhile MCI Chairman, I have had a series of meetings. You can check up with him. First day, the moment I took the charge – as a matter of fact, when I was the Chief Minister of Jammu and Kashmir just before taking over as the Union Health Minister, I was the Health Minister of the State also. As a Health Minister I had identified some grey areas. There was an acute shortage of human resource. There was an immediate need for setting up more medical colleges. The first thing I did was to have it discussed in the Union Health Ministry. I think, within a week after taking over as the Health Minister, I discussed with Mr. Ketan Desai that these are the grey areas, which I have identified as the Chief Minister-cum-Health Minister of Jammu and Kashmir.

For the first time, I become a Junior Minister was about 31 years back under Shrimati Indira Gandhi. I think, at that time you might be studying. Since then I have not asked any Prime Minister to allot me a particular portfolio. I have had an opportunity to work with all the congress Prime Ministers. I have never requested

[*] Not recorded

any Prime Minister as to what portfolio I would like to have. But this time, I requested the hon. Prime Minister. I told him: "You know my keen interest when I was the Chief Minster. Every time, I would come to you, only for having more hospitals." But then I realised that mere hospitals are not going to do wonders because there are no doctors; and there are no nurses. The first thing that was unfolded to me was that if we increase the colleges, there is no human resource; and there is no faculty. So, then these are the discussions I had. I think, I had as many as one dozen meetings with Mr. Ketan Desai. So, you are saying whether it is old DCI or MCI or new MCI. Whether this was old or new, all were in my Ministry and I had discussion with all of them. This is what I want to end. This was subsequent to my decision. I cannot say that I told him to do this. I posed him the problems of Medical Council. It is for them to give the solution and the solution was given to me and the Notification was issued with the permission under my signature. I am very sorry you tried to mislead the House that the Minister had nothing to do with all these notifications and decisions. I am very sorry. I would like to impress this. I think you, being a new Member, can take the liberty.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): इस पार्लियामेंट में आपका स्टेटमेंट था कि साठ साल से ज्यादा समय तक मेडिकल काउंसिल ...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: आपने पीरियड की बात की थी।...(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल: आपका स्टेटमेंट था यह प्रपोज़ल, साठ से ज्यादा समय तक ...(व्यवधान) सर, मैंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दिया था। मैंने आपका भाषण पढ़ा था। लास्ट इयर आपने जो बोला था वही चीज़ मैंने कही है। यह आपकी लाइन है कि डेमोक्रेटिक में कुछ नहीं होता है। ...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: संजय जी, उस वक्त अलग बात थी। ...(व्यवधान) मैंने अपने दौरान हर मिनिस्ट्री, हर मिनिस्टर चाहे वह एजुकेशन हो, होम हो, वह कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट ने तीन साल क्या किया? ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair. You address the Chair.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No commentary please.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the Minister's reply.

*(Interruptions)**

श्री गुलाम नबी आज़ाद: अभी आपने इतनी कहानी सुनी तब भी आप वही कहेंगे? मैं तो यह कह रहा हूँ कि सरकार ने सन् 2009 में 4 जून को राष्ट्रपति जी के भाषण में डाला है कि ओवर आर्चिंग बॉडी आएगी और उसमें मेडिकल काउंसिल, डेंटल काउंसिल और नर्सिंग काउंसिल उसका हिस्सा होंगे। उनके इलेक्टिड प्रेज़िडेंट उसके मेंबर होंगे। हम मेडिकल काउंसिल को भंग नहीं कर रहे हैं। हम डेंटल काउंसिल को भंग नहीं कर रहे हैं। हम नर्सिंग काउंसिल को भंग नहीं कर रहे हैं। इनके ऊपर सिर्फ एक ओवर आर्चिंग बॉडी बनेगी जिसके ये भी सदस्य होंगे और वे इलेक्टिड होंगे। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, I would only submit that at this point of time let us not discuss the overarching body because the moment it comes from the Standing Committee regarding the overarching body and when I come before the Parliament with a Bill, at that point of time we have to discuss the overarching body. Why did I mention about overarching body? I mentioned that because even the erstwhile President, Medical Council would have continued even otherwise that had to be subsumed in this overarching body because we had already initiated
that had to be subsumed in this overarching body because we had already initiated
the process of setting up an overarching body. So, in this background I have said that.

Now insofar as transparency is concerned, I think within one week after my taking over as Health Minister, in the first Press Conference I have had as Health Minister, I said there are complaints that there is corruption in Medical Council and there is corruption in the Health Ministry. In the Press Conference I said I do not keep mobile phone.

---

* Not recorded

14.00 hrs.

But, I have this e-mail at my residence, not even at my office. This is my e-mail and these are my private telephone numbers. If anybody on behalf of the Minister, on behalf of the Ministry, on behalf of the Board of Governors, on behalf of erstwhile Medical Council members, then the erstwhile Medical Council was there, approaches to any medical college, dental college, nursing college for asking the money, you should send an e-mail and telephone me to inform me about it. The next day, I wrote a letter to all the principals and the chairmen, those who are owning the medical colleges and dental colleges across the country. Since then it is on website and in 2011, I repeated the same letter that they should write to me. Now, if somebody is doing anything, I am not to be held responsible. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down, Madam. Let him complete his reply.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you please address the Chair.

… (*Interruptions*)

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, you had your say.… (*Interruptions*)

That is why, the Health Minister has only one power under 10 (a) that if a Medical Council of India rejects any medical college, the Health Minister or the Health Ministry can send an independent enquiry committee to conduct the enquiry whether MCI has done good or bad, and then he can give the permission.

When the first opportunity came and this was dissolved, I dispensed with that power of the Ministry and gave it to the Medical Council as I did not want to get into this. All powers are vested with the Medical Council. Nothing comes to me for any action; the only power that we have kept with us is to give the written directions, the policy decisions. The policy decision is whether we have to increase the human resource, whether we have to increase the number of colleges, and whether we have to change the regulation. Except that policy, as Health Ministry or Health Minister, we do not go into all other things. So, keeping all

these things in mind, it has been done. I have had to speak lot many things, but since we have already taken a lot of time, I would request hon. Members and seek their cooperation that this extension from two years to three years may be granted.

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:

> "That the Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of Section 3 A of Act 102 of 1956

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the long Title were added to the Bill.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, we want division.

MR. CHAIRMAN: Okay. Let the Lobbies be cleared.

Now, the Lobbies have been cleared. Hon. Members, please take your seats.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please have order in the House.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I would request the Secretary-General to read out the instructions for the convenience of the Members.

Please have order in the House.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Silence please.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please have order in the House.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, Secretary-General may please read out the instructions.

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-

1. Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.
2. As may kindly be seen, the red bulbs above display boards on either side of hon. Speaker's Chair are already glowing. This means the voting system has been activated.
3. For voting, please press the following two buttons simultaneously immediately after sounding of first gong, namely, one "Red" button in front of the hon. Member on the head phone plate and also any one of the following buttons fixed on the top of the desk or seats:

   Ayes - Green Colour
   Noes - Red Colour
   Abstain- Yellow Colour
4. It is essential to keep both the buttons pressed till the second gong sound is heard and the red bulbs are "off".
5. **Important:** The Hon. Members may please note that the vote will not be registered if both buttons are not kept pressed simultaneously till the sounding of the second gong.
6. Please do not press the amber button (P) during Division.
7. Hon. Members can actually "see" their vote on display boards and on their desk unit.
8. In case vote is not registered, they may call for voting through slips.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed.

The Lok Sabha divided:

AYES **14.09 hrs**

Agarwal, Shri Jai Prakash
Amlabe, Shri Narayan Singh
Azharuddin, Mohammed
Baalu, Shri T.R.
Bairwa, Shri Khiladi Lal
Baite, Shri Thangso
Bajwa, Shri Pratap Singh
Bansal, Shri Pawan Kumar
Beg, Dr. Mirza Mehboob
Bhadana, Shri Avtar Singh
Chang, Shri C.M.
Chauhan, Shrimati Rajkumari
Chidambaram, Shri P.
Choudhary, Shri Harish
Choudhry, Shrimati Shruti
Chowdhary, Shrimati Santosh
Chowdhury, Shri Adhir
'Commando', Shri Kamal Kishor
Dasmunsi, Shrimati Deepa
Dikshit, Shri Sandeep
Elangovan, Shri T.K.S.
Engti, Shri Biren Singh
Gadhvi, Shri Mukesh Bhairavdanji
Gandhiselvan, Shri S.
Gavit, Shri Manikrao Hodlya
Ghatowar, Shri Paban Singh
Hari, Shri Sabbam
*Hegde, Shri K. Jayaprakash
Hussain, Shri Ismail
Jahan, Shrimati Kaisar

---

* Voted through slip.

Jakhar, Shri Badri Ram
Jena, Shri Srikant
Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha
Joshi, Shri Mahesh
Kalmadi, Shri Suresh
Kataria, Shri Lalchand
Kaypee, Shri Mohinder Singh
Khan, Shri Hassan
Khandela, Shri Mahadeo Singh
Kharge, Shri Mallikarjun
Khatri, Dr. Nirmal
Khursheed, Shri Salman
Kowase, Shri Marotrao Sainuji
Kumar, Shri Ramesh
Kumari, Shrimati Chandresh
Kurup, Shri N. Peethambara
Lakshmi, Shrimati Panabaka
Lal, Shri Pakauri
Mahant, Dr. Charan Das
Maharaj, Shri Satpal
Maken, Shri Ajay
Meena, Shri Namo Narain
Meghe, Shri Datta
Meghwal, Shri Bharat Ram
Meinya, Dr. Thokchom
Mirdha, Dr. Jyoti
Mishra, Shri Mahabal
Mukherjee, Shri Pranab
Narah, Shrimati Ranee
Narayanasamy, Shri V.
Natrajan, Kumari Meenakshi
Nirupam, Shri Sanjay
Pala, Shri Vincent H.
Palanimanickam, Shri S.S.
Pandey, Dr. Vinay Kumar
Pandey, Shri Gorakhnath

Patel, Shri Bal Kumar
Patel, Shri Kishanbhai V.
Pradhan, Shri Amarnath
Purandeswari, Shrimati D.
Raghavan, Shri M.K.
Ramachandran, Shri Mullappally
Ramasubbu, Shri S.S.
Rane, Shri Nilesh Narayan
Rao, Dr. K.S.
Rao, Shri Rayapati Sambasiva
Sahay, Shri Subodh Kant
Sai Prathap, Shri A.
Sardinha, Shri Francisco Cosme
Shekhawat, Shri Gopal Singh
Shinde, Shri Sushilkumar
Sibal, Shri Kapil
Singh, Chaudhary Lal
*Singh, Dr. Sanjay
Singh, Rao Inderjit
Singh, Shri Ijyaraj
Singh, Shri Ravneet
Singh, Shri Vijay Bahadur
Singh, Shri Virbhadra
Suklabaidya, Shri Lalit Mohan
Suresh, Shri Kodikkunnil
Tagore, Shri Manicka
Tamta, Shri Pradeep
Tandon, Shrimati Annu
Tanwar, Shri Ashok
Taviad, Dr. Prabha Kishor
Thomas, Prof. K.V.
Tirath, Shrimati Krishna
Vardhan, Shri Harsh
Viswanathan, Shri P.
Vundavalli, Shri Aruna Kumar

---

* Voted through slip

Yadav, Shri Arun

NOES

Acharia, Shri Basu Deb

Advani, Shri L.K.

*Ajnala, Dr. Rattan Singh

Argal, Shri Ashok

Azad, Shri Kirti

Bais, Shri Ramesh

Banerjee, Shri Kalyan

Baske, Shri Pulin Bihari

Besra, Shri Devidhan

Biju, Shri P.K.

Chauhan, Shri Prabhatsinh P.

Choudhary, Shri Bhudeo

Chowdhury, Shri Bansa Gopal

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

De, Dr. Ratna

Deka, Shri Ramen

Devi, Shrimati Ashwamedh

Devi, Shrimati Rama

Dome, Dr. Ram Chandra

Dubey, Shri Nishikant

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shrimati Maneka

Haque, Sk. Saidul

Hassan, Dr. Monazir

Hussain, Shri Syed Shahnawaz

Jaiswal, Dr. Sanjay

Judev, Shri Dilip Singh

Karunakaran, Shri P.

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumari, Shrimati Putul

Lingam, Shri P.

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majumdar, Shri Prasanta Kumar

---

* Voted through slip

Malik, Shri Sakti Mohan
Mandal, Dr. Tarun
Manian, Shri O.S.
Manjhi, Shri Hari
Meghwal, Shri Arjun Ram
Mishra, Shri Govind Prasad
Naik, Shri Shripad Yesso
Naskar, Shri Gobinda Chandra
Patel, Shri Devji M.
Pathak, Shri Harin
Potai, Shri Sohan
Rathwa, Shri Ramsinh
Roy, Shri Mahendra Kumar
Roy, Shrimati Shatabdi
Saha, Dr. Anup Kumar
Satpathy, Shri Tathagata
Singh, Shri Jaswant
Singh, Shri Pashupati Nath
Singh, Shri Rakesh
Sinha, Shri Yashwant
Sugumar, Shri K.
Venugopal, Dr. P.
Vishwanath Katti, Shri Ramesh
Yadav, Prof. Ranjan Prasad
Yadav, Shri Hukmadeo Narayan

MR. CHAIRMAN: Subject to correction*, the result of the Division is :

Ayes : 100

Noes : 57

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, I am walking out in protest.

… (*Interruptions*)

14.12 hrs

At this stage, Shri Basu Deb Acharia and some other hon. Members left the House.

The following Members also recorded their votes through slips. **Ayes 100**+Shri K. Jayaprakash Hegde and Dr. Sanjay Singh= **102 Noes 57** + Dr. Rattan Singh Ajnala =**58**

14.13 hrs

FINANCE BILL, 2012

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up item No.13. The hon. Finance Minister.

Now, the lobbies may be opened.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2012-2013, be taken into consideration."

Mr. Chairman, Sir, I presented the Budget for the year 2012-2013 on 16th March 2012. … (*Interruptions*)

14.13 ½ hrs (Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

I would request the hon. Members to just listen to me because it is the Finance Bill, and I am making some important announcements -- even at the stage of consideration -- which the hon. Members wanted me to act on their suggestions. I am going to do some of them. Therefore, please listen to me.

I presented the Budget for the year 2012-2013 on 16th of March 2012. Since then I have received a large number of suggestions both from within the House and outside. Most of these pertain to tax proposals and range from seeking modification of some proposals to reconsideration or review of certain others. Requests have also been received for granting some fresh reliefs. I express my sincere gratitude to everyone for the interest they have shown in appraising my Budget proposals. I appreciate the valuable suggestions they have made and understand the concerns they have expressed.

While I propose to address some of these through amendments to the Bill, a number of concerns relating to indirect taxes can be addressed through

notifications. I shall now take up the significant amendments to the Budget proposals.

As regards Direct Taxes, I thank the Members of the Standing Committee for examining the Direct Taxes Code Bill (DTC) and making valuable suggestions. Some of the proposals in the DTC such as removal of the cascading effect of the Dividend Distribution Tax; allowing Venture Capital to invest in all sectors; introduction of Advance Pricing Agreements; and raising the threshold limit for audit and presumptive taxation to Rs. 1 crore, which have been endorsed by the Standing Committee, have already been included in the Finance Bill.
However, I could not consider all the recommendations of the Committee as the Report was received on 9th of March, after most of the proposals of the Finance Bill, 2012, had been finalized. I would like to take the opportunity on a later occasion to look into greater details on these aspects.

In addition, certain provisions relating to General Anti-Avoidance Rules (GAAR) have also been proposed in the Finance Bill, 2012. After examining the recommendations of the Standing Committee on GAAR provisions in the DTC Bill, 2010, I propose to amend the GAAR provisions as follows:

(i) Remove the onus of proof entirely from the taxpayer to the Revenue Department before any action can be initiated under GAAR.

(ii) Introduce an independent member in the GAAR approving panel to ensure objectivity and transparency. One member of the panel now would be an officer of the level of Joint Secretary or above from the Ministry of Law.

(iii) Provide that any taxpayer (resident or non-resident) can approach the Authority for Advance Ruling (AAR) for a ruling as to whether an arrangement to be undertaken by is permissible or not under the GAAR provisions.

To provide greater clarity and certainty in the matters relating to GAAR, a Committee has been constituted under the Chairmanship of the Director General

of Income Tax (International Taxation) to give recommendations for formulating the rules and guidelines for implementation of the GAAR provisions and to suggest safeguards so that these provisions are not applied indiscriminately. The Committee has already held several rounds of discussion with various stakeholders including the Foreign Institutional Investors. The Committee will submit its recommendations by 31st May, 2012.

To provide more time to both taxpayers and the tax administration to address all related issues, I propose to defer the applicability of the GAAR provisions by one year. The GAAR provisions will now apply to income of Financial Year 2013-14 and subsequent years.

Hon. Members are aware that a provision in the Finance Bill which seeks to retrospectively clarify the provisions of the Income Tax Act relating to capital gains on sale of assets located in India through indirect transfers abroad, has been intensely debated in the country and outside. I would like to confirm that clarificatory amendments do not override the provisions of Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) which India has with 82 countries. It would impact those cases where the transaction has been routed through low tax or no tax countries with whom India does not have a Double Taxation Avoidance Agreement.

The retrospective clarificatory amendments which are now under consideration of Parliament will not be used to reopen any cases where assessment orders have already been finalized. I have asked the Central Board of Direct Taxes to issue a policy circular to clearly state this position after the passage of the Finance Bill.

Currently, long term capital gain arising from sale of unlisted securities in the case of Foreign Institutional Investors is taxed at the rate of 10 per cent while other non-resident investors, including Private Equity Investors are taxed at the rate of 20 per cent. In order to provide parity to such investors, I propose to reduce

the rate in their case from 20 per cent to 10 per cent on the same lines as applicable to Foreign Institutional Investors.

To promote further depth of the capital markets through listing of companies, I propose to extend the benefit of tax exemption on long term capital gains to the sale of unlisted securities in an initial public offer. For this purpose, I propose to provide the levy of Securities Transaction Tax (STT) at the rate of 0.2 per cent on such sale of unlisted securities.

It has been proposed in the Finance Bill that any consideration received by a closely held company in excess of the fair market value of its shares would be taxable. Considering the concerns raised by 'Angel' investors who invest in start-up companies, I propose to provide an enabling provision in the Income Tax Act for exemption to a notified class of investors.

In order to augment long-term low cost funds from abroad for the infrastructure sector, Finance Bill proposes a lower rate of withholding tax of five per cent for funding specific sectors through foreign borrowings. To further facilitate access to such borrowings, I propose to extend the lower rate of withholding tax to all businesses. This lower rate of tax would also be available for funds raised through long term infrastructure bonds in addition to borrowing under a loan agreement.

The Reserve Bank of India is formulating a scheme for subsidiarisation of Indian branches of foreign banks to ring fence Indian capital and Indian operations from economic shocks external to the Indian economic scenario. To support this effort, I propose to provide tax neutrality for such subsidiarisation.

The Finance Bill proposes that every transferee of immovable property (other than agricultural land), at the time of making payment for transfer of the property, shall deduct tax at the rate of one per cent of such sum. I have received a number of representations pointing out the additional compliance burden this measure would impose. I, therefore, propose to withdraw this provision for levy of TDS on transfer of immovable property.

To curb the flow of unaccounted money in the bullion & jewellery trade, the Finance Bill proposes the collection of tax at source (TCS) by the seller at the rate of one per cent of the sale amount from the buyer for all cash transactions exceeding Rs. 2 lakh. Responding to the representations made by the jewellery industry that this would cause undue hardship, I propose to raise the threshold limit for TCS on cash purchases of jewellery to Rs. 5 lakh from the present Rs. 2 lakh. The threshold limit for TCS on cash purchase of bullion shall be retained at Rs 2 lakh. However, it is being clarified that bullion will not include any coin or other article weighing 10 grams or less.

In respect of Customs and Central Excise, a related proposal that has attracted public attention is the imposition of Central Excise duty on unbranded precious metal jewellery at the rate of one per cent.

Mr. Chairman, Sir, I would like to reiterate that the levy was well-intentioned and introduced not so much for raising revenue as for rationalisation and movement towards GST. However, the outpouring of sentiment both within and outside the House indicates that we are not ready for it. As such, the Government has decided to withdraw the levy on all precious metal jewellery, branded or unbranded, with effect from 17th March, 2012.

The House would recall that certain amendments were proposed in the Customs and Central Excise Law in respect of the classification of offences as cognizable and non-bailable. In response to concerns expressed by Members that the proposal regarding grant of bail only after hearing the public prosecutor is too harsh, I propose to omit this provision entirely. In addition, only serious offences under the customs law involving prohibited goods or duty evasion exceeding Rs. 50 lakh, shall be cognizable. However, all these offences shall be bailable.

There are a few other proposals relating to rationalization and adjustment of central excise and custom duties which I will place before the House while replying to the debate.

As hon. Members are aware, taxation of services has undergone a paradigm shift with the introduction of a Negative List. This initiative has been widely welcomed.

The negative list has been drawn keeping in view the federal nature of the polity. Some of the States, through the Empowered Committee of State Finance Ministers, have expressed their concerns. I have decided to address their concerns by making changes in the definition of "service" which will exclude the activities specified in the Constitution as "deemed sale of goods". The definition of "works contract" has also been enlarged to include movable properties.

Exemption for specified services relating to agriculture in the Negative List has also been extended to agricultural produce enlarging the scope of the entry.

There are some other minor changes in the definitions based on the wide-spread feedbacks and suggestions that we have received from the various stakeholders and are specified in the revised draft. Notifications to give effect to these changes would be issued in due course and laid on the Table of the House.

With these words, Mr. Chairman, Sir, I commend the Finance Bill for consideration.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2012-13, be taken into consideration."

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने चर्चा की शुरूआत करने के लिए मुझे मौका दिया है। मैं शुरू में ही एक माफीनामे के साथ अपनी बात रखना चाहता हूं। वह यह है कि अगर इस सत्र के बाद हमारे माननीय वित्त मंत्री जी उस तरफ बड़े घर में चले जाते हैं, तो आज जो मैं कहने जा रहा हूं, उसको मेरे खिलाफ अपने मन में नहीं रखेंगे।

महोदय, मेरा भी कोई चांस आदि आ जाये तो वे मुझे खारिज नहीं करेंगे। मैं वित्त मंत्री जी का आभारी हूं कि इनके वित्त विधेयक को लेकर जो देश में आवाजें उठी थीं, उसमें कुछ आवाजों को इन्होंने सुना और आज अभी, जब इन्होंने अपने बिल को कंसीड्रेशन के लिए मूव किया तो उसमें उन्होंने जो बहुत चुभने वाली चीजें थीं, उसके डंक को कुछ कम किया है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं एक मौलिक बात आज इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। हम सब बजट बनाते रहे हैं, फाइनेंस बिल भी पेश करते रहे हैं और फाइनेंस बिल अत्यंत गोपनीयता में, इनफैक्ट सारा बजट अत्यंत गोपनीयता में बनाया जाता है। वित्त मंत्रालय सीआरपीएफ के कंट्रोल में चला जाता है। अगर वित्त मंत्री जी भी अपने तहखाने में जो प्रिंट्रिंग प्रेस है, उसमें जाना चाहते हैं तो इन्हें भी सीआरपीएफ का पास लेकर जाना पड़ता है और जब निकलते हैं तो जाने का टाइम और निकलने का टाइम दोनों उसमें रिकॉर्ड होते हैं। आज के इस युग में बजट में इतनी गोपनीयता की क्या आवश्यकता है? अभी वित्त मंत्री जी ने जो बातें रखी हैं, उसमें उन्होंने सुधार किया। जो प्रस्ताव उन्होंने यहां पर 16 मार्च को रखा था, उसमें उन्होंने बदलाव किया है। मेरा सुझाव यह होगा कि इस गोपनीयता के चक्कर से हम लोग निकलें।

एक्सपेंडीचर बजट में कोई गोपनीय बात नहीं होती है। अखबार में पहले से छपता रहता है कि इस मंत्रालय को इतना मिल रहा है, उस मंत्रालय को इतना मिल रहा है और उसमें अगर कोई खास बात सामने आ भी जाये तो मुझे लगता है कि इस सदन को, पार्लियामेंट को अपनी अवमानना उसे नहीं मानना चाहिए। मैं इस सदन के सामने बहुत जोर देकर यह सुझाव रखना चाहता हूं, क्योंकि यह सदन ही तय करेगा, अकेले सरकार तय नहीं करेगी कि सारा बजट, जिसमें फाइनेंस बिल भी शामिल है, उसे वित्त मंत्री प्रस्ताव के रूप में इस सदन के सामने रखें। जब इस सदन से उनको अनुमति मिल जाए, तब उसको अंतिम रूप दिया जाए। ऐसा क्यों? अब फाइनेंस बिल में क्या होता है कि इन्होंने बिल में कहा कि हम यह टैक्स लगाने जा रहे हैं।

ज्यूलरी के बारे में इन्होंने कहा कि हमने उसको पूरा विदड्रा कर लिया। यह स्वागत योग्य कदम है क्योंकि हम सब लोगों ने कहा था कि आप विथड्रा कर लें। अब सवाल उठेगा कि 16 मार्च को नोटिफिकैशन हो गया। इस साल बजट 16 मार्च को डिलैड आया था, नहीं तो यह 28 फरवरी को ही

आता। 16 मार्च से लेकर आज 7 मई तक की अवधि में वह टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। क्योंकि आप के लोगों ने नोटिसेज इश्यू किए। हमारे पास ज्वेलर्स आए उन्होंने कहा कि हम लोगों को यहां-यहां नोटिस मिल गई है कि अपना खाता हमारे सामने पेश करो और टैक्स दो। हर साल के बजट में यह एक दिक्कत पेश आती है कि खास कर इनडायरेक्ट टैक्सेज में हम नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स, और उसके बाद फिर यह सवाल उठता है कि यह जो अवधि है इसमें अगर टैक्स वापस ले लिया तो इस टैक्स का भी रिफंड दीजिए। अगर उन्होंने टैक्स दे दिया है या टैक्स नहीं दिया है और आपने डिमांड रेज किया है तो यह होता है कि इसको माफ करो। इन सब जटिलताओं से हमको मुक्ति मिल जाएगी यदि हम यह तय करें कि अगर कल 8 मई को हम उन संसोधनों के साथ यह बिल पारित करेंगे जो वित्त मंत्री जी हमारे सामने लाएंगे तो उसके बाद से यह सब कुछ लागू होगा और उसी दिन से लागू नहीं हो जाएगा जिस दिन से हम बजट पेश करेंगे। मैं बहुत गंभीरता से यह सुझाव सदन के सामने रख रहा हूं ताकि हम इन चीजों से मुक्ति पाएं। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा और सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस पर गंभीरता से विचार करें। यदि अगले साल का बजट यही सरकार पेश करती है तो कम से कम इस सुधार के साथ अगला बजट पेश होगा।

सभापति महोदय, 31 मार्च, 2011 को जो तिमाही समाप्त हुआ उसके लेटेस्ट जो आंकड़े जीडीपी ग्रोथ के हमारे पास हैं उसमें यह 6.1 प्रतिशत पर आ कर रूक गया। अगले तिमाही का आंकड़ा क्या रहता है वह हम देखेंगे। कोर सेक्टर ग्रोथ का मार्च का जो फीगर आया है वह मात्र 2 प्रतिशत है। Manufacturing sector growth till the month of February was 3.7 per cent as against 8.7 per cent in 2010-11. IIP growth was 3.5 per cent as against 8.1 per cent in the previous year. In March, exports came down by 5.7 per cent over the same month last year. Fiscal deficit for the last year, which was projected at 4.6 per cent, has gone up according to the Finance Minister to 5.9 per cent of the GDP. In the current year, he has projected the deficit at 5.1 per cent of GDP. In absolute numbers, यह जो घाटा है वह पांच लाख तेरह हजार पांच सौ नब्बे करोड़ रूपये का है। यह घाटा इस साल के सरकार के बजट का है। जो हमारा चालू खाता विदेशों के साथ है जिसको करेंट एकाउंट डेफिसिट कहते हैं वह बढ़ते-बढ़ते 4.3 परसेंट लास्ट क्वार्टर में चला गया था। साल कहां खत्म होगा यह मैं नहीं जानता हूं लेकिन इसमें जो सबसे चिंता का विषय है वह यह है कि यह चालू खाते का घाटा है। There is a former Finance Minister sitting here, and the current Finance Minister sitting here. Both of them will understand this very well and the whole House, that

financing of this current account deficit is of the utmost concern. हमारे चालू खाते का जो घाटा है, उसकी भरपाई हम कैसे कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए बहुत चिन्ता हो रही है कि जो आंकड़े मेरे पास हैं, उसके अनुसार लगभग seventy per cent of the current account deficit is being financed from the short-term debt flows. यह पिछले साल 30 प्रतिशत था। करैंट एकाउंट डैफीसिट का 30 प्रतिशत शार्ट-टर्म डैट फ्लोस, हम विदेशों से जो अल्पकालीन ऋण लेते हैं, उसके द्वारा पूरा कर रहे थे। अभी यह बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया है। Foreign currency assets, as a percentage of GDP, have gone down by March 2012 to 14 per cent; it was 16 per cent the previous year, and in 2007-08, it was 26 per cent of the GDP. हमारा फॉरेन करैंसी का जो रिजर्व है, they have declined by 12.8 billion dollars in recent months. 13 बिलियन डालर हमारा रिजर्व कम हो गया। रुपये का डालर की तुलना में जो हाल है, हम सब जानते हैं। आज इस देश में कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो जोर देकर इस बात को कह रहे हैं, लेख लिख रहे हैं कि आज जो हमारी आर्थिक हालत है, वह लगभग वही है जो 1991 में थी। आपके जितने सूचक हैं अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के, वे सारे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हम आज के दिन एक भारी संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने बजट और फाइनैंस बिल उसी परिपेक्ष्य में रखा है। इसलिए यह बात सरकार, सदन के ध्यान में लाना हमारा फर्ज बनता है।

यह ठीक है कि वर्ष 1991, बहुत सालों तक, खासकर वित्त मंत्री जो को याद होगा कि उस समय हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 5 बिलियन डालर, 6 बिलियन डालर हुआ करता था। जब वह घट गया तो देश को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। यह ठीक है कि अगर हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार 13 बिलियन डालर भी घट जाए तो हम फिर भी आज के दिन सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारा भंडार 300 बिलिटन डालर के ऊपर था। लेकिन सारे अर्थशास्त्री इस बात को कहते हैं कि खासकर वह विदेशी ऋण जो अल्पकालीन होता है, short term external debt is even more dangerous than short-term external capital which comes to the stock market. यह बड़ी भारी चिन्ता का विषय है। Once there is a draw down of the reserves, अगर वहां दबाव बना तो हम कहां जाकर रुकेंगे, यह कहना मुश्किल होगा। हाल के दिनों में हमने देखा है कि वह दबाव बनता है क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि जब विदेशी निवेशक अपनी पूंजी निकालता है, वह शार्ट-टर्म डैट को रोल-ओवर नहीं करता, बाजार में उसका एफआईआईज़ का जो पैसा लगा हुआ है, जब वह निकालता है तो उठकर कहां जाता है। वह एक्सचेंज मार्किट में जाता है। वह रुपये लेकर एक्सचेंज मार्किट में जाता है और डालर

खरीदता है। जब वह डालर खरीदता है तो डालर के ऊपर दबाव बनता है और रुपये की कीमत गिरती है, डालर की कीमत ऊपर जाती है। इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि रुपये के ऊपर दबाव बना है। 53 रुपये 34 पैसे, 50 पैसे, 70 पैसे यानी लगभग 54 रुपये आज के दिन डालर का भाव हो गया है। इसका अर्थव्यवस्था पर अपना एक प्रभाव है। इसे हम कम करके नहीं आंके। यह सब कुछ इस बात के बावजूद हो रहा है कि आरबीआई एक्सचेंज मार्केट में हस्तक्षेप कर रही है। हमने जो आंकड़ा दिया है कि 13 बिलियन डालर हमारा रिजर्व कम हो गया है, इसका मतलब है कि आरबीआई ने बाजार में जाकर डालर खर्च किया, ताकि रुपये की कीमत स्थिर रहे। हम सबको बहुत अफसोस हुआ था कि हम वर्ष 2009 का चुनाव हार गये और उस समय हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन कभी-कभी मैं सोचता हूं कि वर्ष 2009 में हमारी सरकार बन गयी होती और हम वहां बैठे होते, जहां आज सरकार बैठी है और वे यहां बैठे होते। अगर अर्थव्यवस्था का यही हाल होता, तो आज हमारे ऊपर कितना भयानक आक्रमण होता कि हमारे समय में देखिये, हम 10 प्रतिशत तक, 9.8 प्रतिशत तक ग्रोथ रेट ले गये और आपने ग्रोथ रेट को कितना कम कर दिया, 6 प्रतिशत पर आ गया। आपने कितना फिस्कल डेफीसिट बढ़ा दिया, कितना यह कर दिया, कितना वह कर दिया, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, यह आरोप मेरे ऊपर लगता। इसीलिए कभी-कभी हमारा गम कम होता है कि हम वर्ष 2009 का चुनाव हार गये और these people have been left to stew in their own juices. चिदम्बरम साहब, जो गड़बड़ करके गये, आज उसे प्रणब मुखर्जी भुगत रहे हैं। प्रणब मुखर्जी की गलती नहीं है। वित्त मंत्री जी, क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं कि when was the original sin committed? The original sin was committed in the year 2008-09.

मैं कई बार इस बात को इस सदन में कह चुका हूं कि उस समय के वित्त मंत्री महोदय ने अचानक अपने बजट के घाटे को साल के अंत में दो लाख करोड़ रुपये से बढ़ा दिया। अगर मुझे सही फिगर्स याद हैं, तो उन्होंने बजट में कहा कि 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये के आसपास फिस्कल डेफीसिट होगा। जब वर्ष समाप्त हुआ, तो वह फिस्कल डेफीसिट बढ़कर 3 लाख 40 हजार करोड़ रुपये के करीब चला गया। दो लाख करोड़ रुपया साल के अंतिम महीनों में खर्च हुआ। जब हम इतनी ज्यादा तरलता, जिसे लिक्विडिटी कहते हैं -- मुद्रा, बाजार में भेजेंगे, आज अनेक अर्थशास्त्री इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि हमने उस समय जो लिबर्टी ली, फिस्कल डेफीसिट के साथ हमने मजाक किया, उसी का नतीजा है कि आज तक हम उसे वापस पटरी पर नहीं ले आये। वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, इन पांच सालों से हम इसके खिलाफ जूझ रहे हैं और मैं कहता हूं कि यह कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। इसलिए मैं अर्थशास्त्र को साधारण भाषा में समझता हूं और

साधारण भाषा में समझाने का भी प्रयास करता हूं। अगर पांच लाख करोड़, छः लाख करोड़ रुपये का घाटा बजट में होगा और आप जाकर बाजार से उस ऋण को लेंगे, तो कहीं न कहीं उसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा या नहीं? क्यों हम लोगों ने फिस्कल रिस्पौंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमैंट एक्ट पार्लियामैंट से पास कराया? वह इसलिए कराया कि जैसे किसी परिवार को यह फ्रीडम नहीं है कि वह रोजमर्रा का खर्चा ऋण लेकर चलाये, उसी तरह इस सरकार को भी फ्रीडम नहीं है कि जब चाहो, जितना चाहो, उतना कर्जा बाजार से ले लो और अर्थव्यवस्था को चौपट कर दो। The Fiscal Responsibility and Budget Management Act was thrown out of the window. A serious Act passed by this House and the other House, by the Parliament of India, was reduced to naught by the Government, the result of which we are witnessing today.

सभापति महोदय, हम लोग जानते हैं कि जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, जिसमें भारत भी है, यह आधुनिक अर्थव्यवस्था आंकडों पर चलती ही है, लेकिन भावनाओं पर भी चलती है। Sentiment is a very important factor in any economy in the world. अगर सेंटिमेंट पर आघात होगा, तो उसका असर भी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। आप मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि there is a gloom and doom scenario. मैं बताता हूं कैसे? अभी जीरो आवर में शरद यादव जी बोल रहे थे, उसके पहले 30 अप्रैल को मैं था सदन में जब शरद जी ने इसके पहले वही प्रश्न उठाया था। प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी ने बोरों का प्रश्न पहले भी उठाया था, आज भी उठाया और इन्होंने किसानों की हालत की तरफ इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया। कृषि का जीडीपी में योगदान घटते-घटते 14 प्रतिशत के आस-पास रह गया है, लेकिन दिक्कत की बात हमारी अर्थव्यवस्था में यह है, जिससे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस पैदा हो रहा है, कि आज भी 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कृषि पर निर्भर हैं और कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान घटता जा रहा है, आज 14 प्रतिशत पर आ गया है। कृषि आज जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है, न केवल आंध्र प्रदेश में, हमारे मित्र डा. के.एस. राव यहां बैठे हैं, न केवल विदर्भ में, बल्कि सारे देश में आज कृषि का प्रश्न जीवन-मरण का प्रश्न है। किसान जिन्दा रहेगा या किसान मर जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसकी कितनी मदद करते हैं और यहां सवाल उठते हैं। मुझे आज खुशी है कि जब हल्ला-गुल्ला हुआ इस सदन में, तब वित्तमंत्री जी ने, नेता सदन ने उठकर एक रिस्पांस दिया। लेकिन उस दिन शरद यादव जी बोलते रहे, हम सब चिल्लाते रहे, कहते रहे कि सरकार की तरफ से कोई न कोई रिस्पांस आना चाहिए, फिर भी सरकार ने रिस्पांस नहीं दिया। यहां पर एक तरफ हमारा फूडग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अभी-अभी मैं आंकड़े देख रहा था कि वह 250

मिलियन टन से ऊपर चला गया है, बहुत उत्पादन हो रहा है फूडग्रेन्स का, लेकिन दूसरी तरफ मार्च का फिगर है कि फूड इनफ्लेशन 9.94 प्रतिशत पर है यानि लगभग 10 प्रतिशत पर आज भी खाद्य पदार्थों की महंगाई है, चरम पर है। यह दिक्कत आज नहीं पैदा हुई, यह पिछले तीन वर्षों से चली आ रही है और हम लोग असहाय हैं। आज शरद यादव जी बता रहे थे कि जब वह फूड मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कौन-कौन से कदम उठाए थे। मैंने इसी सदन में वित्तमंत्री जी के सामने बयान किया था, मैंने उदाहरण दिया था वर्ष 2002-2003 का, जब इस देश में इतना बड़ा सूखा पड़ा था जो उस समय तक के रिकॉर्डेड हिस्टरी में सबसे भयंकर सूखा था। जिन सात राज्यों का जिक्र कर रहे थे शरद जी, उन सात राज्यों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि थे, जहां भयंकर सूखा पड़ा था, चार करोड़ टन अनाज कम पैदा हुआ था, लेकिन आप आंकड़े उठाकर देखिए।

चिदम्बरम साहब ने ही वह इकोनॉमिक सर्वे वर्ष 2004 में पेश किया था, जिसमें इन्होंने कहा है कि सन् 2002-2003 में मुद्रा स्फीति की दर 3.4 प्रतिशत थी। इतने भयंकर सूखे के बाद भी नियंत्रण रहा, कठोर नियंत्रण रहा मुद्रा स्फीति पर, महंगाई पर। आज हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? मैंने पिछली बार जब इस प्रश्न को उठाया था, 66 मिलियन टन अनाज हमारे गोदाम में था। आज यहां पर बात आई कि जो चावल या गेहूं है, उसको रखने के लिए बोरे नहीं मिलते हैं, अगर बोरे मिल भी जाएं, तो गोदाम नहीं है, वह अनाज खुले में पड़ा रहता है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 70,000 टन अनाज बर्बाद हो गया इसी देश में, अभी हाल के दिनों में, क्योंकि वह खुले में पड़ा है। अनाज रखने के लिए गोदाम नहीं हैं और लोगों के पेट खाली हैं, वे भूखे मर रहे हैं। यह जो विडम्बना है, यह जो विरोधाभास है, क्यों पैदा हो रहा है, क्यों आप अनाज के भंडार पर बैठे हुए हैं? For God's sake, release that food grain. अगर वह अनाज मार्केट में जाता है, थोड़ी-बहुत हेराफेरी भी होती है, तब भी उसका असर मार्केट पर पड़ेगा और कीमतें कम होंगी। हम लोगों ने यही काम किया था। उस समय जब चार करोड़ टन अनाज कम पैदा हुआ, तो जो साढ़े छः करोड़ टन अनाज गोदामों में पड़ा था, हमने उसे दोनों हाथों से उन राज्यों को दिया मुफ्त में फूड फॉर वर्क के लिए कि चलाओ फूड फॉर वर्क का कार्यक्रम, अन्त्योदय कार्यक्रम चलाया। हमने मिलर्स को दिया, जो आया मांगने, उससे हमने कहा कि ले जाओ, हमारे पास रखने को जगह नहीं है। उस सबका असर पड़ा, क्यों वह अनाज देश के भीतर ही रहा, बाहर नहीं गया। आप ऐसा क्यों नहीं करते, क्यों हम इस विडम्बना के साथ ज़िंदा हैं, अनाज रखने की जगह नहीं है और पेट खाली है।

इसी सदन में गरीबी के आंकड़े पर खूब बहस हुई। सरकार के गरीबी के आंकड़े को लेकर सभी सदस्यों ने विरोध किया कि यह 22 रुपए, 32 रुपए रोज का क्या खेल है। You are mocking at the

poor of this country. हम सब लोग जो इस सदन में हैं, रोजमर्रा के आधार पर अपने-अपने क्षेत्र में देखते हैं कि कितनी गरीबी से इस देश की जनता जूझ रही है। उसके बाद हम कहें कि नहीं तुम इंतजार करो, तुम्हें हम बीपीएल की सूची में नहीं रख सकते। मैंने कहा था इसी सदन में कि तेंदुलकर साहब से पूछकर आएंगे, Professor this and Professor that. प्रोफेसर बताएंगे कि इस देश में गरीबी रेखा क्या है और कौन गरीब है। आप सांसदों से पूछिए कि कौन गरीब है, हम बताएंगे कि कौन गरीब है, लेकिन हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, मखौल कर रहे हैं। Corporate India has lost its confidence. There is the biggest fall in confidence index. जो डन एंड ब्राड स्ट्रीट ने अभी रिकार्ड किया, वह आए, जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, क्योंकि वह निराश हुए इस बजट से। कार्पोरेट इंडिया के बारे मैंने कहा था, इन्हीं वित्त मंत्री जी को याद होगा, मैंने इंडिया टुडे का रेफरेंस देते हुए कहा था पिछले साल बजट पर बोलते हुए कि हमारे उद्यमी देश के अंदर पैसा नहीं लगा रहे हैं, देश के बाहर लगा रहे हैं। यह ट्रेंड कंटीन्यू चल रहा है। मुझे याद है कि वित्त मंत्री जी ने कहा था कि नहीं, अब यहहैडलाइन बदल जाएगी और इंडिया टुडे कहेगा, Dear Indis, by-by foreign. वह नहीं हो रहा है, वित्त मंत्री जी, आज भी वही स्थिति है। मैंने आपको बताया कि इंफ्लेशन की क्या हालत है, न्यू नार्मल की बात होती है, जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स आठ या नौ प्रतिशत तक जिंदा रखना इस देश की अब नियति है। उसके बाद चारों तरफ जहां भी कोई अलमारी खुलती है, उसके अंदर भ्रष्टाचार का भूत निकल आता है। Every Department/Ministry of the Government of India is sharing the same. बहती गंगा में सब लोग हाथ धो रहे हैं। On top of it, there is complete paralysis in decision making. ऐसा लगता है जैसे सरकार को लकवा मार गया है, ऐसा लगता है कि सरकार वेंटिलेटर पर चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं कह रहा हूं तो माफ कीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम तो इन्हें कोई महत्व नहीं देते हैं, ये जो विदेशी अखबार और विदेशी मैगजीन लिखते हैं। जब आपको ये रिवार्ड देते हैं, आप बहुत एडवर्टाइज करते हैं, देखो ऐसा उन्होंने कर दिया, ऐसी हमारी तारीफ कर दी। यह लंदन की इकोनॉमिस्ट मैगजीन है। उसमें यह इश्यू है 14 अप्रेल, 2012 का, अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति ज़रदारी साहब यहां आए थे। प्रधान मंत्री जी ने उनके सम्मान में भोज दिया था। हमारे दोनों नेता उसमें थे, मेन्यू का इन्हें ज्यादा ज्ञान होगा। हमने तो अखबारों में पढ़ा कि मेन्यू क्या था? ये जो इकोनॉमिस्ट है ये क्या लिखा रहा है।

I am quoting:

> "Mint and melon soup, *kababs,* blueberry mousse graced the Prime Minister's lunch table in New Delhi on April, 08."

पते की बात उसके बाद आती है कि the next sentence is, two lame ducks were also there. यानी एक भारतीय होने के नाते मुझे शर्म आई कि हमारे प्रधान मंत्री जी की तुलना जरदारी साहब के साथ हो रही है कि दोनों लंगड़ी बत्तख हैं। लेम-डक प्रोवर्ब है, ठीक है। यह इकोनॉमिस्ट कह रहा है, बर्खास्त करो इसे, हम इस बात को नहीं मानते लेकिन कल को मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसी इकोनॉमिस्ट में अगर कुछ आपकी तारीफ छपती है तो आप यहां आकर यह मत कहो कि देखो इकोनॉमिस्ट यह लिख रहा है क्योंकि इकोनॉमिस्ट यह भी लिख रहा है।

अब आप देखिये कि स्टैंडर्ड एंड पूअर ने नेगेटिव रेटिंग कर दी, बहुत खराब लोग हैं, उसकी भी आप मत मानिये, लेकिन उसके जो फैक्ट्स हैं, उसे स्वीकार करना पड़ेगा।

मूडीज ने कह दिया गवर्नेंस डैफिसिट। आईएमएफ ने अभी इसमें कहा कि concerns about governance and slow project approval by the Government have weakened business sentiments. यह आईएमएफ कह रहा है। इस देश में एक जाने-माने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हुए हैं और बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं शंकर आचार्य, जिनका लेख अक्सर छपता रहता है। उस लेख में उन्होंने कहा है लेकिन अगर मैं यही बात कहूंगा तो हमारे कांग्रेस के मित्र नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा है, no significant economic reforms were carried out since 2004. यह शंकर आचार्य बीजीपी के या विपक्ष के आदमी नहीं हैं, अर्थशास्त्री हैं। उसके बाद वे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो क्राइसेज आज है, उसका नतीजा यह होगा कि कई साल तक we will be subject to sub-seven per cent growth. ये जल्दी से खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। उसके बाद वे कहते हैं कि such squandering of our developmental potential would profoundly weaken national security in both the medium and the long run and we live in a dangerous neighbourhood fraught with real threats and serious uncertainties and cannot afford such self-inflicted weaknesses. आज के जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कौशिक बसु, वे दुनियाभर में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं कहा। सुना है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के यहां भी उन्हें दरबार लगाना पड़ा। He does not need to offer any explanation because he spoke the truth.

अब बजट पर चर्चा हो चुकी है लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जब एक सरकार असफल होती है,

It fails on all fronts. It is not कि इस फ्रंट पर फैल हुई, इस फ्रंट पर सफल हुई। It fails across the board. अब क्या नतीजा सामने आया है। Government statistics have become notoriously unreliable. वित्त मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जांच करो। हमारी जो फाइनेंस की स्टेंडिंग कमेटी है उसमें हम लोगों ने टिप्पणी की है और कहा है कि we have said that the Committee are seriously concerned at this flaw which projects not only the Government but the entire country in a poor light. अब कहते हैं कि जनवरी में मेरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 6.8 परसेंट, फरवरी में आप उसे रिवाइज करके 1.1 परसेंट पर लाते हैं, from 6.8 per cent it has come down to 1.1 per cent within one month.

15.00 hrs

जो एक्सपोर्ट के फिगर्स हैं, the figures of exports have been revised downwards by 8.8 billion dollars between April and October. महोदय, इस देश के स्टैटेटिक्स डिपार्टमेंट का क्या हो रहा है? अगर लोगों को हमारे आंकड़ों पर ही विश्वास नहीं रहेगा, तो हम कहां खड़े रहेंगे। फाइनेंस बिल के बारे में कहने में मुझे कोई दिक्कत या संकोच नहीं है कि इससे हम निराश हुए हैं। Every Finance Bill and every Budget have to be situated in a certain economic context. जब ग्लूम एंड डूम का सिनेरियो है, sentiment is going down and touching the rock bottom, उस समय आप फाइनेंस बिल में इस तरह के प्रावधान करते हैं, तो जाहिर है कि उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): चारों तरफ निराशा ही है या कहीं आशा भी है।

श्री यशवंत सिन्हा: अंत में मैं इस बारे में बात करूंगा।

सभापति महोदय: यशवंत जी, आप चेयर को संबोधित कीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा: हाल के वर्षों में शायद ही कोई फाइनेंस बिल इतना कंट्रोवर्शियल हुआ हो, जितना कि यह फाइनेंस बिल हुआ है। मुझे पता नहीं कि वित्त मंत्रालय में कितने लोग गए होंगे, लेकिन मेरे पास बहुत लोग आए कि कुछ करो। इसी का नतीजा है कि आज वित्त मंत्री जी ने घोषणाएं की हैं, जिनसे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मैं इतना जरूर कहूंगा कि वित्त मंत्री जी के सामने चाहे डायरेक्ट टैक्सेज हो या इनडायरेक्ट टैक्सेज हो, मैं मानता हूं कि there was a clear choice. क्लीयर च्वायस क्यों था, क्योंकि इन्होंने दो बिल इसी सदन में प्रस्तुत किए थे और दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं। एक डायरेक्ट टैक्सेज कोड बिल है और दूसरा जीएसटी कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट है। जीएसटी कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेज से डील करेगा और डायरेक्ट टैक्सेज कोड बिल डायरेक्ट टैक्सेज से डील करेगा। ये दोनों बिल

सदन में थे। वित्त मंत्री जी ने फिर कहा, जैसा बजट भाषण में कहा था कि हमारी वित्त मामलों की कमेटी की रिपोर्ट 9 मार्च को पेश की है। वित्त मंत्रालय को मालूम था और शायद वित्त मंत्री जी को भी मालूम था कि हम रिपोर्ट देने वाले हैं, क्योंकि कमेटी पूरी तेजी से काम कर रही थी और हम चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दे दें। मैं आपसे सहमत हूं कि जब हमने रिपोर्ट दी, उस समय तक आपने बजट के प्रस्ताव बना लिए थे, इसलिए आप हमारी सिफारिशों को ध्यान में रख कर चेंज नहीं कर सके, लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब दोनों बिल स्टैंडिंग कमेटी के सामने थे, तो ऐसी कौन-सी आवश्यकता थी कि जो सबसे विवादास्पद चैप्टर डायरेक्ट टैक्सेज कोड का था, जिसका नाम " गार " है, जिसका नाम बहुत बहुत खतरनाक है, जिसका नाम हम मिल कर बदलने के बारे में सोचें, तो बेहतर होगा।" गार" का चैप्टर लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर देखा जाए, तो रिपोर्ट आ गई। आपने रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया और जो डायरेक्ट टैक्स कोड में था, उसे हूबहू आपने फाइनेंस बिल में ला दिया। यह सदन और पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के अनुकूल नहीं था। आप इंतजार करते और जैसा आपने बजट भाषण में कहा कि हमें स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश मिल गई है और हम उस पर विचार करके जल्दी से जल्दी उसे लाएंगे। आज भी कहा और बजट भाषण में भी कहा, लेकिन आप एक कदम उससे ज्यादा जाते और कहते कि हमें स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश मिल गई है और हम उस पर विचार करके या तो मानसून सैशन में या आने वाले विंटर सैशन में डायरेक्ट टैक्सेज कोड बिल को दोबारा सदन में स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद लाएंगे।

मैं गर्व से नहीं, लेकिन कुछ संतोष के साथ इस बात को कह रहा हूं कि हमारे साथियों ने स्टैंडिंग कमेटी में बहुत परिश्रम किया और इतने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए कि जब रिपोर्ट बनी। This Report has been widely welcomed by the taxpayers. मैंने किसी स्टैंडिंग कमेटी के बारे में शायद इतना कुछ लिखा जाना नहीं देखा है जितना इसके बारे में लिखा गया कि बहुत अच्छे सुझाव हैं, गार के बारे में भी बहुत अच्छे सुझाव हमने दिए। मुझे खुशी है कि कुछ सुझावों को वित्त मंत्री जी ने मान लिया। लेकिन बेहतर होता कि अगर आप दोनों तरफ, डायरेक्ट टैक्सिस और इनडायरेक्ट टैक्सिस में फाइनेंस बिल को you could have made it only a holding operation. यह जरूरी है इसलिए [illegible]ा मैं कर रहा हूं। वित्त मंत्री जी डायरेक्ट टैक्सिस में इतने अनुभवी हैं, आप जानते हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन निकालेंगे तो साल में किसी दिन से भी शुरु कर सकते हैं, पहली अप्रैल या पहली जुलाई या पहली अक्टूबर से लागू कर सकते हैं, जब चाहे लागू कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सिस में कोई दिक्कत नहीं है जब आप अपने अमेंडमेंट में 1962 तक वापिस जा सकते हैं तब तो इसे करने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आपको आज

भी सुझाव दूंगा कि स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों में जितनी अच्छी बातें हैं, आप उसे पहली अप्रैल, 2012 से ही लागू कर दें और लाएबिलिटी वाले क्लाज़िज़ को जब चाहे लागू करें। आप जल्दी से जल्दी इसे करके सदन के सामने ला सकते हैं।

महोदय, कुछ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लेजिसलेशन को लेकर बहुत विवाद हुआ। हम सब जानते हैं कि अखबारों में खूब चर्चा हो रही है। आपके यहां भी लोग काले कोट और सूट पहनकर जा रहे हैं। मेरे पास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गए पत्र की कॉपी है और यह पत्र 5 फरवरी, 2010 का है। यह वित्त मंत्री जी के ध्यान में जरूर होगा। यह पत्र उस समय के यूके के प्रधानमंत्री गोर्डन ब्राउन को संबोधित है। इस पत्र में एक कंपनी है जिस कंपनी के टैक्स लाएबिलिटी का जिक्र किया गया है। मैं नाम लेता हूं वह वोडाफोन है, इसकी टैक्स लाएबिलिटी का जिक्र किया गया है। मैं इसके कुछ वाक्य रिकार्ड में लाना चाहता हूं। I am quoting:

> "I can assure you that Vodafone will have the full protection of the law and access to the legal system in India."

We know they had the full protection of the law. They went to the Supreme Court. The judgement came in their favour. We know that you went in for a review petition. The review petition was rejected by the Supreme Court. So, they had the full protection of the law.

The Prime Minister further says:

> "I also understand – this is critical – that there is no retrospective application of taxation and a recent Court judgement has affirmed this position. There is no retrospective application of taxation."

This is what the Prime Minister of India is saying in his letter to the Prime Minister of the U.K. पांच साल तक माननीय प्रधानमंत्री वित्त मंत्री रहे हैं। हमसे जब-जब पत्रकारों ने पूछा कि रेट्रोस्पेक्टिव लेजिसलेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है तब मैंने बिना किसी संकोच के जोर देकर कहा इस पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि रेट्रोस्पेक्टिव लेजिसलेशन पास करे। यह अधिकार है और हम सब करते हुए आए हैं। इसमें किसी को कहीं शंका नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। I do not know how the Prime Minister has said: "There is no retrospective application of taxation." How did he make this statement? Was this draft prepared in the Finance Ministry? If the draft has been prepared in the Finance Ministry, I am quite sure they would not have made a crucial mistake of this kind. 2010 फरवरी की यह चिट्ठी है। आपने उन्हें मिसलीड किया।

मैं फिर जोर देकर कह रहा हूं कि This Parliament is competent to pass legislation which will have retrospective effect and no court and nobody can take away this authority of the Indian Parliament. But in the application of retrospectivity, we have to exercise great sense of responsibility. That is our look out and I am not commenting on individual case. वोडाफोन में आप जो चाहें करें, मैंने आज अखबार में देखा है कि कोई सैटलमैन्ट होगा, जिसमें उनकी पैनल्टी आप वेव कर देंगे। यह तरह-तरह की खबरें छप रही हैं। You deal with that case in the most judicious and equitable manner. But the point I am making is whether it is transfer pricing, whether it is capital gains, whether it is anything else, the Parliament has a right to legislate, and, as I said that right cannot be taken away by anybody.

आपने गार के बारे में यह कहा कि इंडिपैन्डेन्ट कमेटी ने रिकमैंड किया है कि इंडिपैन्डेन्ट होना चाहिए। वित्त मंत्री जी आपका जो पियर ग्रुप था, पियर ग्रुप में आपने कहा कि There will be three Income-tax Commissioners. जो अपने कुलीग इंकम टैक्स कमिश्नर के नोटिस के ऊपर, असैसमैन्ट के सवाल के ऊपर जजमैन्ट में बैठेंगे। हम लोगों ने कमेटी में सुझाव दिया कि यह जो पियर ग्रुप रिव्यू है,

इस कमेटी में आप चेंज कीजिए और 3 इंकम टैक्स कमिश्नर्स की जगह पर आप उसमें एक चीफ कमिश्नर को रखिये और उसमें दो इंडिपैन्डैन्ट मैम्बर्स को रखिये। I noticed what you said while moving the Finance Bill कि लॉ मिनिस्ट्री का एक ज्वाइंट सैक्रेटरी होगा। नहीं, आप लॉ मिनिस्ट्री का ज्वाइंट सैक्रेटरी मत रखिये, because he belongs to the Government. I would suggest that you keep two – one Chief Commissioner and two absolutely independent members of this Peer Group Review panel who will not be from the Government. डिपार्टमैन्ट का नहीं होना चाहिए, गवर्नमैन्ट का भी नहीं होना चाहिए। तब असैसी को भरोसा होगा। अब एक कमेटी ने बहुत गौर किया और एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। वित्त मंत्री जी ने क्या किया कि जो इंकम टैक्स की एग्जैम्पशन लिमिट है, उसे एक लाख अस्सी हजार से बढ़ाकर दो लाख कर दिया। महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स जो डिफरैंशियल था, उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। कमेटी ने क्या सुझाव दिया है। हम लोगों ने देखा कि जैसे-जैसे इंकम टैक्स के स्लैब चेंज कर रहे हैं, वैसे-वैसे लोअर स्लैब्स में संख्या तो बहुत है, लेकिन रिसीट बहुत कम है। उसके बाद वाले स्लैब में संख्या बहुत घट जाती है, लेकिन रिसीट बढ़ जाती है और अंतिम स्लैब जो तीस परसैन्ट वाला है, उसमें संख्या और भी कम हो गई। लेकिन आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसी स्लैब से इंकम टैक्स का आता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने यह सजैस्ट किया, हमारी डिमांड थी कि आप इसे पांच लाख रुपये तक ले जाओ। लेकिन फिर हमने कहा कि चलो कंप्रोमाइज करते हैं और हम लोगों ने कहा है कि आप तीन लाख रुपये तक एग्जैम्पशन लिमिट बढ़ा दीजिए। दो लाख आपने किया है, हमें बहुत खुशी होगी, अगर आप इस चर्चा का जवाब देते, लेकिन अब तो आप जा ही रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Are you determined to remove me from the Finance Ministry? … (*Interruptions*)

श्री यशवंत सिन्हा : लेकिन जाते-जाते अगर आप टैक्स पेयर्स को यह बोनस देते जाएं कि तीन लाख तक टोटल एग्जैम्पशन, तीन लाख से दस लाख तक दस परैसन्ट और दस लाख से बीस लाख तक बीस परसैन्ट और बीस लाख से आगे तीस परसैन्ट यह कमेटी का सुझाव है। हम लोगों ने सीनियर सिटीजंस का जो सुझाव दिया है कि जो डिफरेंशियल है, वह वूमैन और सीनियर सिटीजंस का मेनटेन कीजिए। सीनियर सिटीजंस की एज 65 से घटाकर 60 कर दीजिए। वेरी सीनियर सिटिज़ंस के लिए, अति बुड्ढे लोंगों के लिए जो 80 साल की उम्र सीमा रखी है, उस उम्र सीमा के लिए मेरे पास बहुत सारे रिप्रेज़ेंटेशंस आए हैं कि उसको घटा कर 75 वर्ष कर दीजिए तो दो-तीन महीने में हम भी क्वालिफाई कर जाएंगे।

फिर एक बहुत बड़ा सवाल है हैल्थ इंश्योरेंस का। Regarding Health Insurance, especially for senior citizens, you will agree that all of us are in need of health care. हेल्थ केयर के बारे में समित ने यह सुझाव दिया है कि Life Insurance, Health Insurance, Education fees for children आदि के लिए आप प्रति वर्ष 50 हजार रूपये की छूट देते हैं, उसे बढ़ा कर 1 लाख रूपये कर दीजिए। It should be raised to rupees one lakh. हॉयर एजुकेशन के लिए, considering higher education has become so expensive. आप इसके लिए अलग से 50 हजार रूपये का डिडक्शन दीजिए। हम लोगों ने कहा है कि सिनयर सिटिज़न, डिपेंडेंट पेरेंट्स वगैराह को ध्यान में रखते हुए, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ग्रांड पेरेंट्स, के हैल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रति वर्ष अलग से 20 हजार रूपये का प्रावधान रखिए। यह सन् 1998 के बाद से अभी तक बढ़ा नहीं है।

वित्त मंत्री जी हम लोगों ने यह भी कहा है कि जैसे सरकारी सेवकों के डीयरनेस अलाउंस का फैसला ऑटोमेटिक होता है, उसी तरह एक्ज़ंपशन लिमिट का फैसला आप ऑटोमेटिक कीजिए, on the basis of the rate of inflation. उसी तरह वह बढ़ जाएगा। अगर आज हम 3 लाख रूपये के लिए कह रहे हैं, अगले साल 3 लाख 20 हजार रूपये हो जाए, 3 लाख 25 हजार हो जाए। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कंसेशन्स को आप रेट्रॉस्पेक्टिव कर दीजिए। लॉयबिलिटीज़ को प्रोस्पेक्टिव कर दीजिए। लॉयबिलिटीज़ में आपने जो पहले से कंसेशन्स दिए हुए हैं, some concessions have been given to States, to individuals, to industries. Please protect, grand father, those provisions so that they are protected for the period for which they were valid. अगर हमने कहा कि इस क्षेत्र में दस साल के लिए कोई छूट दे रहे हैं और पांच साल के भीतर उसे वापस ले लिया तो It will raise questions about the credibility of India. भारत देश की विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठेगा कि आपने कहा था और आपने नहीं कहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू और कश्मीर को मैंने कंसेशन दिया था। आपने जम्मू कश्मीर को बढ़ा दिया है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड का नहीं बढ़ाया है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा: मैंने अभी एक अखबार में 'Tale of Two Cities.' नाम से एक लेख देखा कि कैसे उत्तराखण्ड के एक शहर ने बड़ी तेज़ी से औद्योगिक तरक्की की है। सभापति जी, आप जानते हैं क्योंकि आप उत्तराखण्ड से आते हैं। वहां बड़ा बढ़िया विकास हुआ है, कहीं कहीं उतना बढ़िया विकास सुचारू रूप से नहीं हुआ है। हमें क्या करना चाहिए। We should grandfather these provisions, protect the

interest of those sectors and those States. उसे आप बचाइए। हम लोगों ने अपनी समिति की रिपोर्ट में एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया है कि आगे से डिस्ट्रिक्ट को यूनिट मानते हैं और जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड इंस्टीट्यूट में छूट दीजिए। अब यह हो सकता है कि कोई राज्य इंडस्ट्रियली बैक्वर्ड नहीं माना जाता है, लेकिन उस राज्य में कुछ जिले इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड हैं। अगर आप इन जिलों में इनकम टैक्स की कोई छूट देते हैं तो वहां पर औद्योगिक विकास होगा। इसलिए समिति के इस सुझाव को भी मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप इसे स्वीकार कर लीजिए। आप विदिशा को भी इसमें मत भूलिएगा, नहीं तो हमारी नेता नाराज हो जाएंगी।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा: अब मैं इन्डायरेक्ट टैक्सेज पर आता हूं। इन्डायरेक्ट टैक्सेज के बारे में मैंने शुरू में कहा कि जीएसटी का जो कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट है, वह हम लोगों के पास कमेटी के सामने है और हम लोगों का भी इन्टेंशन यही है कि जल्दी से जल्दी विचार करके हम उसे सरकार को लौटा दें।

जीएसटी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, वह थी सेंट्रल सेल्स टैक्स की और वित्त मंत्री जी को याद होगा, याद क्या होगा, यह उनकी समझ में है ही कि सेंट्रल सेल्स टैक्स को एबॉलिश किए बगैर आप सुचारू रूप से जीएसटी लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह हुआ कि सेंट्रल सेल्स टैक्स को एबॉलिश कर दें। भारत सरकार ने दो परसेंट उसको घटाया, चार से घटाकर उसे दो परसेंट पर लाये। फिर आपने राज्यों को वादा किया कि इसका जो घाटा होगा, उसकी हम भरपाई करेंगे। जब हम आपकी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फाइनेंस कमेटी में एग्जामिन कर रहे थे, तब हमने देखा कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने 7,827 करोड़ रूपए, under the head 'compensation for CST' आपने मार्च के अंत तक बचाकर रखे, लेकिन दिया नहीं, सरेंडर कर दिया। At the end of March, this money was surrendered but you have not given it to the States. We have been receiving complaints from the State Governments including the Empowered Committee of State Finance Ministers कि यह बड़ी नाइंसाफी हुयी है, जब मैं बजट पर बोल रहा था, तो मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि यह नाइंसाफी स्टेट्स के साथ मत कीजिए। उस पैसे को सरेंडर करने के बजाए अगर आप स्टेट्स को दे देंगे, तो थोड़ा उनका भी कल्याण हो जाएगा, पर सबसे बड़ा कल्याण यह होगा कि you would have created a positive atmosphere for GST. अब आपके ऊपर से अगर विश्वास उठ जाए, भारत सरकार के ऊपर से राज्यों का विश्वास उठ जाए और वह कहें कि आपने तो वादा किया, लेकिन आपने वादाखिलाफी कर दी, तो जब वे हमारे सामने आएंगे, तो वह कहेंगे कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। इसलिए

मैं फिर से आपसे इस बात की पुरजोर सिफारिश करता हूं कि कृपया आप यह जो राज्यों का पैसा है, वह राज्यों का दे दें और इसको आप सिर्फ अपने फिस्कल डेफीसिट के प्वाइंट ऑफ व्यू से इसकी चिंता न करें क्योंकि आगे के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है।

महोदय, जब मैं वित्त मंत्री था तो मैंने कुछ ही दिन में यह रीअलाइज़ किया कि इस सदन में खड़े होकर मैं एक लॉन्ड्री लिस्ट पढ़ूं कि इस पर हमने बढ़ा दिया, इस पर हमने घटा दिया, इस पर ऐसे कर दिया, उसे करने के बजाय, The Budget speech should deal with general principles of taxation. अब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन में इन्डायरेक्ट टैक्सेज में जीएसटी है ही। You don't have to say now, today, what the general principles of taxation are. We know that. You yourself brought this path-breaking legislation. I am deliberately calling them, path-breaking, because I feel that they have a tremendous impact and beneficial impact on the taxation system of India, both on the direct as well as on indirect taxes. लेकिन वहां पर भी आपने एक बहुत लंबी लिस्ट दी कि इसमें घटा दिया, इसमें बढ़ा दिया, चाहे वह कस्टम्स हो, चाहे इन्डायरेक्ट टैक्सेज हों। अब ठीक है, हम सबको खुशी है कि आपने गोल्ड जूलरी के ऊपर से एक्साइज ड्यूटी उठा ली। लेकिन जब मैंने फाइनेंस बिल को और आपकी बजट स्पीच को देखा था, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि गोल्ड जूलरी के ऊपर तो आपने एक्साइज ड्यूटी लगा दी और ब्रांडेड सिल्वर जूलरी के ऊपर से उठा लिया। अनब्रांडेड गोल्ड जूलरी पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी और ब्रांडेड सिल्वर जूलरी पर से उठा ली। हमें तर्क समझ में नहीं आया। अब दोनों पर से उठ गयी है। अब एक छोटी सी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक एसोसिएशन ऑफ पब्लिशर्स है। Association of Publishers have said that you have introduced a service tax and excise on customs, on import of certain information technology items.

उनका यह कहना है कि यह विदहोल्डिंग टैक्स जो आपने लगाया है, on import of software and information products and services through e-media. They feel that there is an educational content also. In fact, India has emerged as a major hub for this only on account of the fact that they are good at IT and this was not taxed. अब आपने यह जो लगा दिया है, तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि लगाइए, मगर जो एजुकेशनल कन्टेन्ट इसमें है, उसको आप उसमें से एक्सक्लूड कर दीजिए and it is not difficult, I am told, to find out as to what is the educational content in this electronic software. यह हो गया। कस्टम्स एक्ट में जो धारा 121 थी, उसको आपने हटा दिया। यह बहुत खुशी की बात है क्योंकि मैंने वह फाइनैन्स बिल

देखा। How can you ever think of it? I do not know how it was drafted. लेकिन उस फाइनैन्स बिल में आपने सैक्शन 121 में यह कहा कि उसको बेल मिलेगा, if the Public Prosecutor is convinced that he is innocent. उसका फैसला अगर उसी समय हो जाएगा तो फिर क्या आवश्यकता है? आपने यह कहा कि -

> "Where the Public Prosecutor opposes the application, the Magistrate is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such an offence."

यानी कि फैसला उसी दिन बेल के समय पर हो गया। यह अपने आप में अच्छी बात नहीं थी। मुझे खुशी है कि आपने इसको हटा दिया। लेकिन एक और विषय है जिसके चलते यह फाइनैन्स बिल कंट्रोवर्सियल बना। वह यह कि through this Finance Bill, you have indulged in a massive tax mobilization effort. इनडायरैक्ट टैक्सेज़ में आपने कहा 45,000 करोड़ प्लस आप रेज़ करने जा रहे हैं, 4000 करोड़ प्लस आप कंसैशन दे रहे हैं, overall, in excess of Rs. 41,000 crore and if my memory is not failing me, then this is one of the highest resource mobilization through taxation that one has seen in recent years. 18,660 करोड़ जो आप कह रहे हैं कि सर्विस टैक्स से एडीशनल रेवैन्यू आएगा, हमारे कुछ मित्र हैं who feels that because you have shifted to the Negative List from the Positive List approach और सारे सर्विसेज़ इसमें आ गए हैं, तो इसमें your receipt will be much in excess of Rs. 18,000 crore. यह जो देश की जनता पर भार पड़ेगा, इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा, रॉ मैटीरियल्स पर पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ा दी, 10 परसेंट से 12 परसेंट एक्रॉस द बोर्ड कर दी। हम सब जानते हैं कि टैक्स में the capacity to pay is very limited और उससे जितना वसूल हम करना चाहेंगे, वह उतना ही रैज़िस्ट करेगा। इसीलिए मधुमक्खी का कंपैरिज़न दिया जाता है कि जैसे फूल से वह रस लेती है, जिसको चाणक्य हमें देकर गए, वह क्यों दिया जाता है - इसलिए कि you collect tax without bothering the tax payer. आपको याद होगा वांछू कमेटी ने भी यह कहा था कि don't make him rigid. लेकिन वह नहीं हुआ और एक मैसिव टैक्सेशन एफर्ट इस बजट में हुआ है।

मैं एक मिनट का समय लेकर ब्लैक मनी के बारे में कहना चाहता हूँ। Black money is not a tax issue. हम जो बार-बार यह कह रहे हैं कि डबल टैक्सेशन एवॉइडैन्स एग्रीमैंट में यह है, वह है, दूसरे देश चाहे यूके हों या यूएस हों, वे यह कह सकते हैं कि मेरा टैक्स दे दो, फिर तुम कहीं पैसा रखो, हमें

उसकी चिन्ता नहीं है। In our case, I am sure the Finance Minister will agree with me that it is a question of money laundering. It is a crime. It is not merely evading or avoiding payment of tax. I was surprised and if I am wrong, please contradict me when you stand up to reply to this debate.

जो सूचना आपके पास आयी है That you have not shared with the most important agency in the Government, which is responsible for money laundering, namely, the Enforcement Directorate. अगर एनफोर्समेन्ट डायरैक्टरेट को आपने यह सूचना दी ही नहीं तो वह कैसे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ या नहीं, and my very strong recommendation will be, Mr. Finance Minister, that please share the information that you have received from abroad with the Enforcement Directorate so that they can investigate the cases from the point of view of money laundering. दूसरा, आपने अगर इनकम टैक्स में प्रोसीक्यूशन लॉन्च किया है तो because after all it is almost two years that this list of over 700 people of HSBC has been with them. ऐसे कितने केसिज़ हैं? Those names should become public. उसमें प्रोसीक्यूशन अगर हुआ है तो आप लिस्ट को जारी कीजिए, क्योंकि मामला कोर्ट में गया है। Who are these people and what interest does anyone have in keeping these names confidential? We have no interest. In our Party, we have all signed an undertaking that we have no legal or illegal foreign account. लीगल भी नहीं है, ईललीगल तो छोड़ दीजिए। आप किसको प्रोटैक्ट करना चाहते हैं और क्यों प्रोटैक्ट करना चाहते हैं? I will be very happy if the Finance Minister were to tell us that they are going to share the information with ED and that they are going to launch prosecutions and these names will become public in a limited period of time.

सभापति महोदय, जब मैंने अपनी बात की शुरूआत की थी तो मैंने कहा था कि this country is facing an economic crisis. अब यह दूसरी बात है कि जब हम महंगाई की चर्चा करते हैं तो भारत सरकार कहती है कि राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। हम जब आर्थिक सुधारों की बात करते हैं तो कहते हैं कि विपक्ष जिम्मेदार है। कुछ और आगे बढ़ते हैं और दबाव बनता है तो कहते हैं कि हमारे सहयोगी दल जिम्मेदार हैं। जहां- कहीं इनके ऊपर आरोप आते हैं, कोयले की सप्लाई नहीं हो रही है। कोल मंत्री यहां बैठे हैं। एफएसए को लेकर कोल इंडिया और पावर यूटिलीटिज़ में एक विवाद खड़ा हो गया है। आपको कोल

इंडिया को प्रेज़ीडेन्शियल डायरैक्टिव इश्यू करना पड़ा कि फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट करो। Just imagine that matters have come to this pass that the Government of India had to issue a Presidential Directive to its own coal company कि तुम एफएसए करो, क्योंकि वह मानने को तैयार नहीं था और कोल की सप्लाई का इतना बड़ा झमेला इस देश में खड़ा हो गया है। मैं कोयला क्षेत्र से आता हूं और मैंने इन्हीं दोनों आंखों से देखा है कि कैसे धू-धू कर कोल माइंस के बाहर कोयला जल रहा है! कैसे जबरदस्त कालाबाज़ारी हो रही है कोयले की! भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन कोयला सप्लाई करने के लिए नहीं है! 30 परसेंट इलैक्ट्रिक कैपेसिटी आज ठप्प है because we are not supplying coal to our power plants. क्यों? क्या इसमें आपको कोई एलाई या सहयोगी दल रोक रहा है? कोई विपक्षी दल है जो रोक रहा है कि नहीं कोयले की सप्लाई मत करो? कोई विपक्षी दल है जो आपको कह रहा है कि बीस किलोमीटर सड़क मत बनाओ? अभी मैं आंकड़े देख रहा था कि यह बहुत खुशी की बात है कि चार किलोमीटर प्रति दिन से बढ़कर हम सात किलोमीटर प्रतिदिन पर आ गए हैं। 20 किलोमीटर प्रतिदिन का प्रोमिस करके वह मंत्री जी, कमलनाथ जी, उस मंत्रालय को छोड़कर चले गए। अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और मैं आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ रहा था, if contracts are not being given, is it because the Opposition is opposing, the Allies are opposing? क्यों सरकार इतनी मजबूर हो गई है? Why is not the Government able to take decision? The Government is all about governance and governance is a tough act. साफ्ट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। इसी सदन में वहां बैठे हुए मैंने एक दिन कहा था कि यह कहावत है कि 'When the going gets tough, the tough gets going'. आप हिम्मत कीजिए। इधर-उधर मत देखिए। आपको हिम्मत करके बहुत-सी चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन, अगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो इसी तरह की टिप्पणियां आएंगी जिस तरह की टिप्पणी मैंने रखी इन्क्लूडिंग टू लेम डक्स...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज की सरकार कमज़ोर हो सकती है, पर देश कमज़ोर नहीं है। देश कमज़ोर नहीं हुआ है। आज ये लोग वेंटिलेटर पर हो सकते हैं, पर देश वेंटिलेटर पर नहीं है। जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन, रेवती जी पूछकर चले गए कि क्या मैं निराश हूं भविष्य के बारे में। Don't I believe in the future of India? I do strongly believe in the future of India. मैं भारत के भविष्य में विश्वास रखता हूं। सरकार रहे या न रहे, कोई सरकार आएगी, जाएगी, but the country will survive. ये दो साल बचा हुआ है इस सरकार का। अगर यह सरकार रहती है तो यह देश झेल जाएगा। इसमें इतनी ताकत है। हमारे

मजदूरों में, किसानों में, नौजवानों में इतनी ताकत है कि वे ये सारी विपत्ति झेल जाएंगे। But the future of India is bright. I want to tell all those all those foreigners who might be listening to this that the India growth story is not over; India growth story will revive. India will become a powerful economic nation in the world. There should be no doubt about that. There are temporary difficulties which we shall overcome. We shall overcome. मैंने एक दिन इसी सदन में कहा था, for God's sake, go. आज मैं नहीं कह रहा हूं। हमको सूट करता है कि यह सरकार चलती रहे। लेकिन, चौक-चौराहे पर जब मैं खड़ा होता हूं, एयरपोर्ट पर जब मैं जाता हूं, प्लेन में जाता हूं, ट्रेन में जाता हूं, लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं जल्दी से मुक्ति दिलाइए। यह स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। फिर मैं हाथ जोड़कर यह कहूंगा...(व्यवधान) जब हम वहां पर होते तो हमें आपने बख्शा नहीं होता। यही आंकड़ें आपने हमारे चेहरे पर फेंके होते। लेकिन, हम वह बदतमीज़ी नहीं करेंगे।

मैं बहुत आग्रह कर रहा हूं क्योंकि मैं माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत आदर करता हूं। सरकार में अगर कोई एक है तो ये ही तो हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: यशवंत सिन्हा जी, वित्त मंत्री जी की तारीफ करके आप क्यों इतनी दुश्मनी निभा रहे हैं?

SHRI YASHWANT SINHA: So, Mr. Finance Minister, we wish you well personally. We wish you a very bright future. We wish that you will continue to serve this country, in whatever capacity, for many years to come. But we do not wish well as far as this Government is concerned. सरकार निकम्मी है। इसे जल्दी से जल्दी जाना चाहिए because now they cannot even put their act together. इसलिए जल्दी से छुट्टी कर ले, देश को मुक्ति मिलेगी। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता था।

DR. K.S. RAO (ELURU): Thank you very much, Mr. Chairman, Sir. As usual, I heard Yashwant Sinha *ji* with very rapt attention. Advani *ji*, hon. Finance Minister, in the present times of politics, no Finance Minister, however nice the Budget presented by him, can ever think of getting kudos from the Opposition Parties. It is because, in the present times, they always think that it is always their duty to criticize the Government however good the Budget is and however good the policies and the programmes of the Government are. I am very happy that Shri Yashwant Sinha ji has not gone to the extent of criticising blatantly except putting into a polished term.

I just want to say some of the things which he has mentioned. He was telling that this Finance Bill was a most controversial and failed Bill. I am, as usually, convinced that the line of thinking of BJP, possibly most of the leaders, is same as whatever they are thinking all the time.

Most of the items, on which he has concentrated, are like this. He made a beginning with jewellery. He made a beginning, demanding the interests of the jewellers that the litter percentage that the Government has put should be reduced. I will explain that. You are very generous in this regard but I have my own view point. Similarly, he dealt with issues connected with corporate houses only, on the basis of the foreign exchange reserves, the GAR, the devaluation of the rupee, the rating of the economy, the retrospective effect of the legislation and the increased Excise Duty that is levying from 10 to 12 per cent. I will give my opinion on these matters.

Sir, there is a trade deficit of $ 120 billion every year. Now, as per the statistics there are an import of gold of $ 54 billion worth each year. That is around Rs. 2.7 lakh crore. The import of gold is not for any productive purpose in this country, it is only because of the craze of people who are living in this country. We are importing gold worth $ 53 billion. If the prices are to be like what it is and if the trends are in the same way continue, what would be the trade deficit? Whom are we helping? I fully support the increase of tax on import of

gold not with an intention of reducing it but with an intention of reducing the investment on gold. The foreign exchange of about $ 53 billion is going into other countries. Rs. 2,70,000 is not a small amount. By the by, it is said in the world that India is the only the country which has got the craze for gold. In case, the duty is to be increased, then we can control the demand for the gold and make a saving, saving in foreign exchange, which we can utilise for purchase of petrol, diesel or oil, which is not available in this country.

Sir, 80 per cent of the petroleum products and hydrocarbons are being imported from outside the country because they are not available in our country. We can subsidise them if it ought to be for the poor man. I explained in the Consultative Committee of the Petroleum Ministry, I spoke in this House many times that whom are we subsidising? Who is using the petrol for the car? Who can afford of having a car? I can understand if the Government subsidising for kerosene which is being used by the poor man; I can understand if the Government subsidising the cooking gas for the poor man; and not universally for everybody. If there are upper middle-class people, rich people, who can afford to pay any amount of money, why should we subsidise for them? It cannot be a uniform policy. So, if you are going to increase the prices of petrol, you are not affecting any poor man. The general impression is that 'if we increase the oil prices, the prices of all other commodities would also go up. The Opposition will criticise us. So, we will not increase the oil prices.' I do not understand the logic in it.

Mr. Minister, Sir, though you were generous in accepting the demands of some of the Opposition Members in regard to the uproar raised by the jewellers and gold importers, I feel the Act, which you had done earlier was correct. In the interest of the nation, you may reconsider it, if necessary, at least after some time, looking the trends of how much foreign exchange is being misused for the import of the gold.

Hon. Yashwant Sinhaji was telling about most of the things pertaining to the corporates, rich people and industries except shedding some tears on the

farmers. I support that. But, parallely he was telling about the inflation in the food commodities. When the price of the paddy during their tenure was increased from Rs. 513 to Rs. 1,080, Rs. 1,110, 1,200, how can there be no increase in the food prices, now? How can you contain the prices of food products? If he has to criticise that this price increase is because of the hoarding, black-marketing and that there must be strict measures, merciless action and stringent legislation to control the hoarding and black-marketing, I will be with him. But he cannot criticise increase of food price and then parallely support and shed crocodile tears on the farmers.

Why are the farmers committing suicide? They are committing suicide because their input costs have gone up substantially and the price at which they can sell, is not proper and remunerative. A manufacturer can change the price of his products every 15 days or every three months, but a farmer cannot. The pathetic condition is that when there is a surplus production in this country, the farmers were not allowed to gain or take advantage of the high prices prevailing in the international market. If the export of their produce was permitted, at least, the farmers could be benefited of their prices. But unfortunately or fortunately, it was delayed. But I am happy that, at least now, the Government, particularly with the initiative of the hon. Finance Minister, has permitted export of 30 million tonnes of food grains.. By this act of the Government, our farmers, would benefit a little.

In this context, hon. Yashwant Sinhaji was telling that 17 lakh tonnes of food grains were rotting, and the same could have been given to the poorer sections of the society free of cost. I am not against giving free of cost food grains to the poorer sections of the society. But I would share the statistics, which is available with me. In the year 2003-04, the damaged food grain was 1.35 lakh tonnes. It has now come down to 6,000 tonnes in 2010-11. During 2009-10, it was 7,000 tonnes. During 2008-09, it was 20,000 tonnes. That means the number of damaged food grains has come down substantially. Finally, it has come down

to 3,000 tonnes in 2011-12. I do not support rotting of food grains. He was right in telling that there is a shortage of godowns for storage of food grains.

But Sir, one must also take into account the practical situation prevailing in the villages. All of us are aware that the farmers used to store the food grains with them for three months to six months waiting for a good price. Then, they would sell it. But today, in the farm itself the farmers are selling all their paddy or food grains. Naturally, the quantum of storage has increased substantially, not merely because of the production but also because of the trends of sale by the farmers as also because of the policy of the Government.

The storage and off-take have gone up. In the year 2007-08, the wheat off-take was 119 lakh tonnes and it has gone up to 219.95 lakh tonnes today in 2011-12. That means the policy of the Government in increasing the capacity or increasing the storage to see that at least food grains will not be in short supply in this country has paid result. With the Food Safety Bill coming in, which is proposed by this Government, as you said that the storage capacity must be much more, that is the reason why not only in the last Budget but even in this Budget also the hon. Finance Minister has given incentive for anybody who constructs warehouses for food grains and sugar. The concessions are given more in regard to the farming community and in regard to the villages.

The basic thing which I appreciate the hon. Finance Minister is that not only in this Budget, not only in this Bill, since quite long time for a couple of years, he has been talking of inclusive growth. It may be criticism or it may be aberration. While I appreciate transfer of funds from urban areas to the rural areas, from the industry to the farmer, from the rich to the poor by sending more money to the villages, actually it is true that the purchasing capacity of the poor man has gone up in the villages. In this background you yourself have said that with 60 per cent of the people living in the villages, if their income, either by labour or hard work or through crops or food grains that is produced, were to go up, then the money in their hands will go up. Then, who are the people that are affected? The

people, who are in the urban areas, the people who are industrialists, the rich people or upper middle-class or fixed income people, are going to be affected. We do not deny that.

But if we implement the Public Distribution System, PDS, effectively, a large number of people will be taken care of. Both the BPL and APL families will be taken care of by the PDS. So, the net effect will be not more than 10-15 per cent of the people in this country, who are either rich or whose consumption of food grain is nothing for them, will only be affected. Then, should we not support the increase of food grains in the villages and should we not stop criticizing the increase of prices of food articles? You suggest. Now, the hon. Finance has made provision even for cold chain and given incentives. So, that way you come out with some more suggestions. To increase the income of the poor man in the village or the poor man in the country or in the farming sector in the villages, you come out with some more suggestions where they must be helped but not in this way that on one side supporting and showing pity to the farmers and on the other side criticizing aggressively about the price increase in the food grains. I believe they do not go together. So, I request hon. Yashwant Sinha Ji to think in this matter.

Coming to the other aspects which he has dwelt, he was telling about the excise duty. He was telling about the income tax. Regarding income tax, we agree that I am also a party with you in the Standing Committee on Finance in asking the Government to increase it to Rs.3 lakh. But then when the statistics show that the number of tax payers who have paid tax in the scale of Rs.1.5 lakh to Rs.2 lakh was 83 per cent in 2002, three per cent of the total population, whereas today it is 52 per cent. It has come down. Then, the percentage of total tax collection in 2002 with Rs.1.5 lakh to Rs.2 lakh was 58 per cent but today it is three per cent. That means, the tax that is being collected from people earning Rs.1.5 to Rs.2 lakh has come down from 58 per cent to three per cent. Similarly, the tax that has been collected from the taxpayers, whose income is more than Rs.10 lakh, was six per

cent in those days, and the number was one per cent. Today, the number has gone to two per cent and the percentage of total tax collected has gone up to 22 per cent.

Similarly, the people, who are paying tax between an income of Rs.5 lakh to Rs.10 lakh, in 2002, were four per cent with 16 per cent total tax. But today, it is 71 per cent. Seventy one per cent tax is being collected today in 2011 from the tax payers, whose income is between Rs.5 lakh and Rs.10 lakh. Obviously, we can see that most of the tax is coming only from people who are in the bracket of Rs.5 lakh to Rs.10 lakh and above.

So, we must see the trends which are going in the country and based on that we can think of it. However, even if the hon. Finance Minister were to increase its limit from Rs.2 lakh to Rs.3 lakh, the effect would not have been substantial. The statistics given states that from people earning Rs. 2 lakh to Rs.5 lakh, the total percentage of tax that is being collected in the year 2011 is five per cent and if it were to increase to three per cent, we will not be the loser and the Government will not lose much. I request the hon. Finance Minister to think that if it is not going to affect his revenue in a substantial manner, a large number of people can be benefited. Then, a psychological impression will go that small taxpayers are not burdened in any manner.

Even then, my feeling always is that we should not be worried about the taxpayers. We must be worried about the non-taxpayers. If three per cent of the taxpayer are to be there in this country, 97 per cent are non-taxpayers. That means, we must think more about them; what kind of assessment we will give to 97 per cent of the people than discussing and wasting time on three per cent taxpayers.

Then, I come to the range of taxes; increase of duties. The increase in Standard Excise Duty, as you said, is two per cent. Is there excise duty on food grains? Is there excise duty on any food commodities like chilli, onion, etc., the common things that are required for a common man? Excise duty is there only on the goods, which are used mainly by the middle, upper middle and the richer people. Should we be worried about two per cent which is increased by the hon.

Finance Minister? I would have supported him, had he increased it even by four per cent. But, he has modestly increased it only by two per cent and that too for getting the increased revenue and cover the deficit. By way of that he is getting about Rs.12,000 crore.

Similarly, he has increased the duty on cigarette. Is it a crime to increase the duty on cigarette? On one side, the entire globe says that you must discourage cigarette smoking, you must discourage tobacco. If the duty were to be increased on cigarette, we must appreciate it. You can ask to increase it more, but certainly not less. The same thing I said about gold.

Sir, next point is regarding the luxury car. If there were any duty to be increased on luxury car, can we have even one word in opposition to it? Who is the person who is using the imported car? Even if you were to increase it to two fold or three fold, I would have supported it. Many of the Members would have supported it. The mistake that he has committed is in respect of crude petroleum. When 80 per cent of this is being imported, why do you want to subsidise that? If you do not increase the price and the gulf remains, that will be met from the Budget. Whose money is that in the Budget? It is the public money. Most of the consumption is being done by the richer section of the society. It is our duty to collect the tax to cover the gap from the rich itself.

16.00 hrs

It should not be collected from the general people who constitute 90 per cent, or 70 per cent of the people living in the villages. If he were to cover this loss on the crude petroleum by increasing the price, we should not be worried about it. That way, most of the actions that have been taken by Shri Pranab Mukherjee were definitely on the right side. Most of the comments that we see are only from the corporate people. Not a single poor man can criticise this.

In regard to service tax, I would submit that it is charged globally. I am not saying that everybody should be taxed for rendering service, but if the service tax is charged of those people, who are earning substantial money, be it a doctor,

lawyer or businessman, for the services rendered by them, there is nothing wrong in it. Even if we look around the globe, we will find that service tax is being levied.

Coming to the income tax, I would submit that it ranges from five per cent to 45 per cent in China while it is only 30 per cent plus three per cent, which comes to 33 per cent, in India. When China is charging 45 per cent, the US is charging 50 per cent, the UK is charging 50 per cent and Sweden is charging 57 per cent, we are certainly not charging that much income tax. So, there is nothing for us to criticise in this regard, even when he has increased the slab. On the contrary, we are asking for reducing the income tax slabs. It is being asked only with a view to impress the public and claiming that we have reduced the income tax, but where will the revenue come from? Where will you take money to meet social obligations from? Hon. Finance Minister has increased allocation for expenditure on social activities and social services in the last couple of years. I may tell you the percentage of how the allocation in the Budget has gone up in regard to agriculture, education and social services. We must encourage that. We must support it. We cannot discourage any Finance Minister or any Government, which is in power, on these points.

16.02 hrs (Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

Sir, you dealt with direct taxes and indirect taxes. In regard to incentives, I am very happy that the hon. Finance Minister has given incentive for power generation by decreasing the duty on basic things that are being imported. The key to the development of economy of any nation is power. It is true that there is shortage of power everywhere and naturally, the industry will also get affected. As he suggested that the hon. Finance Minister must support the corporate sector or anybody else who wants to go outside the country to take up coalmines there, extract coal and then import the coal here and generate power, we must be able to support him. Any amount of subsidy can be given to them in the interest of the

nation. Even there, no subsidy is required if the Tax Rules and other things are simple and encourage it. That would be enough.

In regard to the subsidies on oil, hon. Finance Minister has done a saving of Rs. 24,905 crore. It means that the subsidy that was given earlier of Rs. 68,481 crore has come down to Rs. 43,580 crore.

Similarly, about subsidy on fertilizers, I would humbly make a request to the hon. Finance Minister. He has reduced subsidy from Rs. 67,199 crore to Rs. 60,974 crore affecting a saving of Rs. 6,225 crore. I may not like to come in his way, but request him to increase the MSP for the farmer. The moment a farmer has to pay more for the fertilizers, he cannot be in a position to afford it. So, either he should increase the MSP for food grains or subsidise the fertilizer. When it comes to food security, it may be much more.

In regard to fiscal deficit, irrespective of whether he was the Finance Minister or somebody else, bringing of FRBM Act was absolutely correct. When they went right up to three per cent at one time, coming to 5.9 per cent is certainly a burdensome affair. But we criticise increase of revenue, and we ask for everything. Wherefrom will the revenue come? Any Finance Minister who has used it or whether he sits in the Chair, there must be some revenue. Otherwise, they cannot do it. If the revenue were to be raised from the rich; if the revenue were to be raised from production; if the legislation that we have made were to motivate the industry or the individual to work more, then there is nothing wrong. In this context, my humble request to the hon. Finance Minister is to please allocate more funds for skill development. Unless skill development is there substantially in this country, no amount of your criticism or our discussions in the House will bring any solution in this country. Kerala alone is earning $ 50 billion from the repatriation of money by their NRIs. $ 50 billion is earned from one State alone. If this were to be the case and if skills of the people of this country were to be increased, then how many hundreds of billion dollars we can get from other

countries and how much reduction in the price of production can be achieved by improving the skills of the people?

Today, if the prices of commodities like cement, steel, manufactured goods or even food grains were to go up because of cost of production, how can it come down? It can come down by Research and Development where we can increase the output per acre from 3 tonnes to 6 tonnes or where the output of all industrial workers is substantial compared to what it is today, then we can really bring down the prices. Then only, we can compete with the global market.

Having accepted globalisation of the economy, no country is independent. Any change in one country will have an impact on the other country however far they might be. So, we have to think in terms of making legislation or allocating budget to things like skill development, education, healthcare, etc. The Government has done substantially in the last couple of years in increasing the allocation to these sectors. But much more has to be done, particularly, in regard to skill development. I would have been happier and I would have honestly congratulated if you were to provide at least Rs. 30,000 crore for skill development.

He has also controlled the expenditure, which the statistics also show. The expenditure by the Government of India in 2011 is 15.7 per cent of GDP; it has come down in 2011-2012 to 14.9 per cent; and he expects it to come to 14.8 per cent in 2012-2013. The expenditure can still be controlled, particularly, unproductive expenditure or something of the kind, which has been paid to richer sections of the society or well-placed sections of the society. The Fifth Finance Commission, Sixth Finance Commission and Seventh Finance Commission will always think in terms of increasing the salaries of the organised sector. None of them is talking about the unorganised sector. A person who is working in an airlines and gets Rs. 2 lakh salary per month makes a demand and says that : “Today, we are on strike.” What a pity? A person drawing Rs. 2 lakh or Rs. 3 lakh

per month will go on strike, and a person who is getting Rs. 200 is subjected to the same thing for ever.

You were talking about GAAR. I also have a feeling that tax payers should not be harassed, but should the tax payers think in terms of utilising all their brains only for avoiding tax? There can be some flaw or some weakness in the Act, which we have made because no Act can be foolproof. We will understand where the lacuna is only over a period of time, and how these fellows are taking advantage of this lacuna. As you said, the Supreme Court might have given a judgement in regard to Videocon. You and I are the lawmakers. The judiciary is only interpreting, and it is the interpreter of our law. The day we realise that the Supreme Court or the judiciary or any court were to interpret in a manner from what we thought or from what we meant, then it is our duty to amend the law.

I appreciate your telling that this House is supreme. There is nothing wrong. It has got all the powers to bring legislation with retrospective effect.

I support it. But if a taxpayer were to use the advice of his consultant to avoid paying tax running into lakhs of crores, then what are the ethics there? When one gets so much benefit from a US $ 11.2 billion deal, if he uses the weakness in the law for not paying ten per cent tax on capital gains and thus gains Rs. 11,000 crore, can you tolerate that? Is it not our duty to bring in legislation, if necessary with retrospective effect? Is it ethical for him to do so? Just because there is a loophole or that he has his address elsewhere, or he has got the sale of agreement from Cayman Islands or some other tax-free Island, can anyone quote that as a reason and say that he does not have to pay the tax? Can we support this? Even if the Supreme Court were to give a judgment in this regard, it is our duty to correct it. I am happy that the Government has corrected it. We must also ensure in future that no company with a similar background takes advantage of it. That is the reason why we have brought GAAR.

I am happy that you have raised this issue of the onus of proof lying on the Department and not on the taxpayer. Otherwise, the taxpayer would have been put

to a lot of harassment. As you said, I support the point, there must be some independent members in the Committee. If it were to be only a Tax Commissioner or a Chief Commissioner, invariably, he will always support the decision taken by his subordinate or his colleague. It means that there may not be much difference in the decisions taken by them. Therefore, I certainly support your asking for an independent member in the panel. In that way, I would request the hon. Finance Minister to think in these terms and see what can be done for avoiding the harassment of the taxpayer in this regard. There is nothing wrong in bringing that clause of GAAR.

Sir, Securities Transaction Tax, you and I know that securities transactions worth hundreds and thousands of crores of rupees are occurring every day. If the taxes were to be levied on securities transactions, it is not a wrong thing. When a small amount of commodities like food grains go into the agricultural market, they are levying a cess on it. The Government should think in terms of removing the cess on all the food commodities, but not necessarily on these securities transactions. The hon. Finance Minister has done thing and there is nothing wrong in it. However, due to demands from some quarters, he must have reduced it from 0.125 to 0.1. I am of the opinion that even if it were to remain at 0.125, there is nothing wrong in it.

In parallel, I am happy that the discretionary power of most of the officers has been reduced to a very great extent. As far as possible and as much as possible, the legislation made by us must be clear along with the rules and regulations. Should the discretionary power be with the officer in between, he could as well play havoc, and we know what they are doing in the society. I am happy that he has reduced the discretionary powers of the officers in this regard.

Coming to the issue of property transfers, particularly in regard to housing, if a person were to transfer, sell or purchase a property, one per cent of the value has to be paid as tax. I am happy that the hon. Finance Minister has withdrawn that provision. He also supports giving encouragement and incentive for anybody who

comes out with a plan to construct affordable housing, or housing for the economically weaker sections or in slum areas. That is certainly a welcome initiative and I support the hon. Finance Minister in this matter.

I once again agree that in spite of the melt down in the whole of the globe, our economy is so strong that we could sustain our growth. We are still maintaining the GDP growth rate, which was more than 8.4 per cent earlier, or eight per cent earlier, and which was about 7.6 per cent or 7.1 per cent last year. It must be appreciated. Even if it were to be sustained at that level, while his projections are more, we must be happy about it because of the prevailing circumstances in the entire globe.

Sir, in regard to the fertilizer production, I am very happy that the hon. Minister has given investment link rate deduction, more particularly on the research and development which is the major reason for many of the developed countries to come to that level. Today, if USA were to be in that stage, it is because of R&D. They laid more emphasis on R&D. Today, the hon. Finance Minister has given incentive of 200 per cent investment on R&D. Similarly, on skill development, he has given the incentive of 150 per cent of the investment and on cold chains, warehouses, hospitals, fertilizers, affordable housing, bee-keeping and container, on all these things, he has given the investment deduction which is good. He has not given for jewellery. He has not given anything of that kind. These things are required.

For fertilizer:- potash or phosphate, there is shortage in this country. We are importing almost all the potash from outside the country. So, if you want to encourage, then some of our corporate sectors has to go to some African countries.

Now, I am coming to growth in agriculture sector. In the year 2011-12, the growth was 2.5 per cent and in the year 2010, it was 7 per cent. You may feel bad about it. But we must find a way how we have to encourage the farming community to produce more and more. In this regard, I had a suggestion to the hon. Finance Minister and also to the Government. Many of the countries are

ready to give freely lakhs of acre of land if some of us take the responsibility. The corporate houses in this country should go to the farming community in the villages; collect hundreds and thousands of farmers; take them to those countries to produce food grains; and send items to our country. If it not possible, in case of an alternative, then oil seeds because we are spending Rs. 40,000 crores on importing only palm oil. The major items which we require and for which we do not have amenities in this country, we must encourage corporate sector or make a legislation or give all support to those people who go to those countries and produce these things and without which we cannot achieve targets.

Sir, for Foreign Direct Investment, I remember that you were telling that most of our corporate houses are interested in investing outside the country and not in our country. We all agree for that. And all of us think that our own people must invest in India. But what is the motivation for any businessmen or for any corporate house. The corporate house wants to earn more and more. When he thinks that he can get more profit outside the country by investing there, he would naturally go there. And when the rate of return is less in this country, he would not be inclined to invest in this country. He wants to get more return for his money. So, there is nothing wrong in this respect. But at the same time, we can create an atmosphere where they will be more inclined to invest here. There is nothing wrong in that. So, it is not a trend if a corporate sector go outside and invest. The rate of return which our businessmen expect is different from the rate of return from what the Americans or the developed Europeans expect. They are not getting even one percent return. They are not getting even two per cent on their investment. You have to give more interest to come and invest here. Is it a bad trend? Do you take it as a bad indication? No, we should not at all take it as a bad trend. We can also encourage some of the FDI to come freely and invest here but at the same time, pay the taxes what has to be paid in this country. Let them take away any amount of money by producing here. In fact, I have been suggesting to many of the Parliamentarians from all the European and developed countries to

come here. While interacting, it is time for you to invest in this country. If you do not have a unit of production in America or UK or Europe, you must have one unit in India and produce these goods only then, you will have market for your product, otherwise nobody will purchase your product which is made in USA or in Europe.

That way we can encourage all these corporate houses and investors for bringing FDI from outside so that good atmosphere is there in this country. If somebody has cheated earlier, should we not correct that? Does it affect the credibility of our country? No. If a mistake committed earlier is corrected, is not a crime. It does not take away our credibility. The only thing is, whatever is committed earlier, should not be backed. But if it is cheating or if it is a wrong interpretation, it should be corrected. Today, in the legislation, there was a change with the retrospective effect. That was only a clarification of the interpretation. What do we mean by it? It is not changing the law totally. It is only giving a clarification. That way, we are not going to affect the credibility of this country by bringing retrospective legislation also where misuse of Act is done by someone.

As I told you a little earlier about the investment, the expenditure on social services has gone up from 13.38 per cent in 2006-07 to 18.47 per cent in 2011-12. Is it not a good thing? It is a social service for the poor who are poor for generations. It must be more. I have been demanding in this House since 1985 that no economic Ministry must be given budgetary support. Why should the Railways be given the budgetary support? Why should the Civil Aviation Ministry be given the budgetary support? Why should the Air India be given Rs.30,000 crore package? I really do not understand. If it is for social services, I would support it or all of us would support it. If it is for education, I would support. On education in 2006-07, the investment was 2.72 per cent of GDP. But today it is 3.11 per cent. The investment on health care is 1.25 per cent in 2006-07. It is 1.35 per cent today and it has to be increased further. About employment, in 1999-2000, it was 64.6 million. In 2009-10, it was 100.7 million. Still, we have to make provision for employment. Why are we not able to make it? The reason is this. Though we say

that we have got the largest technological manpower in this country, though we say that we are number one in the world in information technology, yet the reports clearly indicate that most of the people that we have produced either in information technology or in other areas of education are not fit to the industry. So, we must change the mode of education, the system of education. It must be linked to the industry. It must be linked to the needs of the country. Only then, the person who is coming out of the institute whether he is a Tenth class or Twelfth class or B.A. or M.A. or a Medical Graduate or Engineering Graduate, he must be useful to the industry and the society directly. Only then, his worth would be there. If I say that I am an engineer but I do not have a basic knowledge of anything, then I would be of no use to the country. I would be having my ego that I am a graduate in engineering, I am a post-graduate, I am a doctorate and so on. So, we must emphasise on changing the system of education so that it becomes useful and effective. No person who comes out of the educational institute should think that he is depending on either the society or the Government or on his parents. The moment he comes out of the educational institution, he must be able to live on his own. He has got the capacity to produce things. The society and the industry must be after him and he should not be after the industry. That must be the type of education that we must have in this country. Let us work on that.

We have already dealt on the dividend direction tax. Dividend Deduction Tax, you have already dealt with. I am happy the hon. Finance Minister has increased the outlay on agriculture from 15 per cent to 18 per cent. I am happy that the credit has been increased from Rs.70,000 crore in 2003-04 to Rs.5,75,000 crore. But mere increase of credit alone will not serve the problems of the people particularly of the farming community. That is the reason why the rate of interest to be charged has to come down from seven per cent to four per cent. I wish that all of us must be one in urging the Government to make the rate of interest zero per cent for the farming community or for the poorer sections of the society.

Interest is the one which is killing the poor farmer in the country. Interest is the one which is killing the poorer sections of the people. If you charge a trader even 24 per cent rate of interest, he will simply pass the burden on to the consumer. But the poor people cannot pass their interest burden on to anybody else. While the income on agriculture of an agriculturist is not more than two per cent or sometimes even one per cent, should he be made to pay seven per cent rate of interest on his loan? That is the reason why some of these private lenders are taking advantage.

If we can make available all the money that is required by the poorer sections of the society, or women's self-help groups, or farming community, with no interest, that would be the beginning of the prosperity of this nation. That would be the beginning of the prosperity of the rural people. I wish more and more allocations to be made for the agriculture while appreciating the increase in the allocation to 18 per cent in this regard.

I have some suggestions. I have been discussing these in the Standing Committee on Finance also. While the income or the wealth of the people is increasing in corporate houses and in trading, the wealth of the people living in the rural areas is coming down regularly year after year. Most of the farmers are selling away their lands year after year. There is no way out for them, while the wealth of the rich people is doubling, trebling and increasing manifold every year. What is wrong if we are to think in terms of putting a windfall profit tax? If the share value were to go up from Rs.10 to Rs.1,000, what is the type of profit the shareholder is making? Is it not his responsibility to share that profit with the 90 per cent of the people who are living in poverty or 60 per cent of the people who are in a bad state? I, therefore, request the hon. House and my colleagues to think in terms of suggesting to the Government to think in terms of levying a tax on windfall profit, not normal profit. If normal profit accrues, it is okay. We do not want to kill a person's initiative. An industrialist, a manufacturer must have a

motivation to earn more and more. We agree. But by doing so, if the disparity between the poor and the rich were to be widened, we cannot accept that.

So is the case with wealth tax. Very little money is being collected under this. About Rs.400 crore is being collected totally. Even if the rates of wealth tax were to be doubled, there would be additional revenue of Rs.400 crore to the Government. If I were to have a wealth of Rs.5,000 crore, do I not have a moral responsibility to share a part of that wealth, either by way of tax or by way of charity, with the rest of the people in the country? One cannot eat away Rs.5000 crore or Rs.10,000 crore in one day. That is enough wealth for generations to enjoy. … (*Interruptions*) I am of the opinion that there is nothing wrong in taxing wealth. People may say that if wealth is there, motivation will be there; otherwise, nobody will work hard to earn money. But if a person were to earn wealth beyond say Rs.100 crore or Rs.500 crore, whatever he earns beyond that let him be a trustee for that and let him put it to some useful public purpose like for restoring an ailing industry, or helping the society, or for doing something productive. Certainly, that money should not be allowed to be misused. The day the country comes to know that a person is indulging in vulgar display of wealth, then the Government should enter and take away the wealth.

As regards wealth tax, let him not give it in the form of a tax. If a person were to have wealth, let him share at least one per cent or two per cent of that every year with the society, with the underprivileged people. By whatever name you call, levying some tax or asking the rich man to share some tax on his property, is not something wrong. I would request the House and my colleague hon. Members to think of some ways of doing this.

The estate duty is abolished. What is wrong in levying an estate duty? If, after my death, my property were to go to somebody who is earning income on that property, without any of his efforts, what is the wrong, if the Government were to take some part of it? Can we not think in terms of bringing back the estate duty which was there earlier?

There is every possibility for Shri Narayanasamy or for the hon. Finance Minister to think that being in the Ruling Party, I am making some criticism here and there, but it is not criticism, but with a sincerity of mind, I am only suggesting some ways whereby revenue can be increased, which can be used for the poorer sections of the society and which could really be used for implementing ‘inclusive growth’. ‘Inclusive growth’ is an excellent word and it should always be in our minds; no amount of growth in this country could bring about ‘inclusiveness’ and it is of no use, if it is not shared by all the people of this country.

For generations to come, the enmity between the rich and the poor will continue and aggravate, if the disparity were not to be reduced. I cannot say that all the people should have the same wealth; I cannot say that everybody must have equal wealth, but the disparities have got to be reduced to the extent possible, while encouraging production and giving motivation to the people to produce more.

Hon. Finance Minister, Sir, I want to conclude by saying this – please think in terms of allocating more money for skill development in this country. Out of the 1200 million people, even supposing 400 million people were to be in the ‘working age’ and if their skills were to be increased, it should be done - a carpenter who is earning Rs.300, starts earning Rs. 600 after developing his skils, it is for the good of the nation’s wealth; in that case, the total wealth from those people would become Rs.6 lakh crore.

I know that you are collecting 10.6 per cent or 10 per cent of the total gross product as revenue. In this case, your revenue will also go up and you can fulfill the FRBM targets also. You will also be reducing the deficits, automatically without making any further effort. You can do this, if you increase the skills of the people. It will be very useful and more practical. If we do that we would not be criticized by the Opposition, and we could always say that we are doing which you could not do.

I congratulate the hon. Finance Minister for almost all the acts that he has done and my only humble request is that please do something more.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2012-13 के वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं बड़े विस्तार से सम्मानित सदस्य श्री य़शवंत सिन्हा जी को सुन रहा था और मैंने विद्वान सदस्य श्री के.एस.राव जी की भी पूरी बात सुनी। जहां तक हमारे फाइनैन्स मिनिस्टर का सवाल है, वह बहुत विद्वान हैं, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, वह बहुत वरिष्ठ भी हैं और जैसी चर्चा है, उसमें मैं भी उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि दादा की तरक्की हो और वह यहां से आगे बढ़ें। अभी आदरणीय सिन्हा जी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ डरी और सहमी सी है। सरकार की इच्छा शक्ति कुछ कमजोर हुई है। इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि इतने उतावलेपन में नहीं होना चाहिए। यह तो सन् 2014 का समय तय करेगा कि कौन इधर रहेगा और कौन उधर रहेगा। जहां तक अभी करों के बारे में बात हो रही थी, करों के प्रस्ताव में आपने जो राहत दी है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। अभी मैं दोनों तरफ के विद्वान सदस्यों को सुन रहा था। आज हिंदुस्तान के 70 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं। जहां यह भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। अगर हिंदुस्तान का विकास होना है तो हमें कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा। सदन में इस बात की चर्चा बराबर हुई है। दूसरी तरफ हम लोगों ने कई बार आयोग भी बनाए, आयोग की रिपोर्टें भी आईं। कृषि से संबंधित डॉ. स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी आई। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि अभी कृषि से संबंधित आंकड़े आए हैं, देश में हर दिन 1441 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। दूसरा यह कहा गया कि अनाज उगलने वाली इस धरती पर कंक्रीट उग रहे हैं। मतलब हम जो विकास कर रहे हैं, उस पर भी एक सवालिया निशान है कि हमारी जो कृषि योग्य जमीनें हैं, हम वहां पर कंक्रीट का निर्माण कर रहे हैं। हमें उद्योग-धंधे लगाने हैं या विकास की बात करनी है तो ऐसी जमीनों को तलाशना होगा जो कृषि योग्य नहीं है, जो बंजर है और ऊसर जमीन है। हमें उसको लेना चाहिए। आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई हुई आबादी के लिए अनाज जुटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

आज हम सदन में चर्चा कर रहे थे कि गेहूं का इतना ज्यादा उत्पादन हुआ है कि हम कांटों पर नहीं ले जा पा रहे हैं और बोरी की कमी हो रही है। अगर आज बोरी की कमी न हो, हमारे अनाज खरीद लिए जाएं और इसे विदेशों में भेज दिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े राजस्व की बढ़ोत्तरी होगी और हमारे देश को विदेशी मुद्रा मिल सकती है। इससे हमारा खजाना भी भर सकता है। हम आर्थिक रूप से विकसित हो सकते हैं, विकास कर सकते हैं। हमें इतनी बड़ी इकनॉकी का फायदा मिलने वाला है। लेकिन हम उस पर बहुत मध्यम गति से सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दस दिनों से सदन में यह चर्चा हो रही है।

आंकड़े बताते हैं कि देश में 14 करोड़ हेक्टेयर खेतिहर जमीन है। बढ़ते शहरीकरण से ज्यादा 38 वर्षों में रोजाना 2 करोड़, मतलब कि 1441 हेक्टेयर से ज्यादा उपजाऊ भूमि खत्म हो रही है।

सभापति महोदय, ये आंकड़े बता रहे हैं कि सन् 2050 में आबादी 170 अरब के लगभग पहुंच जाएगी। 170 अरब के लोगों के लिए हमें अनाज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस आबादी के लिए 37 करोड़ टन अनाज की जरूरत पड़ेगी। यह हमारे आंकड़े बताते हैं। दूसरी तरफ वित्तमंत्री जी ने जब अपने भाषण में शुरूआत में कहा, उसके लिए मैं उनका स्वागत भी करता हूँ कि पूरे देश में ज्वेलर्स या अन्य टैक्सों में जो आपने थोड़ी कमी की है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ब्रांडेड और अनब्रांडेड ज्वेलर्स पर आपने टैक्स कम किए हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, जहां तक सेवा कर माफ करने की बात कही गई है, मैं चाहूंगा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने नारा दिया था। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, if you cannot see, keep your ears open and close your eyes. I am saying, keep your ears open and hear what is being said.

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं यह कह रहा था कि डॉ0 राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि रोटी, कपड़ा सस्ता हो, दवा, पढ़ाई न रूके। यह व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी चाहिए कि कैसे जो आत्महत्याएं हो रही हैं, तंगी हालत में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, रोटी आपको सस्ती करनी पड़ेगी, चाहे जैसे भी व्यवस्था हो। हर व्यक्ति के तन पर कपड़े हों, यह व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी और दवा, संविधान में भी यह प्रावधान है कि सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, सबके इलाज की व्यवस्था हो, सबके लिए दवा की व्यवस्था हो। पढ़ाई के नाम पर, आज इतनी महंगी पढ़ाई हो रही है, इसकी तरफ सरकार को सोचना पड़ेगा। पढ़ाई भी मुफ्त होनी चाहिए, यह व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इस पर किसी सरकार ने काम किया है तो वह उत्तर प्रदेश सरकार ने, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया है। इसी कड़ी में हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी भी आगे बढ़ रहे हैं।

दूसरी बात यह कही गयी कि वित्तीय घाटे को कैसे पूरा करेंगे? यह सरकार के सामने एक सवालिया निशान है। मैं यशवंत सिन्हा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सरकार बाजार से प्रतिदिन ऋण ले रही है। इस वित्तीय घाटे को हम कैसे पूरा करें तो एक ही रास्ता सरकार के सामने है कि टैक्स लगा दे। लेकिन टैक्स लगाने के अलावा हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या सहूलियत दे रहे हैं? अगर प्रति व्यक्ति आय, आमदनी बढ़ रही है तो उसके अपने व्यक्तिगत रिसोर्सेज हैं, उसकी अपनी व्यक्तिगत मेहनत है। यह नहीं होना चाहिए कि अगर उसकी आय बढ़ रही है, उसका जीवन-यापन अच्छी

तरह से हो रहा है तो हम उस पर टैक्स लगा दें। इससे काम चलने वाला नहीं है, इसमें सरकार को अन्य दृष्टिकोण से भी सोचना पड़ेगा।

यह चिंता व्यक्त की गयी कि डॉलर के मुकाबले में रूपये का दाम घट रहा है, वह कम हो रहा है। उस पर सवालिया निशान हमेशा रहा है और हर बहस में यह बात उठी है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि रूपये का जो मूल्य है, उसकी कीमत न घटे, रूपये का मूल्य बढ़ना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा हस्तक्षेप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। यह हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में फ्लक्चुएशन को देखकर यह तय होता है, लेकिन इस ओर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि कल डॉलर के मुकाबले रूपये का मूल्य इतना कम हो जाये कि आयात-निर्यात पर उसका बुरा असर पड़े। इस ओर भी हमें देखना पड़ेगा।

महोदय, एक बात और प्रमुखता से कही गयी कि देश बहुत ज्यादा आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यह बात भी सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व में आर्थिक तंगी है। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जब हम दुनिया में जाते हैं तो भारत को कहते हैं कि हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें इसका ढोंग नहीं रचना चाहिए। दुनिया के सामने हमें देखना पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, हम ऐसा ढोंग न रचें कि हम दुनिया के सामने यह दिखायें कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या हम बिल्कुल विकसित देश हो गये हैं। हम विकासशील देश हैं। इसके अनुसार भी हमें सोचना पड़ेगा। जहां तक विदेशी मुद्रा के भंडार को संभालकर रखने की बात है, समय-समय पर इसके बारे में तमाम सम्मानित सदस्यों के विचार आये हैं, इस ओर भी हमें सोचना पड़ेगा। हमारे पास जो सोने का भंडार है, हम देखते हैं कि घर पर भी अगर कोई संकट आता है तो घर की महिलाएं सोना निकालती हैं और उस समस्या से निजात पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस विषय पर यशवंत सिन्हा जी ने बड़े विस्तार से बात कही। मैं एक समय वह भी याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जब संकट पड़ा था तो उसी सोने को आपने गिरवी भी रखा था। इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति न आये कि हमें सोना गिरवी रखना पड़े।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record except what Shailendraji is saying.

*(Interruptions)**

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं सरकारों की बात कर रहा हूं, आपकी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार रही रहे, लेकिन ऐसी स्थिति न आये कि हमें सोना गिरवी रखना पड़े। मैं यह कहना चाहूंगा। सरकार बाजार से कम से कम ऋण ले, दादा हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ऋण लेकर इतना ज्यादा आर्थिक घाटा न हो कि हम लोगों के ऊपर टैक्स लगाकर उसकी वसूली करें, क्योंकि कोई भी सरकार हो, वह जनता के लिए होती है। जनता पर टैक्स का इतना बोझ न पड़े कि जनता उससे दब जाये।

अभी यहां पर किसानों की बात हो रही थी। आप देखिये कि देश के अंदर आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है। उसकी स्थिति बहुत खराब है। यहां पर आज माननीय शरद यादव जी ने शून्य प्रहर में मामला उठाया, हाउस भी डिस्टर्ब हुआ, आज 70 फीसदी किसान ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। यह बात सत्य है कि संसाधन न मिल पाने के कारण आज वह ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ पलायन कर रहा है। यहां पर शरद जी ने जो बात कही, वह सही है कि गेहूं का पर्याप्त उत्पादन हुआ है। अभी धान का उत्पादन भी पर्याप्त हुआ है। जो लक्ष्य था, उससे कहीं ज्यादा हुआ है, जो संभावनाएँ थीं, उससे ज्यादा हुआ है। लेकिन हम खरीद की व्यवस्था नहीं कर पाए। इसलिए हमको एक व्यवस्था देखनी पड़ेगी। प्रणब दादा ने अपने भाषण में कहा कि हम बोरी की व्यवस्था करेंगे। जितनी जल्दी हो सके, आप बोरी की व्यवस्था करें। आप देख रहे हैं कि मौसम प्रतिदिन बिगड़ रहा है। किसी भी दिन बारिश हो सकती है, किसी वक्त भी ओले पड़ सकते हैं। आज किसान के पास जो प्लास्टिक की बोरी है, उसमें भरकर वह अनाज ले जाता है, अगर जूट की बोरी है, उसको ले जाता है। लेकिन जहाँ पैकिंग होती है, जहाँ नापतोल होता है, वहाँ पर जूट की फ्रैश बोरी चाहिए। इसलिए उस बोरी को जितनी जल्दी हो सके, आप दिलाइए। आप अपने देश में जहाँ-जहाँ भी इसका उत्पादन हो रहा है, वहाँ से मँगाएँ। अगर हमारे यहाँ नहीं मिल रही है तो आप विदेशों से भी बोरी मँगाएँ और मँगाकर कम से कम अपने यहाँ अनाज का भंडार इतना पर्याप्त मात्रा में रखें कि आप बाहर भी भेजें। देश की आर्थिक स्थिति मज़बूत हो, यह हमें देखना पड़ेगा। हमने पिछली बार बहस की थी कि 70 हज़ार टन अनाज खराब हुआ था और सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ा था। लोग भूखों मर रहे थे। यह कहा गया कि उनको सस्ते दामों पर अनाज वितरित कर दिया। आपने व्यवस्था की लेकिन आज भी हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली गड़बड़ है। अब आप कहेंगे कि यह व्यवस्था स्टेट गवर्नमैंट देखती है इसलिए स्टेट गवर्नमैंट देखे। लेकिन हमें ऊपर से भी कुछ न कुछ मॉनीटरिंग करनी पड़ेगी और इस पर ध्यान देना पड़ेगा। यही कारण है कि जब अनाज का ज्यादा उत्पादन होता है, भंडार होता है तो एक वक्त ऐसा भी

* Not recorded

आया था कि जब सूखे की स्थिति थी, उस समय हमने अंत्योदय योजना चलाई थी, काम के बदले अनाज योजना चलाई थी। उसमें काम भी हुआ और लोग भूखे भी नहीं मरे, उनको अनाज मिला। यह व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आँकड़े बताते हैं कि आज भी आम लोगों का जीवनयापन और आर्थिक परिस्थितयाँ अच्छी नहीं हैं और मानक आर्थिक परिस्थितियों के नीचे है। इसकी तरफ भी हमें देखना पड़ेगा।

बीपीएल के बारे में अभी यशवन्त सिन्हा जी ने बड़े विस्तार से बात की। मैं अभी अपने क्षेत्र के दौरे पर गया था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ एक महिला गृह कलह के कारण या आर्थिक तंगी के कारण अपने छः बच्चों को लेकर रेलवे ट्रैक पर लेट गई। जब ट्रेन आई तो चार बच्चे तो भाग गए, लेकिन महिला और दो बच्चों के चीथड़े उड़ गए। यह स्थिति गाँवों की है। इस ओर भी हमें सोचना पड़ेगा। जब मैं उस महिला के घर गया तो पता चला कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। छः-छ- बच्चे उसके थे। आज हमें बढ़ती हुई पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल करने के लिए सोचना पड़ेगा। आज बढ़ती हुई जनसंख्या में हमारे सीमित संसाधन हैं। हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक तंगी है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान की उपज का वाजिब मूल्य हम नहीं दे पा रहे हैं, इस ओर हमें बड़े विस्तार से सोचना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि योजना आयोग की रिपोर्ट और विभिन्न प्रोफेसरों की रिपोर्ट के बारे में हमेशा कहा जाता है। अभी बीपीएल पर एक प्रश्न आया था। मैंने यही कहा था कि यदि आप जॉइंट पार्लियामैंट्री कमेटी बनाकर बीपीएल के बारे में सर्वे कराकर उनकी रिपोर्ट लेंगे, तो मेरे ख्याल से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों की सही स्थिति आपको मालूम हो जाएगी। मैं आज अपने ज़िले के आँकड़े देख रहा था। हम जब गाँवों में जाते हैं, किसी कस्बे में जाते हैं तो वहाँ पर बीपीएल के लोग आकर घेर लेते हैं। स्थिति बड़ी खराब है। जो हमारे सरकारी सर्वे हैं, उससे भी बदतर पोज़ीशन है। आपने जो सर्वे कराया है, 1 मई से बीपीएल का नया सर्वे कराना आपने शुरू किया है, उसमें तमाम खामियाँ हैं। उन खामियों के बारे में मैं आपको बाद में विस्तार से बताऊँगा। उस पर हमें अमल करना है, तभी बीपीएल की सही स्थिति हमें मालूम हो पाएगी। कार्पोरेट सैक्टर की बात कही गई है कि हमारे देश के लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वे विदेशों में जाकर निवास कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ निवास नहीं कर रहे हैं। इसका कारण मैं सरकार को बताना चाहूँगा कि आज सबसे बड़ी बात ज़मीन की उपलब्धता है। दूसरी बात एनओसी का न मिल पाना है और तीसरी बात है कि राजनीतिक श्रेय कौन ले। यह जो आंकड़े आ रहे हैं, इस कारण हमारे देश के जो पूंजीपति हैं वे बाहर निवेश कर रहे हैं। इसलिए इस ओर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जो रिपोर्ट आयी है उसके अनुसार 65.7 प्रतिशत बच्चे आर्थिक परिस्थितियों के कारण अर्थात 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे देश का भविष्य हैं। कल की बागडोर

सम्भालने वाले उन बच्चों के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ आज भी आंकड़े देखें तो यह पता लगेगा कि आज एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। अमीर-गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। इस ओर भी चिन्ता करने की जरूरत है कि अमीर और गरीब के बीच सन्तुलन हो। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। यहां तक कि अगर एक दिन मजदूर कमा के नहीं लाता है तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है। रोज़ के कमाने खाने वाले की तरफ हमें विशेष ध्यान देना होगा। आज 24 करोड़ युवाओं का जीवन कष्टदायक है, उनके लिए हम रोज़गार की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा और नियोजन देश के लोगों की अच्छी जिंदगी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हमें प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और नियोजन की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा।

महोदय, देश के लोग नौकरी को एक अच्छा रोजगार का साधन मानते हैं कि अगर नौकरी कर लेंगे, तो हमारा जीवन स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जहां हम लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं। लघु उद्योग और हथकरघा उद्योग धीरे-धीरे बंद होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे शहर हैं, जैसे वाराणसी में साड़ी बनाने वाले बुनकर या कालीन बनाने वाले बुनकर हैं, जिनके द्वारा बनाई गई चीजों को हम विदेशों में सप्लाई करते थे, आज वे बंद हो रहे हैं। इस तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। वर्ष 2013 की शुरूआत तक 43 परसेंट भारतीयों के पास अच्छी नौकरियों की व्यवस्था आप करें, जिससे लोगों का जीवनयापन अच्छा हो सके।

मैं एक बार फिर प्रणब दा को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इस कुर्सी से आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं और इसके लिए बधाई देता हूं।

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे फाइनैंस बिल पर बोलने का मौका दिया और वित्त मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सदन में कुछ टैक्सों को वापस लेने की घोषणा की। हालांकि उस समय मैं सदन में नहीं था, लेकिन उन्होंने उन टैक्सों को वापस लिया, इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं।

महोदय, किसी भी देश या व्यवस्था को चलाने के लिए राजस्व की जरूरत है और अपने देश में राजस्व कर लेने की व्यवस्था कौटिल्य की व्यवस्था से शुरू हुई। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र दिया, उसका केवल हमारे देश ने ही नहीं, अपितु बहुत से देशों ने अनुकरण किया। लेकिन जो टैक्स वसूली का सिद्धांत है, जनता से जो कर लिया जाता है। पहले राजा राज्य को संचालित करने के लिए कर लिया करता था। लेकिन अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा के स्थान पर सरकार कर लेती है व्यवस्था को संचालित करने के लिए। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि जो कर की वसूली होगी, जो कर दिया जाएगा, वह पके हुए फल की तरह होगा। जो टैक्स का कलेक्शन होगा, वह पके हुए फल की तरह होगा न कि कच्चे फल की तरह होगा। कहने का मतलब यह है कि इस तरह का टैक्स नहीं लगाना है जिससे कि जिस पर टैक्स लगाया जाए उसको उसे वहन करने में परेशानी न हो जाए।

सभापति जी, माननीय मंत्री जी को सभी लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारी भी शुभकामना है। ...(व्यवधान) महोदय, चाहे वह प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर, माननीय मंत्री जी ने इस तरह का कर प्रबंधन इस देश में किया है कि आज़ादी के 64 साल बाद मुझे लगता है कि सबसे लम्बे समय तक वित्त मंत्री माननीय वित्त मंत्री जी रहे होंगे। मुझे उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन, इस देश में आर्थिक प्रबंधन इतने बेढ़ंगे तरह से हुआ है कि आज देश में विकास की सारी योजनाएं दम तोड़ रही हैं। हमारे देश का दुनिया के गरीब देशों की सूची में नाम आ गया है और यह नाम के लिए एक विकासशील देश है। माननीय वित्त मंत्री जी का जो कर प्रबंधन है, इसमें एक-एक व्यक्ति पर एक-एक सेवा में दो-दो बार, तीन-तीन बार टैक्स लग रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो बिल लाया है, वह एक औपचारिकता है। उस बिल में औपचारिकता को पूरा करना है और इस औपचारिकता को पूरा करने के बाद जब वह बिल एक्ट बनेगा और जो कर आएगा चाहे वह असहनीय कर ही क्यों न हों, इस देश को वहन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

सभापति जी, मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2012-13 में माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट में इनके घाटे का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। माननीय मंत्री जी इससे परेशान भी हैं। इन्होंने वर्ष 2011-12 में जो G.D.P का 4.6 प्रतिशत का घाटा तय किया था, वह घाटा अब पांच प्रतिशत से

भी आगे चला गया है। दूसरी ओर माननीय मंत्री जी को पिछले वर्ष 6,64,457 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली करना था। लेकिन जो वर्तमान में टैक्स हैं, सरकार उसको भी वसूल करने में सक्षम नहीं हो पायी। भांति-भांति के टैक्स, वे चाहे सेवा कर हों या एक्साइज ड्यूटी हो, सभी क्षेत्रों में टैक्स में वृद्धि हो रही है। लेकिन, सरकार का जो 6,64,457 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, वास्तव में वह 5,50,280 करोड़ रुपए ही टैक्स की वसूली हो पायी। सरकार का प्रबंधन कैसा है?

महोदय, दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो फाइनेंस बिल पेश किया है, इस बिल में बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं। एक प्रॉपर्टी शब्द आया है जो पहले से है और जिसमें इन्हें संशोधन करना है और संशोधन करने के लिए माननीय मंत्री जी ने बिल को रखा है। मुझे कहना है कि माननीय मंत्री जी ने वर्ष 1962 के आय कर कानून में संशोधन करने के लिए क्लाउज तीन के कॉलम दो को संशोधित करते हुए प्रॉपर्टी शब्द का नया एक्सप्लेनेशन जोड़ने की बात कही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि Capital asset means property of any kind. जब उसमें प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइन्ड इन्क्लूडेड है तो इसमें क्या कमी रह गयी

17.00 hrs

जिसे माननीय मंत्री जी इस एमेंडमेंट में प्रोपर्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं। आज आप जो संशोधन कर रहे हैं, इसमें बैक डेट से जो संशोधन करना है, वह एक अप्रैल, 1962 से लागू होना है। आज सरकार का ध्यान इस ओर गया है। इससे पहले इस सरकार और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट में सरकार को फटकार लगने के बाद जब कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और जब सरकार को किसी मामले में कोर्ट में सफलता नहीं मिली तो इस संशोधन को सदन के सामने लाने का काम किया है? हालांकि यह संशोधन जनहित में ठीक है, हम माननीय मंत्री जी, आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। चीन में भी बैक डेट से इस कानून में संशोधन हुआ है। दुनिया के जो व्यावसायिक संगठन हैं, जो पूंजीपतियों के संगठन हैं, वे इसकी खिलाफत कर रहे हैं। विभिन्न समाचार-पत्रों में खबरें आ रही हैं, लेकिन अगर हमारे देश में रहने वाले या इस देश के बाहर रहने वाले, व्यवसाय करने वाले, कारोबार करने वाले व्यक्ति किसी चालाकी से टैक्स मारने की कोशिश करते हैं। अगर सरकार संशोधन कर उस टैक्स की वसूली करके देश का विकास करती है तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि यह स्वागत योग्य कदम है और इसे किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने दबाव के बाद भी आप इस पर अडिग रहे।

17.02 hrs (Dr. M. Thambidurai in the Chair)

मैं आगे बताना चाहता हूं कि आपने आयकर के दुरुपयोग और आयकर की जो राशि देश में बड़े पैमाने पर आती है, इसका दुरुपयोग होने की बात भी आई है, चाहे वह विभिन्न घोटालों के माध्मय से हो या आयकर की चोरी करने का मामला हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने देश के पूंजीपति लोगों को, जो बड़े कारोबारी लोग हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनको आपने इस तरह की विभिन्न टैक्सों में छूट दी है......(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Arjun Roy, one more Member from your Party wants to speak. We have to give time to him also.

श्री अर्जुन राय: मैंने अभी तो शुरू ही किया है। मेरा भाषण तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अब होने वाला है। मेरी पार्टी से कोई और बोलने वाला नहीं है।

माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि जो आंकड़े हैं, आपने जो पूंजीपतियों को विभिन्न टैक्सों के माध्यम से छूट दी है, जैसे कारपोरेट टैक्स है, कारपोरेट टैक्स में आपने पूंजीपतियों को छूट दी है। मंत्री जी, उस कारपोरेट टैक्स में 34 प्रतिशत कारपोरेट टैक्स लगाने का आपने प्रावधान किया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसी तरीके से आपने उनको छूट भी दे दी है और 10 प्रतिशत छूट लेकर वे 24 प्रतिशत टैक्स पे करते हैं। दूसरी तरफ आपने आल्टरनेटिव मिनी टैक्स के माध्यम से 20 लाख से अधिक आय करने वाले लोगों को आप छूट देने जा रहे हैं, उनको जो सहूलियत देने जा रहे हैं, वह 3.70 लाख करोड़ रुपये है। आप एक तरफ सब्सिडी कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ कारपोरेट हाउसेज़ को आप टैक्स रिबेट दे रहे हैं और इस साल जो बड़े लोगों को आप विभिन्न माध्यमों से छूट देने जा रहे हैं, उसकी राशि पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। तीन लाख करोड़ रुपये आपको ब्याज देना है और छूट पांच लाख करोड़ से ज्यादा आप देने जा रहे हैं। आप छूट किसी किसान को नहीं देते, किसी मजदूर को, हथकरघा चलाने वाले को नहीं देते। आप कारपोरेट हाउसेज़ और बड़े पूंजीपतियों को छूट देते हैं।

आयकर स्लैब बढ़ाने से पूरे देश में सरकार की बड़ी प्रशंसा हुई और प्रचार भी हुआ कि आयकर स्लैब में आपने 1.80 लाख से दो लाख तक की आय को फ्री कर दिया। हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन इससे पूरे देश को आपने कितनी सहूलियत दी, 4500 करोड़ रुपये का इससे देश के लोगों को लाभ दिया, जो आयकर स्लैब में आपने बढ़ोत्तरी की। दूसरी तरफ, माननीय मंत्री जी, आपने सर्विस टैक्स को और एक्साइज़ टैक्स को 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत कर दिया। इस टैक्स बढ़ोत्तरी से आपने सर्विस टैक्स के माध्यम से 18 हजार करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त राशि वसूलने का प्रावधान किया। इन

दोनों टैक्सों के माध्यम से आपने 41 हजार करोड़ रूपए यानी कि अतिरिक्त वसूलने का प्रावधान कर दिया, लेकिन आपने आयकर स्लैब में जो बढ़ोत्तरी की, उसमें मात्र चार हजार पांच सौ करोड़ रूपए ही लोगों को लाभ मिल सका।

दूसरी ओर मैं बताना चाहता हूं कि दो लाख से पांच लाख आमदनी करने वाले व्यक्ति को दस प्रतिशत टैक्स लगेगा, पांच लाख से दस लाख आमदनी करने वाले को बीस प्रतिशत टैक्स लगेगा और दस लाख से ऊपर आय करने वाले को आपने तीस प्रतिशत टैक्स की व्यवस्था की। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह किस तरह का आपका बजटीय प्रबंधन है और टैक्स की व्यवस्था है कि दो लाख एक रूपए आय करने वाला व्यक्ति इस देश में दस प्रतिशत टैक्स देगा और एक करोड़ रूपए सालाना आय करने वाले व्यक्ति को तीस प्रतिशत टैक्स देना है? हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आयकर का जो स्लैब है, उसे और आगे बढ़ाइए। जो पूंजीपति लोग हैं, ग्लोबलाइजेशन के युग में बड़े-बड़े लोग इस देश में हैं जो सालाना करोड़ों रूपए कमाते हैं, उन पर आयकर की सीमा और बढ़ाने का काम करिए। ...(व्यवधान)

सभापति जी, आपने बेल बजा दी। हमारी पार्टी के बीस सदस्य हैं, आप मुझे पांच मिनट और दीजिए। यह दो दिन का डिस्क्शन है। मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

कृषि के क्षेत्र में साथियों ने चर्चा की। आपने 18 प्रतिशत कृषि के प्लान साइज को बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस देश में कृषि की क्या स्थिति है, यह आपसे छिपी नहीं है। कृषि की इस साल जीडीपी में 13 प्रतिशत भूमिका है। 65 प्रतिशत लोगों की निर्भरता देश में कृषि पर है, लेकिन कृषि की जो ग्रोथ रेट है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कृषि की ग्रोथ रेट कुछ दिन पहले जीरो प्रतिशत थी और आज वह 2.5 प्रतिशत है। कहने का मतलब यह है कि देश के 65 से 70 प्रतिशत लोग जिस पर निर्भर हैं, जिनकी वह आजीविका है, जिनके भला होने से ही देश का कल्याण हो सकता है, देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है, लेकिन माननीय मंत्री जी आपने कृषि के क्षेत्र में कोई इस तरह का काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज कृषि दम तोड़ रही है।

काले धन पर आपने श्वेत पत्र लाने की बात कही थी। कर चोरी की अगर सबसे बड़ी कोई जगह है, तो वह काला धन है। विदेश में ही नहीं, अपने देश में भी बड़े पैमाने पर इसमें चोरी हो रही है। इसके लिए सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की है। माननीय मंत्री जी, आपने कारपोरेट इंकम टैक्स, उत्पाद, सीमा शुल्क और विभिन्न छूटों में रियायत देने से चार लाख साठ हजार नौ सौ बहत्तर करोड़ रूपए की छूट दी है। यह छूट आपने वर्ष 2010-11 में दी है। जो छूट आप कारपोरेट हाउसेज को दे रहे हैं, एक छूट आयकर की जो देते हैं और जो आप कारपोरेट हाउस को छूट देते हैं, जितना छूट देते हैं, उससे कम पैसे में कृषि और अन्य तरह का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो आप एक्सपेंडीचर करते हैं, वह कम है। अगर

इस छूट को आप कम कर देते हैं तो कृषि क्षेत्र में और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दोगुनी वृद्धि आप कर सकते हैं।

ज्वैलरी के लिए आपने कुछ वापस किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। माननीय मंत्री जी आप कहते हैं कि यह देश टैक्स हैवेन नहीं है, यह सही बात है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जो आप संशोधन लाए हैं, दुनिया के पूंजीपतियों का जो दबाव है, अगर उसके सामने नहीं झुकते हैं, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से प्रशंसा का काम आप कर रहे हैं। आपने जो टैक्स स्लैब रखा है उसमें जो दो लाख रूपए आय करते हैं, उनको आप दो हजार साठ रूपए की छूट देते हैं, लेकिन जो दस लाख से अधिक आय करते हैं, उन्हें बाईस हजार रूपए से अधिक की छूट देते हैं। इसलिए पूंजीपतियों की ओर सरकार की दिशा जा रही है। हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि यह देश किसानों का देश है और आम आवाम को सहूलियत पहुंचाने के लिए और इस देश को विकसित करने के लिए आपकी जो कर नीति है, आपका जो वित्तीय प्रबंधन है, वह किसानपक्षीय होना चाहिए और ग्रामीण इलाके के लोगों की सहूलियत के मुताबिक होना चाहिए, न कि देश के कुछ पूंजीपतियों के अनुसार होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I would thank you, Mr. Chairman, for allowing me to participate in the Bill that has been moved by the hon. Finance Minister Shri Pranab Mukherjee to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2012-13.

At the outset, I should congratulate the Leader of the House who is going to be elevated. Personally, I would deem it a privilege and I look forward to the next Budget Session when he will be walking down the Central Hall to address the Joint Session of the Parliament.

A study of India's fiscal policies since the 1950s shows that the country has actually come a long way in pruning tax rates and generally moving towards more sensible Government spending. Until the 1970s, fiscal policy was devoted mainly to re-distributing wealth from the private sector to the States and taxing the wealthy to give to the poor. But when it was realized that high taxes lead to high evasion, several reforms were made and the personal income tax has come down from 77 per cent to 30 per cent; corporate tax from 45-75 per cent to 35 per cent.

I would first come to certain specifics. Retrospective amendment in the Finance Bill is not restricted to the often repeated Vodafone case where the Government hopes to realize around Rs.12,000 crore in capital gains tax despite the Supreme Court ruling against the Government.

An analysis of this present Finance Bill shows that the hon. Finance Minister has actually proposed 25 and odd explanations or amendments that will empower the revenue authorities to reopen cases beyond six years. Several of these changes seek to overturn the earlier court judgments.

For instance, the Bill has added an explanation to Section 9 (1) (vi) to treat the income realized from sale of computer software and granting of a licence as royalty that can be taxed. This explanation, according to the Bill, is with effect from June 1, 1976. Significantly, the Delhi High Court had settled the issue in a case filed by the Income-Tax Department against Ericsson. It held that software

supplied as part of GSM system was not taxable as royalty. It had noted that consideration paid merely for the right to use cannot be termed as royalty.

Another example - innocuously inserted as explanation for "removal of doubts" - pertains to bringing under the ambit of the term "process" all income earned from providing transmission services by satellite, cable, optic fibre or any other technology. This would impact many telecom companies that have imported network equipment. Here too, the Delhi High Court had ruled in favour of one Asia Satellite Telecom that income from rendering data transmission service is not eligible to tax as royalty. The new explanation will overturn the court ruling and will be retrospectively effective from June 1, 1976.

Retrospective amendments, I would again reiterate, have a long history. There were 8 such amendments in 2008; 5 in 2009; 4 in 2010 and 2 in 2011. The Government has quietly introduced a lethal amendment to the Customs Act in the Finance Bill, 2012 wherein offences that attract punishment of three years imprisonment and above for offences as trivial as duty evasion or mis-declaration of value of goods are non-bailable.

This amendment – Section 104A – to the Customs Act, states irrespective of the provision in the Code of Criminal Procedure, a person accused of an offence punishable with imprisonment of three years or more, would not be granted bail unless the Public Prosecutor has an opportunity to oppose the release. I have no quarrel with this. But the other line is more damaging. Further, when the Public Prosecutor opposes the bail, the Magistrate can order release only after he is convinced that the person is guilty. What does this signify? The provision says, when a person applies for bail, no Judge will give him bail. Do you need such strong provisions for tariff or duty-related offences? Do you want such provisions to apply even to terrorists? But now, you have introduced these provisions in custom offences

The idea of comprehensive Service Tax was to do away with the specific list of 120 services. But now there would be a negative list. That is a welcome

step. The new law regarding Service Tax has been written, I would say, in an unduly complicated manner. The definition of `service' all over the world, is only in one sentence. Here, it has been made half a page long and has included explanation that should not have been there.

Similarly, there is `declared service' under Section 66E, which is entirely unnecessary. This will just allow the Government to arbitrarily put doubtful services under this heading. The charging Section 66B has also been defectively worded. I would request the Finance Minister to consider this aspect.

This Finance Bill has proposed a major shift in the taxation of services. With the implementation of the socalled negative list, only those services that are listed will be exempted while all other services will be subjected to tax. Let us not forget that the Finance Act, 1994, introduced the concept of taxation of services. Initially, only three services were taxed and the number has since swelled to 119. This levy under the Residuary Entry 97 of List I to the 7th Schedule of the Constitution is expected to yield about Rs.95,000 during 2011-12. It is expected to rise by Rs.124,000 crore in 2012-13 on the back of the proposed two per cent rate hike coupled with an expansion of the tax base consequent to the implementation of the negative list.

I am given to understand that the entire issue of taxation of services through negative list was examined in detail by the Empowered Committee of State Finance Ministers and the views of the Committee were communicated to the Union Government. The Empowered Committee (EC) had endorsed the idea of taxation through a negative list. However, EC impressed upon the Government to respect the *laxman rekha* drawn in the Constitution.

The three list appended to the 7th Schedule clearly demarcate the legislative space available to the Union and the States and in terms of settled law, no level of Government is to trench upon the legislative territory exclusively earmarked for the other level.

It is this constitutional propriety that lies at the heart of the issue. Accordingly, activities or objectives that have been enumerated in the State List of the 7th Schedule should have formed part of the negative list, at least till the advent of GST, whereby the States would be empowered to tax services but that has not been done.

Transportation of goods, renting of immovable property or construction of complexes, supply of food or drinks, accommodation in hotels or guest houses, etc. are sought to be taxed as services under the residuary powers conferred upon the Union by Entry 97 of List I. These activities should have been put in the Negative List in Schedule 66D. This would not find judicial sanction. That is my apprehension.

Taxation of activities or objects enumerated in the State List is not merely a matter of the right of the States. It is as much, if not more, a constitutional propriety and legality. If a particular activity or object happens to fall within the exclusive domain of the State Legislature, then legislation by the Union on the same subject is not only tantamount to encroachment into the territory reserved for the States, but it is also without constitutional sanction and runs the grave risk of failing to meet judicial sanction. Such threat exists till the advent of GST. Therefore, there is a need to exclude the activities or objects that have been assigned to the States *vide* List II.

Sir, I would like to draw the attention of the Finance Minister towards the General Anti-Avoidance Rules (GARR), as the former Finance Minister Shri Yashwant Sinha was mentioning. I fully support the step which you have announced today while piloting the Bill. But I have two other issues on this aspect.

One is, GAAR gives arbitrary powers to taxmen to challenge complex deals. However, such powers can be prone to misuse. Lack of transparency also raises questions on the tax department's motive which would lead to uncertainty for investors doing business in India.

The second issue is, he has amended the other provision that it is the taxmen who have to prove avoidance while determining the GAAR and I support that. But the other aspect is that the tax payer cannot seek an advance ruling on whether a transaction would be covered by GAAR. This must change. The discretionary power should also be looked into and a proper guideline should be formulated.

I would reiterate here that windfall profits are being made by iron ore mining companies. This is known to everyone, not only in India but globally. The prices of iron ore both in the domestic and international market have increased more than ten fold in the last decade. Companies are making surplus profits. In an indirect way, the Union Government is already mopping up the rents through imposition of 30 per cent export duty and differential rail freight on iron ore exports. Thus, in Odisha, over Rs. 4,000 per tonne was, and is, being collected by the Union Government on iron fine exports with 63 per cent FE content.

Despite this, the mine owners still find it profitable to export in spite of the high freight and custom duty. The State Government gets a paltry sum of Rs. 200 per tonne as royalty on iron fines. Why is the Union Government not responding to the letters of the Chief Minister of Odisha? Why are you continuing in a state of denial? Already, the Australian Parliament has taken this path and on 19th March, 2012 has passed a Resolution for imposition of a mining tax on iron ore and coal. The new tax is called as the Mineral Resource Rent Tax which would be applicable from 1st July, 2012.

Iron ore is a non-renewable resource. Odisha State is the owner of this resource and the wealth generated from this resource should be used for the benefit of the community at large and not for enrichment of a few mining

companies. So, I would urge upon the Government to impose Mineral Resource Rent Tax on iron ore and charge it at 50 per cent of the surplus rent on account of the super normal profits that are being made by mine owners. The funds so generated should accrue to the State Government for investing in infrastructure and jobs and sharing the benefits with the community to give them a lasting stake in the prosperity of areas affected by mining.

The Government wants to empower taxmen to reopen assessment for the past ten years instead of six years now. This is ostensibly to bring back unaccounted money stashed in tax havens. It is not a bad idea as all banks, including banks in Switzerland, are required to maintain information on their clients for ten years. But India's revised tax treaty with Switzerland allows for exchange of information only for tax years starting from 2011. Past transgressors, hence, cannot be brought to book under the treaty.

Less than three per cent of people file tax returns in our country and only a few thousand report a yearly income of over Rs.10 lakh. Is it not absurd? The Government, I must request, devise intelligent ways to nab evaders instead of just bestowing more powers on tax officers. We should rework tax treaties from a position of strength to secure information on past transactions. The Government must widen the tax base, lower rates and make tax laws simple and transparent. Once the goods and services tax is implemented and data bases of direct tax and indirect tax unified, things would become even simpler.

Before I conclude, I want to quote what was said long back by Edmund Burke:

> "To tax and to please, no more than to love and to be wise, is not given to men."

But today, when Finance Minister stood up to pilot the Finance Bill, he has not only tried to minimize the effect, but also has tried to please the citizens of this country. He has love and he is also wise. He has proved Edmund Burke wrong.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I have proved Edmund Burke wrong!

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to take part in the discussion on the Finance Bill 2012.

After presenting this year's Budget, our hon. Finance Minister, while speaking before Press persons, said, I quote:

"2012 will bring happiness."

But both, Budget and the Finance Bill, do not bring any such happiness as expected by our hon. Finance Minister.

Sir, on reading the Finance Bill 2012, I found that it contains 29 amendments to Income Tax Act 1961 based on judicial decisions. Some of the amendments are to overcome the judicial decisions and a few of them are to solve the conflict. In Nani Palkiwala's words, if we say, "The Income Tax Act is a national disgrace because of the maddening instability". That is why the Government has proposed to bring Goods and Services Tax and Direct Tax Code to replace the Income Tax Act.

Reform is necessary and essential, but the move should not hurt the State revenues and curtail the tax imposing powers of the State. The Constitution has given the taxation powers to the States. We do not want to surrender this autonomy under the guise of GST.

So I sincerely appeal to the Centre that it should take the view of the States before bringing these reforms. Already the States' tax base is shrinking and the responsibilities are increasing. At this juncture, I would like to state that the decision to stop Central Sales Tax compensation from 2011-12 is objectionable. The resultant action will be reduction of Centre's share of revenue to the States. Our revered leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu has voiced her opposition to this move. Centre's action in linking CST compensation with the additional revenue that States got on account of the revision of VAT is arbitrary and untenable. There is no link between CST rate reduction and VAT rate enhancement. It was never a part of the guidelines for CST compensation. Hence

the Centre should have more liberal approach and it should work out an acceptable formula of compensating the loss to the States to the extent required.

Sir, last year, tax base was widened by introducing levy of Alternative Minimum Tax in new Chapter XII-BA on the Limited Liability Partnership. This year, the same provisions are proposed to be extended to all assesses other than companies. It is because of the extension of AMT, individuals above a certain limit will get affected. Sub-Section (5) provides that credit shall be allowable to be set off over and above the excess regular income in the AMT slab. It also will create problems and hardships to the real assesses in deciding the genuineness of the credit.

Under Section 4(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 the Government was supposed to eliminate the revenue deficit by March 31, 2009. Now, through an amendment, it has been extended to 31^{st} March, 2015. As a result, the exemption sought in the Finance Bill, the Government will not have any control over the non-plan expenditure. That is my fear. The Government has the choice of spending liberally without any restriction on the non-plan expenditure.

Another important point is that some items of revenue expenditure are proposed to be reclassified as capital expenditure. This is against the advice of the Finance Commission. So, it is a sad reflection of bad fiscal management. The Centre preaches the States for fiscal prudence while it is not able to practise it.

The reduction of 0.25 per cent introduced in Securities Transaction Tax (STT) will result in the loss of revenue to the Centre to the extent of Rs. 30,000 crore. However, an increase of 2 per cent in the Service Tax and Excise Duty will affect the common man and soar up the Central revenue to an extent of Rs. 70,000 crore. But the hardship caused to the common man due to the increase, is unbearable. Had the Government, instead of reducing the STT, increased it at least by 0.50 per cent, it would have increased the resources by Rs. 70,000 crore. The Centre need not have touched the Service Tax rate and relieved the common

man without additional burden. Generally, the entire general population bears the burden of indirect taxes. Only 3 per cent of the population bears the burden of direct taxes.

In conclusion, last but not least, one of the provisions of this Finance Bill states that tax assessment may be reopened for 16 years in case if any evasion is detected or suspected. This needs clarification from our hon. Minister. The rules require that income tax records should be maintained by the tax-payer for a period of only six years. The Central Board of Direct Taxes will come with the clarification in this regard.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति जी, हमारी पार्टी की तरफ से विद्वान साथी माननीय यशवंत सिन्हा जी ने बड़े ही तार्किक ढंग से माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान को आकर्षित किया है। मैं प्रार्थना करुंगा कि माननीय यशवंत सिन्हा जी ने जिन बिंदुओं को उठाया है उन बिंदुओं पर माननीय वित्त मंत्री जी गंभीरता पूर्वक ध्यान देंगे और आवश्यकता पड़े तो उनके साथ बैठकर विचार करके उस पर रास्ता निकालेंगे तो देश के लिए अधिक अच्छा रहेगा।

सभापति जी, मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से 32 वर्षों का संबंध है। जब सन् 1980 में मैं राज्य सभा में आया था तब से इनका सहयोग और स्नेह हमें जवानी से मिलता आया है, उसके लिए हम लोग इनके आभारी हैं और आभारी रहेंगे। हमारे साथी माननीय यशवंत सिन्हा जी ने जो कहा था कि अगली बार नये वर्ष में केन्द्रीय कक्ष में संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने और देश को दिशा निर्देश देने का जब इन्हें अवसर मिलेगा तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है कि हम लोगों की इस इच्छा की पूर्ति हो।

सभापति जी, मैं गांव का किसान हूं और हर चीज में मैं किसान के हित को ही देखता हूं। रामचरित मानस में है कि लंका विजय के बाद विभीषण को श्री राम जी ने कहा कि वानर-भालुओं की सेना में तुम कुछ दो। विभीषण ने वानर-भालुओं की सेना में मणि-रत्न की मालाओं की वर्षा की। जब वानर-भालू मणि की माला पहन लिये तो वे एक-एक दाने को तोड़-तोड़कर देखते थे। सब हंसने लगे कि ये बंदर-भालू इस मणि माला का क्या मूल्य जानेगा। जब पूछा गया तो उसने कहा कि हर माला के दाने में मैं सीता-राम को खोजता हूं और जहां सीता-राम नहीं है वहां ये मणि और माणिक भी बेकार हैं। उसी प्रकार से जिस वित्तीय व्यवस्था में गांव-गरीब-किसान के लिए सम्मान नहीं है वह निर्रथक है, बेकार है, उसकी हमारे लिए कोई कीमत नहीं है। मैं उसी बिंदू से अपनी दृष्टि इस ओर डालता हूं।

जब मैंने भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा तो उसमें लिखा है कि " प्रभुसत्तासम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य" । ये समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद के लिए पंडित नेहरु जी ने कहा था - सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। आज भी लोग बोलते हैं समाजवाद, समाजवाद लेकिन समाजवाद के अर्थ और उसकी व्यापक परिभाषा को जाने बगैर लोग समाजवाद के निर्गुण शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। इस संबंध में डा. राम मनोहर लोहिया ने इसी सदन में समाजवाद की परिभाषा करते हुए कहा था, मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा और हमारे साथी भी उसे समझेंगे जो समाजवादी अपने को कहते हैं समाजवाद का अर्थ पूरा क्या है वे भी समझेंगे।

समाजवाद अन्य किसी सिद्धांत की तरह एक होता है थोक, एक होता है फुटकर, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण, एक होता होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद से एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी, जिसे हम कहते हैं समता। उस बराबरी से एक सीढ़ी नीचे उतरो। लेकिन कौन-कौन सी बराबरी - आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी। उससे एक सीढ़ी और नीचे उतरो, तब उसके बाद आयेगी समता, सम्पूर्ण समता, संभव समता। तब एक सीढ़ी और नीचे उतरो तब अधिकतम, न्यूनतम सीमा लगाओ। यह है समाजवाद की व्यापक परिभाषा। इसके आधार पर अगर हमारे हाथ में राज आये, सत्ता आये, अर्थतंत्र आये, वित्तीय व्यवस्था आये, उसके अनुसार अगर हम ढांचे को खड़ा नहीं करते हैं तब केवल समाजवाद के निर्गुण शब्द के प्रयोग करने से कुछ निकलने वाला नहीं है।

समाजवाद में जब हम बराबरी की बात करते हैं तो चार तरह से हम हिंदुस्तान को देख सकते हैं। एक है बनवासी, एक है गिरीवासी, एक है तटवासी और एक है मध्यवासी। जो मध्य भारत है, जिसे डॉ. लोहिया हृदय प्रदेश कहते थे। गंगा, यमुना की यही उर्वरा भूमि है, जहां सबसे ज्यादा अन्न, फल, सब्जी, दूध पैदा होता है और यहां के लोग सबसे ज्यादा बलवान भी हैं, खुशहाल भी हैं और पलटन में अपने बेटों को सरहदों पर सीमा की सुरक्षा करने के लिए सबसे ज्यादा भेजते भी हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो वनवासी और गिरिवासी हैं, उनके पास खेती नहीं है, उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, खान-खदान जरूर हैं, लेकिन वहां अवैध कब्जा करके खनन किया जाता है। मेरी नक्सलाइट बंधुओं से प्रार्थना है कि वे अधिकारियों को पकड़ते हैं, पुलिस के जवानों को मारते हैं, लेकिन अवैध खनन करने वाले किसी एक भी व्यक्ति को नक्सलाइट ने बंधक नहीं बनाया है। इसका मतलब जितने अवैध खनन करने वाले हैं, कहीं न कहीं नक्सलवादियों के साथ उनका आंतरिक संबंध है। वे चाहते हैं कि यह इलाका आतंकवाद, उग्रवाद के गर्भ में पड़ा रहे, जिससे अवैध खनन करने वालों का धंधा बिना रोक टोक चलता रहे और कोई सरकारी तंत्र उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सके। इस बिंदु पर भी ध्यान देना चाहिए।

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, श्री के.एस. राव बोल रहे थे, मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जब भी वे बोलते हैं तो गांव, गरीब, किसान की बात को बोलते हैं। महोदय, माननीय यशवंत सिन्हा जी बोल रहे थे, तब उन्होंने गरीब किसान की बात भी उठाई थी। वर्ष 1951 की जनगणना के मुताबिक गांव में बसने वाले लोग 82.7 प्रतिशत थे और वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक उनका प्रतिशत 72.2 रह गया अर्थात 10.5 प्रतिशत गांव के लोग गायब हो गए। वे गांव के लोग जो 10.5 प्रतिशत गायब हुए, वे शहर में भाग कर आए। वे खुशहाल बन कर नहीं रह रहे हैं, बल्कि ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, हर दिन पसीना बहाते हैं। जैसे बंदरिया अपने

बच्चों को छाती से चिपका कर रखती है, उसी तरह गरीब महिलाएं सारा दिन बच्चों को अपने पेट से चिपकाए मजदूरी करती है और दिल्ली के विकास का काम करती है, हर दिन थकती है, मरती है, पसीने से लथपथ होती है और रात में फुटपाथ पर पेड़ के नीचे सो जाती है। साढ़े दस प्रतिशत गांव के लोगों को अर्थ तंत्र ने निर्धन, निर्बल, निसहाय, उपेक्षित बनाया है। इस बारे में ध्यान देना चाहिए।

महोदय, वर्ष 1951 में 71.9 प्रतिशत किसान थे और वर्ष 2001 में 54.4 प्रतिशत रह गए। 17.5 प्रतिशत किसान गायब हो गया है। अगर एक आदमी का अपहरण हो जाए, तो चारों तरफ शोर मच जाता है, मीडिया और चैनल में हल्ला हो जाता है, सारे अखबार लिखने लगते हैं, लेकिन मेरे 17.5 प्रतिशत किसान गायब हो गये है हमारे गांव और किसानी से, वे कहां गये और उनका अपहरण किसने किया, यह आंकड़े बताते हैं। वर्ष 1951 में खेतिहर मजदूर 28.1 प्रतिशत थे, उनकी संख्या बढ़ कर 45.6 प्रतिशत हुई है, अर्थात 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े बताते हैं कि इस आजाद भारत में वित्तीय अर्थ तंत्र में 17.5 प्रतिशत किसान खेतिहर मजदूर की श्रेणी में इसलिए चले गए, क्योंकि उनकी जमीन बंट गई, परिवार बंट गया, खेत की जोत छोटी हो गई, कोई आधार नहीं रहा, तो खेतिहर मजदूर की श्रेणी में चले गए। यही हमारे अर्थ तंत्र की वास्तविकता है और गरीब की दशा, आप इस तरफ ध्यान दीजिए। माननीय यशवंत सिन्हा जी ने जो आंकड़े दिए, वे बहुत विद्वान हैं, मैं केवल उन्हें विद्वान कहता नहीं हूं, उनका मैं सम्मान करता हूं। ये विद्वान हैं, इसलिए जय प्रकाश नारायण जी भी इनकी विद्वता पर विश्वास करते थे और वर्ष 1977 में समाजवादी नेता करपुरी ठाकुर के प्रधान सचिव बनकर उनको सहयोग किया था और सरकार चलाने में मदद की थी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऊपर से बीस के पास 52.7 और नीचे से बीस के पास 5.2, दस साल पहले एनसीएआर की तरफ से आंकड़ा निकला था, चौधरी चरण सिंह जी ने इक्नोमिक नाइटमियर आफ इंडिया इट्स काजिज एंड क्योर में आंकड़ा दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि श्रीमान बिरला महाराज की कुल सम्पत्ति, एनसीएआर ने अपने सर्वेक्षण में दिया था कि बिरला की सम्पत्ति तराजू के एक पलड़े पर और हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत लोगों की कुल सम्पत्ति घर, जायदाद, उनकी औरतों के गहनें दूसरे पलड़ा पर रख दिया जाए, तो बिरला का पलड़ा भारी ही होगा।

यह आंकड़े आज से 10 वर्ष पहले आए थे। आज अंबानी के पास कितनी संपत्ति है? दिल्ली में फुटपाथ पर दस लाख लोग रहते हैं, इनके पास कितनी संपत्ति है? क्या दोनों का कोई मूल्यांकन है? दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। वेद का मंत्र है - ऊपर से सूर्य भगवान गरमी देते हैं, पानी को भाप बनाकर उड़ाते हैं लेकिन जब बादल बनता है तो वे संपूर्ण सृष्टि में बराबर वर्षा करते हैं, वे कहीं भेदभाव नहीं करते हैं। इसी तरह सरकार का काम होना चाहिए कि वह सूर्य के समान कर [illegible] करे, जो जितना बड़ा है उससे उतना ज्यादा लिया जाए।

महोदय, मैं एक-दो चीजें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमेशा कहा जाता है कि किसानों के लिए इतना पैसा दिया। मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में 31.12.2010 को कहा गया कि किसानों के ऊपर 5,83,106.88 करोड़ रुपए कर्जा है और उसी अवधि में बड़े घराने पर 10,54390 करोड़ रुपए कर्जा है। इस तरह थोड़े लोगों पर 10 लाख या 11 लाख करोड़ रुपए कर्जा है और हिंदुस्तान के 72 प्रतिशत किसानों पर पांच लाख का कर्जा है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऋण में क्या दे रहे हैं? इन्होंने इनके लिए क्या किया है? मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे पास आंकड़े आए थे जिसमें दिया गया था कि हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति अगर विदेशी कर्ज को जोड़ा जाए तो हर आदमी पर 233 अमेरिकी डॉलर कर्ज है। आप देखिए कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति पर विदेशी कर्जा है। यशवंत जी कह रहे थे कि आप कर्जा लाते हैं। हम कहते हैं -

मांगना काम है छोटे का, भिखमंगे न आदर पाते हैं,
भगवान भी बौना बनते हैं, जब दान मांगने जाते हैं।

अगर हम कर्ज लेकर आएंगे तो चार्वाक की नीति रही है -"यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृत्म पिबेत।" हम पांच लाख करोड़ रुपए से ऊपर कर्जा लाते हैं और तीन लाख करोड़ से ज्यादा रुपया सूद में चुकाते हैं। हमारे पास बचता क्या है? आप पांच लाख करोड़ कर्जा लेकर बजट पूरा करते हैं और दूसरी तरफ पानी की तरह बहाते हैं। विदेशी दौरे पर ऊपर से लेकर नीचे तक कितना खर्च किया गया है? इसका आंकड़ा निकालकर देखिए। आप फिजूलखर्ची को रोकिए, सादगी को लाइए, सदाचार बढ़ाइए और देश में पसीने और परिश्रम से धन बढ़ाइए। अगर आप किसानों, गांव के लोगों, मजदूरों को ताकत देंगे तो वे आपको बता देंगे कि वे क्या कर सकते हैं।

महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि 1971, 1981 और 1991 की जनगणना को देख लीजिए कि उस समय कृषि विकास की दर क्या थी और उसके बाद कितना ह्रास हुआ है। आजादी के समय हिंदुस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में 50 प्रतिशत कृषि की देन थी और आज यशवंत जी बता रहे थे कि यह 14 प्रतिशत पर आ गया है। इसका मतलब है कि गांव गरीब हुआ है, निर्धन हुआ है। गांव मर रहा है, दम तोड़ रहा है और शहर बढ़ रहा है, पूंजीपति लूट रहे हैं, पूंजीपति ऊपर बढ़ रहे हैं। मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि आप आइए, समता समाज लाइए, निर्धनता और अमीरी के फर्क को मिटाइए, बड़े लोग जो इस देश के खजाने को लूट रहे हैं इसे बचाइए, भ्रष्टाचार में जो पैसा जा रहा है उसे बचाइए, विदेश से धन लाइए और उस धन से सिंचाई के लिए प्रबंध कीजिए, गांव में खुशहाली लाइए, गांव के लोगों के चेहरे पर लाली लाइए तब यह देश बनेगा।

महोदय, अब मैं दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। हम गांव के किसान हैं हम केवल गांव की बात कहते हैं, जब किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है तो बाल बच्चो के साथ मिलकर यही गुनगुनाता है -

धूप ताप में मेहनत करते बच्चे तड़प-तड़पकर मरते
फिर भी पेट नहीं है भरता, जीवन कटता रो-रोकर
हम चलो बसाएं नया नगर, हम चलो बसाएं नया नगर।

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए फाइनेंस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूं। मैं यहां अपने कुछ विचार रखना चाहती हूं। मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद दुनिया में आर्थिक मंदी के दौर में इस स्थिति का मुकाबला बहुत सराहनीय ढंग से किया है।

जब बजट आता है तो हर नागरिक को यह आशा होती है कि हमें कोई राहत मिलेगी। कोई टैक्स में छूट मिलेगी, कोई सब्सिडी मिलेगी। हमारे इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी। जितना सत्य इस बात में हैं उतना ही सत्य इस बात में भी है कि जब तक सरकार की आमदनी नहीं होगी, सरकार टैक्स इकट्ठा नहीं करेगी तो वह क्या देगी। इस फाइनैन्स बिल में माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत बैलेंस्ड तरीके से टैक्स इकट्ठा करने का प्रस्ताव रखा है। परेशानी फिस्कल डेफिसिट की जरूर है और पिछले साल 5.9 परसैन्ट जीडीपी का जो फिस्कल डेफिसिट था, वह फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में 5.1 परसैन्ट पर सीमित रखना है। इन हालातों में माननीय वित्त मंत्री जी का आश्वासन कि सब्सिडी वैसी की वैसी रहेगी, फूड सिक्युरिटी भी अनिवार्य है तो उसे भी रखना है और पूरी सब्सिडी 1.9 परसैन्ट बल्कि दो परसैन्ट के अंदर सीमित रखी जायेगी। माननीय वित्त मंत्री जी के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन कितना कठिन रहा होगा, इस बात पर हमें गंभीरता से सोचकर इस फाइनैन्स बिल को देखना चाहिए। यह बात भी सत्य है कि पूरा विश्व 2008-09 और 2009-10 की आर्थिक मंदी और क्राइसेज से गुजरा है। ऐसी नहीं है कि आज हम इस क्राइसेज से निकल आये हैं। परंतु मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी सराहना करना चाहूंगी कि बहुत ही सस्टेंड एफर्ट्स ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन से उन्होंने हमारा टोटल एक्सपेंडीचर यानी खर्चा 2007-08 में जो जीडीपी का 14.9 था, वह 2008-09 में जीडीपी का 17.4 प्रतिशत तक बढ़ गया था, उसे आज उन्होंने बजटेड एक्सपेंडीचर 2012-13 में 14.7 प्रतिशत तक उतारा है। फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी का मेरी समझ से यह जो कार्य हुआ है, यह एक बहुत सराहनीय कार्य है। इसके बावजूद टैक्स में अगर देखें तो कई जगह उन्होंने राहत भी दी है। वृद्धों की उम्र कई सैक्शंस के लिए 65 से 60 वर्ष कर दी गई है। नॉर्मल टैक्स लिमिट दो लाख कर दी गई है। सीनियर सिटीजंस को कोई एडवांस देने की आवश्यकता नहीं है। हैल्थ चैक अप में पांच हजार रुपये का डिडक्शन सराहनीय कदम है। लेकिन स्वाभाविक है कि जो कोई भी इनडिविजुअल टैक्स पेयर होता है, वह यह चाहता है कि हमारी लिमिट बढ़ाई जाए। जिस तरह से विपक्ष से श्री यशवंत सिन्हा जी ने भी कहा और स्टैंडिंग कमेटी ने भी कहा कि यह लिमिट तीन लाख रुपये होनी चाहिए। वह हमारी व्यक्तिगत इच्छा भी रही थी। यह सुझाव सही है। लेकिन सोच-समझ कर इसे दो लाख रुपये पर रखा गया है। यदि इसे तीन लाख रुपये पर रखा जाता तो मेरे विचार से कम्पलायंस में ज्यादा

बेहतरी होती और लोग स्वेच्छा से टैक्स भरते और हमारा इंकम टैक्स का विभाग और अधिकारी नॉर्मल टैक्स इकट्ठा करने में समय नष्ट करने के बजाय कंसील्ड अनटैक्स इंकम का पता लगाने में ज्यादा समय गुजारते। इसलिए हमारा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि यदि इस पर कभी पुनर्विचार करने का मौका मिले तो अवश्य करें।

डायरेक्ट टैक्स द्वारा सरकार इस साल साढ़े चार हजार करोड़ रुपये का घाटा कर रही है। परंतु ऐसा करके वह छोटी इंकम ग्रुप और इनडिविजुअल्स का खासकर ध्यान रख रही है। उसी तरह अच्छी कमाई करने वाले प्रोफेशनल्स और रिलेटिड सैक्टर्स के सर्विस टैक्स के द्वारा 18,660 करोड़ रुपये आमदनी करने की बात भी सरकार कह रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि सर्विस टैक्स 10.3 प्रतिशत से 12.36 प्रतिशत होने पर सरकार की आमदनी होगी, बल्कि मेरा यह भी सोचना है कि जितनी आमदनी वे सोच रहे हैं, उससे ज्यादा होगी। परंतु मेरा अपना विचार यह भी है कि इससे उपभोक्ता जो गुड्स के साथ सर्विसेज का खरीददार है, उस पर थोड़ा बोझ पड़ेगा। निगेटिव लिस्ट बन जाने के बाद और टैक्स ज्यादा इक्ठ्ठा होने के बाद मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि सर्विस टैक्स का बोझ खासकर हमारे छोटे गुड्स और सर्विसेज खरीदने वाले लोगों पर भी पड़ेगा, यदि उस पर भी वह विचार करें तो अच्छा होगा।

इसके साथ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स की जो बात की गई है, उसके अंतर्गत अब पार्टनरशिप फर्म्स एडं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी सम्मिलित हो गये हैं। हालांकि टैक्स बेस को बढ़ाने का इससे अच्छा कोई कदम नहीं हो सकता था, लेकिन इससे क्या होगा कि जो छोटे व्यापारी हैं, उद्योगपति है, आंत्रप्रिन्योर्स हैं, यंग आंत्रप्रिन्योर्स हैं, जब वे इसे कारपोरेट व्हीकल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा बोझ पड़ेगा और जो छोटे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जो टियर टू या टियर थ्री जैसे शहरों में रहते हैं, उनके लिए यह थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकता है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स से स्वरोजगार के अवसरों पर शायद थोड़ा सा प्रभाव पड़ सके। इसलिए इसमें यदि छोटे टैक्स पेयर्स पर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारे विपक्ष ने गार (GAAR) को बड़े ही डरावने ढंग से पेश किया है। परंतु मैं यह सोचती हूँ कि यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि जो लोग कानून के पीछे छुप कर अवाइड करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यह एक बहुत बढ़िया स्कीम तैयार की गई है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने यह साफ कर दिया है कि अब अफसरों द्वारा कोई विच-हंटिंग या हरासमेंट नहीं होगा। यह उन्हीं के ऊपर होगा कि वे प्रूव करें कि इनके ऊपर गार लगना चाहिए। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे विपक्ष ने दो इण्डिपेंडेंट मेंबर एपाइंट करने की भी बात की है। लेकिन अगर

एक भी इण्डिपेंडेंट मेंबर एपाइंट हो जाता है तो इस कमेटी में बहुत अंतर पड़ जाएगा। सन् 2013-14 और सब्सिक्यूएंट वर्ष में ही यह इंवोक होगा तो बहुत अच्छा होगा।

माननीय वित्तमंत्री जी से एक छोटा सा अनुरोध है कि गार, स्माल ट्रेडर्स और इंडिविजूअल्स को मैनेज करना है कि इन्हें तकलीफ न हो, हैरसमेंट न हो, क्योंकि नहीं तो ये सीए के पास दौड़ते हैं, पैसे खर्च करते हैं और इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दिक्कत पैदा हो सकती है। इस पर अगर एक थ्रेशोल्ड लिमिट बना दें तो ज्यादा अच्छा होगा और ऐसे लोग करेंगे जरूर, टोकेंगे लेकिन यह सच्चाई है।

महताब जी ने एडवांस रूलिंग की बात की थी तो मुझे लगता है कि गार में एडवांस रूलिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर एडवांस रूलिंग हो जाएगी तो गार में इंवोक करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स के ऊपर तो न्यूज़पेपर में बहुत चर्चा हुई है। सभी को थोड़ा भ्रम है कि यह क्या हो गया है पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी की दूरदृष्टि की सराहना करती हूँ और यह बताना चाहती हूँ कि शायद इस फाइनेंशल बिल में आज दस ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हैं जो एसएससी के लिए फेवरेबल हैं। जिस रेट्रोस्पेक्टिव की चर्चा यहां हो रही है, उससे हमें यह लगता है कि जब असेसमेंट फाइनलाइज़ हो गया है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा या वह डीटीए के अंतर्गत आता है, डबल टैक्सेशन ट्रीटी के अंतर्गत आता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यह भी सत्य है कि ऐसे 27 टैक्स हेवंस हैं, जिनके साथ हमारी कोई डीटीए ट्रीटी साइन नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई आमदनी, जिससे टैक्स मुमकिन था और वह टैक्स हेवंस के माध्यम से हुआ है तो उन पर कार्यवाही करना देशहित का ही मामला है। दूसरा, यह भी जानना जरूरी है कि कई देश ऐसा कर चुके हैं जैसे यूके, आस्ट्रेलिया और चाइना आदि। वहां पर कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ है और न ही फॉरन इंवेस्टमेंट में कोई कमी आई है। अपनी सरकार की नीयत साफ नजर आती है। लोगों ने कहा है कि उन्होंने कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया है। मेरे ख्याल से बजट पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं यह जरूर कह सकती हूँ कि बड़ी गाड़ियों पर एक्साइज़ ड्यूटी एक वाजिब कदम था और साथ में कृषि से संबंधित मशीनों पर कस्टम ड्यूटी कम की गई वह साफ बता देता है कि हमारी सरकार की नीयत क्या है। कस्टम ड्यूटी पर चर्चा हुई है तो मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से इस प्रिशियस मेटल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने के निर्णय पर कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे देश की हर वर्ग की महिला से सोने का एक अनोखा सा रिश्ता है। पूरे विश्व की एक तिहाई सोने की मांग हमारे भारत की है। पिछले साल हम लोगों ने 63 बिलियन डॉलर का सोना आयात किया था। अगर कोई भी ग्रहणी थोड़ा सा भी पैसा बचा लेती है तो वह चाहती है कि बुरे वक्त के लिए या अपनी बहू-बेटी के लिए सोना खरीद ले या सोने के आभूषण खरीद ले। यह बात भी अन-ऑफिशली सत्य है कि हमारे देश की महिलाओं

और मंदिरों का सोना अगर निकाल दें तो शायद हमारे देश के बजट की डेफ़िसिटी आराम से पूरी हो जाएगी। लेकिन सोने से हमारा जो इतना रिश्ता है, थोड़ा सा लोगों के मन में यह भ्रम रहा है कि शायद जिस तरह से पहले ज्यादा कस्टम ड्यूटी होने की वजह से स्मगलिंग होती थी, कहीं वह स्मगलिंग दोबारा शुरू न हो जाए।

सर, मैं 5-7 मिनट और लेना चाहूंगी। मगर हम यह बात भूल जाते हैं कि जब गोल्ड की स्मगलिंग हुआ करती थी उस समय गोल्ड के आयात में बहुत बंदिशे थीं। लेकिन आज वे बंदिशे नहीं हैं। बड़े-बड़े नेशनलाइज्ड बैंक भी इस गोल्ड का आयात करते हैं। पर नॉन ब्रांडेड आभूषणों पर यह जो एक्साइ ड्यूटी और टैक्स की बात हुई है, उस पर हमारे माननीय वित्तमंत्री जी ने आज बोला है और राहत दी है। उसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद।

<u>18.00 hrs</u>

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, now it is six o'clock. If the House agrees, the time for the discussion can be extended further. It can be extended up to seven o'clock. After that we will take up 'Zero Hour'. Is that all right?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्रीमती अन्नू टण्डन : महोदय, शुक्रिया। भूख, गरीबी, कुपोषणता ये हमारे देश की भयानक हकीक़तें हैं। इनके लिए पैसा आबंटित किया जा सकता है, पॉलिसी बनायी जा सकती है, चर्चा हो सकती है, पर सबसे अहम बात उसका क्रियान्वयन है। इसके लिए मैं अपनी सरकार से थोड़ी सी बातें कहना चाहती हूं कि पिछले साल की इंप्लीमेंटेशन रिपोर्ट के द्वारा पता चला है कि वुमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का डेवलपमेंट फंड पांच सौ करोड़ रूपये के कॉरपस के साथ अभी कैबिनेट में अप्रूवल भी नहीं हुआ है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश के बुनकर भाइयों के साथ एक खास रिश्ता रखती हूं, इसलिए सिल्क और हैंडलूम वीवर्स की तरफ से मैं माननीय वित्त मंत्री जी का दोबारा धन्यवाद देना चाहती हूं कि रेशम के धागे के ऊपर जो कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी है, उन्होंने उसको पांच प्रतिशत पर अभी भी बनाये रखा है।

महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि पिछले साल के फाइनेंस बिल में नाबार्ड द्वारा तीन हजार करोड़ रूपए का बुनकरों के लिए जो प्रोविजन किया गया था, जो पैसा दिया गया था, अभी तक उसका सही मायने में लाभ नहीं पहुंचा है। 28 नवंबर, 2011 में उसकी गाइडलाइंस एनांउस हुयी थीं। दो मीटिंग्स इंप्लीमेंटेशन, मानीटरिंग एंड रिव्यू कमेटी की हो गयी हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 50 करोड़ रूपए कंटीन्जेंसी फंड से दिया गया है।

MR. CHAIRMAN: Please wind up, Madam.

श्रीमती अन्नू टण्डन: इन सब मुद्दों के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री से सिर्फ दो शब्द कहना चाहती हूं कि पर्यटन एक ऐसा माध्यम है, यह एक बहुत अहम तरीका है, जिससे हम रोजगार दे सकते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी ऐसे कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान हैं, जिनसे बेरोजगारी की समस्या दूर की जा सकती है, अगर इनमें पर्यटन के माध्यम से जो बजट आबंटित हुआ है, वह अच्छी तरह से लग जाए और अतिरिक्त बजट आबंटित किया जाए। अगर किसी पर्यटन क्षेत्र का विकास होता है, तो वहां फौरन रोजगार के साधन जैसे वहां बाजार, मेले लगने लगेंगे, चाय-पान की दुकानें लगने लगेंगी, वहां होटल-कैंटीन खुल जाएंगी, टैंपो-टैक्सी चलने लगेंगी, इस तरह का फायदा वहां लोगों को होगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस साल उन्होंने टूरिज्म मिनिस्ट्री को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी है। टूरिज्म मिनिस्ट्री में, इन ऐतिहासिक जगहों के लिए जो हमारे क्षेत्र में हैं, उनके लिए अतिरिक्त बजट दें, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं कि रोजगार का हमें साधन जरूर मिलेगा।

महोदय, मैं पहली बार सांसद बनी हूं और मुझे पहली बार फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका मिला है। मैं एक ही विचार से यहां सांसद बनकर आयी थी और मेरी इच्छा यह थी कि अपनी जन्मस्थली उन्नाव में मैं कुछ अपने जीवनकाल में अच्छा कर जाऊं, ताकि देश के अत्यंत पिछड़े हुए, गरीब और अविकसित ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अपना अधिकार मिल जाए। अपने इन तीन साल के संसदीय अनुभव में मैंने यह जाना है, मैं साइंस की ग्रेजुएट हूं, मैंने संविधान को अच्छी तरह से समझकर समझा है कि चाहे कुछ हो जाये, ज्यादातर हमारे जो विभाग हैं, वे ज्यादातर स्टेट सब्जेक्ट हैं और केन्द्रीय सूची में बहुत कम विभाग आते हैं। यानी केंद्र सरकार नीति बना सकती है, योजना बना सकती है, राय दे सकती है, पैसा आबंटित कर सकती है पर क्रियान्वयन करने का पूरा, अमलीजामा पहनाने का और जनता तक उस पैसे को पहुंचाने का पूरा भार हमारी राज्य सरकार पर आ जाता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में भी यह साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार ने तो बहुत सारी नीतियां बना दीं और उन सारी नीतियों को लेकर मैं पहुंच भी गयी, लेकिन वहां बीपीएल कार्ड की सूची गलत बनी हुई है, उसमें से पात्रों के नाम गायब हैं। मकान व जमीन वाले लोगों के नाम उसमें अंकित हैं, वृद्धा पेंशन 35 से 55 साल के लोगों को मिल रही है। राशन में सिर्फ दो लीटर मिट्टी का तेल मिल जाये तो बहुत है, घूस देकर विधवा पेंशन दी जा रही है। पक्के मकान वालों को इंदिरा आवास योजना के तहत मकान मिल रहा है। इस तरह की चीजें हो रही हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए। मेरा यह कहने का तात्पर्य एक ही है कि इन संसदीय चर्चाओं में या राजनैतिक तौर पर संसद के बाहर और अंदर पक्ष-विपक्ष में फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा

होती है, इसमें अंत में आम आदमी को अगर कुछ मिलना है तो वह सही तरीके से राज्य सरकार की गवर्नेंस से मिल सकता है और केंद्र सरकार की सही पॉलिसी से मिल सकता है। यह बात साबित हो गयी है। इस गवर्नेंस के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगी और राज्य सरकारों से खासकर हमारी नयी उत्तर प्रदेश की सरकार से, मैं उससे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूं कि जितना पैसा मिला है, कृपया उसे सही तरीके से हमारे गांव वालों तक पहुंचा दीजिये।...(व्यवधान)

सभापति जी, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ कि 2009 के फाइनैन्स बिल में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सैक्शन 13बी इंट्रोड्यूस किया गया था। आज राजनीति में भ्रष्टाचार और कालेधन की बात हो रही है। यह जो सैक्शन 13 बी इंट्रोड्यूस किया गया, यह इलैक्टोरल ट्रस्ट की बात करता है कि राजनीतिक पार्टियाँ इलैक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से पैसा ले सकती हैं और सैक्शन 80GGB और 80GGC के अंतर्गत उनको 100 परसेंट डिडक्शन मिल सकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक यह नोटिफाइ नहीं हुआ है। माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इसे नोटिफाइ कर दिया जाए तो शायद हमारी पोलिटिकल पार्टीज़ में जो भ्रष्टाचार और काला पैसा है, कम से कम वहाँ से तो काला पैसा दूर हो और पारदर्शिता शुरू हो जाएगी।

MR. CHAIRMAN: Please wind up. You have taken lot of time.

श्रीमती अन्नू टण्डन: बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आज मैं पहली बार संसद में फाइनैन्स बिल पर बोली हूँ, मैं अंत में यह कहना चाहती हूँ कि इसका क्रियान्वयन हो। अगर क्रियान्वयन होना है तो सिर्फ नकारात्मक बोलने से काम नहीं होगा, हम लोगों को सकारात्मक कार्य करने की आवश्यकता है।

*SHRI P. LINGAM (TENKASI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill, 2012, moved in this august House by the hon. Finance Minister. Let me participate in this discussion on behalf of our party, the Communist Party of India.

We went for choosing our own economic path when we formed the Government of our own ever after winning the Independence. The initial thrust was on uplifting even the lowliest of the poor common man. In 1978, we went for a Constitution Amendment thereby inscribing in our Constitution that ours is a democratic, socialist Republic. But we have given a go by to it now. From 1991, we have deviated from that avowed path. The new economic policy that came into vogue from 1991 in the form of liberalization, privatization and globalization has hit hard the poor making the poor poorer.

Our economic policy is now more tilted towards the corporate companies. Our taxation policy and the increase of base for revenue mobilization has deviated from the earlier avowed policies of helping the poor and uplifting them thereby ensuring economic growth and development. Our taxation policy, as it appears to be, is decided by our Finance Minister according to the whims and fancies of the multi national companies and the corporate sector. What corporate sector decides becomes our economic path today. This is what generally perceived.

For instance, GAAR is on the anvil, that is what we have been hearing for quite some time hoping that it would empower our officials to deny tax benefits to corporates if it comes in the way of revenue mobilization for our Exchequer. Now, the channels and media are coming out with news to the contrary. It appears it may be given a go by. The hon. Finance Minister himself, in his introductory remarks,

* English Translation of the speech originally delivered in Tamil

while commencing this discussion said that the Government would consider bringing in GAAR after an year. I do not think there is a definite period has been set. This year they have stated that it is postponed for an year. Next year also they may say the same thing. Tax evaders must not be allowed to go scot-free and the revenue mobilization must be effective. Only then we can strengthen our economy. Instead, yielding to corporates and tax evaders has become our current economic policy.

Common man has been affected very severely with the fluctuating trends in our economy. According to the UN Human Index Report, we occupy the 124th position. It is saddening to note that we rank far below than even many other countries including Latin American countries. When this being the state of affairs, we must not yield to the demands of those who resort to tax evasion or tax avoidance and our economy can not accommodate this. Hence, I urge upon the Government to go in for anti-avoidance move.

Our black-marketeers, hoarders and black-moneyed men park their money in tax havens. Our Prime-Minister has stated that our Double Taxation Avoidance Treaty may also give rise to black-money. It is evident that black money finds its way-in and way- out through double taxation signatory countries like Mauritius. At this juncture, it is also stated that we are about to enter into treaties with 84 countries. If Double Taxation Avoidance Treaty gives rise to black money, then we must be very careful to overcome this menace. Hence, stringent measures must be taken to stem this rot.

In our country, agricultural lands are being converted into plots and become prime real estate properties. Real estate owners are thriving at the cost of our traditional occupation, agriculture. In this year's Budget, it was announced that one per cent tax will be levied on real estate transactions. It is heard that the Government is going back on this also at the cost of revenue that can be mobilized. I do not know why the Finance Minister is said to be resorting to this move. The opportunity to help conserve the agricultural land is being lost at the

hands of the real estate people. I am afraid this may only embolden people who handle black money.

Garments produced both in hand loom and power loom sector have been put to a heavy tax burden and the tax has been increased from 10 to 12 per cent at a time when the export contribution of the textiles sector has dwindled from 15 per cent to 8 per cent. This is unrealistic move is forcing many such units to face closure rendering many poor weavers jobless. Even the last year's hike to 10 per cent had its toll on the textiles industry, especially the garments export sector. This year's move will further affect them leading them to further decline.

Loan waiver scheme was announced for the handloom sector, but no funds have been released as yet and it has not benefited either the individual handloom weavers or the handloom cooperative societies. They are facing added miseries.

Our economic policy must try to address to the problems of the common man who are not able to fend for themselves. Unto the last must be our concern. Our country has got the second largest human resource and potential and our country is also having almost all natural resources, some of them abundantly, but still we have a big socio-economic divide. We witness starvation deaths and people dying of hunger out of poverty.

In the name of new industrial policy, our traditional occupations, industries and businesses are heavily affected. Instead of insulating our economy, we are making a passing reference that the impact of recession in the economy of the developing world is affecting us. This must not happen and we should not allow that to happen. Our country's economy has got a different basis. The economies of other countries are different. Most of them depend on export import trade, whereas our country has got a strong economic base that is there strengthened by our traditional occupations and traditional approaches. Our natural resources and our vast human resources are enough to add strength to our economy. So, we are different from other economies. Our population must form the basis of our prosperity, growth and economic development. In this country, it is distressing to

note that starvation deaths occur even now. If we make the corporate sector to pay properly the taxes without resorting to evasive methods and avoidance tactics, we can put an end to poverty and help the people to come up. Our social welfare measures have to get the funds from our tax revenue and hence, we must attach importance to take action against tax evaders and overcome the problem of tax avoidance through effective measures. Only then, we would be able to spend on the much required infrastructure facilities that would augment our economic development. Urging upon the Union Government to bring about suitable modifications to ensure total tax mobilization without giving scope for tax avoidance any further, let me conclude my speech, opposing, on behalf of the Communist Party of India, the Finance Bill moved by the Finance Minister.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, इस वित्त विधेयक में बतौर नमूना मैं आपको बताता हूं कि सरकार की नीति क्या है? वित्त मंत्री ने टैक्स में करदाताओं को मामूली सी राहत दी है। 1,80,000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपए किया गया। जिनकी वार्षिक आमदनी दो लाख रुपए है, उन्हें 2,060 रुपए का फायदा होगा। दो लाख रुपए वार्षिक की आमदनी वाले लोगों को 2,060 रुपए, नौ लाख रुपए वार्षिक की आमदनी वाले लोगों को 12,360 रुपए, दस लाख रुपए वार्षिक वाले को 22,660 रुपए, और पन्द्रह व बीस लाख रुपए वार्षिक की आमदनी वाले लोगों को 22,660 रुपए का फायदा होगा। इसका मतलब जिनकी आमदनी कम है, उनको कम छूट मिलेगा और जिनकी आमदनी ज्यादा है, जिनकी आमदनी दस लाख, बीस लाख, तीस लाख रुपए वार्षिक है, उनको ज्यादा छूट मिलेगा। क्या यह नीति समता उन्मुखी है, गरीबोन्मुखी है या धनोन्मुखी है?

महोदय, मैं यहां एक सवाल उठाना चाहता हूं कि यह जो सरकार ने छूट का सिलसिला शुरू किया है, इसके अनुसार जिसकी आमदनी ज्यादा है उसे ज्यादा छूट मिलेगा तो इससे बड़े आदमी को ही सहायता मिलेगी, गरीब आदमी को सहायता कहां मिलेगी। आपके बजट की यह कौन-सी पॉलिसी है? मुझे ज्यादा विद्वता में जानकारी नहीं है। यह साधारण हिसाब है। दो लाख रुपए वार्षिक की आमदनी वाले को दो हजार रुपए की छूट और नौ लाख रुपए वार्षिक की आमदनी वाले को बारह हजार रुपए की छूट दी गयी है। इसका मतलब जिसकी आमदनी ज्यादा है, उसे ही ज्यादा छूट है। वास्तव में इसे होना चाहिए समता उन्मुखी या गरीबोन्मुखी, मतलब ज्यादा आमदनी वाले को कम छूट और कम आमदनी वाले को ज्यादा छूट। आप बताएं अगर इसमें मैं कोई दूसरी बात कह रहा हूं। क्या यह गरीबोन्मुखी सरकार की पॉलिसी है या बड़े आदमी के हितोन्मुखी है? आप बताएं कि यह सरकार कहां जा रही है?

महोदय, आपने गरीब आदमी को दो हजार रुपए की छूट दे दी ओर दो प्रतिशत टैक्स में वृद्धि हो गयी। महंगाई बढ़ेगी तो इस दो हजार रुपए की क्या वैल्यू रहेगी? उसको तो महंगाई के कारण किसी चीज को खरीदने में ही चार हजार रुपए से ज्यादा लग जाएगा। इसलिए हिन्दुस्तान में गरीब आदमी बेहाल है। इसमें गरीब आदमी का ख्याल नहीं है, इसमें बड़े आदमी मालामाल हैं।

महोदय, कॉरपोरेट लोग इसमें मालामाल हैं। कहा जा रहा है कि वर्ष 2010-11 में कॉरपोरेट आय कर में विभिन्न छूटों के कारण सरकार को 88,267 करोड़ रुपए गंवाने पड़े। इसका मतलब बड़े आदमी को, कॉरपोरेट को मात्र एक साल में 88,267 रुपए की छूट दी गयी। इसी तरह पिछले साल कॉरपोरेट आय कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क में विभिन्न छूटों और रियायतों के कारण केन्द्र सरकार को लगभग 4,60,991

करोड़ रुपए, छः वर्षों में 21,25,023 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि जो बड़े आदमी हैं, कॉरपोरेट हैं, उनको छः वर्षों में 21 लाख करोड़ रुपए की छूट, सहूलियतें दी गयीं और जो किसानों, गरीबों, बेरोजगारों, अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों का सवाल है, उसमें सरकार को दिक्कत है, कठिनाई है। इसमें सरकार कहती है कि फंड नहीं है। आप हमें यह बताएं कि आप कहां से कौन-सी पॉलिसी चला रहे हैं?

अभी हुक्मदेव बाबू लोहिया जी की किताब पढ़ रहे थे और यशवंत बाबू भाषण दे रहे थे कि यह कौन-सी नीति चल रही है? क्या यह नीति देश में जो मेहनतकश, मजदूर, किसान, गरीब हैं, उनके लिए है या कॉरपोरेट के लिए है? फोर्ब्स पत्रिका ने लिखा कि देश में करोड़पतियों, अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। इतना भारी अंधेर? हमें हर साल के आंकड़ें देकर इधर के लोग बरगलाना चाहते हैं। अगर गांव के लोग जान जाएंगे तो यह शांति नहीं रहने वाली है। छः वर्षों में 21 लाख करोड़ रुपए की छूट कॉरपोरेट को दी गयी और गरीब आदमी, गांव के किसान के सवाल पर फंड की कमी बतायी जाती है, कटौती करने की बात की जाती है और यह भी कहा जाता है कि सब्सिडी में ज्यादा पैसा लग रहा है। यह कौन-सी सब्सिडी है? महोदय, यही देश के अन्दर और बाहर काले धन का कारण है। काले धन के बारे में इन्होंने कहा कि हम श्वेत पत्र लाएंगे? काले धन के बारे में श्वेत पत्र कब लाएंगे? श्वेत-पत्र लाने से क्या होगा, आप उसको जब्त कब करेंगे, यह बताइये? जब्त करके देश के खजाने में कैसे लाएंगे? देश के अन्दर और बाहर हालत ठीक नहीं, आन्दोलन होगा, तब ये देखेंगे, अपने मन से ये कुछ नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि कालेधन के मामले में और करप्शन के मामले में सरकार प्रो एक्टिव नहीं है। आप लोग भी जो माननीय सदस्यगण हैं, जब ये विपक्षी गिराने लगें तो उनको मदद करिये, बचा दीजिए, लेकिन जनता के सवाल पर, करप्शन के सवाल पर और कालेधान के सवाल पर सरकार को खबरदार करने का काम करिये। सरकार यह काम क्यों नहीं करती, क्यों कालेधन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? कहते हैं कि अब हम उसके टैक्स को खोजेंगे, ऐसी टैक्स की व्यवस्था क्यों हुई, जो कालाधन पैदा हुआ। पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से हल्ला मच रहा है कि कालाधन बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा। इस पर संथानम कमेटी बैठी, के.एन. वांचू कमेटी बैठी और तय हुआ कि कालाधन कितना है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाये, उसको जब्त किया जाये। अब जब उसमें आन्दोलन होता है, तब लोग कहते हैं, कालाधन-कालाधन। अब ये श्वेत-पत्र लाएंगे तो इतने दिन से कालाधन बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी हुई, क्यों कालाधन बढ़ा? इसी कारण से उसको छूट दे दीजिए, उसको सहूलियत दे दीजिए, देश के अन्दर और बाहर कालेधन को जमा होने दीजिए। इस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती?

चुनाव का सुधार होना जरूरी है। महाभारत में भीष्म पितामह की कहानी है। वे बाण शैया पर थे। अन्तिम पर्व की कहानी है कि वे उपदेश कर रहे थे तो द्रोपदी हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने पूछा कि बेटी, क्यों हंसती हो तो पूछा कि जिस समय में चीर हरण हुआ, आपका ज्ञान, उपदेश कहां चला गया था, जो अभी उपदेश करते हैं। उन्होंने कहा कि उस समय मैंने दुर्योधन का अनाज खाया था, इसलिए हमारा ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। अब गंदा खून तो निकल गया, इसलिए मैं उपदेश की बात करता हूं। कारपोरेट टैक्स से, उसका समर्थन करके या उससे चन्दा ले लेकर बनने वाली हुकूमत कैसे गरीब आदमी की सुनेगी, उस पर कार्रवाई करेगी? भीष्म पितामह नहीं कर सके तो ये लोग कौन हैं। इसमें यही पेच है, यही भेद है, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो। इसमें भीष्म पितामह तक कुछ नहीं कर सके तो और लोग क्या हैं। इसीलिए कालेधन में वृद्धि हुई है, इसीलिए करप्शन में वृद्धि हुई है। करप्शन पर गांव-गांव में चलकर देखिये कि क्या हालत है। जो गरीबों की योजना है, किसी में करप्शन कम हुआ है, बढ़ रहा है। हमारे यहां बिहार में भ्रष्टाचार और घूसखोरी में 10 गुना, 20 गुना वृद्धि हुई कि नहीं? यशवन्त बाबू बैठे हैं, झारखण्ड बताता है कि करप्शन का क्या हाल है। अभी वहां करोड़ों रुपया राज्य सभा के टिकट में जब्त हुआ। वहां अनाज बिकता है, एम.एल.ए. बिकता है, एम.पी. बिकता है और होता है कि करप्शन को हम खत्म करेंगे, क्या ऐसे करप्शन खत्म होगा? इसीलिए ये सब सवाल उठाने के हैं।

एक जब बजट बनाते हैं तो चैम्बर्स से बतियाते हैं। चैम्बर्स में सी.आई.आई., एसोचैम, फिक्की और रंग-बिरंगी संस्थाएं हैं, उन लोगों की बात तुरन्त मानी जाती है। आप लोग कोई बतियाने जाएंगे तो कोई सुनेगा? किसान की बात कोई नहीं सुनेगा, गरीब, मेहनतकश, बेरोजगार की बात कोई नहीं सुनेगा। फिक्की की बात, एसोचैम की बात, सी.आई.आई. की बात सरकार सुनती है। स्मॉल ट्रेडर, जो खुदरा बेचने वाला है, उससे भी कोई कंसल्ट नहीं करता, उसकी बात भी कोई नहीं सुनता। मैं एक सवाल उठाता हूं। यशवन्त बाबू आपको याद होगा, अभी 20 हजार खुदरा कारोबार की इजाजत है। आपके समय में कम थी, 15 हजार थी। उससे पहले 10 हजार थी, जैसे-जैसे कीमतें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा है, 10 हजार से 15 हजार, 15 हजार से 20 हजार हुई और 20 हजार को कितने वर्ष हो गये। 15-20 वर्ष हो गये, वह क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं उसका सुधार होता है? मैं इस सवाल का स्पष्ट जवाब चाहता हूं कि क्यों नहीं ऐसा हुआ और कितने वर्ष से आप इसको 20 हजार पर ही रोके हुए हैं। 10 हजार से बढ़कर 15 हजार हुई, 15 हजार से बढ़ी, 20 हजार हुई। अब 20 हजार 15 वर्ष से है। आप चाहते हैं कि उस स्मॉल ट्रेडर का कारोबार नहीं बढ़े, वह खत्म हो जाये, उसको ब्लैकमनी बनाने को, इधर-उधर करने को, कानून उल्लंघन करने को, टैक्स चोरी करने के लिए मजबूर होना पड़े? इसलिए इस सवाल का जवाब दीजिए कि यह क्यों नहीं बढ़ा? दस

से हुआ पन्द्रह, पन्द्रह से हुआ बीस, बीस रहा बीस वर्ष, यह क्यों नहीं बढ़ रहा है? यह स्माल ट्रेडर है, जो खुदरा विक्रेता है।

महोदय, ये कालेधन और भ्रष्टाचार की बात आज कहते हैं। देश भर में साढ़े चार करोड़ रूपया क्या कहीं बोरा में मिला है? हमारे यहां बिहार में मिला है, साढ़े चार करोड़ रूपए मिले हैं। हुक्मदेव बाबू, किसके यहां मिला है? वह साढ़े चार करोड़ रूपए किसके यहां बोरे में मिले? ..* उनके यहां साढ़े चार करोड़ रूपए मिले। ...* उनके यहां बार-बार रहते थे और साढ़े चार करोड़ वहां बोरे में मिले हैं। माननीय वित्त मंत्री अभी नहीं है, पलानिमनिक्कम साहब हैं, बताइए उसकी सीबीआई की जांच आपने क्यों नहीं करायी है? जो रूपए मिले, इंकम टैक्स वालों ने उस पर क्या कार्रवाई की? साढ़े चार करोड़ रूपए बोरा में क्या कहीं देश भर में मिला? ...* के यहां दो-ढाई करोड़ रूपए तकिया, बिछौना वगैरह में मिला था, लेकिन बोरा में साढ़े चार करोड़ रूपए मिले। ...(व्यवधान) किसके यहां मिला, सभी लोग बता दें। ...(व्यवधान) क्यों नहीं सीबीआई की जांच की? ...(व्यवधान) *

MR. CHAIRMAN: The specific allegation being made by the hon. Member will not go on record.

(Interruptions) **...

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : देश भर में हल्ला उठ गया कि बोरा में रूपया मिला, बोरा में रूपया मिला। ...(व्यवधान) यह फाइनेंस बिल है, इंकम टैक्स का इनके अफसर ने उसको जब्त किया कि नहीं, मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं। इनके अफसर ने साढ़े चार करोड़ रूपए जब्त किए या नहीं। साढ़े चार करोड़ रूपए जो जब्त हुए, उस पर क्या कार्रवाई हुयी, वह कहां का पैसा था, किसका पैसा था, सीबीआई की जांच अभी तक क्यों नहीं हुयी? यह हम सवाल उठाना चाहते हैं। ...(व्यवधान) यह गलत है।

महोदय, आप जानते हैं कि किसान की तकलीफ कितनी बढ़ गयी है। कहा कि यह अनाज का उत्पादन हुआ, वह अनाज का उत्पादन हुआ, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। बिचौलिया लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य से आधे पर ले रहे हैं। आज किसान लाचार है। वहा अनाज कहां रखेगा? उसे अगली खेती भी करनी है। वित्त मंत्री जवाब देने के लिए उठे, तो हमें लगा कि देखेंगे कि नयी खरीददारी की मैं गारंटी करूंगा, केंद्र सरकार गारंटर है कि किसान तुम अनाज पैदा करो, हम खरीददारी करेंगे। उसका उचित मूल्य

---

* Expunged as ordered by the Chairman

** Not recorded

तुम्हें दिलायेंगे। किसान को उचित मूल्य कहीं नहीं मिल रहा है। बिहार का पूछिए, उत्तर प्रदेश का पूछिए, सब किसान लोग घर से लाते हैं, उनकी क्या हालत है?

इसी तरह से बेरोजगारों की यही स्थिति है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है। गरीब आदमी, नौजवान आदमी दर-दर भटक रहा है। अभी डी ग्रेड की भर्ती रेलवे में निकली है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आवेदन कर रहे हैं, बहुत कंपटीशन है, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी हटाने के लिए आपने क्या नीति बनायी है, क्या कार्रवाई की है?

MR. CHAIRMAN: You have already taken 15 minutes. Your Leader also has to speak on this tomorrow.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Next speaker is Shri Prasanta Kumar Majumdar.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा।

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Every day we are being deprived to speak just because we belong to a small Party.

MR.CHAIRMAN: He is just concluding.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, अभी-अभी गंगा जी को बचाने के लिए, उसकी सफाई रखने के लिए कई साधु जल-त्याग कर दिए, अनशन त्याग कर दिए। निगमानंद साधु शहीद हो गए। हम मथुरा की यमुना जी गए थे। यमुना जी का पानी वहां छूने लायक नहीं है। वहां पाइप से पानी ले जाकर देह पर छिट रहा है। क्या गंगा जी और यमुना जी, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक हैं, देश-दुनिया के लोग मथुरा आते हैं, जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, लेकिन यमुना का पानी देह पर छिटने लायक नहीं है।

MR. CHAIRMAN: All rivers are like that.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: दिल्ली की भी वही हालत है। दिल्ली में भी यमुना जी हैं, इसकी पांच किलोमीटर लंबाई है।

महोदय, अंत में पुस्तकालय के बारे में कहना चाहूंगा।

MR. CHAIRMAN: You have already raised it in the House.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, अंत में पुस्तकालय के बारे में कहना चाहूंगा कि ज्ञान का भंडार पुस्तकालय में है। श्री निशिकांत दुबे जी देवघर में पुस्तक मेला का आयोजन कराते हैं। पुस्तकों की संस्कृति में वृद्धि हो रही है। हमारे यहां आज राज्य सरकार केवल मदिरालय खुलवा रही है। गांव के लोगों

ने कहा कि मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। नौजवानों की आवाज आई कि शराब नहीं किताब चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have already raised this matter in 'Zero Hour'.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसलिए किताब की संस्कृति, कहां नॉलेज कमीशन है जिसका विस्तार कर भारत सरकार और राज्य सरकार पुस्तक और पुस्तकालय की संस्कृति चलाए। इंटरनेट में ज्ञान का भण्डार है लेकिन पुस्तक का सब्सिटीटूट नहीं हो सकता है। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों पुस्तकालय की संस्कृति, गांव-गांव में पुस्तकालय खोले। यह अभी जहां-तहां मृतप्राय है या निर्जीव संस्था हो गई है लेकिन पुस्तकालय के लिए जागरूकता हो। गांव के लोग पुस्तक पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ज्ञान भंडार का यह विधेयक पास हो।

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Chairman Sir, due to various reasons, the present Finance Bill of 2012 has gained much importance. Due to the economic meltdown in the other parts of the world, Indian economy has also been adversely affected. The fiscal condition of India is gradually collapsing. Under such circumstances the Government of the day should strive to strengthen the national economy at any cost. Agriculture is the mainstay of Indian economy but actually it has become an unprofitable venture. Though the MSP has been increased manifold, yet the farmers are not getting that price as there is no official procurement centre set up by the Government. Price of fertilisers has increased along with the input costs in agriculture. Price of diesel has also probably doubled. Though agricultural credit facility has been extended but the small and marginal farmers are not getting the credits; only big, rich agriculturists are being given the loans thereby forcing the marginal farmers to borrow from the market or from village money lenders at steep interest rates. As a result, defaulters of loans are committing suicides in the country. Unless the agricultural sector develops, the country cannot prosper. Thus I request Hon. Finance Minister that steps should be taken immediately to boost agriculture. About 9 fertiliser factories have been closed down and now fertilisers are being imported. When prices of commodities are less in the country, import is resorted to and when prices are high in the domestic market, export is done. The BPL system has entirely collapsed, hoarding is rampant as a result of which prices of essential commodities are shooting through the roof. You must be aware of the plight of the poor families in this country.

Small scale industries, agro-based industries and cottage industries are very important sectors. Here we find that the Government is spending thousands of crores for the corporate sector and big enterprises while nothing is being spent for

---

* English translation of the speech originally delivered in Bengali

the small and medium enterprises. There is huge relief for the former in taxes but absolutely no relief for the latter. Approximately 80% of the total population is associated with the small scale sector and we should particularly keep this in mind. The ceiling of Rs. 5 crore for small industries should be raised otherwise they will not be able to sustain themselves in the face of stiff competition and will suffer losses. Thus the investment capacity should be increased. I would request Hon. Finance Minister to declare in this august House that what steps has he taken to encourage the small scale, medium scale and cottage industries and what facilities has been provided to help these grow further. The Indian economy, as I said in the beginning mostly depends on agriculture and small scale enterprises. If these sectors are ignored, the economic prosperity may never become a reality. Our population is huge. So we could have utilized the internal market for economic development, just like China. But instead, the European recession is playing havoc with our economy. This is the result of the policy of liberalization which India has adopted.

In the income tax, the relief is upto Rs.2 lakhs but as Dr.Raghuvansh Prasadji rightly mentioned, those who are paying the tax, are deprived the most. They are earning less but paying more while those who earn more are paying less tax thus enjoying profits. So the relief should be increased to 3 lakhs and the tax slabs should also be changed. Another point is that small savings should be encouraged by raising the tax rebate.

You must be aware that prices of essential commodities are increasing exponentially; corruption has spread everywhere; unemployment is on the rise. All these are raising doubts about the continuation of the system of parliamentary democracy. We should realize this fact and act cautiously so that there is no breakdown of democratice institutions.

In the end I just want to say that as we represent smaller parties, we don’t get enough time to speak on important issues in the Parliament and are always interrupted and cut short. This should not happen as we should be given some

more time to express our views in this House. With these words I conclude my speech as I want to give other members also, an opportunity to share their opinions on the floor of the House. .

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): सभापति महोदय, संसद में चर्चा चल रही है। माननीय सदस्यों ने अपनी बात बड़े ध्यान से रखी। हमारे अग्रज माननीय यशवंत सिन्हा जी ने बड़े सुलझे तरीके से और विश्वास के साथ काफी बातें सदन को बताई, क्योंकि उन्होंने इस व्यवस्था को बड़े ध्यान से देखा और संभाला है।

महंगाई की मार झेल रही जनता जिसके खाने से रोज हरी सब्जी गायब हो रही है, दाल की मात्रा कम हो रही है या लुप्त होती जा रही है, उस जनता को, भारतीय समाज को इस बजट से काफी उम्मीद थी। जो बजट पेश किया गया है, उसमें सर्विस टैक्स 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया। एसटीटी को 20 प्रतिशत घटा दिया गया। प्रत्यक्ष कर में 4,500 करोड़ की हानि दिखाई गई। अप्रत्यक्ष कर में 45,940 करोड़ के राजस्व का लाभ बताया गया। 2 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोगों को टैक्स में छूट दे दी गई। इस बजट से आम लोगों की उम्मीदें टूटी हैं। उन्हें लग रहा है कि उनको ठगा गया, उनकी जेब काटी गई। एक तरफ से देकर दूसरी तरफ से छीन लिया गया है। आज वैश्वीकरण के युग में जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रही है, एक बहुत खतरनाक समय है। जो देश औद्योगिक क्रान्ति में आगे जा रहे थे, आज वे औंधे मुंह गिरे हैं। दो साल पहले ही पूरे विश्व में एक ऐसी मंदी आई थी कि कई उद्योग-धंधे डूब गए थे, लोगों ने आत्महत्याएं की थीं। लेकिन उस समय भी भारत इतने बुरे दौर से नहीं गुजरा था। शायद हमारी बचत की आदत या फिर हमारी फाइनैंशियल रणनीति जो पुराने लोगों ने बनाकर रखी थी, यह उसका ही असर था। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह मौका बार-बार नहीं मिलेगा। इसलिए पुरानी आर्थिक नीति को ध्यान में रखकर ही आगे की नीतियां तय करनी पड़ेंगी। पांव जमीन पर बनाकर आगे की उड़ान भरनी होगी, तभी हम कायम रह सकेंगे।

आज हम भारत के इतिहास के पन्नों को देखते हैं तो तरह-तरह के हमले जैसे आर्थिक, नैतिक, धार्मिक दिखते हैं। कोई शक्ति ऐसी थी जिसने हम लोगों को बचाकर रखा। हमारे अस्तित्व पर संकट नहीं बना। कहते हैं - क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आज के विकासशील भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती हमें अपनों से ही है। एक तरफ भारत का गरीब, निम्न वर्ग है और दूसरी तरफ मुट्ठीभर पैसे वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं। इस बजट में भी उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। पहले भी हमारे उद्योगपति होते थे। उनका उद्देश्य धन कमाने के अलावा समाज सेवा की तरफ भी था।

हम जानते हैं कि श्री धनश्याम दास बिरला जी भी थे, जिन्होंने धर्म, शिक्षा के अनेकों संस्थान चलाये, जिससे लोगों का भला हुआ। लेकिन आज के जो उद्योगपति हैं, वे बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं में रहते हैं। मुम्बई शहर के दसवें हिस्से का पानी और बिजली भी खपत कर लेते हैं। उनसे गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें इस तरह की ऐसी कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। एक तरफ हमारे समाज मे गरीबी से तंग आकर, पेट की भूख से लाचार होकर कोई बच्चा अगर रोटी चुराता है, तो उसे इस तरह प्रताड़ित किया जाता है कि कई बार उसकी जान तक चली जाती है। दूसरी तरफ हम कारपोरेट सैक्टर को हम इतनी बड़ी-बड़ी छूट देते हैं, आखिर क्यों? उनके लिए लाल कारपेट बिछा कर रखा जाता है, नये नियम बनाये जाते हैं और नियमों में ढील दी जाती है। हमारे वेदों में लिखा है कि

सर्वे भवन्तु सुखिनःसर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भाग्भवेत्।

हमारे पार्लियामैंट में भी जगह-जगह ये सुक्तियां और ये वाक्य लिखे हुए हैं कि सभी सुखी हों, सभी निरामय हो। ऐसे ही समाज की कल्पना हम लोगों ने की थी, लेकिन आज यह वर्ग भेद दिनों-दिन इतना गहरा होता जा रहा है कि कहीं भी इन सुक्तियां का असर दिखाई नहीं देता। हमारे समाज में कहते हैं कि लज्जा स्त्री का गहना है, शर्म औरत का श्रृंगार है। आज उसी भारत में नदी, तालाब, सड़क के किनारे, चापाकल के नीचे बैठकर औरतें खुले में नहाती हैं। रात के अंधेरे में जब हम गाड़ियों से जाते हैं तो सड़क के किनारे खुले में शौच के लिए बैठी हुई औरतें देखकर हम सब शर्मसार हो जाते हैं। आज गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर, यानी मुट्ठी भर जो पैसे वाले लोग हैं, उनका पैसा बढ़ता जा रहा है। किसान मजदूर बन रहा है। बिहार के लोग, किसान, हमारे बांका के किसान आज अपना व्यवसाय छोड़कर सुदूर क्षेत्रों में मजदूरी करने पर लाचार हो गये हैं। हमारे लिए, उनके लिए इस बजट में क्या है? हमारे बांका में बुनकरों की एक अच्छी तादाद है, जिनके पास हुनुर भी है और मेहनत भी है, लेकिन उनके पास क्या है? आज हम फूड फार ऑल, यानी सबके लिए खाना। इस बजट में खाने के लिए क्या है? हम ऐसा क्या करने जा रहे हैं, जिससे हम सबको खाना मुहैया करा सकेंगे। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं। प्रणब दा पर देश को विश्वास है। सब जानते हैं कि आपने एक लंबा पार्लियामैंट्री कैरियर देखा है, बड़े सारे दौर देखे हैं। आप देश को विश्वास दिलाइये और बड़ी तिजोरी पर हमला कीजिए। बड़ी तिजोरी का धन गरीबों के लिए काम में लाइये, ऐसी आप व्यवस्था द

कीजिए। आप आर्थिक सुधार कीजिए, बड़े-बड़े सुधार कीजिए और पहल कीजिए। हम सबको आप पर गर्व है इसलिए आप बिना सोचे, झिझके हुए बड़े फैसले लीजिए, हम सब उसका स्वागत करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया। फाइनेंस बिल की चर्चा में भाग लेना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके माध्यम से मुझे यह अवसर मिला, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि सर्राफा व्यापारियों पर जो एक परसेंट अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगायी थी, उसे उन्होंने वापस लेने की घोषणा की। मेरे लोक सभा क्षेत्र बाराबंकी में भी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वित्त मंत्री जी क्या घोषणा करते हैं। जब वे लोग संघर्ष कर रहे थे, तब मैं उनके साथ था। आज वे बहुत प्रसन्न है, पूरा देश प्रसन्न है। आपको मालूम है कि सर्राफा व्यापार के तहत ज्वैलरी का काम घर-घर में होता है। इससे लाखों- करोड़ों लोगों को जो रोजगार मिलता है, उस पर सीधा-सीधा प्रहार था। उसे वित्त मंत्री जी ने सुधारने का प्रयास किया। इस कारण उस व्यवसाय को जो क्षति हो रही थी, वह उन्होंने वापस ली। मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

यूपीए-1 का पहला बजट पांच लाख करोड़ रुपये का था। वर्ष 2009 में जब 15वीं लोक सभा का पहला बजट पेश हुआ, वह दस लाख करोड़ रुपये का था। वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ कहा था कि आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास में पहला दस लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और इस वर्ष यह लगभग 15 लाख करोड़ रुपये का बजट है। अपने आप में यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो खर्च होगा, यह ही है कि उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मात्रा है, डेट सर्विसिंग उसी के माध्यम से है और डेफिसिटी फाईनेंसिंग, जो पहले अंदाज लगाया गया था, उससे ज्यादा है, फिर भी वित्त मंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण जितनी अच्छी तरह से अर्थव्यवस्था चल रही है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। यह कहा गया कि ग्रोथ रेट 6.9 प्रतिशत रह गयी, हमारा जो अंदाज था ज्यादा का, वह कम रहा। इसमें कोई बहुत ज्यादा हाय-तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं थी। आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था जिस कठिन दौर से गुजर रही है, धीरे-धीरे उसमें सुधार आ रहा है, हिन्दुस्तान भी उसका हिस्सा है। आज इंटरनेशनल मार्केट पूरी खुली है, एक अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है और वही मैं समझता हूं कि यहां पर भी हुआ है। दूसरे देशों को अगर हम देखें, अमेरिका में पिछले वर्ष 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, चाइना में 8.2 प्रतिशत हुई है, कहां वह 20 प्रतिशत वृद्धि हासिल कर चुके थे और अगले वर्ष के लिए उनका अनुमान है कि 8.8 प्रतिशत वृद्धि होगी। जापान में 1.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है, पाकिस्तान में 3.8 और भारत में 6.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है और अगले वर्ष के लिए हमारा अनुमान है, जो वित्त मंत्री जी ने आकलन प्रस्तुत किया है, वह 7.6 प्रतिशत रहेगी। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए उत्साहजनक है,

निराशाजनक नहीं है। कृषि के बारे में कहा गया कि जीडीपी का सिर्फ 14 प्रतिशत ही कंट्रीब्यूट कर रही है जबकि 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं। कृषि में 2.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है, इंडस्ट्री में 3.9, मैन्युफैक्चरिंग में 3.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह एक चिंता का विषय है और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए कई पैकेज दिए हैं और कई निर्णयों की घोषणा की है। सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा 9.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस तरह से वर्ष 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद में 7.6 प्रतिशत वृद्धि की आशा की गयी है, जो कि वास्तविक है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1990 के दशक तक मुख्यतः कृषि पर निर्भर थी, वर्ष 1990 के बाद अर्थव्यवस्था में सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विशेष भाग रहा है। इस पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 16 प्रतिशत है, जिसे वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2022 तक 25 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस तरह से जिस ग्रोथ पाथ को लेकर हम चले हैं, वह सही है और एक मुख्य रणनीति बनाई गयी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो, रूरल एरियाज में, कृषि में ज्यादा से ज्यादा इनवेस्टमेंट हो ताकि वहां डिमाण्ड जेनरेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो और डिमाण्ड जेनरेट होगी, तो मैं समझता हूं कि हर सेक्टर को उसका लाभ होगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, अगर उनके पास परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, तो पूरी इकोनॉमी में में ग्रोथ होगी, ऐसा माना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है। वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया है और हमेशा उन्होंने कहा भी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में दो लाख किलोमीटर नई सड़क बन चुकी है और 1.33 लाख किलोमीटर पुरानी सड़कों को सही किया जा चुका है। इंदिरा आवास योजना के तहत अभी तक 25,67,000 घर बनाए जा चुके हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 9,43,000 घर बने हैं। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना में विशेष रूप से यह कहा गया था कि कम से 60 प्रतिशत घर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए होने चाहिए, लेकिन अभी तक सिर्फ 30 प्रतिशत ही बने हैं। इसलिए इसे देखने की जरूरत है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 1 करोड़ 60 लाख नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 99,000 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मेरे जनपद बाराबंकी के लिए मैंने काफी प्रयास करके बचे हुए गांवों और मजरों की डीपीआर बनाकर स्वीकृत कराई है। उसके लिए 311 करोड़ रुपए केन्द्र ने राज्य सरकार को दिए हैं। यहां हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हुए हैं, उनकी प्रदेश में नई सरकार बनी है, जिसने कहा है कि अभी वह पैसा नहीं मिला है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 311 करोड़ रुपए 26 मार्च, 2012 को रिलीज कर दिए गए हैं। मेरी राज्य सरकार से अपेक्षा है कि सभी विधान सभा क्षेत्रों में विद्युतीकरण का काम होना है, उसमें वह मदद करेगी और बाराबंकी जनपद का भी विकास होगा।

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। मैं इसके लिए विद्युत मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 78,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया था और वास्तव में हम 52,000 मेगावाट ही बिजली पैदा कर सके। उसके अलावा इस बजट में यह भी आशा व्यक्त की गई है 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में 15,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली क्षमता हम क्रिएट करेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान हो, राज्य स्वाभिमान मिशन हो, जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं और विकास हेतु लक्ष्य रखे गए हैं, वे सराहनीय हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। मनरेगा यूपीए सरकार की एक क्रांतिकारी योजना है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की पर्चेजिंग पावर बढ़ी है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था का विकास होगा और लोगों को लाभ मिलेगा।

यहां फिसकल डेफिसिट के बारे में कहा गया कि यह 5.9 प्रतिशत तक हो गया है, जो बहुत खराब है। अगले वर्ष के लिए इसका अनुमान 5.1 प्रतिशत व्यक्त किया गया है। मैं यशवंत सिन्हा जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में फिसकल डेफिसिट के बारे में काफी कुछ कहा। मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं कोई अर्थशास्त्र का विद्यार्थी या अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मेरी आम सोच है कि हम एक परिवार के घरेलू बजट की तरह देश का बजट नहीं बना सकते कि जितना आय होती है, उतने तक ही सीमित रखें। देश का बजट जब बनता है तो पूरे देश के विकास के विजन को देखते हुए बनाया जाता है। अगले कई सालों के लिए सोचकर हम बजट तैयार करते हैं और योजनाएं बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जितना कमाएं, जितना टैक्स कलेक्ट करें, वहीं तक बजट को सीमित रखें। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कई कारण बताए कि हमारा रेवेन्यू कम हुआ है और डैट सर्विसिंग भी ज्यादा हुई है। लेकिन इसमें इतनी हाय-तौबा मचाने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति जी, मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए एक-दो बिंदुओं पर विशेष रूप से कहना चाहूंगा। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 1979 में इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था। उस समय उन्होंने यह सोचा था कि प्लान प्रोसेस के माध्यम से देश का विकास हुआ है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति सेक्टर ऐसा है जिसका औरों की तुलना में विकास नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इनके परसेंटेज के हिसाब से अलग से बजट रख दिया जाए और उसी हिसाब से इनके लाभ के लिए योजनाएं बनें और उन्हीं योजनाओं पर बजट का पैसा खर्च हो। लेकिन 33 साल के करीब गुजर जाने के बावजूद भी मैं नहीं समझता कि इस प्लान प्रोसेस के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति को जितना लाभ पहुंचना चाहिए था उतना लाभ उन्हें पहुंचा है।

पिछले बजट में कहा गया था कि अलग से हैड ऑफ द एकाउंट खोला गया है, हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन उसके आगे हम यह भी चाहते हैं कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान में एससीएसटी और ट्राइबल्स सब-प्लान का अलग से बुकलेट बने और उसमें बताएं कि किन मंत्रालयों ने कौन-कौन सी योजनाएं इस वर्ग के एक्सक्लूसिव लाभ के लिए बनाई हैं। ट्राइबल्स के लिए कौनसी योजनाएं बनीं हैं और इसी तरह के आदेश राज्य सरकारों को भी जाना चाहिए। आज जितना पैसा स्पेशल कंपोनेंट प्लान के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से आरक्षित किया जाता है, उतना ही पैसा राज्य सरकारों का मिला लें तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बनता है। अगर इतना पैसा इस समाज के उत्थान के लिए लग जाए तो मैं समझता हूं कि इस समाज की कायाकल्प हो जाएगी और कुछ वर्षों के बाद जो गैर-बराबरी है वह अपने आप समाप्त हो जाएगी।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस पर जो कार्यवाही करनी थी तो वे बीच में क्यों रुक गये। एक बार सब-हैड बनाने के बाद जो आगे कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। जो योजना आयोग ने गाइड-लाइन्स विभिन्न मंत्रालयों के लिए जारी की हैं, मैं उनसे भी कतई सहमत नहीं हूं। विभिन्न योजनाओं से अनुसूचित जाति को जो लाभ मिलता है, वे उसे जोड़कर दिखा देते हैं कि यह स्पेशल कंपोनेंट प्लान में खर्च हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके लिए विशेष रूप से, अलग से योजना बननी चाहिए और उन्हीं योजनाओं का पैसा इसमें बुक होना चाहिए, यह मेरा आपसे विशेष अनुरोध है।

दूसरा, स्कॉलरशिप का पैसा भारत सरकार से जाता है, मैं विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष होने के नाते गया हूं और मैंने पाया है कि दो-दो, तीन-तीन साल तक की स्कॉलरशिप लोगों तक नहीं पहुंचती है। जो हर साल फीस दे देनी चाहिए, वह नहीं दी जाती है। जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहां 50-50 हजार, एक लाख, दो लाख तक एडमिशन फीस होती है और भारत सरकार के आदेश हैं कि उनका पेमेंट ऑफ जीरो-फीस से एडमिशन होना चाहिए, लेकिन उनसे पैसा लिया जाता है और उस पैसे का बाद में भुगतान भी नहीं होता है, उसमें भी तीन-तीन साल लग जाते हैं। इसीलिए बहुत से छात्र-छात्राएं पढ़ाई छोड़कर चली जाती हैं। इस तरह से शिक्षा का पूरा लक्ष्य ही खत्म हो जाता है। उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है और दिया जाना भी चाहिए। हमारा भी यह मानना है कि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे इस समाज की स्थिति सुधर सकती है, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है।

बीपीएल सूची के बारे में हमारी बहन अन्नू टन्डन जी ने जिक्र किया था और मैं भी अपने को उनके साथ जोड़ना चाहता हूं। जहां-जहां भी हम जाते हैं जो वास्तव में गरीब हैं वे बेचारे घूमते रहते हैं कि

न तो हमें पेंशन मिली, न घर मिला, न ही बीपीएल कार्ड और राशन कार्ड मिला। इसलिए इनकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी होनी चाहिए।

इसी तरह से पेंशन की बात कम्प्लसरी हो जानी चाहिए कि जिन्हें वृद्धा-अवस्था पेंशन मिलनी है, जिन्हें विधवा-पेंशन मिलनी है, जिन्हें विकलांग पेंशन मिलनी है, उन्हें ढूंढ-ढूंढ कर पेंशन दी जानी चाहिए। उनके लिए यह जरूरी नहीं होना चाहिए कि वे एप्लीकेशन दें और दफ्तरों में घूमते रहें। होता यह है कि एक-आध साल के बाद उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है, किसी को मृतक घोषित कर दिया जाता है। जबकि वास्तव में वे जिंदा हैं और कहते हैं कि हमें तो मृतक घोषित कर दिया गया है। इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसलिए यहां से स्पष्ट रूप से निर्देश जारी हो जाने चाहिए ताकि इस गरीब समाज को कुछ राहत मिले।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया, लेकिन विशेष रूप से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वे जवाब दें तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बारे में मेरे जो विचार हैं और समाज जिनकी अपेक्षा करता है, उनका वे जवाब जरूर देंगे।

<u>19.00 hrs</u>

MR. CHAIRMAN: Now, we take up the 'Zero Hour'. Yogi Aditya Nath.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया है।

महोदय, हिन्दुओं की पवित्र धार्मिक कैलाश-मानसरोवर यात्रा विदेश मंत्रालय के सहयोग से कुमाऊँ मंडल विकास निगम द्वारा आयोजित होती है। 26 दिन की यह धार्मिक यात्रा मात्र धार्मिक यात्रा नहीं, अपितु भारत की सांस्कृतिक यात्रा के साथ-साथ कैलाश-मानसरोवर तिब्बत के साथ हमारे पौराणिक एवं ऐतिहासिक संबंधों को प्रदर्शित करने की एक प्रमुख आध्यात्मिक यात्रा भी है।

<u>19.01 hrs</u> (Shri Francisco Cosme Sardina *in the Chair*)

प्राचीन काल से इस प्रकार की यात्राएं राष्ट्रीय एकात्मकता की प्रमुख सम्बल रही हैं। तमाम प्रकार की विघ्न बाधाओं के बावजूद आज भी हजारों की संख्या में श्रदालुजन पवित्र कैलाश-मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। अन्य मतावलंबियों एवं मज़हबी धार्मिक यात्राओं के प्रति सरकार की जो संवेदनशीलता होती है, वह हिन्दुओं की इस पवित्र धार्मिक यात्रा के प्रति नहीं है। कैलाश- मानसरोवर की यात्रा दिल्ली से प्रारम्भ होती है और भारत-तिब्बत बार्डर लिपूपास तक कुमाऊँ मण्डल विकास निगम कुछ आर्थिक सहयोग के साथ इस यात्रा को सम्पन्न कराती है। तीर्थ यात्री विकास समिति के द्वारा पिछले कुछ समय कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिल रही है। हमारे संज्ञान में यह भी आया है कि इस वर्ष विदेश मंत्रालय ने यह व्यवस्था की है कि जो लोग एक बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए हैं, उन्हें दोबारा वहां जाने की अनुमति न दी जाए।

महोदय, यह सीधे-सीधे हिन्दू धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। जो पुराने श्रद्धालु जाते हैं, वे नये लोगों को प्रोत्साहित करके यात्रा को अत्यन्त सुगम बनाने में योगदान करते हैं। लेकिन सरकार का यह जो रवैया है, वह धार्मिक भावनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय एकात्मकता की एक महत्वपूर्ण यात्रा में बाधा पैदा करने जैसा है।

महोदय, यही नहीं, इसका दुष्प्रभाव भी सामने आया है कि विदेश मंत्रालय द्वारा जो 16 जत्थे भेजे जाते हैं, उनमें प्रत्येक जत्थे में अब तक 60 यात्री जाते थे, लेकिन इसके कारण अब प्रत्येक जत्थे में यात्रियों की संख्या 30 से 40 रह गई है।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की 26 दिनों की यात्रा के दौरान आने वाले खर्चे का आधा हिस्सा भारत सरकार अनुदान के रूप में सहयोग करे। इसके अलावा यात्रा को और सुगम बनाने के लिए यात्रा मार्ग पर बुनियादी सुविधाओं में

बढ़ोतरी और सुरक्षा प्रदान की जाए। तीर्थयात्री विकास समिति के द्वारा कैलाश मानसरोवर की पवित्र धार्मिक यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जाए। पूरे देश के अंदर सभी रेलवे स्टेशनों पर, एयरपोर्ट पर हिंदुओं की पवित्र धार्मिक यात्राओं जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा, चार धाम की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा, केरल में सबरीमाला की यात्रा है, बैजनाथ धाम की यात्रा है आदि धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं, उनके लिए स्पेशल टर्मिनल, स्पेशल व्यवस्था रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर करने के साथ उन्हें आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के अलावा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए।

सभापति महोदय : श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री हुक्मदेव नारायण यादव, श्री कमलेश पासवान, श्री गणेश सिंह, श्री महेन्द्र सिंह चौहान, श्री निखिल कुमार चौधरी और श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी अपने आपको योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the House and the Government to the fact that the Desalination Plant Project which was built in Kavaratti Island, Lakshadweep, which is my constituency, was started in the year 2005. It has the capacity of generating about one lakh litres of water which is fit for drinking and for other household purposes. The saline water is made potable water by this Desalination Plant. There is a proposal to construct six to seven more Desalination Plants in various Islands. But the contractors who are doing job find some problems. The first plant was built in eight months but the subsequent plants which were there in the pipeline are still not completed. When contacted, when we enquired from the competent authority, the Department, they say that there is some problem with the contractors. So, I would urge upon the Government that if there is a problem with the erring contractors, there should be penalty which should be imposed against those erring contractors.

There should be a stipulated time frame and period within which these desalination plants can be completed and potable water can be generated for those who are living in these isolated tribal islands. Therefore, I would urge the

Government to immediately intervene by issuing time limit to ensure that these desalination plants are built so that the local Schedule Tribe islanders get potable water for their usage, and also penalty may be imposed on the erring contractors and stipulated time period may be fixed.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, आपने मुझे देश के रक्षा वैज्ञानिकों के पलायन के संबंध में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। हम सब जानते हैं कि विज्ञान और वैज्ञानिक देश की रीढ़ हैं, देश के विकास की धरोहर हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक विशेषकर जिन्होंने रक्षा क्षेत्र में जीवन समर्पित किया है, दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। वे नए अविष्कार करते हैं जिससे देश की सुरक्षा कायम रहे और देश की आजादी पर कोई खतरा न आए। हमारे देश के लिए ये सभी वैज्ञानिक माननीय एवं गौरवपूर्ण हैं। रक्षा वैज्ञानिकों के शीर्षस्थ संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ में विगत पांच वर्षों में कुल 650 वैज्ञानिक इस्तीफा देकर निजी क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। यह बहुत चिंता का विषय है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2007 में 273, 2008 में 162, 2009 में 65, 2010 में 63 तथा 2011 में 86 रक्षा वैज्ञानिकों ने सरकारी नौकरी से पलायन किया है।

महोदय, डीआरडीओ से पलायन करने वाले रक्षा वैज्ञानिकों ने अपनी इस स्थिति का कारण निजी मजबूरी बताई है। लेकिन वास्तविक सच्चाई निजी क्षेत्र का आकर्षण वेतन और सुविधाएं हैं जो वहां आसानी से मिल रही हैं। डीआरडीओ से इस्तीफा देने वाले ज्यादातर वैज्ञानिक ग्रेड बी के हैं। छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद जिनका वेतन 45,000 से 50,000 रुपए के बीच है जबकि देश के अन्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रति माह वेतन एक लाख रुपए से अधिक है। अतः ज्यादा वेतन का आकर्षण ही उनके पलायन की सच्ची वजह प्रतीत होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश में बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए रक्षा वैज्ञानिकों को समुचित वेतन एवं सुविधाएं दी जाएं ताकि वे संतुष्ट होकर अच्छा काम करें और देश के विकास में सहयोग दें।

श्री सज्जन वर्मा (देवास): महोदय, मेरे द्वारा उठाए गए शून्यकाल का विषय ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उचित और उच्च स्तरीय शिक्षा देना है। यह दुख का विषय है कि आजादी के 64 साल बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। यदि हम भारत के इतिहास पर नजर डालें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में बहुत असमानता देखने को मिलती है। क्या किसान का बेटा अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता है? क्या किसान या मजदूर के बेटे को पढ़ने का अधिकार नहीं है? सरकारों की परंपरा शहरों में बड़े स्कूल और कॉलेज खोलने की रही है। मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार, मानव संसाधन विकास

विभाग द्वारा एक समग्र नीति, व्यावहारिक कार्य नीति बनाई जानी चाहिए ताकि गांव और शहर की शिक्षा की असमानता का स्तर कम हो सके। हम इस अंतर को आजादी के 64 वर्षों बाद भी कम नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए शायद 64 साल और लगेंगे। मेरा अनुरोध है कि कम से कम मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य विधान सभा क्षेत्रों में एक-एक आवासीय स्तर के केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रावधान करे। ताकि कम से कम अनुसूचित जाति और जनजाति के वे क्षेत्र जो विकास की गति में काफी पिछड़े हुए हैं, वहां के बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके, एक ऐसे स्तर की शिक्षा मिल सके, जिनके बारे में हम बोलते हैं कि आने वाले समय में हमें भावी पीढ़ी का निर्माण करना है। लेकिन यह तभी हो पायेगा, जब गांव में हम शिक्षा के अच्छे वातावरण का निर्माण करेंगे। यदि हमें एक शिक्षित भारत का सपना देखना है तो कुछ नये पंख उन बच्चों को देने पड़ेंगे, ताकि वे भी अच्छी उड़ान भर सकें।

MR. CHAIRMAN: You are not demanding to increase the quota of MPs in every school.

श्री सज्जन वर्मा : मैंने डिमांड की है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों में निश्चित रूप से एक-एक केन्द्रीय विद्यालय खुले। मेरे लोक सभा क्षेत्र में तीन अनुसूचित जाति के विधान सभा क्षेत्र हैं, आगर, आष्टा और सोनकछ। कम से कम इन तीनों अनुसूचित जाति की विधान सभाओं में एक-एक केन्द्रीय विद्यालय खोलें।

MR. CHAIRMAN: Please don't disturb. If anybody disturbs, I will not call his name.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में नेशनल हाईवेज बने और एक फ्रिक्वेंसी भी तय हुई कि इतनी स्पीड से हमें इतने किलोमीटर इतने समय में पहुंचना है। लेकि आज जो स्पीड की फ्रिक्वेंसी रेट है, वह बहुत कम हुई है। यहां तक कि हाईवे पर जो सुरक्षा के लिए फैंसिंग की गई थी, वह सब बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और वहां जो पुल, पुलिया और सड़कें बनी हैं, उनकी गुणवत्ता भी बहुत ही दयनीय है। वे जगह-जगह से उखड़ गई हैं और मरम्मत योग्य हैं। इधर आये दिन देखा गया है कि नेशनल हाईवे पर बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं और नेशनल हाईवे के मानक में यह है कि वहां पर मोबाइल ट्रामा सैंटर खोला जायेगा। लेकिन आज तक वहां न तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है और न किसी ट्रामा सैंटर की व्यवस्था है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वहां एम्बुलेंस और ट्रामा सैंटर मोबाइल बनाये जाएं और उनमें ब्लड बैंक की भी व्यवस्था हो। क्योंकि दुर्घटना होने पर यात्रियों को ज्यादातर सबसे पहले फर्स्ट एड दी जाती है, उसके बाद उन्हें खून की आवश्यकता होती है। दुर्घनटना के बाद वे जिला अस्पताल या सैंटर पर जाते हैं तो जाते-जाते रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी सैटरडे, सन्डे में मैं 4/5 की रात्रि में गया था, दीवर कोतारी एक जगह है, वहां पर कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। एक खानदान के लोग थे, जो उर्स-मिलाद से रात के समय लौट रहे थे, उसमें 14 लोग टवेरा गाड़ी में सवार थे। अचानक एक्सीडेंट हुआ और सात लोग मौके पर मर गये। वे सब एक ही परिवार के लोग थे। मैंने अपनी जिंदगी में होश में पहली बार ऐसा मंजर देखा कि सात लाशें एक साथ कब्रिस्तान में दफनाई गईं। मैं मांग करना चाहूंगा कि जो इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए अगर नेशनल हाईवे स्टेट रोड है या जिले की डिस्ट्रिक्ट रोड है तो वहां इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए और केन्द्र सरकार को उसके लिए धन मुहैया कराना चाहिए। आये दिन बड़े-बड़े हादसे हो रहे हैं, यहां तक कि बीस-बीस और पच्चीस-पच्चीस लोग शादी-ब्याह में जाते हैं और एक्सीडेंट में कभी-कभी पूरा परिवार ही नष्ट हो रहा है। ऐसे हालात में यहां से कुछ व्यवस्था हो। बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं, जिनकी मृत्यु होती है। ये जो सात नौजवान एक परिवार के मरे हैं, इनकी उम्र 21 साल से 25 साल के बीच थी, ये सब नौजवान थे, उनमें से दो साल पहले एक की शादी हुई थी।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हाईवे पर सुरक्षा और इनक्रोचमैन्ट रोकने की व्यवस्था हो और केन्द्र सरकार राज्य सरकार को इतनी आर्थिक मदद करे, ताकि वहां जो गरीब परिवार हैं, उन गरीब परिवारों की मदद हो सके और जो घायल हो जाते हैं, उनका इलाज फ्री में होना चाहिए। यही मैं सरकार से मांग करता हूं।

SHRI K. P. DHANAPALAN (CHALAKUDY): Thank you, Sir, for giving me a chance to raise an important issue concerning two Districts of my State.

There is acute shortage of Indane Gas and Bharat Gas in Kerala, especially, in Ernakulam and Thrissur Districts. The consumers have to depend on black market for LPG by paying much higher price. There is a situation that even months after booking for filled cylinders, the agencies fail to make available the filled cylinders to the consumers. As most of the households depend on LPG for their cooking, the non-availability of LPG makes much difficulty to them because of the non-availability of LPG in time.

Hence I request that the Government may make necessary arrangements to avoid shortage of LPG and to ensure the easy availability of filled LPG cylinders to the consumers regularly.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, I would like to associate myself with the above issue raised by Mr. Dhanapalan.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत सरकार की त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अंतर्गत, सिंचाई की वृहद और छोटी-बड़ी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार धन देती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों से ऐसी परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। जहां पानी की व्यवस्था और साधन है। लेकिन इन छोटी-बड़ी परियोजनाओं को धन न मिलने से ठीक ढंग से कार्य नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की बाणसागर परियोजना है, जो अधूरी पड़ी है और अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार बरसाती नदियां होती हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में नाद नदी है। अगर इस नदी पर इस योजना के अंतर्गत चेक-डैम बना दिए जाएं तो नदी के किनारे जो दर्जनों गांव हैं, उनको सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हो जाएंगे और पानी के रिचार्ज का भी काम हो जाएगा। इस योजना के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में दो बड़ी परियोजनाएं हैं - नारायणपुर पंप कैनाल और भूपौली पंप कैनाल। जहां पर संसाधन और पैसे न होने के कारण परियोजनाओं को पूर्ण नहीं किया जा रहा है और पानी हेड से टेल तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। जनपद चंदौली के पूर्वी महाइच और उत्तर नर्वण के किसान लगातार इस पानी के लिए संघर्ष करते चले आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को ध्यान

दिलाना चाहता हूँ कि इसी प्रकार शारदा नहर है, जो कि 250-300 किलोमीटर तक लंबी है, जिसका पानी गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, भदौही और इलाहाबाद तक पहुंचता है। बनारस में उसकी दो-तीन नहरें हैं। जिनका रख-रखाव, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण न होने से पानी या तो बह जाता है या टेल तक नहीं पहुंच पाता है। यह परियोजना भी अधूरी पड़ी हुई है। दो-तीन बिंदु और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। त्वरित सिंचाई लाभ योजना इसीलिए बनाई गई थी जिससे हम पानी का ठीक से उपयोग कर सकें और जहां भी किसानों को पानी जरूरत हो, वहां पानी दे सकें। कभी-कभी ऐसा होता है कि भारी वर्षा होने से और ड्रेनों की खुदाई न होने से हजारों हेक्टेयर जमीनें और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में धूस-नोनार ड्रेन है, वह परियोजना भारत सरकार के पास पड़ी हुई है। उस पर धन न मिलने से वह अधूरी पड़ी हुई है। इसी प्रकार जमनिया पंप कैनाल, गाजीपुर से 38 करोड़ की एक परियोजना बनी है, जो धन के अभाव में झूल रही है। अगर उस परियोजना को त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अंतर्गत पूरा करा दिया जाए तो उससे जनपद चंदौली के पूर्वी और उत्तरी किसानों को लाभ मिल जाएगा। इस प्रकार जो हमारी दूसरी परियोजनाएं है, उन परियोजनाओं को काम मिल जाएगा। …(व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने एक मांग की है, प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी भेजा है, एक प्रस्ताव भेजा है। दो हजार करोड़ रूपये का एक प्रस्ताव इन परियोजनाओं के लिए भेजा गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि केंद्र सरकार त्वरित सिंचाई लाभ योजना को लागू करे और उत्तर प्रदेश को धन मुहैया कराये। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You can restart now.

श्री कौशलेन्द्र कुमार : महोदय, मुझे एवं हर भारतवासी को इस बात का गर्व है कि हम उस देश के नागरिक हैं, जहां कि राष्ट्रपति, लोकसभा की अध्यक्षा, सत्तारूढ़ दल की अध्यक्षा, विरोधी दल की नेता एवं दो-दो प्रदेशों की मुख्यमंत्री महिलाये हैं।

महोदय, इतना ही नहीं हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिणाम आये हैं, उनमें भी एक महिला ही अव्वल आयी है। हर क्षेत्र में चाहे वह खेल की बात हो, विज्ञान एवं वैज्ञानिकों की बात हो, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रबंधकों की बात करें, हर क्षेत्र में आज महिलायें अव्वल हो रही हैं।

महोदय, हम सब इस लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की भी मांग करते हैं। हम बिहार से आते हैं, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में 50 परसेंट आरक्षण महिलाओं को दिया गया है।

महोदय, लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टरों की मैडिकल काउंसिल से मान्यता समाप्त करने का प्रावधान है। हर माह ऐसे डॉक्टर पकड़े जाते हैं, उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, परन्तु मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि आज तक क्या किसी डॉक्टर की डिग्री रद्द की गयी है?

महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि जो भी ऐसी डॉक्टर पकड़े जायें, उनकी डिग्री एवं मैडिकल काउंसिल की मान्यता रद्द की जाये एवं उन पर इरादतन हत्या करने का मुकद्मा कराया जाये।

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार इस पर अपना एक वक्तव्य दे। क्या सरकार इस सदन में यह खुलासा करेगी कि कन्या भ्रूण हत्या में संलिप्त चिकित्सकों पर एमसीआई ने अब तक क्या कार्रवाई की है?

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I would like to draw the attention of the concerned Minister and the Ministry to the pathetic condition of the EPF pensioners in our country. There are about 4 to 5 crore EPF pensioners.

The first EPF Act was passed in Parliament in 1952. It is after a long time, that is 43 years after that, a new Act, that is EPF Act, 1995 has come into existence. Sir, sorry to say, according to this Act, most of the benefits and also facilities which the pensioners enjoyed earlier were denied and rejected. It is because of the stringent provisions really imposed in the EPF Act, 1995. So, all the trade unions have given representations to the Government. The Government is also fully aware of the fact.

I remember that in the 14th Lok Sabha, the Standing Committee on Labour under the Chairmanship of Shri P.K. Vasudevan Nair, who is no more, had given a recommendation also to change this Act but no action has been taken. A large number of employees are getting very low pension. Many of them are getting

only Rs. 200 or Rs. 300 as pension. I know, in my own State, there are about nine persons who are getting Rs. 10 and 64 persons are getting only Re. 1 as pension. The Ministers are well aware of the fact. It is because, there are stringent provisions in the Act. When the employees have to join the EPF under the EPF Act, 1995, they have to complete 10 years' service to get pension. It is not possible for many of them because though they have been in service for a long time, they were not in regular service. There was the other scheme, that is the Family Pension Scheme. The total pension period has to be counted but it is not taken into account. So, there are a number of anomalies. So the main issue is that they are asking or they are demanding Rs. 3000 as the minimum pension. Also, many other stringent provisions should be taken back. So the Government should take an action to review this Act. A new Act should be brought in because there are a large number of employees, about four or five crore employees are there.

So, I urge upon the Government to take this issue and amend the EPF Act of 1995 which is really against the interest of the labourers.

MR. CHAIRMAN: Shri P.K. Biju is allowed to associate with the issue raised by Shri P. Karunakaran.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान बिहार के पश्चिमी कोसी कैनाल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधान मंत्री थे, उस समय पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण काम शुरू हुआ था और कोसी बाढ़ नियंत्रण का काम शुरू हुआ। आज तक पश्चिमी कोसी नहर का काम अधूरा है। किसानों की उपजाऊ ज़मीनें चली गईं। नहरें बना दी गईं, मिट्‌टी काटकर बाँध बना दिये गये लेकिन उसमें पानी का इंतज़ाम नहीं हुआ। उल्टे इस कोसी नहर के बनने के कारण पानी का जमाव हो गया जिससे बाढ़ की समस्या और विकराल होती चली जा रही है। इस कोसी नहर के कारण हमारी समस्या का समाधान तो कम हुआ लेकिन हमारे बच्चे बाढ़ में डूबकर ज्यादा मरने लगे हैं। अगर जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर दिया जाता तो हमारे खेतों में सिंचाई होने लगती, खेतों में पैदावार बढ़ती और किसानों की जो ज़मीन चली गई, उन किसानों की जो उपज मारी गई है, उन किसानों को भी कुछ लाभ मिल जाता।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि पश्चिमी कोसी नहर के निर्माण के लिए अधिक से अधिक राशि दे, युद्ध स्तर पर उसका निर्माण करे और जितनी शीघ्रता से करे, उतना अच्छा है। अगर इसमें समय लगेगा तो कोसी पश्चिमी कैनाल बनते-बनते बैराज की लाइफ खत्म हो जाएगी। फिर नया बैराज बनाना पड़ेगा और वह योजना निरर्थक पड़ी रहेगी। इसलिए उस योजना को इंजीनियर, ठेकेदार और राजनेताओं की तिकड़म से बाहर निकालकर किसानों के हित में जल्दी से जल्दी पूरा करा दिया जाए।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मैं आपका ध्यान और आपकी इजाज़त से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not be very loud.

CHAUDHARY LAL SINGH: Sir, I am also very much serious about that.

महोदय, आप जानते हैं कि एक इंसान जो लेबरर रहे, किसान रहे या बुनकर रहे और एक व्यक्ति सरकारी तौर पर इंप्लॉइ रहे तो उनमें बहुत फर्क होता है। एक आदमी यदि सरकार की नौकरी न करे तो जब तक उस आदमी की जवानी है, तो उसके परिवार की ज़िन्दगी का सफर बड़े अच्छे ढंग से गुज़रता है लेकिन ज्यों ही वह आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके लिए मुश्किलें आती हैं। सरकार ने उसके नाम पर एक ओल्ड एज पैंशन रखी है, ऐसे ही डिसेबल्ड और विडो के लिए रखी है। मेरा कहने का मकसद है कि जब उस आदमी को दवाई की ज़रूरत है, उसको अपने गुज़ारे के लिए पैसे की ज़रूरत है और उस समय उसका शरीर भी गिर रहा है, उस समय उसको जो पैंशन सरकार देती है, वह 150 रुपये, 300 रुपये है। वह पैंशन भी उन विधवा औरतों को और डिसेबल्ड परसन्स को और बुज़ुर्ग आदमियों को 9-10 महीने से न मिल रही हो तो आप उनकी हालत सोच सकते हैं। नौ महीने हो गए गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट से उनको पैंशन नहीं मिली। मैं जम्मू कश्मीर में कल मीटिंग कर रहा था तो सारे बुज़ुर्ग और विधवा औरतें चिल्ला रहे थे कि नौ महीने से हमें पैंशन नहीं मिली। मैं जनाब से कहना चाहता हूँ कि नये केस तो बनाने हैं और पुराने जो चल रहे हैं, उनको पैंशन नहीं मिल रही है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि उनकी सोशल सिक्यूरिटी का सवाल है, उनकी ज़िन्दगी का सवाल है, वे बेचारे रो रहे थे। उन गरीबों का वहाँ कौन है? मेरी आपके माध्यम से गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से विनती है कि मेहरबानी करें और उनकी जो पैंशन रोककर रखी है, वह उनको दें। फर्दर यह पैंशन एनहैन्स करनी चाहिए। आज एक आदमी का 300 रुपये से गुज़ारा नहीं हो सकता। इसलिए उनको कम से कम 2000 रुपये पैंशन मिलनी चाहिए और गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को एक कानून-कायदा बना देना चाहिए कि जैसे दूसरे देशों में बुजुर्ग, विधवा और डिसेबल्ड गुज़ारा करते हैं, उसी ढंग से हिन्दुस्तान के बुजुर्ग भी इज्ज़त की ज़िन्दगी जी पाएँ। यही मेरी आपके आगे रिक्वैस्ट है।

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे संसदीय क्षेत्र के एक बहुत लोकमहत्व के विषय को उठाने की इजाजत दी है।

महोदय, मैं कटिहार क्षेत्र से आता हूं। कटिहार एनएफ रेलवे का डिविजनल हैड क्वार्टर है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वहां से दक्षिण भारत की ट्रेनें एक स्टेशन से ले कर पांच-छह रेलवे स्टेशनों से हो कर गुजरती हुई चली जाती हैं और वहां के लोग जो दक्षिण भारत जाना चाहते हैं, उनके लिए ट्रेन रुकती ही नहीं है। वहां बड़ी संख्या में लोग दक्षिण भारत की तरफ तीर्थ यात्रा के लिए तो जाते ही हैं, बड़ी संख्या में लोग चेन्नई में शंकर नैत्रालय आंख के इलाज के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, चिकित्सा के लिए वैल्लोर जाते हैं और अन्य कार्यों के लिए भी जाते हैं, इसलिए इसका प्रमण्डलीय क्षेत्र जिसमें सहरसा है, कोसी-पूर्णिया का क्षेत्र है, जिसमें कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज, सुपोल, मधेपुरा और बगल में नेपाल है, इन क्षेत्रों के लोग दक्षिण भारत जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होती है।

इसलिए मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं और मैं रेल मंत्री जी से मिला भी हूं और बजट में कहा भी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहां बोलना पड़ रहा है कि लोग काफी परेशानी में हैं, गुस्से में हैं कि ट्रेन जा रही है, लेकिन वहां रुकती नहीं है। हमारे पास दो-दो पाथ हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ट्रेन गुवाहटी से चलती है, इसे बारसोई होता हुआ, मुकरिया, सालमाड़ी, सौनेली, दंडखोरा होते हुए कटिहार लाया जाए और कटिहार से कुमेदपुर होता हुआ मालदा की तरफ ले जाया जाए। मैं उन ट्रेनों का जिक्र करना चाहता हूं जो ट्रेनें वहां जानी चाहिए। ये ट्रेनें गुवाहटी से त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस 12515-12516 (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, there is no need of mentioning every train number.

श्री निखिल कुमार चौधरी : इसके बाद गुवाहटी से एर्नाकुलम, 12507- 12508 गुवाहटी से मंगलौर, 12509-12510 …(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have already made your point. It is enough.

श्री निखिल कुमार चौधरी: एनजेपी से चेन्नई…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have already mentioned it.

श्री निखिल कुमार चौधरी: मुझे एक मिनट का समय दीजिए। यशवंतपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, 15227 - 15228 जो हमारे यहां से चलती है और सप्ताह में एक दिन चलती है। मैं इसे सप्ताह में तीन दिन चलाने की मांग करता हूं।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): Respected Chairman, Sir, I am extremely thankful to the Government for sanctioning a Kendriya Vidyalaya at Chennirkara in my Parliamentary Constituency. However, fund releasing is still pending. As a result of it, the functioning of the Kendriya Vidyalaya at Chennirkara is being seriously affected. Now, the Kendriya Vidyalaya at Chennirkara is functioning in a Government school building.

Sir, the State Government of Kerala has already allotted sufficient land and forwarded a proposal for releasing of fund in favour of Kendriya Vidyalaya at Chennirkara for construction of a new school building.

I would, therefore, request the Union Government to kindly do the needful in this regard. I would also request the Government to kindly release sufficient funds for the extension work of the Kendriya Vidyalaya at Adoor in my Constituency. Due to constraint of space at Adoor Kendriya Vidyalaya, classes are being held in two shifts. For the morning shift, students start their journey at 5.30 a.m. and after the evening shift, students reach their homes after 9.30 in the night. This creates a lot of problems to the small students, teachers and parents. Hence I would request the Government to kindly release funds for construction of additional building of the Kendriya Vidyalaya at Adoor, Pathanamthitta in Kerala.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र भदोही, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित है और कालीन नगरी के रूप में जाना जाता है। यहां से हजारों-करोड़ रुपए का निर्यात होता रहा है। हमारा जनपद उद्योग शून्य है। वहां कोई उद्योग नहीं है। वह पिछड़ा हुआ इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है। लेकिन, इस जनपद के लोग कुटीर उद्योग के रूप में, कालीन बनाकर विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं और उसका निर्यात भी करते हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस नगर में उपरिगामी सेतु बनाने के लिए कई बार माननीय मंत्री जी से भी लिखकर, मिलकर आग्रह किया और बजट सत्र में भी इस बात को उठाया, पर कई बार इस बात को करने के बाद भी उस पर आज तत्काल निर्णय होना चाहिए।

महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस विषय पर राज्य सरकार की भी सहमति मिल गयी है। अक्सर जहां विदेशी आते हैं और घंटों जाम में फंसे रहने के कारण वापस चले जाते हैं। फिर

कोई भदोही आना नहीं चाहता। हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो घंटों जाम में फंसे रहते हैं। इसके कारण विद्यार्थी सुबह में समय से अपने स्कूल नहीं पहुंच पाते। इसे आर्थिक जोन घोषित किया गया है। जहां केवल कालीन उद्योग है, दूसरा कोई उद्योग नहीं है। यह उपरिगामी सेतु कालीन उद्योग के लिए, व्यापारियों के लिए, कृषकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और क्षेत्रीय नागरिकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जहां एक तरफ दोहरीकरण की डिमांड बहुत दिनों से चल रही थी क्योंकि अभी सिंगल ट्रैक था। उसे माननीय मंत्री जी ने इस बार स्वीकार किया है। इस पर सर्वे शुरू भी हुआ है। मैं उनका आभारी हूं लेकिन जब तक यह उपरिगामी सेतु नहीं बनता, तब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि भदोही जनपद में जहां केवल कालीन उद्योग ही है, वहां उपरिगामी सेतु बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय सभापति महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। अभी हमारे साथी लाल सिंह जी ने उस बात का थोड़ा सा जिक्र किया है। देश के लाखों बेसहारा लोगों की ओर जिन्हें अपनी जीविका के लिए सहारे की जरूरत है, किन्तु नियमों के जाल में फंस कर वे तक़लीफ भरी ज़िन्दगी जीने को मजबूर हैं। मैं उनकी ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन योजना में जो सहायता राशि राज्य सरकारों के माध्यम से दी जा रही है, उन सभी योजनाओं में जिन हितग्राहियों का चयन किया जाता है, उसके तहत उनका नाम बीपीएल की सूची में होना अनिवार्य किया गया है। इससे बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग देश भर में वंचित हैं। मेरी मांग है कि ऐसी योजनाओं में बीपीएल की सूची में नाम की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। आज यह देखने में मिलता है कि कई ऐसे वृद्धजन एवं विधवा माताएं हैं जिनकी कोई परवरिश करने वाला नहीं है, ऐसे सभी लोगों को इन योजनाओं का लाभ देना आवश्यक है। इसलिए केन्द्र सरकार को तत्काल इस पर कारगर निर्णय लेना चाहिए। दूसरी ओर, जो पेंशन दी जाती है, वह इतना कम है कि आज के समय में उनका जीना मुश्किल है। जो लाल सिंह जी ने कहा कि कम से कम दो हजार रुपए होना चाहिए, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं और मांग भी करता हूं।

सभापति महोदय: श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र, एवं श्री अर्जुन राम मेघवाल अपने को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): माननीय सभापति महोदय, समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक बात की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज बिहार, झारखण्ड सहित पूरे देश

में मगध का जो मौर्य कालीन साम्राज्य रहा है, जहां पूरे देश में जब चर्चा होती है अर्थशास्त्र की या चर्चा होती है राजनीति शास्त्र की तो उसमें कौटिल्य या चाणक्य का नाम जरूर आता है। बिहार, झारखण्ड सहित पूरे देश के अनेक हिस्सों में एक मगही भाषा बोली जाती है। यह मौर्य काल की भाषा है, चाणक्य की भाषा है, कौटिल्य की भाषा है और यह भाषा अपनी उन्मुक्ति के कग़ार पर है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि जो हिन्दुस्तान की धरोहर है, मगध साम्राज्य की धरोहर है, कौटिल्य, चाणक्य की भाषा है, उस भाषा को, उस मगही भाषा को हिन्दुस्तान की जो सरकार है, वह संविधान की अष्टम् अनुसूची में डालें। मगही भाषा बिहार, झारखण्ड सहित देश के अनेक हिस्सों में बोली जाती है। यह बहुत ही मधुर भाषा है और एक ऐतिहासिक भाषा है। इसे संविधान की अष्टम् अनुसूची में केन्द्र सरकार दर्ज़ करे और इस भाषा को और अधिक समृद्ध बनाएं। यही मांग हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से करते हैं।

सभापति महोदय: श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय अपने को श्री जगदीश शर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री रतन सिंह (भरतपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर से जयपुर एवं भरतपुर से मथुरा रेलवे लाइन पर क्रमशः एल.सी.244 एवं एल.सी.252 पर रेलवे ओवरब्रिज पिछले लगभग 3-4 वर्षों से निर्माणाधीन हैं। निर्माण कार्य की गति अत्यधिक धीमी है, जिससे यह आर.ओ.बी. अभी तक पूरे नहीं हो पाये हैं। इस वजह से किसान, मजदूर, व्यापारी एवं आमजन का सड़क मार्ग से परिवहन अवरुद्ध एवं प्रभावित हो रहा है। रेलवे क्रासिंग पर दो-दो किलोमीटर तक जाम लगता है एवं वाहनों की कतार लग जाती है। सड़क मार्ग भरतपुर से दिल्ली एवं भरतपुर से अलवर, जयपुर को जोड़ने वाले पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं। मुझे सदन को बताते हुए बड़ा खेद है कि इन रेलवे पुलों का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि निर्माणाधीन रेलवे पुलों को शीघ्र पूरा किया जाये, जिससे यातायात सहज व सुगम हो सके एवं परिवहन लाभप्रद हो सके। इसकी जो धीमी गति है, उसकी जांच की जाये और इसका शीघ्र निर्माण करने के निर्देश आपके माध्यम से रेलवे को दिये जायें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Chairman Sir, I would like to draw your attention on the following matter. Plachimada, a predominantly tribal village in Perumatty Gram Panchayat in my constituency, has over the last one decade become

synonymous with the fight of the common people against Coca-Cola over exploitation of water.

The Coca Cola bottling plant, set up in March 2000, began drawing over five lakh liters of water from the wells on its premises each day. The plant was producing one liter of Cola from four liters of water, leaving behind 2.7 liters of wastewater and solid wasters. The company distributed the solid wastes to the farmers as fertilizers, thus harming the farmland too. The high-decibel campaign that ensued was quite spontaneous attracting world-wide attention and resulted in the temporary shutdown of the plant in March 2004.

The Kerala Government has appointed a 13-member high-powered committee, headed by the Additional Chief Secretary to the State Government, K. Jayakumar. The Jayakumar Committee found that there has been a steady decline in agriculture production in the area and the production of milk, meat, and eggs has declined. Metals like cadmium, lead and chromium have been detected in the sludge, which was distributed to the farmers as fertilizers. Skin ailments, breathing problems, and other debilities among the locals have been on the rise. They have noticed low birth-weight in newborns. Apart from this, children have dropped out of schools on account of the social, health, and economic factors caused by the pollution and the Committee suggested that an amount of Rs.216.25 crore should be paid as the compensation to the affected people for the loss in agriculture, health problems, loss of wages, loss of education opportunity and the pollution caused to the water resources by the Hindustan Coca Cola Beverages Private Limited.

Following the Jayakumar Committee Report, The Plachimada Coca Cola Victims Relief and Compensation Claims Special Tribunal Bill 2011" was adopted by the State Assembly on February 24, 2011 and forwarded the Bill to the Centre for Presidential assent. But, the Central Government, instead of sending it for President's assent, sent it back to the Kerala State Law Department, primarily on the ground of legislative incompetence of the State to set up such a tribunal when

National Green Tribunal is present. The Bill, once enacted, would legitimise the constitution of a special tribunal for securing compensation of Rs.216.25 crore to the inhabitants from the Hindustan Coca Cola Beverages Private Limited.

Sir, the Home Ministry, instead of proceeding with the Bill at the end of six weeks, heeded to the legal opinion sent by Coca Cola India Private Limited. It was an impetuous for the Ministry and it sent the Bill back to Kerala State seeking explanation.

Sir, it is learnt that, recently the State Government of Kerala, citing that the State has legislative competence to set up such tribunal, has sent back the Bill to the Centre for Presidential assent.

But no action has been taken or conveyed to the State Government in this regard. I had also submitted this matter on 7.12.2011 during 'Zero Hour' in this House, but I am yet to receive a reply.

MR. CHAIRMAN: Please conclude. You have already mentioned it.

SHRI P.K. BIJU : It is no wonder if one has to think that the Government is giving a preferential treatment to the corporate by snubbing the rights of the tribal people.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI P.K. BIJU : It is evident that the Central Government in cahoots with the pompous corporate is trying to cover up the mind-boggling ground water exploitation in the garb of technicalities.

MR. CHAIRMAN: Shri Dhruvanayarana will speak now.

SHRI P.K. BIJU: The move also sabotages the constitutional provision of Article 21.

MR. CHAIRMAN: Now, nothing will go on record. He has made enough of his point.

(Interruptions)[*]

MR. CHAIRMAN: I said 'no'.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: Next time you stick to your time. You cannot make a speech. I gave you more time.

Shri P. Karunakaran is also allowed to associate with the subject raised by Shri P.K. Biju.

Shri R. Dhruvanarayana, you start. I gave him enough time.

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): Sir, I would like to draw the attention of the House to the social, educational and economic conditions of SC/STs in the country. As per the reports of the National Human Rights Commission, 37 per cent dalits are living below poverty line, 54 of dalit children are under-nourished, 45 per cent dalits are illiterates and 33 per cent dalit households do not have basic facilities. Further, public health workers refused to visit dalit homes in 33 per cent of villages and dalits were prevented from entering police stations in 27.6 per cent of villages in the country. Dalit children had to sit separately while eating in 37.8 per cent of Government schools. Dalits did not get mail delivered to their homes in 23.5 per cent of villages. Dalits were denied access to water sources in 48.4 per cent of villages because of segregation and untouchability practices. Literacy rate for dalit women is as low as 37.8 per cent.

Even though our UPA Government has launched several pro-poor and pro-dalit programmes, but the implementation of these programmes is not done by the State Governments as per the guidelines. So, I urge upon the Central Government to take necessary steps to improve the social, educational and economic conditions of the SC/STs.

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPURAM): Mr. Chairman, Sir, the fate of the farmers throughout the country, and especially in Andhra Pradesh, is the same, but

---

[*] Not recorded

we are witnessing the farmers facing problems in Andhra Pradesh regarding their paddy. Their condition is very miserable. They are not able to sell paddy from their fields as there are no takers for their crops. In these circumstances, they are somehow struggling themselves and taking paddy to the market, but nobody is prepared to buy it. The problem is that the rice-mills are unable to pay for their paddy them because their godowns are packed with rice.

At the same time, there has been a request made by the FCI to the Railways for rakes to be supplied, at least eight rakes per day. This is pending before the Railway Board. Unless the rakes are made available by the Railways, it cannot be shifted from their godowns. This is a very miserable condition.

The UPA-I Government and UPA-II Government did raise the MSP for paddy from Rs. 500 to Rs. 1,050, for which I am grateful to the Central Government. Unfortunately, though 90 per cent of the MPs are from the farming community, still the fate of the farmers is so bad. It is very unfortunate.

Sir, I would request the Railways, through you, that they should come to the rescue of the farmers by making available eight rakes per day to the FCI to enable them to shift rice immediately and thereby come to the rescue of the farmers.

MR. CHAIRMAN: This issue was discussed threadbare in the afternoon.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र झारखंड प्रदेश के गिरिडीह पार्लियामेंट कांस्टीच्युएंसी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोल इंडिया की इकाई सेन्ट्रल कोल फिल्ड लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल यह दोनों जो सब्सिडियरी हैं यहां पर कोयला खदान में आग लगी हुई है। यहां पर करोड़ों रूपये का कोयला जल रहा है। कोल इंडिया, सीसीएल और भारत कोकिंग कोल द्वारा आग बुझाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। हमारे बेरमु प्रखंड के अंतर्गत बीएनके एरिया में कारोमाइन्स में आग लगी हुई है और प्राइम कोकिंग कोल जो विदेश से हम कोयला मंगवा रहे हैं वह कोयला जल रहा है। हम लोगों ने इस संबंध में वहां के पदाधिकारियों को

जानकारी दी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपसे आग्रह है कि भारत सरकार उस पर अविलंब ध्यान दे। जो प्राइम कोकिंग कोल जल रहा है उसको बचाने का काम करें ताकि विदेशी मुद्रा बचे। सभापति महोदय, करोड़ों रूपये का नुकसान हो रहा है। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Next hon. Member is Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi. We have to wind up at 8 o'clock. Therefore, please restrict yourself and be brief.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Thank you, Chairman, Sir. I want to bring to the notice of the Government, through this august House, the serious problem of scanty rainfall in spite of presence of clouds. I thank the UPA Government for starting flagship programmes for the welfare of farmers and agricultural production.

As the House knows, 70 per cent of our agriculture growth depends upon rainfall only. Though, the Indian Meteorological Department predicted normal rainfall for the coming monsoon period, there are places like North Coastal Andhra, which do not receive rainfall in spite of presence of clouds. For the last four years, there has been no normal rainfall during the Kharif sowing period. Due to scanty rainfall, sowing of seeds for various crops and ploughing of land is getting delayed. Consequently, agricultural productivity is reducing year by year.

MR. CHAIRMAN: What is your plea? Please be brief.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI : Sir, normally, farmers sow seeds in the month of June or July. But due to delayed rains, they get sporadic rainfall in the month of August. Then, farmers start sowing seeds and plantation of paddy crop in August only. Due to this, farmers are not able to produce the required food grains in North Andhra, which depends only on rainfall.

In my Parliamentary constituency, Vizianagaram, in every Kharif season, more than two lakh acres of paddy cultivation is supposed to take place.

MR. CHAIRMAN: Please come to your demand now. What is your demand?

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI : But due to less rainfall, 70 per cent of cultivation is affected. It may be due to climate change. We are facing either irregular heavy rains or drought situation, namely, *athivrishti-anavrishti*.

I am not asking for creation of artificial clouds. Already, natural clouds are present over North Andhra. The Government should find out the reasons for no rainfall from those natural clouds so that farmers may be benefited from it.

Due to hilly terrain and coastal territory of North Andhra, it is raining in hilly areas as well as in the sea. In view of this scenario, I request, through you, that the Government should send a scientific team to Vizianagaram and find the reasons for not getting sufficient rainfall -- as the plain areas or irrigated areas are getting it -- in spite of presence of abundant clouds over North Andhra.

MR. CHAIRMAN: So, some emissary has to go to see the God of clouds!

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI : Yes, Sir. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Next hon. Member is Shri Arjun Ram Meghwal. Please be very brief.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): धन्यवाद सभापति जी। यद्यपि सुबह विषय उठ गया है लेकिन मैं आप के माध्यम से थोड़ा डिफरेन्ट ऐंगल देना चाहता हूं। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से चुन कर आया हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में खाजूवाला, अनोपगढ़, घडसाना, रावला और मेरे संसदीय क्षेत्र से सटी हुई मण्डियां, केसरीसिंहपुर, करणपुर, सूरतगढ़, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ व रावतसर में जो गेहूं की पैदावार हुई है और उसके बाद अनाज मण्डियां में आ गया। बारदाने की कमी है। यह विषय सुबह उठ गया था। इसकी डिमांड होनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि हर बार अनाज मंडियों में आता है लेकिन बारदाना नहीं मिलता है। क्यों नहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस समय इमरजेन्सी में एक ऐसा सेल खोल दे जिससे सीधा स्टेट गवनर्मेन्ट अप्रोच कर सके। अभी हमारे यहां कोटा में अनाज वर्षा से भीग गया और बारदाना भी कोलकाता से रवाना हुआ लेकिन बीच में कहीं और डायवर्ट हो गया। इस लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऐसा सेल खुलना चाहिए जिससे अनाज जब मंडियों में आ जाए तो बारदाना भी उपलब्ध हो जाए। मैं आप के माध्यम से यही मांग करना चाहता हूं।

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी): धन्यवाद सभापति जी। मेरे लोकसभा क्षेत्र सीधी के अंतर्गत सिंगरौली जिला आता है। सिंगरौली जिला में कोल इंडिया की एनसीएल कोयला कम्पनी है। कल इलिगल माईनिंग हो रही थी और उसमें दर्जन भर मजदूरों की मृत्यु हो गई। तकरीबन इतने ही लोग इंजर्ड हैं। हमारे क्षेत्र का सिंगरौली जिला कोल माइन्स का एरिया है। वहां दस एलसीएल की खदानें हैं। एसआर को कोयला खदान मिली हुई है, रिलायंस को मिली हुई है और जेपी को मिली हुई है। वहां जीएसआई, सीएमपीडीआई द्वारा पूरे क्षेत्र में कोयला खदान चिन्हित है। दुर्भाग्य यह है कि वहां कोयले का अवैध व्यापार करने वाले लोग उन गरीब मजदूरों से ऐसे जोखिम भरे काम करवाते हैं। इससे उनकी मृत्यु हो गई। मैं आपके माध्यम से कोयला मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उसकी जांच करवाएं और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही हो। साथ ही गरीब मृतक मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, किसानों की पीड़ा अनंत है। उनका वर्णन कहां-कहां किया जाए। मैं हाल ही में बक्सर, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले में गया था जहां बूढ़ी गंडक नदी के किनारे मुझे किसानों ने जाते-जाते कहा कि नीलगायों से जान बचाइए। नीलगाय जिसे घोर खराश भी कहते हैं, कहीं घोर गद्दर कहते हैं। वहां जंगली सूअर और बंदर तीनों मिलकर सारी फसलों की बर्बादी कर रहे हैं। किसान उन्हें कानून, सुप्रीम कोर्ट, पर्यावरण, वाइल्ड एक्ट आदि के भय से मार नहीं सकते। लेकिन उनकी तैयार फसल, लहलहाती फसल, पेड़-पौधे नीलगाय, दिलबकरी, घोर गद्दर आदि से बर्बाद हो रहे हैं। राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, कलैक्टर के यहां भी लिखा-पढ़ी हुई है कि किसानों की फसलों को जानवरों से बचाया जाए, रक्षा की जाए। अगर उनकी फसलों की रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें मुआवजा मिले नहीं तो जो सरकार लोगों को मच्छर, डेंगू से नहीं बचा सकती, सरकार मच्छर भी नहीं मार सकती, नीलगाय, सूअरों और बंदरों से किसानों को नहीं बचा सकती, तो सरकार का क्या मतलब है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस बारे में सरकार वक्तव्य दे कि उसकी क्या पॉलिसी है। नीलगाय, नीलबकरी आदि से किसानों की फसलों की जो बर्बादी हो रही है, उससे बचाव कैसे हो।…(व्यवधान) उन्हें मुआवजा मिले। इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।…(व्यवधान) यह देश के विभिन्न हिस्सों का विषय है।…(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, हाल ही में स्थानीय समाचार पत्र अमर उजाला में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि देश में 336 प्राइवेट मैनेजमैंट और इंजीनियरिंग कॉलेज अवैध हैं। देश के मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी निजी संस्थान द्वारा संचालित कॉलेज व संस्थान एआईसीटीई (आल इंडिया काउंसिल आफ टेक्निकल एजूकेशन) की मान्यता के बिना प्रबंधन और तकनीकी शिक्षा नहीं दे सकते। स्वाभाविक ही इन कॉलेजों से मिली डिग्री और सर्टिफिकेट भी सरकारों द्वारा मान्य नहीं होते।

महोदय, यह अत्यंत संवेदनशील विषय है कि इस प्रकार के अवैध कॉलेज छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे सामने कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें अनजान अभिभावकों की भारी-भरकम धनराशि देश के विभिन्न हिस्सों में संचालित ऐसे संस्थानों द्वारा सुविधाओं के सब्जबाग दिखाकर ऐंठ ली गई तथा आवश्यक सुविधाओं के अभाव के कारण ऐसे संस्थानों से अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को निकाल लेने के बाद भी उनकी धनराशि संस्थानों द्वारा वापिस नहीं दी गई।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ऐसे कॉलेजों व संस्थानों को जो एआईसीटीई के मानकों को पूरा नहीं करते तथा जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए, अभिभावकों द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण घनराशि दंड सहित वापिस करवाई जाए तथा साथ ही देश में उच्च शिक्षा तंत्र को लूट तंत्र बनाने से रोकने हेतु प्रभावी कानून बनाए जाएं। मुझे विश्वास है कि सरकार समय रहते इस ओर ध्यान देगी।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, चोरी हो जाए तो कुछ बचता है, डकैती हो जाए तो कुछ बचता है लेकिन आग लगी में कुछ नहीं बचता। हमारे संसदीय क्षेत्र के सुल्तानपुर वासडीह विधान सभा जयनगर, शिवराजपुर, गायघाट, उस्मानपुर, त्रिकालपुर, सलेमपुर में राउतपार रघेव, वेल्थरा विधान सभा में हल्दीरामपुर, नवादा, कसौडढ़, औराई कला, जमीन बिगहं, चन्नाडीह, खुरा खूंटा, इंदौली, भीमपुरा नम्बर 1, वहोरवा, खुर्द, ककरासो, गजियापुर, निछहुआडीह, खंडवा, भुजैनी और सिकन्दरपुर विधान सभा में भुजही, कठौड़ा, सिकिया, मठिया, वालूपुर, जिगीड़सर, मझवलिया, लिलकर, करसी, एकइल, सोनाडीह आदि गांवों में भयंकर आग लगी है।...(व्यवधान)

20.00 hrs

MR. CHAIRMAN: Please put your demand.

श्री रमाशंकर राजभर : सभापति महोदय, वहां आग लगने से दर्जनों बच्चे जल गये, दर्जनों महिलाएं जल गयीं, सैंकड़ों जानवर जल गये, लेकिन उनका घर नहीं बन सकता, क्योंकि उनका नाम बीपीएल में नहीं होगा। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जनपद देवरिया के जिलाधिकारी और जनपद बलिया के जिलाधिकारी को यह आदेश करें कि नियमों में शिथिलता दी जाये और जो हजारों परिवार आग से जलकर बेघर हो गये हैं, उनके आवास इस साल बनवा दिये जायें, ताकि अगली बार उनके घर न जलें।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 11 am on 8th May, 2012.

20.00 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday,
May 8, 2012/ Vaisakha 18, 1934(Saka).